सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

20-21 वार्षिक रिपोर्ट

वस्त्र मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

विषय–सूची

1	सिंहावलोकन	01
2	कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	11
3	निर्यात संवर्धन	32
4	कच्ची सामग्री सहायता	35
5	प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता	64
6	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु सहायता	68
7	अवसंरचना के लिए सहायता	83
8	वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास	85
9	तकनीकी वस्त्र	88
10	क्षेत्र की योजनाएं	91
11	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन	134
12	वस्त्र क्षेत्र में आईसीटी पहलें	144
13	राजभाषा	147
14	एससी/एसटी/महिला और विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय	149
15	सतर्कता कार्यकलाप	152

सिंहावलोकन

1.1 भारतीय वस्त्र उद्योग समग्र मूल्य श्रृंखला में एक विशाल अद्वितीय कच्चे माल के आधार और विनिर्माण शक्ति के साथ दुनिया में सबसे बड़ा है। यह चीन के बाद एमएमएफ फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत का वस्त्र और वस्त्र उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी 2019–20 में काफी अधिक 11.8% है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 5% है। उद्योग की विशिष्टता हाथ से बुने हुए क्षेत्र के साथ–साथ पूंजी गहन मिल क्षेत्र दोनों में निहित है। मिल क्षेत्र दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। हथकरघा, हस्तशिल्प और लघुविद्युतकरघा इकाइयों जैसे पारंपरिक क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत हैं। यह 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और 100 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल हैं। इस क्षेत्र में सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की महत्वपूर्ण पहलों के साथ पूर्ण संरेखण है।

भारत के विकास को समावेशी तथा सहयोगी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, कौशल तथा परपंरागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करना रहा है। वर्ष 2019–20 की कुछ प्रमुख पहलें तथा मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1.2 निर्यात

भारतीय वस्त्र उद्योग चीन के बाद एमएमएफ फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत का कपड़ा और वस्त्र उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी 2019–20 में काफी अधिक 11.8% है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 5% है। भारत के लिए प्रमुख वस्त्र और अपैरल का निर्यात करने वाले गंतव्य कुल वस्त्र और अपैरल के निर्यात में 50% की हिस्सेदारी के साथ ईयू–28 और यूएसए हैं। यह क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और 100 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल हैं।

1.3 कच्ची सामग्री सहायता

क. कपास

कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक फाइबर उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा है। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की खपत में कपास का अनुपात लगभग 60% है। कपास की खपत प्रति वर्ष 300 लाख गांठ (170 किग्रा प्रत्येक) से अधिक की होती है। भारत ने लगभग 126.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती के मामले में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो 326.50 लाख हैक्टेयर वैश्विक क्षेत्र का लगभग 38% है। लगभग 62% भारतीय कपास का उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में और 38% सिचिंत भूमि पर किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान भारत की उत्पादकता 454 किग्रा/हैक्टेयर थी। भारत विश्व में कपास के एक सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में उभरा है।

जीवन की मूलभूत आवश्यकता अर्थात क्लोदिंग जो भोजन के बाद दूसरा है, का प्रदाता होने के अलावा, कपास कच्ची कपास, मध्यवर्ती उत्पादों जैसे यार्न और फेब्रिक तथा परिधान, मेड–अप्स और निटवियर के रूप में अंतिम तैयार उत्पादों का निर्यात करके भारत की कुल विदेशी मुद्रा में सर्वाधिक योगदान करता है। भारत में इसके आर्थिक महत्व के कारण, इसे ''सफेद सोना'' भी कहा जाता है।

कपास, लगभग 5.8 मिलियन कपास किसानों तथा कपास प्रसंस्करण तथा व्यापार जैसे संबंधित क्रियाकलापों में लगे 40–50 मिलियन लोगों की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कपास उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों यथा मध्यम स्टेपल और लंबी स्टेपल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया है। वस्त्र मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कपास निगम (सीसीआई) प्रचलित बीज कपास (कपास) के मूल्यों के एमएसपी स्तर को छू जाने पर एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है। कपास वर्ष 2019–20 के दौरान सीसीआई द्वारा एमएसपी के तहत कपास की 105.14 लाख गांठों की खरीद की गई।

ख. पटसन:

पटसन उद्योग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योगों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग, तृतीय श्रेणी के उद्योग (गौण क्षेत्र) और संबंधित क्रियाकलापों सहित संगठित मिलों और विविधीकृत इकाइयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कई लाख किसानों की आजीविका में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के कारोबार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं।

भारत सरकार पटसन उत्पादकों को न केवल भारतीय पटसन निगम द्वारा संचालित एमएसपी अभियानों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराती है बल्कि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को लागू करके खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए प्रति वर्ष लगभग 7584 करोड़ रुपए के मूल्यों वाले पटसन बोरों की सीधी खरीद के माध्यम से भी पटसन उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराती है। यह न केवल पटसन किसानों बल्कि पटसन मिल कामगारों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहायता है।

दिनांक 1 नवंबर, 2016 से पटसन बोरों की खरीद के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म 'जूट–स्मार्ट' (जूट सेकिंग सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्वीजिशन टूल) को क्रियान्वित किया गया है। इस समय 'जूट–स्मार्ट' सॉफ्टवेयर लागू हो गया है तथा पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के एसपीए ने फरवरी, 2021 माह तक जूट–'स्मार्ट' के माध्यम से 33.18 हजार करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 124.65 लाख गांठों के मांग पत्र पहले से ही प्रस्तुत कर दिए हैं तथा इन गांठों के लिए 7 विभिन्न मध्यस्थों को शामिल करके कई पटसन मिलों से राज्य सरकारों की 6 राज्यों में स्थित पटसन मिलों को इन गांठों के लिए पीसीओ प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

जूट–आई–केयर की शुरूआत प्रमाणित बीजों, बेहतर कृषकीय प्रक्रियाओं और पटसन संयंत्र का पुनःप्रयोग करके माइक्रोबियल रेटिंग के प्रयोग को बढ़ावा देकर पटसन किसानों की आय में कम–से–कम 50: की वृद्धि करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

पटसन क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाएं मुख्यतया राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं जो पटसन क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए सृजित किया गया एक सांविधिक निकाय है।

ग. रेशम:

रेशम एक कीट रेशा है जिसमें चमक, ड्रेप और मजबूती होती है। इन अनन्य विशेषताओं के कारण रेशम को विश्व भर में 'वस्त्र की रानी' के रूप में जाना जाता है। भारत प्राचीन सभ्यता की भूमि रही है तथा इसने विश्व को कई चीजों का योगदान दिया है जिसमें रेशम भी एक है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसके बावजूद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो 5 मुख्य वाणिज्यिक किस्मों के रेशम अर्थात् मलबरी ट्रापिकल तसर, ओक तसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग की मुख्य विशेषता इसकी उच्च रोजगार क्षमता, कम पूंजी अपेक्षा है तथा यह रेशम उत्पादकों को लाभप्रद आय प्रदान करता है।

भारत 35,820 मी.टन रेशम के उत्पादन के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। उत्पादित रेशम की चार किस्मों में मलबरी की हिस्सेदारी 70.46% (25,239 मी.टन) तसर 8.76% (3,136 मी.टन), एरी 20.11% (7,204 मी.टन) और मूगा 0.67% (241 मी.टन) है। आयात विकल्प बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन वर्ष 2018–19 में 6,987 मी.टन से 0.32% मामूल वृद्धि के साथ वर्ष 2019–20 में 7,009 मी.टन हो गया है। वान्या रेशम (तसर, एरी, मूगा) का उत्पादन 10,124 मी.टन से 4.51% बढ़कर 10,581 मी.टन हो गया है। मूगा रेशम का उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 241 मीट्रिक टन दर्ज किया गया है।

घ. ऊन

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) नामक एक नया एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है जिसका अनुमोदन स्थायी वित्त समिति द्वारा 23.03.2017 को हुई अपनी बैठक में किया गया था। इस कार्यक्रम का निर्माण सभी स्टेकहोल्डरों की अनिवार्य आवश्यकता अर्थात ऊन उत्पादक सहकारी संगठन, मशीन शीप शियरिंग, ऊन विपणन/ऊन प्रसंस्करण/ऊन उत्पाद विनिर्माण के सशक्तिकरण की आवश्यक जरूरतों को शामिल हुए ऊन क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था। पश्मीना ऊन के प्रमाणीकरण, लेबलिंग, ब्रांडिंग

तथा औद्योगिक उत्पादों में दखनी ऊन के उपयोग में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए के आबंटन से पश्मीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को आईडब्ल्यूडीपी के तहत 'जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की पुनर्निर्माण योजना' के नाम से शामिल किया गया है।

1.4 प्रौद्योगिकी सहायता

(क) प्रौद्योगिकी उन्नयन: संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):

एटीयूएफएस को जनवरी, 2016 में 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को जुटाने तथा लगभग 35 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। दिनांक 25.03. 2021 की स्थिति के अनुसार 46860.70 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से एटीयूएफएस के तहत कुल 11107 यूआईडी जारी किए गए हैं।

(ख) पावरटैक्स इंडिया

विद्युतकरघा क्षेत्र की लंबे समय से महसूस की गई आवश्यकता को पूरा करने और प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए नए घटकों अर्थात विद्युतकरघा बुनकरों के लिए सौर ऊर्जा योजना और प्रधानमंत्री ऋण योजना, प्रचार और आईटी एवं मौजूदा योजनाओं अर्थात समूह वर्कशेड योजना, सामान्य सुविधा केंद्र योजना, यार्न बैंक योजना, साधारण विद्युतकरघा योजना, स्वः स्थाने विद्युतकरघा उन्नयन योजना को तर्कसंगत/उन्नयन करके विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (पीएसडीएस) को संशोधित किया गया है। इस योजना को अब पावरटैक्स इंडिया के नाम से पुनः शुरू किया गया है और यह दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2020 तक लागू है।

1.5 कौशल उन्नयन हेतु सहायता

क. 'वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना' (समर्थ) के क्रियांवयन की प्रगति

समर्थ को आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी), प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नंबर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑन–लाइन निगरानी जैसी विकसित सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल रूपरेखा के तहत तैयार किया गया था।

कार्यान्वयन और निगरानी में आसानी के लिए एक मजबूत प्रणाली को लागू करने के प्रयास के साथ हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद समर्थ के तहत प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने, प्रस्तावों के ऑनलाइन डेस्क मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्रों का मोबाइल ऐप समर्थित भौतिक सत्यापन, आधार प्रमाणन के पश्चात प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण, एईबीएएस, मूल्यांकन के लिए अलग मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने आदि के प्रावधानों को शामिल करते हुए एंड टु एंड सालुशन के साथ एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म परिचालन किया गया है।

1.6 अवसंरचना सहायता

क. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही कार्यान्वयनाधीन रही है ताकि वस्त्र उद्योग को विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की जा सकें। परियोजना लागत में सामान्य अवसंरचना तथा उत्पादन/सहायता के लिए इमारतें शामिल हैं जो 40% परियोजना लागत तथा अधिकतम 40 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता वाले आईटीपी आवश्यकताओं पर निर्भर है। स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप आईटीपी स्थापित करने की छूट है।
2. इस योजना के तहत घटकों अर्थात केप्टिव पावर प्लांट, अपशिष्ट शोध, दूरसंचार लाइनों सहित कंपाउंड वॉल, सड़क, ड्रेनेज, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति जैसी सामान्य अवसंरचनाओं, जांच प्रयोगशाला (उपस्करों सहित), डिजाइन केंद्र (उपस्करों सहित), प्रशिक्षण केंद्र (उपस्करों सहित), व्यापार केंद्र/प्रदर्शनी केंद्र, भंडारण सुविधा/कच्चे माल के डिपो, एक पैकेजिंग इकाई, क्रेश, कैंटीन, कामगारों के हास्टल, सेवा प्रदाताओं के कार्यालय, श्रमिकों के आराम एवं मनोरंजन की सुविधाएं, विपणन सहायता प्रणाली (बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज) इत्यादि, उत्पादन प्रयोजन के लिए फैक्ट्री बिल्डिंग, संयंत्र एवं मशीनरी तथा वस्त्र इकाइयों के कार्य स्थल एवं कामगारों के हॉस्टल जैसी समान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया जाता है जो कि किराए/हायर प्रचेज आधार पर भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
3. भारत सरकार द्वारा कुल वित्त सहायता अधिकतम 40 करोड़ रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 40% तक सीमित है। तथापि, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य तथा लद्दाख संघ राज्य में पहली दो परियोजनाओं के लिए (प्रत्येक) कुल 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 90% की दर से भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाएगी।

4. अभी तक, स्वीकृत 56 वस्त्र पार्कों में से 23 वस्त्र पार्क योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार,पूरे हो गए हैं और शेष 33 क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

क्रियान्वयन की स्थिति:

1. एक बार पूर्णतया प्रचालनशील हो जाने पर उपर्युक्त सभी पार्कों में लगभग 5333 वस्त्र इकाइयों को शामिल किए जाने, लगभग 3,44,443 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन और 26,529 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित होने की संभावना है।
2. इन 56 वस्त्र पार्कों में एसआईटीपी के अंतर्गत 1398.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
3. अभी तक, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 22 पार्क पूरे हो गए हैं। येब्रांडिक्स–आंध्र प्रदेश, गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, मुंद्रा सेज, आरजेडी टेक्सटाइल पार्क, सूरत सुपर यार्न प्रा.लि., व्रज एकीकृत वस्त्र पार्क, फेयरडील टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि. तथा सयन टेक्सटाइल पार्क–गुजरात, मैट्रो हाइटैक को–ऑपरेटिव पार्क लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्रय पल्लाडम हाईटैक वीविंग पार्क, करूर टेक्सटाइल्स पार्क, तमिलनाडुय मदुरई एकीकृत वस्त्र पार्क, तमिलनाडु, इस्लामपुर एकीकृत वस्त्र पार्क, बारामती हाईटेक वस्त्र पार्क, दिशान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं लातूर इन्टीग्रटेड टेक्सटाइल पार्क–महाराष्ट्रय लोटस इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, पंजाब, डोडबल्लापुर टेक्सटाइल पार्क, कर्नाटकय जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क प्रा.लि.–राजस्थान, पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लि. –तेलंगाना, अस्मिता इन्फ्राटेक प्रा.लि., महाराष्ट्र और प्राइड इंडिया कोऑपरेटिव टेक्सटाइल पार्क लि. महाराष्ट्र हैं।

ख. एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल निर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान योजना (एसएजीएएम):

अपैरल विनिर्माण उद्योग में तेजी लाने और विशेष रूप से महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर यह योजना क्रियान्वित कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय पार्क में नईध्अतिरिक्त अपैरल इकाइयों की स्थापना करने के लिए एसआईटीपी केअंतर्गत एकीकृत वस्त्र पार्कों को 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत पल्लाडम हाईटेक विविंग पाक, तमिलनाडु के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है।

ग. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से अक्तूबर, 2013 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना का उद्देश्य समुद्री, नदी और शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) सहित उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थ बनाना है। राज्य सरकारों से मौजूदा वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन अथवा परियोजना लागत का 25% को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता से मंत्रालय के विचारार्थ अपने राज्यों में नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए उपयुक्त प्रस्ताव अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। आईपीडीएस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा नीचे दिए गए 8 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

i. बलोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और बलोतरा, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., बलोतरा द्वारा 18 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

ii. जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और जसोल, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., राजस्थान द्व ारा 2.5 एमएलडी सीईटीपीका शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उनन्नयन।

iii. सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा 12.3 एमएलडी जेडएलडी परियोजना की स्थापना करना।

iv. पाली, राजस्थान में 12 एमएलडी सीईडीपी से जेएलडी का उन्नयन।

v. गुजरात इको टेक्सटाइल पाक, सूरत, गुजरात में 25 एनएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vi. विरूधनगर, तमिलनाडु में सदर्न जिलाटेक्सटाइल प्रसंस्करण कलस्टर (प्रा) लि.द्वारा 6 एमएलडी जेडएलडी की स्थापनाकरना।

vii. भवानी तालुका, इरोड जिला, तमिलनाडु में श्री भवानी सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र द्वारा 4 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

viii. 3.1 एमएलडी से 8.00 एमएलडी नेक्स्टजेन वस्त्र पार्क राजस्थान का उन्नयन।

2. स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत 88.82 करोड़ रुपए जारी की गई है। इस योजना को बढ़ाया गया है।

घ. अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम)की शुरूआत 12.93 करोड़ रुपए/उद्भवन केंद्रकी दर से 3 उदभवन केंद्रों की स्थापना केलिए 38.80 करोड़ रुपए के प्रांरभिक परिव्यय के साथ जनवरी, 2014 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अपैरल विनिर्माण में नए उद्यमियों को पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और प्लग तथा प्ले की सुविधा के साथ एकीकृत कार्य स्थल प्रदान कर उन्हें बढ़ावा देना है जो उन उदभवन केंद्र स्थापित करने में लगने वाले समय, लागत तथा प्रयासों को कम करने में उनकी मदद करता है। इस योजना के अंतर्गत उद्भवन केंद्र स्थापित करने के लिए तीन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

ङ. वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना (एसटीआईडब्ल्यूए):

वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना 12वीं योजना में क्रियांवयन के लिए 45 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र और अपैरल उद्योगों के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्र के निकट वस्त्र और उद्योग कामगारों को सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक ढ़ंग से बसाए गए आवास मुहैया कराना है। प्रतिबद्ध देयताओं के लिए इस योजना का विस्तार 31 मार्च, 2019 तक किया गया है। एसटीआईडब्ल्यूए के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता 3.00 करोड़ रु. की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 50% तक सीमित है। अक्तूबर, 2014 में दो परियोजनाएं अर्थात गुजरात ईको–टेक्सटाइल पार्क प्रा. लि., गुजरात और पल्लाडम हाईटेक विविंग पार्क प्रा. लि., तमिलनाडु अनुमोदित की गई हैं। दोनों परियेाजनाएं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी हो गई हैं।

1.9 क्षेत्रीय योजनाएं

क. विद्युतकरघा

विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र, फैब्रिक उत्पादन तथा रोजगार सृजन के मामले में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में से एक है। वर्ष 2013 के दौरान किए गए मैसर्स नीलसन बेसलाइन पावरलूम सर्वेक्षण के अनुसार यह 44.18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा देश में कुल वस्त्र उत्पादन के 60% का योगदान देता है। निर्यात के लिए 60% से अधिक फैब्रिक विद्युतकरघा क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। सिलेसिलाए परिधान तथा होम टेक्सटाइल क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युतकरघा क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

देश में लगभग 25 लाख विद्युतकरघे हैं। इस क्षेत्र का प्रौद्योगिकी स्तर साधारण करघा से उच्च तकनीकी वाले शटल रहित करघे तक भिन्न भिन्न है। यह अनुमान लगाया गया है कि 75% से अधिक करघे 15 वर्ष से अधिक की अवधि के अप्रचलित और पुराने हैं और इनमें कोई प्रोसेस अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण/अटैचमेंट नहीं है। तथापि, पिछले 8–9 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र के प्रौद्योगिकी स्तर में पर्याप्त उन्नयन हुआ है।

ख. हथकरघा क्षेत्र :

हथकरघा वीविंग कृषि के बाद सबसे बड़े आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है जो लगभग 35.23 लाख से अधिक बुनकरों तथा संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। यह क्षेत्र देश के क्लॉथ उत्पादन में लगभग 15% का योगदान करता है और देश की निर्यात आय में भी योगदान करता है। विश्व का 95% हाथ से बुना हुआ फैब्रिक भारत से आता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने दिनांक 7 अगस्त, 2020 को छठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया।

I. हथकरघा क्लॉथ उत्पादन और निर्यात

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए निरंतर विकासात्मक और कल्याणकारी उपायों के परिणामस्वरूप हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में आ रही गिरावट की प्रवृत्ति को काफी हद तक रोक लिया गया। यद्यपि हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहे बुनकरों की संख्या में गिरावट आ रही है। वस्तुतः वर्ष 2004–05 से (वर्ष 2008–09 की मंदी को छोड़कर) हथकरघा उत्पादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2017–18 में 7990 मिलियन वर्ग मीटर का रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्ष 2019–20 के दौरान 2248.33 करोड़ रुपए की हथकरघा वस्तुओं का निर्यात किया गया था और वर्ष 2020–21 (सितंबर, 2020 तक) के दौरान 650.94 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया है।

II. रियायती ऋण

तीन वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000/– रुपए की मार्जिन मनी सहायता और तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जाती है। इससे पहले बुनकर ऋण कार्ड के रूप में ऋण प्रदान किए जाते थे। अब, हथकरघा बुनकरों और बुनकर उद्यमियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा मंच अपनाया गया है और इस योजना को 'बुनकर मुद्रा' योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक 31.03.2020 तक 119.86 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 22353 ऋण मंजूर किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान दिनांक 31.01.2021 तक 40.02 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 7037 ऋण मंजूर किए गए हैं।

समय पर वित्तीय सहायता अंतरित करने के लिए मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी फीस का ऑन लाइन दावा और संवितरण करने हेतु पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर 'हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' नामक पोर्टल विकसित किया गया है।

III. **ब्लॉक स्तरीय कलस्टर**

ब्लॉक स्तरीय कलस्टर (बीएलसी): यह योजना राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक घटक के रूप में 2015–16 में शुरू की गई थी। कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद विकास, वर्कशेड का निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना जैसे विभिन्न पहलों के लिए प्रति बीएलसी 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा जिला स्तर पर एक डाई हाउस की स्थापना करने के लिए 50.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। प्रस्ताव की स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान (16.02.2021 की स्थिति के अनुसार) निम्नलिखित कलस्टर मंजूर किए गए हैं:

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत कलस्टरों की संख्या	जारी की गई राशि (रूपए करोड़ में)
1	2017-18	61	42.34
2	2018-19	16	8.56
3	2019-20	21	16.84
4	2020-21 (16.02.2021)	2	17.85

IV. **व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस):**

- व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रति कलस्टर 40 करोड़ रुपए तक भारत सरकार के अंशदान के साथ कम से कम 15000 हथकरघों को शामिल करते हुए भौगोलिक स्थानों में मेगा हथकरघा कलस्टरों के विकास के लिए क्रियान्वित किया जाता है।
- विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान (16.02.2021 की स्थिति के अनुसार) 5.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

V. **हथकरघों का ब्रांड निर्माण:**

(क) 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएचबी), ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय सिद्धांतों का अनुपालन करने के अलावा कच्ची सामग्री, प्रसंस्करण, बुनकरों और अन्य पैरामीटरों के संदर्भ में उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दिनांक 07.08.2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर शुरू किया था। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड केवल उच्च गुणवत्ता वाले त्रुटिहीन प्रमाणित हथकरघा उत्पादों को दिया जाता है ताकि उन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके जो अच्छी किस्म के हथकरघा उत्पादों को पसंद करते हैं। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य विशेष बाजार क्षेत्र बनाना और बुनकरों की आय बढ़ाना है।

'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड के लाभ:

- प्रीमियम इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले हथकरघा उत्पादों को गुणवत्ता के संदर्भ में दूसरे उत्पादों से अलग किया जाता है।
- ब्रांड के माध्यम से ग्राहक को यह आश्वस्त किया जाता है कि उचित टेक्सचर, अच्छी किस्म के यार्न और डाइंग का उपयोग किए जाने के साथ–साथ यह उन नॉन–कारसीनोजेनिक डाई से सुरक्षित है जो प्रतिबंधित रसायनों से मुक्त होने के कारण उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं।
- बड़ी संख्या में क्रेता और निर्यातक अपने डिजाइनों के अनुसार अच्छी किस्म के ब्रांडेड फैब्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं।
- बुनकर उद्यमी और अन्य विनिर्माता, देश में और देश के बाहर बड़ी मात्रा में अच्छी किस्म के हथकरघा फैब्रिक्स का उत्पादन और विपणन करना शुरू करेंगे।
- इससे मूल्य वर्धित अच्छी किस्म का उत्पादन करके बेहतर आय प्राप्त करके हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाएं और अन्य वंचित वर्ग के लोग सशक्त बनेंगे।
- वस्त्र मंत्रालय, ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाकर संगठित संवर्धन और मीडिया अभियानों के माध्यम से ब्रांड को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है और इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले उत्पादों की मांग का सृजन कर रहा है।
- ग्राहक, www.indiahandloombrand.gov.in में रखी गई ब्रांड के पंजीकृत प्रयोक्ताओं की सूची से आसानी से उत्पादकों का सत्यापन कर सकते हैं।

कार्यान्वयन

इंडिया हैंडलूम ब्रांड पहल को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वस्त्र समिति की सहायता से विकास आयुक्त हथकरघा द्वारा कार्यान्वित

किया जा रहा है। आईएचबी के उत्पादों की बिक्री ने उत्साहवर्धक प्रवृत्ति दर्शाई है।

इसे शुरू किए जाने के बाद से दिनांक 31.01.2021 तक 184 उत्पादों के तहत कुल 1590 पंजीकरण जारी किए गए हैं और 1074.82 करोड़ रुपए तक की बिक्री हुई है।

(क) हैंडलूम मार्क: हैंडलूम मार्क यह गारंटी देने के लिए शुरू किया गया था कि ग्राहक जिस हथकरघा उत्पाद को खरीद रहा है वह हाथ से बुना वास्तविक उत्पाद है और यह विद्युतकरघा या मिल से बना उत्पाद नहीं है। हथकरघा मार्क को समाचारपत्रों और पत्रिकाओं, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडीकेट किए गए लेखों, फैशन शो, फिल्मों इत्यादि में विज्ञापन देकर बढ़ावा दिया जाता है और लोकप्रिय बनाया जाता है। हैंडलूम मार्क को बढ़ावा देने की क्रियान्वयन एजेंसी वस्त्र समिति है। दिनांक 31.12.2020 तक कुल 22464 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

VI. ई–मार्केटिंग:

सामान्य रूप से हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से इसे युवा पीढ़ी के ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हथकरघा उत्पादों की ई–मार्केटिंग को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

अब तक 23 ई–कामर्स इकाइयां अनुमोदित की गई हैं और दिनांक 15.02.2021 तक 132.39 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है।

VII. दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र और संग्रहालय), वाराणसी

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय, वाराणसी के परिसर को 'दीनदयाल हस्तकला संकुल' (व्यापार केंद्र और संग्रहालय), वाराणसी को जनता को समर्पित किया।

यह परियोजना 305.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से 275.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित 43,450 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में 7.93 एकड़ भूमि पर स्थापित की गई है। यह परियोजना वाराणसी और निकटवर्ती क्षेत्रों के बुनकरों और कारीगरों की सहायता करेगी।

यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से वाराणसी में भारत की हथकरघा और हस्तशिल्प की विशिष्ट परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए है और जो अपने आप में एक ही स्थान पर हथकरघा, हस्तशिल्प और हाथ से बुने कालीनों की समृद्ध परंपराओं का अद्वितीय उदाहरण है।

दीन दयाल हस्तकला संकुल में एक सम्मेलन हॉल, दुकानों, फूट कोर्ट, रेस्टोरेंट, मार्ट और कार्यालय, बैंक और एटीएम, अतिथि कक्ष, डोरमिटरीज, स्टॉल/कियोस्क, हथकरघा/हस्तशिल्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक/सामाजिक समारोहों, शिल्प संग्रहालय के साथ ही साथ एम्फीथियेटर और सौबिनेयर शॉप के लिए स्थान उपलब्ध है। यहां पर 500 से अधिक गाडियों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

ग. हस्तशिल्प क्षेत्र

हस्तशिल्प क्षेत्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृति विरासत का संरक्षण करते हुए ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करता है और देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा जुटाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र में बहुत अधिक क्षमता है क्योंकि यह न केवल देश के विशाल भूभाग में फैले मौजूदा लाखों शिल्पियों का जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है बल्कि शिल्प क्रियाकलाप में बड़ी संख्या में निरंतर रूप से आ रहे नए लोगों को भी संरक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में हस्तशिल्प रोजगार सृजन और निर्यात में पर्याप्त योगदान करता है। यद्यपि हस्तशिल्प क्षेत्र शिक्षा की कमी, कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों से अनभिज्ञ होने, बाजार की जानकारी का अभाव और कमजोर संस्थागत ढांचे की कमियों के साथ ही असंगठित होने के कारण इसे नुकसान हुआ है।

वर्तमान में इस क्षेत्र में 68.86 लाख कारीगरों के जुड़े होने का अनुमान है जिसमें से 30.25 लाख पुरुष और 38.61 लाख महिलाएं हैं। सितंबर, 2020 तक हस्तनिर्मित कालीन सहित 13904.87 करोड़ रुपए के हस्तशिल्प का निर्यात किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान योजनागत आबंटन 398.21 करोड़ रुपए है जिसकी तुलना में दिनांक 30 नवंबर, 2020 तक 145.52 करोड़ रुपए (36.54%) का व्यय किया गया है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय समग्र रूप तरीके से हस्तशिल्प कलस्टर का विकास करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देने के लिए 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)' और 'व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)' के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करता है।

i. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के संघटक निम्नलिखित हैं:

i. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई)

ii. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन

iii. मानव संसाधन विकास

iv. कारीगरों को सीधे लाभ

v. अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता

vi. अनुसंधान और विकास

vii. विपणन सहायता एवं सेवाएं

ii. **व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर योजना):**

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेंद्रीकृत अवधारणा आवश्यकता पर विचार करते हुए व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) में हस्तशिल्प मेगा कलस्टर और एकीकृत विकास तथा हस्तशिल्प संवर्धन परियोजनाओं (आईडीपीएच परियोजनाएं) के माध्यम से प्राथमिक उत्पादकों को सहायता, कारीगरों को डिजाइन और प्रशिक्षण तथा विपणन सहायता के प्रावधान के साथ ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करके हस्तशिल्प मेगा कलस्टर और उन हस्तशिल्प कलस्टरों में अवसंरचनात्मक और उत्पादन श्रृंखला को बढ़ावा देने पर आधारित संशोधित कार्यनीति का प्रावधान किया गया है जो असंगठित रह गए हैं और आधुनिकीकरण और विकास में पिछड़ गए हैं।

नई पहलें

1. घरेलू विपणन कार्यक्रमों के तहत, जीमखाना क्लब, नई दिल्ली में महिला कारीगरों के लिए 5 मार्च से 8 मार्च 2020 तक एक विशेष विपणन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 21 महिला कारीगरों और 4 कारीगरों (2 पुरुष और 2 महिला कारीगरों) ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया।

2. 50 महिला कारीगरों के लिए 1 से 15 मार्च 2020 तक दिल्ली हाट में एक विशेष विपणन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

3. ''पर्यटन के साथ वस्त्र को जोड़ना'' कार्यक्रम के तहत प्रमुख पर्यटन स्थलों को हस्तशिल्प कलस्टरों के साथ जोड़ा जा रहा है और जागरूकता पैदा करने और घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए ऐसे कलसटरों में साफट इंटरवेंशन के साथ अवसंरचना सहायता का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत ओडिशा के रघुराजपुर और आंध्र प्रदेश के तिरुपति को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना के तहत 9000 कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए अहमदाबाद, प्रयागराज, कोप्पल, कोलकाता, चेंगलपट्टू, आगरा और जयपुर में (हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए) शिल्प पर्यटन ग्राम की स्थापना करने और कुल्लू, श्रीनगर और तिरुअनंतपुरम (हथकरघा क्षेत्र के लिए) में 3 शिल्प पर्यटन ग्राम की स्थापना करने के लिए 6 मार्च, 2020 को परियोजना अनुमोदन मानीटरिंग समिति (पीएएमसी) द्वारा 10 अतिरिक्त शिल्प पर्यटन गांवों को मंजूरी दी गई। इसे अलावा, इस संबंध में, '' शिल्प पर्यटन ग्राम '' के तहत आइकोनिक टूरिज्म साइट्स के रूप में विकसित की जा रही 40–45 साइटों को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) योजना में शामिल किया जा सकता है। शिल्प ग्राम, शिल्प, कारीगरों की संख्या, पर्यटकों के आकर्षण का विवरण, मौजूदा बुनियादी ढाँचे, शिल्प ग्रामों की संभावना के बारे में विस्तार से विवरण इस वित्तीय वर्ष 2020–21 में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

4. देश भर में निर्माता कंपनियों के गठन के लिए 60 शिल्प कलस्टरों की पहचान की गई। इन चिन्हित कलस्टरों/ निर्माता कंपनी में सदस्यों और निदेशकों की पहचान की जा रही है।

5. ईपीसीएच द्वारा दो वर्चुअल मेलों (कोविड –19 महामारी के बदलते समय के साथ रखने के लिए भौतिक विपणन की तर्ज पर विपणन का एक वैकल्पिक तरीका) का आयोजन किया गया।

6. पहला वर्चुअल मेला www.ihgfteÛtiles.in पर दिनांक 1 – 4 जून 2020 को आयोजित किया गया था, जिसमें 1400 आगंतुकों के साथ 159 प्रदर्शकों ने भाग लिया और 150 करोड़ का व्यवसाय किया गया। दूसरा वर्चुअल मेला www.ihgfteÛtiles.in पर दिनांक 15–18 जून, 2020 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 1600 विदेशी और 100 घरेलू खरीदारों के साथ 220 प्रदर्शकों ने भाग लिया और 270 करोड़ का व्यवसाय किया गया।

7. आईएचजीएच, दिल्ली मेले का आयोजन www.ihgfdelhifair.in पर 13–19 जुलाई, 2020 तक किया गया, जिसमें अखिल भारत आधार पर 1300 हस्तशिल्प प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिसमें जम्मू–कश्मीर के 40 हस्तशिल्प उद्यमी और उत्तर पूर्वी राज्यों के 25 हस्तशिल्प उद्यमी शामिल हुए।।108 देशों के 4150 क्रेताओं ने 320 करोड़ रु तक गंभीर व्यवसाय पूछताछ की।

8. भारत सरकार की 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के विजन, एक कमतर सरकारी तंत्र और सरकारी निकायों के व्यवस्थित युक्तिकरण की आवश्यकता, के अनुरूप भारत सरकार ने 04.20.2020 से अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड को समाप्त कर दिया है और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है।

9. माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा 5 मई 2017 को हस्तशिल्प हेल्पलाइन नंबर 18002084800 (टोल फ्री) लॉन्च किया गया और यह सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 07 भाषाओं अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और असमिया और बंगाली में काम कर रहा है। अक्टूबर 2020 तक 57358 कॉल प्राप्त हुए और 57104 कॉल का समाधान किया गया।

10. बुनकरों/कारीगरों के लिए सीधे बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना: सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम) ने 50 लाख बुनकरों/कारीगरों को पंजीकृत करने प्रक्रिया शुरू की है ताकि वे अपने उत्पादों को सीधे सरकार को बेच सकें। कारीगर विकास आयुक्त के कार्यालय (हस्तशिल्प) द्वारा जारी अपने पहचन कार्ड का उपयोग करके खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। कारीगरों को जेम पोर्टल पर पंजीकृत करने की सुविधा के लिए अधिकारियों को सभी फील्ड कार्यालय में नामित किया गया है। दिनांक 5 नवंबर, 2020 तक, कुल 23,199 कारीगरों को जेम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और उनमें से 22,490 फील्ड कार्यालयों द्वारा पंजीकृत हैं और 709 स्वयं द्वारा पंजीकृत हैं।

11. भारत के लोगों से स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को अपनाने और दीवाली के त्यौहार के मौसम के दोरान बुनकरों, कारीगरों, स्थानीय एवं छोटे व्यवसाय के माध्यम से दिवाली को प्रोत्साहित करने का आग्रह करते हुए माननीय वस्त्र मंत्री ने 9 नवंबर, 2020 को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैशटैग रु लोकल4दिवाली का उपयोग कर एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। यह अभियान भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय हस्तशिल्प के बारे में लोगों को जागरूक करने और लोगों को स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान के अनुरूप था।

12. राष्ट्रीय खिलौना मेला: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने "मन की बात" में जोर देकर कहा गया है कि सभी को हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित उत्पादों सहित भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आत्म निर्भर भारत के थीम पर फोकस करते हुए "खिलौनों के लिए एकजुट" होना चाहिए। । इस संबंध में अब तक निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- 13 खिलौना कलस्टरों की पहचान की गई है।
- भारत सरकार के 14 मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से भारतीय खिलौनों के लिए 27 फरवरी से 03 मार्च, 2021 तक पहला वर्चुअल राष्ट्रीय खिलौना मेला, 2021 का आयोजन किया जा रहा है।

1.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

वस्त्र मंत्रालय देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) क्रियान्वित कर रहा है। एनईआरटीपीएस एक वृहत योजना है जो पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन में आवश्यक लचीलापन और क्रियान्वयन के साथ दृष्टिकोण आधारित परियोजना में क्रियान्वित की गई है। इस योजना में शामिल अपैरल और परिधान निर्माण, पटसन, हथकरघा, हस्तशिल्प, विद्युतकरघा और रेशम उत्पादन सहित वस्त्र के सभी उप–क्षेत्रों को इस योजना के तहत मंजूर किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अवसंरचना, नई प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और बाजार तक पहुंच के लिए आवश्यक सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का संपोषणीय विकास करना है।

1.11 फैशन प्रौद्योगिकी का संवर्धन:

वर्ष 1986 में स्थापित, निफ्ट हमारे देश में फैशन शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और यह वस्त्र एवं अपैरल उद्योग को पेशेवर मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक रहा है। इसे भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा 2006 में सांविधिक संस्थान बनाया गया था जिसमें भारत के राष्ट्रपति 'विजिटर' हैं और समूचे देश में इसके हर तरह से पूर्ण परिसर हैं। इसमें व्यापक रूप से सौंदर्यपरक और बौद्धिक अभिविन्यास लाने के लिए इसके शुरूआती प्रशिक्षकों में इसमें फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान न्यूयार्क, यूएसए के अग्रणी प्रगतिशील विद्वानों को शामिल किया गया था। प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के समूह से उन इन–हाउस संकाय को लिया गया था जो प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें। नई दिल्ली स्थित निफ्ट मुख्यालय में पुपुल जयकर हॉल उन कई शैक्षिक विचारकों और विजनरी की याद दिलाता है जो संस्थान की सफलता के रोड मैप के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शैक्षणिक समाविष्टि, संस्थान की प्रसार योजनाओं में उत्प्रेरक रही है। इस दौरान निफ्ट का प्रसार पूरे देश में हो गया है। पेशेवर रूप से प्रबंधित इसके 17 परिसरों के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान एक ऐसा फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश के विभिन्न भागों के भावी विद्यार्थी उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकें।

इसकी स्थापना के शुरूआती वर्षों से संस्थान का डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में फैशन शिक्षा में मजबूत आधार है। तभी से निफ्ट ने उच्च अकादमिक मानक प्राप्त किए हैं। संस्थान के शिक्षक अग्रणी पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, रचनात्मक विचारकों, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषणकर्ताओं के एक समुदाय के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

अपनी इस यात्रा में निफ्ट ने अपनी अकादमिक रणनीति को सुदृढ़ बनाया है। वैचारिक नेतृत्व, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने वाले, उद्योग केंद्रित, रचनात्मक उद्यम और सहयोगियों से सीखने को प्रेरित करने के संस्थान के अकादमिक आधार को और मजबूत बनाया गया है। रचनात्मक विचारकों को एक नई पीढ़ी का पोषण करने वाला संस्थान, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विश्वस्तरीय सीखने की प्रक्रियाओं के विचार को प्रस्तुत करते हुए इस संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक भागीदारी की है।

निफ्ट, फैशन की शिक्षा में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। संस्थान का विजन चुनौतियों का सामना करना है और सर्वोच्च शिक्षा मानकों को स्थापित करने पर ध्यान देना है। निफ्ट लगातार श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता रहता है।

विगत वर्षों में डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की भूमिका और संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। निफ्ट में हम निरंतर रूप से उद्योग से आगे बने रहने की कोशिश करते हैं और भारत के फैशन परिदृश्य का मार्गदर्शन करने के लिए अग्रणी के रूप में कार्य करते हैं। मौजूदा और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नियमित रूप से पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। निफ्ट में अब बढ़ी हुई सृजनात्मक क्षमता, अंतर–विषय लचीलेपन के साथ पुनर्गठित पाठ्यक्रम हैं तथा समय से कहीं आगे अध्ययन कर रहा है।

1.12 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के क्रियान्वयन का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण से चोरी को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की योजनाओं का लाभ आधार पंजीकरण के साथ बैंक/डाक खाते के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने का लक्ष्य है अर्थात लाभार्थी के राज्य राजकोष खाते के माध्यम से अथवा एनजीओ अथवा एलआईसी आदि जैसी किन्हीं क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मामले अथवा इस प्रकार के अन्य मामले का सीधा अंतरण करना है। भारत पोर्टल और पीएफएमएस के साथ आपस में जोड़कर लाभार्थी और निधि के लेनदेन के बारे में रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक योजना के लिए एक सीधा एमआईएस पोर्टल भी है। इलैक्ट्रानिक अंतरण चोरी और दोहराव को समाप्त करने के अलावा वांछित लाभार्थी को समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय में डीबीटी मिशन ऑनलाइन अर्थात डीबीटी भारत पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजना के क्रियान्वयन को मॉनीटर कर रहा है। आर्थिक प्रभाग लाभार्थी का डिजटलीकरण, आधार संख्या, डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एमआईएस का एकीकरण आदि सहित डीबीटी भारत – पोर्टल के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय की पहचान की गई 32 परियोजनाओं की बोर्डिंग संबंधी कार्य का समन्वयन कर रहा है। 18 योजनाओं के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार किया गया है और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ 13 योजनाओं का एकीकरण किया गया है तथा शेष योजनाओं के लिए एमआईएस का शीघ्र विकास करने और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ उनका एकीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के नीति निर्माण, योजना और विकास के लिए उत्तरदायी है। वस्त्र मंत्रालय के प्रमुख वस्त्र मंत्री हैं जिन्हें वस्त्र राज्य मंत्री, सचिव (वस्त्र) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 विजन

तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम, कपास तथा ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के विनिर्माण व निर्यात में प्रमुख वैश्विक स्थान प्राप्त करना और सतत आर्थिक विकास के लिए गतिशील हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास करना तथा इन क्षेत्रों में वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना और बचाए रखना।

2.3 मिशन

- सभी क्षेत्रों को पर्याप्त फाइबर उपलब्ध कराकर वस्त्र के सुनियोजित व सामन्जस्यपूर्ण विकास का संवर्धन करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उद्योग का आधुनिकीकरण करना।
- सभी वस्त्र कामगारों की क्षमता और कौशल का विकास करना।
- कार्य का समुचित वितरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान पहुंच तथा जीवन की बेहतर गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए बुनकरों और कारीगरों को बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वस्त्र और क्लोदिंग तथा हस्तशिल्प के निर्यात का संवर्धन करना और इन क्षेत्रों में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

2.4 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सलाहकार बोर्डों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है:-

2.4.1 संबद्ध कार्यालय:-

(i) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हथकरघा) हैं। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 28 बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), 06 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र शामिल हैं।

(ii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) हैं। यह हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों को क्रियान्वित करता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चौन्नई, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में हैं।

2.4.2 अधीनस्थ कार्यालय

(I) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय (टीएक्ससी) का मुख्यालय मुंबई में है तथा अमृतसर, नोएडा, इंदौर, कोलकाता, बंगलुरू, कोयम्बतूर, नवीं मुंबई और अहमदाबाद में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, प्रौद्यो–आर्थिक सर्वेक्षण करता है और सरकार को वस्त्र उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह देता है। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विकासात्मक कार्यकलाप वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र की समानांतर उन्नति और विकास की योजना के आस–पास केंद्रित रहते हैं। देश भर में कार्यरत सैंतालीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों (पीएससी) में से पन्द्रह वस्त्र आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। यह पीएससी की वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति तथा विकेंद्रीकृत विद्युतकरण क्षेत्र को तकनीकी परामर्शध्सेवाओं की जरूरत को पूरा करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों एवं

राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे शेष बत्तीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का समन्वय करता है और उनका मार्ग दर्शन भी करता है। यह कार्यालय तकनीकी वस्त्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), समूह विद्युतकरघा योजनाओं पर विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनकी मॉनीटरिंग भी करता है।

(ll) पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता

पटसन आयुक्त के कार्यालय के कार्य तथा गतिविधियां –(i) मशीनरी विकास सहित पटसन उद्योग से संबंधित नीतिगत मामलों की तैयारी के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना (ii)राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) जैसे वस्त्र मंत्रालय के पटसन संबंधी निकायों के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों विशेष रूप से भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) और अन्य वस्त्रअनुसंधान संघों के माध्यम से ऐसे क्षेत्र तथा आरएंडडी कार्यक्रमों में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र तथा उद्यमशीलता कौशल में पटसन हस्तशिल्प और पटसन हथकरघा के संवर्धन के लिए कार्यान्वयन (iii) पटसन और मेस्टा उत्पादकों को एमएसपी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्ची पटसन और पटसन सामानों दोनों के मूल्य परिवर्तन की मानीटरिंग तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रियान्वयन (iv) स्वदेशी तथा निर्यात बाजार दोनों में पटसन सामानों के बाजार की तलाश करने के लिए विशेष रूप से बाजार संवर्धन।उन पटसन उत्पादक क्षेत्रों में पटसन संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित/प्रोन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां ऐसे कार्यकलाप अपर्याप्त हैं और पूर्वोत्तर राज्यों सहित गैर पटसन उत्पादक राज्यों में हैं।

पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 4 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पटसन आयुक्त, बी.ट्विल बैगों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी करता है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए एफसीआई सहित विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी के अंतर्गत खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए इन बैगों की आवश्यकता होती है। पटसन आयुक्त, नियमित और समयबद्ध आधार पर पटसन क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति की सूचना भी मंत्रालय को भेजते हैं। पटसन संबंधी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पटसन सामानों के आयातक और निर्यातक को लाइसेंस जारी करना पटसन आयुक्त का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वर्ष 2019–20 में कुल 59 लाइसेंस जारी किए गए और 50 नवीकृत किए गए हैं। फरवरी, 2021 तक कुल 35 लाइसेंस जारी किए गए और 17 नवीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, निम्नलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत सासाइटियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

2.4.3 इसके अलावा, निम्नलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत सोसाइटियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

सांविधिक निकाय

(i) **वस्त्र समितिः** वस्त्र समिति की स्थापना, वस्त्र समिति अधिनियम,1963 (1963 का 41) के अंतर्गत की गई थी। वस्त्र मिति ने एक संगठन के रूप में 22 अगस्त,1964 से कार्य करना प्रारंभ किया। अधिनियम की धारा 3 द्वारा वस्त्र समिति निरंतर उत्तराधिकार के साथ एक सतत अनुक्रमणशील सांविधिक निकाय है। मुंबई स्थित वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक खपत तथा निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

(ii) **राष्ट्रीय पटसन बोर्डः** राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू है और तत्कालीन पटसन विनिर्माण विकास निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के खंड–। के उप–खंड (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को उस तिथि के रूप में निर्धारित किया है जिससे राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के प्रावधान लागू होंगे। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना पटसन की खेती, विनिर्माण तथा पटसन के विपणन के विकास तथा पटसन उत्पादों और उनसे संबद्ध मामलों के लिए की गई है।

एनजेबी को सांविधिक रूप से निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया हैः–

- पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना की तैयारी, विस्तार कार्य, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के मामलों में पटसन की खेती के लिए एकीकृत एप्रोच विकसित करना;

- बेहतर गुणवत्ता वाली कच्ची पटसन के उत्पादन का संवर्धन;
- कच्ची पटसन की उत्पादकता को बढ़ाना;
- कच्ची पटसन के बेहतर विपणन तथा कच्ची कपास के मूल्यों का स्थिरीकरण करने के लिए प्रोन्नत करना अथवा व्यवस्था करना;
- कच्ची पटसन तथा पटसन उत्पादों के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- अवशिष्ट को समाप्त करने, अधिकतम उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार तथा लागत में कमी के उद्देश्य से पटसन उद्योग के लिए दक्षता के मानकों के लिए सुझाव देना;
- कच्ची पटसन के उत्पादकों तथा पटसन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचना का प्रचार करना;
- गुणवत्ता नियंत्रण अथवा कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों का संवर्धन करना और उपाय करना।
- कच्ची पटसन के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ग्रेडिंग की तकनीकी और पैकेजिंग में सुधार के लिए सहयोग करना और अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना।
- कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों के संबंध में आंकड़ों का संग्रह तथा निष्पादन करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण अथवा अध्ययन को बढ़ावा देना अथवा करना;
- पटसन विनिर्माताओं के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- पटसन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन विनिर्माताओं के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना;
- पटसन क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक तथा विपणन अनुसंधान के लिए स्पांसर, सहयोग,समन्वय, प्रोत्साहित अथवा आरंभ करना;
- पटसन विनिर्माताओं के लिए देश के भीतर और बाहर मौजूदा बाजारों को बनाए रखना और नए बाजार विकसित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे विनिर्माताओं के लिए मांग के अनुरूप विपणन रणनीतियां तैयार करना;
- नयी सामाग्रियों, उपकरण तथा पद्धतियों की खोज और विकास तथा पटसन उद्योग में पहले ही प्रयोग में लायी जा रही पद्धतियों में सुधार करने सहित सामाग्रियों, उपकरण, उत्पादन की पद्धतियों, उत्पाद विकास से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान के लिए प्रायोजित, सहयोग, समन्वय अथवा प्रोत्साहित करना;
- उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, गैर–सरकारी एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध कराकर विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनका सृजन करना;
- कार्यशालाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्य से अध्ययन समूह गठित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- पटसन फसलों की जेस्टेशन अवधि को कम करने तथा पटसन बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करना;
- पटसन क्षेत्र के सुस्थिर मानव संसाधन विकास तथा इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु उपायों को करना;
- पटसन क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विकास;
- पटसन उत्पादकों तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा आजीविका के माध्यमों द्वारा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- पटसन उद्योग में लगे कामगारों के लिए सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों में सुधार करना तथा बेहतर कार्यशील परिस्थितियों तथा प्रावधानों की व्यवस्था करना;
- वैकल्पिक आधार पर उत्पादकों तथा विनिर्माताओं का पंजीकरण करना;
- समेकन तथा प्रकाशन के लिए पटसन एवं पटसन उत्पादों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना;
- पटसन क्षेत्र के संवर्धन अथवा भारत एवं विदेशों में पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन के लिए किसी अन्य निकाय के साथ कोई अनुबंध (भागीदार, संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य तरीके से) करना अथवा शेयर कैपिटल प्राप्त करना।

(iii) **केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू :** केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक

नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम सं स्प्) द्वारा 1948 में स्थापित सीएसबी को रेशम के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतियों के प्रतिपादन सहित रेशम यार्न के उत्पादन के लिए खाद्य पौधों के विकास से रेशम कोया तक देश में रेशम उत्पादन के कार्यकलापों की समग्र प्रक्रिया को शामिल करते हुए रेशम उद्योग को विकसित करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सीएसबी मूल रूप से अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग तथा प्रोत्साहित करना है। रेशम–उत्पादन तथा रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रतिपादित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने देशव्यापी नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्तापूरक रेशम कीट के प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करता है और विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर रेशम उत्पादन के आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन भी करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड निम्नलिखित दृष्टि और मिशन के साथ काम कर रहा है:

विजन:

रेशम के लिए विश्व बाजार में भारत को अग्रणी के रूप में उभरते हुए देखना।

मिशन:

- अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण में निरंतर प्रयास करना।
- वैज्ञानिक रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रसार के माध्यम से रेशम उत्पादन में लाभप्रद रोजगार और आय के स्तर में सुधार के लिए बड़े अवसरों का सृजन करना है।
- रेशम उत्पादन के सभी स्तरों में उत्पादकता सुधार करना।
- गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्धता के माध्यम से क्षमता के स्तरों को सुदृढ़ करना।

(iv) 1986 में स्थापित, निफ्ट हमारे देश में फैशन शिक्षा का प्रमुख उद्योग है और वस्त्र और अपैरल उद्योग के लिए व्यवसायिक मानव संसाधन उपलब्ध कराने में कार्यरत है। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारतीय संसद अधिनियम द्वारा वर्ष 2006 में इसे एक सांविधिक निकाय बनाया गया जिसके विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं और पूरे देश में इसके अपने परिसर हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानय फैशन शिक्षा केंद्र अग्रणी हैं जिसमें ज्ञान, शैक्षिक आजादी, महत्वपूर्ण आजादी तथा रचनात्मक सोच का एकीकरण किया जाता है। 3 दशकों से संस्थान की मजबूत उपस्थिति से अपने मूलभूत सिद्धातों के साक्ष्य के रूप में जाना जाता है जहां शिक्षण की उत्कृष्टता महत्वपूर्ण है।

2.4.4 पंजीकृत सोसाइटियां

(i) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन 1987 में किया गया था जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ii) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम)

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम)की स्थापना 24 दिसम्बर, 2002 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में एक वस्त्र प्रबंधन संस्थान के रूप में की गयी थी।

2.4.5 सलाहकार बोर्ड:

(i) **अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी):** बेहतर उत्पादकता, संवर्धित कुशलता हासिल करने, कामगार कल्याण और विद्युतकरघों के स्थानिक फैलाव में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपायों सहित विद्युत चालित बुनाई क्षेत्र के भीतर विद्युतकरघों के स्वस्थ विकास से जुड़े मामलों में आमतौर पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी) का गठन सर्वप्रथम नवम्बर, 1981 में भारत सरकार के सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था। भारत सरकार समय–समय पर एआईपीबी का पुनर्गठन करती है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों, विद्युतकरघा उद्योग के विद्युतकरघा परिसंघ/संघों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल है तथा माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।

(ii) **कपास सलाहकार बोर्ड:** वस्त्र मंत्रालय द्वारा कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) का गठन 14 सितंबर, 2020 को किया गया था। सीओसीपीसी को कपास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोजना रणनीति बनाने में मदद करने के लिए प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए अधिदेशित किया गया है: –

i. कपास की फसल और कपास उत्पादन का राज्यवार बुवाई क्षेत्र;

ii. कॉटन बैलेंस शीट में आपूर्ति, मांग, मिल की खपत और अंतिम स्टॉक;

iii. एमएसपी अभियान और वाणिज्यिक प्रचालन;

iv. निर्यात और आयात का डाटा;

v. अतिरिक्त लंबे स्टेपल (ईएलएस), रंगीन और आर्गनिक कपास का उत्पादन और तत्संबंधी मामले;

vi. कपास की प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता और तत्संबंधी मामले;

vii. कपास की खेती के आधुनिकीकरण की परीक्षा और तत्संबंधी मामलेय तथा

viii. जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण का स्तर

(iii) **पटसन सलाहकार बोर्ड :** पटसन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सचिव (वस्त्र) हैं जो सरकार को पटसन व पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश–2016 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पटसन से संबंधित मामलों पर सलाह देते हैं जिनमें पटसन और मेस्ता के उत्पादन से संबंधित अनुमान शामिल हैं। बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 19.07.2018 को दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। भारत सरकार के "न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन", एक लीनर सरकारी मशीनरी और सरकारी निकायों के व्यवस्थित युक्तिकरण की आवश्यकता के दृष्टिकोण के अनुरूप, वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 06–08–2020 के माश्यम से ने जेडीए सलाहकार बोर्ड (जेएबी) को समाप्त कर दिया है। पटसन औा पटसन सामान के उत्पादन, आपूर्ति और निर्यात के आंकड़ों के आकलन के लिए वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 17–09–2020 को का.ज्ञा. सं. 7/4/2020–पटसन के तहत पटसन संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पटसन आयुक्त इस समिति के अध्यक्ष हैं।

पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक सीमित एजेंडें के साथ दिनांक 25.09.2020 को आयोजित की गई थी। गंभीर मामले के परिदृश्य पर विचार करते हुए वर्ष 2020–21 के लिए कच्ची पटसन की मांग आपूर्ति की अनुमानित स्थिति नीचे दी गई है:–

मात्रा : लाख गांठ में

	2020-21
(क) आपूर्ति	
i) आरंभिक स्टॉक	18.0
ii) पटसन और मेस्टा क्रॉप	58.00
iii)आयात	3.0
कुल :	**79.00**
(ख) वितरण	
iv) मिल खपत	66.00
v) घरेलू/औद्योगिक खपत	10.00
vi) निर्यात	0
कुल:	**76.00**
(ग) अंतिम स्टॉक	3.0

(iv) **हस्तशिल्प सलाहकार बोर्ड:** भारत सरकार के "न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन" , के अनुरूप दिनांक 04.08.2008 को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (एआईएचबी) का गठन किया गया है।

2.4.6 निर्यात संवर्धन परिषदें:

वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात सिले–सिलाए परिधानों, सूती, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। वैश्विक निर्यात बाजार में अपने–अपने क्षेत्र के विकास का संवर्धन करने के लिए ये परिषदें वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती हैं। अपैरल मेले तथा प्रदर्शनियां और भारत तथा विदेशी बाजारों में स्टैंड एलोन शो का आयोजन निर्यात को बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंच के लिए किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

1. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
2. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)
3. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)
4. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यूईपीसी)
5. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संगठन (वूल टेक्सप्रो)
6. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
7. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)
8. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

9. विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)
10. हथकरघा निर्यात सवंर्धन परिषद (एचईपीसी)
11. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

2.5 सार्वजनिक क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम वस्त्रक्षेत्र के संवर्धन एवं विकास में सक्रियता से लगे हुए हैं:–

1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.(एनटीसी)
2. हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचएचईसी)
3. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)
4. भारतीय कपास निगम (सीसीआई)
5. सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली (सीसीआईसी)
6. ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी)
7. भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता
8. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

2.5.1. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि.:

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक अनुसूची 'क' की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो देशभर में स्थित अपनी 23 कार्यशील मिलों में 7.68 लाख स्पिंडल्स तथा 408 करघों के द्वारा लगभग 550 लाख किग्रा. यार्न और 200 लाख मीटर फैब्रिक प्रति वर्ष के उत्पादन के साथ यार्न तथा फैब्रिक के उत्पादन में संलग्न है। एनटीसी अपनी जेवी कंपनियों के माध्यम से परिधानों का विनिर्माण भी करती है। इसके अतिरिक्त, एनटीसी के पास देशभर में अपने 85 रिटेल स्टोरों के साथ एक विस्तृत रिटेल नेटवर्क भी उपलब्ध है। कर्मचारियों की वर्तमान संख्या लगभग 10,980 है। एनटीसी का मौजूदा निवल मूल्य लगभग 1192. 14 करोड़ रुपए (30.09.2020 की स्थिति के अनुसार) (अनंतिम) है।

एनटीसी अपनी प्रचालनशील मिलों में अपनी प्रौद्यागिकी का उन्नयन करने के निकट है तथा आधुनिकीकरण, विस्तार, उत्पाद विविधीकरण आदि के उपाय कर रही है। भविष्य के उभरते हुए क्षेत्र – तकनीकी वस्त्र में संभावनाओं को तलाशने के लिए इसके रिटेल विपणन आउटलेट का कायाकल्प करना तथा इसकी ब्रांड इमेज को बढ़ाना निगम के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी) की स्थापना वर्ष 1974, 1986 और 1995 में तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से अपने कब्जे में लिए गए रूग्ण वस्त्रउपकरणों के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिक जनशक्ति, खराब उत्पादकता आदि के कारण इसकी 9 सहायक कंपनी में से 8 को वर्ष 1992–93 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने सभी नौ सहायक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजना अनुमोदित की–उनमें से 8 को वर्ष 2002–03 में और 9वीं को वर्ष 2005 में अनुमोदित किया गया था। यह कंपनी तब से लेकर अभी तक पुनरूद्धार योजना को क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 2002–03 की स्वीकृत मूल योजना (एसएस–02) को 53 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित 736 करोड़ रुपए के संघटक के साथ कुल 3937 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया था। यह योजना 2 बार संशोधित की गई थी दृ पहली बार 5267 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2006 (एमएस–06) में जिसमें 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रुपए का संघटक शामिल था और दूसरी बार यह योजना 4 नई मिलों की स्थापना सहित बढ़ाई गई क्षमता के साथ 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1,155 करोड़ रुपए के संघटक के साथ 9,102 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2008 (एमएस–08) में संशोधित की गई थी। बीआईएफआर द्वारा इस योजना का विस्तार 31.03.2012 तक किया गया था।

निवल मूल्य सकारात्मक हो जाने के साथ मैसर्स एनटीसी लि., 20.10.2014 के बीआईएफआर के आदेश के माध्यम से एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के आशय के भीतर रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रही। दिनांक 30.09.2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी का मौजूदा निवल मूल्य लगभग 1160.00 करोड़ रुपए है। बीआईएफआर ने निर्देशित किया है कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पुनरूद्धार योजना के अक्रियान्वित प्रावधान क्रियांवित किए जाएंगे।

तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत की गई कुल 124 मिलों में से बीआईएफआर को संदर्भित की गई 119 मिलों और हसन में स्थापित एक नई मिल का विवरण नीचे दिया गया है:–

(i) 77 मिलें बंद हो गई हैं (78 मिलें आईडी अधिनियम के अंतर्गत बंद की गई हैं किंतु बंद की गई एक मिल नामतः बिदर्भ मिल, अचलपुर को फिनले मिल्स, अचलपुर के नाम से पुनः शुरू किया गया था)

(ii) एनटीसी द्वारा 23 मिलें प्रचालित की जा रही हैं (हसन में स्थापित एक नई मिल सहित)

(iii) जेवी मार्ग के माध्यम से पुनरुद्धार की जाने वाली 16 इकाइयों में से 5 इकाइयों का पुनरुद्धार कर दिया गया है और शेष 11 इकाइयां जिसके लिए जेवी हेतु एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, समीक्षा करने पर निरस्त कर दी गई थी। इन 11 मिलों का मामला न्यायालय/मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन है।

(iv) 2 मिलों को पुदुच्चेरी सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(v) उदयपुर एवं बीवर, राजस्थान स्थित दो मिलें प्रचालनशील नहीं हैं।

इस समय एनटीसी समूचे देश में स्थित निम्नलिखित 23 वस्त्र मिलों का प्रचालन कर रही है:

एनटीसी द्वारा स्वयं आधुनिकीकृत की गई 23 मिलों की सूची				
	क्र.सं.	**मिलों की संख्या**	**मिलों का नाम**	**स्थिति**
	आंध्र प्रदेश			
		1	तिरुपति कॉटन मिल्स	रेनिगुंटा
	गुजरात			
		2	राजनगर मिल्स	अहमदाबाद
	कर्नाटक			
		3	न्यू मिनर्वा मिल्स	हासन
	केरल			
		4	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	अलगप्पानगर
		5	कनानुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स	कनानूर
		6	केरल लक्ष्मी मिल्स	त्रिचूर
		7	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेन्द्रम
	मध्यप्रदेश			
		8	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर
		9	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	भोपाल
	महाराष्ट्र			
		10	पोदार मिल्स	मुंबई
		11	टाटा मिल्स	मुंबई
		12	इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5	मुंबई
		13	बारशी टेक्सटाइल मिल्स	बारशी
	माहे	14	फिनले मिल्स	अचलपुर
	तमिलनाडु	15	कन्नौर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स	माहे
		16	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	कामुदाकुदी
		17	कालीश्वरर मिल्स 'बी' यूनिट	कलयारकोइल
		18	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बटूर
		19	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स	कोयम्बटूर
		20	पंकजा मिल्स	कोयम्बटूर
		21	श्री रंगविलास एस एंड डब्ल्यू मिल्स	कोयम्बटूर
		22	कोयम्बटूर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स	कोयम्बटूर
	पश्चिम बंगाल			
		23	आरती कॉटन मिल्स	दासनगर

वस्त्र मंत्रालय

लगभग 3797.95 एकड़ की कुल भूमि के साथ एनटीसी के पास एक विशाल भूमि है जिसमें से 1024.35 एकड़ लीज होल्ड है और शेष 2773.60 एकड़ भूमि फ्री होल्ड है। 17 दिसंबर, 2014 को संसद द्वारा वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2014 को पारित करने से, वर्ष 2016–17 के सर्कल दर के अनुसार 1024.35 एकड़ के मूल्य के एनटीसी के पास निहित 1024.35 एकड़ के लीज होल्ड संपत्तियों की सुरक्षा करने में एनटीसी को मदद मिली है।। इसकी आवश्यकता थी क्योंकि विभिन्न न्यायालय विभिन्न किराया नियंत्रण अधिनियमों के तहत एनटीसी को सुरक्षा नहीं दे रहे थे और राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के प्रावधानों की सही भावना से स्पष्ट नहीं कर रहे थे। इससे मंत्रालय/एनटीसी को लीजहोल्ड भूमि को बनाए रखने में मदद मिली है, जो राष्ट्रीयकरण के बाद एनटीसी के पास आई थी और इसने मध्यवर्ती लाभ के लिए सैकड़ो करोड़ रुपये की देयता से बचने के लिए केंद्रीय सरकार ६ एनटीसी को भी सक्षम बनाया है।

अप्रैल, 2002 के बाद 63792 कर्मचारियों के एमवीआरएस का लाभ उठाने के बाद एनटीसी के कर्मचारियों की की वर्तमान संख्या लगभग 10980 है। इन कर्मचारियों को मुआवजे के रूप में 2384.79 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

एनटीसी यार्न और क्लॉथ सेगमेंट दोनों में बेहतर भौतिक निष्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम है। एनटीसी के निष्पादन में सुधार हो रहा है और वर्तमान तथा विगत कुछ वर्षों के दौरान इसके निष्पादन की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

उत्पादन

उत्पाद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20* (गैर-लेखापरीक्षित)
यार्न (लाख किग्रा.)	562.02	521.95	527.81	505.95	410.84
फैब्रिक (लाख मी.)	190.34	201.81	191.58	190.06	88.88

क्षमता उपयोग

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20* (गैर-लेखापरीक्षित)
क्षमता उपयोग (%)	86.67	84.81	87.61	85.38	75.82

* प्रतिकूल बाजार की स्थिति के कारण, यार्न और फैब्रिक से प्राप्त योगदान पिछले वर्ष की तुलना में कम था और तैयार स्टॉक के संचय से क्षमता उपयोग में कमी आई है और उत्पादन कम हुआ है।.

उत्पादकता

मापदंड	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (गैर-लेखापरीक्षित)
कपास की उत्पादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	91.78	93.05	93.17	93.28	94.77
मिश्रण की उत्पादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	93.78	94.84	95.89	96.66	99.21

कारोबार

मापदंड	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (गैर-लेखापरीक्षित)
प्रचालन से राजस्व	करोड़ रु.	1129.22	1168.50	1066.27	1081.85	869.22

लाभप्रदता

मापदंड	इकाई	2016-17*	2017-18	2018-19	2019-20
कर पूर्व लाभ	करोड़ रु.	969.38	-307.95	-310.22	-350.11
कर पश्चात लाभ	करोड़ रु.	969.38	-307.95	-310.22	-350.11

*2016–17 अंतर्णीय विकास अधिकार प्राप्त होने के कारण लाभ

डीपीई द्वारा दी गई एमओयू रेटिंगः–

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
रेटिंग	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	संतोषजनक

हालांकि कंपनी को इसकी स्थापना के बाद से बजटीय आवंटन की सहायता की गई है, एनटीसी ने 2009–10 के बाद से किसी भी बजटीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है और अपने स्वयं के संसाधनों से अपने कार्यों का प्रबंधन कर रही है।

एनटीसी से संबंधित मामले

1. पीएसयू का रणनीतिक विनिवेश

i. वस्त्र मत्रालय ने नीति आयोग की सिफारिश पर विचार करते हुए दिनांक 27.12.2018 सचिवों के कोर समूह की सिफारिशों के बारे में एनटीसी को सूचित किया है कि विस्तृत विचार–विमर्श के बाद विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) ने सिफारिश की है कि दो/तीन समूहों में मिलों की बंचिंग करने और एसपीवी को सारी भूमि सौंपने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जाए। उसके बाद एनटीसी के रणनीतिक विनिवेश पर विचार किया जा सकता है।

ii. एनटीसी बोर्ड ने दिनांक 24.01.2019 को आयोजित अपनी बैठक में सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिश पर विचार–विमर्श किया और कारगर दृष्टिकोण के रूप में इसका समर्थन किया है क्योंकि कुल मिलाकर कंपनी के लिए 'जहां जैसा है' आधार पर रणनीतिक क्रेता का पता लगाना व्यवहारिक कार्य प्रक्रिया प्रतीत नहीं होती है और (i) कार्यशील मिलों (ii) गैर कार्यशील मिल (iii) जेवी/विवादित मिलों के लिए भिन्न दृष्टिकोण और पद्धतियों की आवश्यकता होगी। तदनुसार, मिलों की बंचिंग की जा सकती है।

iii. एनटीसी ने मिलों की बंचिग के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है। तथापि, खराब रिकॉर्ड प्रबंधन के कारण, मंत्रालय ने एनबीसीसी के माध्यम से मंत्रालय के तहत सभी पीएसयू का एक विस्तृत सत्यापन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एनटीसी और एनबीसीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनबीसीसी ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।

2. भारत सरकार का ऋण

वर्ष 2006–07 के दौरान एनटीसी को जारी 6,250 लाख रुपए के बट्टे बचत खाते में डाला गया था और आज की तारीख तक उस पर लगे ब्याज पर छूट दी गई तथा वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान आज की तारीख तक लगे ब्याज की छूट प्रदान करते हुए 20,750.00 लाख रुपए की ऋण की मूल राशि एनटीसी को वापस की गई।

2006-07	
दिनांक 23.05.2006 कार्यालय ज्ञापन 8/2/2006– एटीसी	प्राप्त राशि– 6,250.00 लाख रुपए जारी करने की तिथि–23.05.2006 अवधि–ऋण पर ब्याज
2007-08	
कार्यालय ज्ञापन 8/2/2007 – एटीसी दिनांक 25.05.2007, 12.12.2007, 24.01.2008 और 24.03.2008	कुल राशि. 6,250.00 लाख रुपए निम्नानुसार प्राप्त की गईः– राशि और जारी करने की तिथि – दिनांक 25.05.2007 को 1,500.00 लाख रुपए दिनांक 12.12.2007 को 1,500.00 लाख रुपए दिनांक 24.01.2008 को. 3,000.00 लाख रुपए दिनांक 24.03.2008 को. 2,50.00 लाख रुपए अवधि – ऋण पर ब्याज

2008-09	
दिनांक 18.03.2009 और 30.03.2009 कार्यालय ज्ञापन 8/2/2008 – एटीसी	कुल राशि 14,500.00 लाख रुपए निम्नानुसार प्राप्त की गई :– राशि और जारी करने की तिथि – दिनांक 18.03.2009 को 10,742.00 लाख रुपए दिनांक 30.03.2009 को 3,758.00 लाख रुपए अवधि – ऋण पर ब्याज

3. बीआईसी और एचएचईसी की ऋण की स्थिति

प. बीआईसी

दिनांक 30.09.2020 की स्थिति के अनुसार, कुल बकाया मूलधन 66.10 करोड़ रु. और उस पर ब्याज की राशि 96.99 करोड़ रु है, जिसका भुगतान बीआईसीएल द्वारा किया जाना है। बीआईसी को यह ऋण वस्त्र मंत्रालय की सलाह से दिया गया था।

क्रं.सं.	जारी करने की तिथि	राशि (रूपए करोड में)	ब्याज दर	उद्देश्य
1.	16.01.2012	Rs.56.10 करोड़	10.42%	एलगिन मिल के प्रतिभूति ऋणताओं का निपटान (ब्रिज लोन)
2.	23.10.2019	Rs. 10.00 करोड़	10.42%	वेतन और मजदूरी का भुगतान (इंटर कॉरपोरेट ऋण)
	कुल	Rs.66.10 करोड़		

ii. एचएचईसी का ऋण

वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार एनटीसी ने वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए दिनांक 23.10.2019 को हस्तशिल्प और भारतीय हथकरघा निर्यात कॉपोरेशन लिमिटेड (एचएचईसी) को 7.00 करोड़ रुपए का इंटर कॉरपोरेट ऋण जारी किया है।

4. पुदुच्चेरी सरकार से प्राप्त होने वाली राशि

वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 3 मार्च, 2005 के का.ज्ञा. के अनुसार, जिसमें पुदुच्चेरी में स्थित पूर्ववर्ती एनटीसी (टीएनएंडपी) की अनुषंगी दो मिलों अर्थात स्वदेशी कॉटन मिल्स और श्री भारती मिल्स को 1 अप्रैल, 2005 को पुदुच्चेरी राज्य सरकार को सौंपने के सरकार के निर्णय की सूचना दी गई थी, एनटीसी ने इन दोनों मिलों की सभी विगत देनदारियों को अपने पास रखते हुए उपर्युक्त दोनों मिलों को कामगारों और कर्मचारियों के साथ जहां जैसा है के आधार पर दिनांक 01.04.2005 को राज्य सरकार को सौंप दिया।

एनटीसी और पुदच्चेरी सरकार के बीच दिनांक 01.04.2005 को एक एमओयू हुआ जिसमें यह सहमति हुई कि परस्पर सहमत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 39.37 करोड़ रुपए का भुगतान, जो बिक्री योग्य आस्तियों का मूल्य है, पुदुच्चेरी सरकार द्वारा किया जाएगा।

बिक्री के भुगतान के संबंध में, पुदुचेरी सरकार के मुख्यमंत्री ने दिनांक 19.09.2014 के पत्र के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय को बकाया राशि पर ब्याज माफ करने के बारे में विचार करने और मिलों को बंद करने से बचने के लिए परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को पूरा करने के लिए किस्तों में मूल राशि का भुगतान करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

एनटीसी और वस्त्र मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर यह मामला निरंतर रूप से पुदुच्चेरी सरकार के साथ उठाते रहे हैं। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 28 जुलाई, 2017 के अपने पत्र में सचिव (उद्योग और वाणि ाज्य), पुदुच्चेरी सरकार से अनुरोध किया है कि वे दिनांक 01.04.2005 को एनटीसी और पुदुच्चेरी सरकार के बीच हुए एमओयू के अनुसार बिना किसी और विलंब के 39.37 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान एनटीसी को कर दें। इस पत्र के उत्तर में मुख्यमंत्री, पुदुच्चेरी ने दिनांक 31.07.2017 के अपने पत्र सं. 12–016/सीएम/2017 के तहत माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध किया कि वे पुदुच्चेरी की बजट संबंधी समस्याओं के कारण 39.37 करोड़ रुपए की राशि को माफ करने पर विचार करें।

इस संबंध में, एनटीसी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि रुग्झा वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अनुसार, मिलों को किसी बिक्री विचार के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि बिक्री पर विधिवत विचार करके डॉ. अम्बेडकर स्मारक के निर्माण के लिए एनटीसी की भूमि महाराष्ट्र सरकार को सौंपी गइ थी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे पुडुचेरी सरकार की ओर से एनटीसी को लंबे समय से लंबित बकाया को निपटाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप और एनटीसी को देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पुद्दुचेरी सरकार को अपिक्षित धन प्रदान करने के लिए भी यह मामला उनके साथ गया है।

5. पांच संयुक्त उद्यम कंपनियां

एनटीसी की 51% हिस्सेदारी सहित एनटीसी ने मिलों के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में पहले चरण में बीआरएफआर/जीओएम के अनुमोदन अनुसार एनटीसी ने निम्नलिखित 5 मिलों के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित किया।

क्र. सं.	मिलों का नाम	रणनीतिक साझेदारों का नाम
1.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नंबर 1, मुंबई	मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में)
2.	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, मुंबई	मेसर्स आलोक इंडस्ट्रीज लि.
3.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद	
4.	गोल्ड मोहर मिल्स, मुंबई	मेसर्स फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रूप में शुरूआत में मैसर्स पैंटालून रिटेल (इंडिया) लिमिटेड) के रूप में जानी जाती थी)
5.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	

14.09.2017 को हुई अपनी 374 वीं बैठक में बोर्ड ऑफ एनटीसी लिमिटेड ने औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड और न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे डहि। मिल्स लिमिटेड के संबंध में जेवी व्यवस्था को रद्द करने का निर्णय लिया। और मानदंड दिवालियापन संहिता, 2016 को शुरू किया गया है।

एनटीसी लिमिटेड बोर्ड ने दिनांक 14.09.2017 को आयोजित अपनी 374 बैठक में औरंगाबाद वस्त्र और अपैरल पार्क लिमिटेड और न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल लिमिटेड के संबंध में जेवी निरस्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि माननीय राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद बेंच द्वारा दिनांक 18.07.2017 को पारित आदेश के अनुसार, इन दोनों जेवी मिल्स के रणनीतिक भागीदार के खिलाफ दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुसार, कारपोरेट दिवालिया समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई है।

दिनांक 23.05.2018 को आयोजित अपनी 380वीं बैठक में बोर्ड के दिशा–निर्देशों के आधार पर जेवी कंपनियों अर्थात् इंडिया यूनाइटेड मिल लिमिटेड, गोल्ड मोहर डिजाइन और अपैरल पार्क लिमिटेड तथा अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क लिमिटेड के संबंध में रणनीतिक साझेदारी हेतु दिनांक 26.07.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसमें पूछा गया था कि एसएसएसए और अन्य करार और कानूनी परिकल्पना अनुसार उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए।

एनटीसी ने कारण बताओ नोटिस के संबंध में रणनीतिक साझेदारों से प्राप्त उत्तर भारत के महान्यायवादी को प्रेषित किए हैं, ताकि इस मामले की जांच की जा सके और भावी कार्य–योजना के के बारे में सलाह दी जा सके। इस संबंध में महान्यायवादी के परामर्श की प्रतीक्षा है।

6. ग्यारह संयुक्त उद्यम कंपनियां

11 मिल नामतः चालीसगांव वस्त्र मिल, धुले वस्त्र मिल, नांदेड वस्त्र मिल, आरबीबीए कताई और बुनाई मिल, सेवतराम रामप्रसाद मिल, उड़ीसा कॉटन मिल, लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल, सोडपुर कॉटन मिल, स्वदेशी कॉटन मिल, मऊ, श्रीशारदा मिल और श्री पार्वती मिलों के लिए रणनीतिक साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम समझौता के संबंध में दिनांक 14.11.2008 को कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

दिनांक 14.09.2010 के पत्र के माध्यम से सभी 3 समझौता ज्ञापनों को समाप्त किया गया क्योंकि समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट तरीके से एमओयू के पूर्ण होने की तिथि से 240 दिनों के भीतर निश्चित समझौता पूर्ण नहीं किया गया था।

जेवी के निरस्तीकरण के कारण लाभ की हानि और उसके ब्याज के लिए 11 संयुक्त उद्यमों के संबंध में पक्षों से 51,362 लाख के दावों की मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय मध्यस्थता अधिकरण ने 11 जेवी मध्यस्थता मामले में दिनांक 10.04.2019 को सामान्य निर्णय की घोषणा की।

एनटीसी ने रणनीतिक साझेदारों के प्रतिनिधियों को बताया कि चेकों के माध्यम से संबंधित रणनीतिक साझेदारों को 8.40 करोड़ रुपए की अग्रिम रुपए की राशि वापस कर दी गई है। रणनीतिक साझेदारों ने जेवी के पुनरूद्धार की प्रक्रिया के लिए एनटीसी को अनुरोध करते हुए चेक वापस कर दिया। एनटीसी को एसपीवी को शुरू करने की आवश्यकता है ताकि समझौता ज्ञापन के संदर्भ में निश्चित समझौता (डीए) किया जा सके।

एनटीसी बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, एनटीसी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समझ प्रतिवाद दायर किया है ताकि इस मामले में एनटीसी को सुनवाई का अवसर दिए बिना कुछ न किया जाए। इसके बाद, रणनीतिक साझेदारों में से एक, मैसर्स केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लि. ने पंचाट के निर्णय को चुनौती देते हुए दिनांक 10.04.2019 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका ओ.एम.पी.(सीओएमएम) सं. 409/2020 दायर की है।

7. एनटीसी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें

(i) ऑनलाइन मोड के माध्यम से यार्न की बिक्री

अगस्त 2018 से ऑनलाइन मोड के माध्यम यार्न की बिक्री प्रभावी रूप से क्रियान्वित की गई।

ii. **एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) का कार्यान्वयन**

समाज में तकनीकी कौशल विकास और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए, एनटीसी ने वर्ष 2015 में एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के तहत लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की शुरूआत करने की पहल की है। एनटीसी ने लोगों को इन–प्लांट प्रशिक्षण देने के लिए अपनी कार्यशील मिलों में 10 प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए हैं। कुल 2898 व्यक्तियों को प्रशिक्षण पूरा किया गया है। इनमें से 2726 लोगों का मूल्यांकन और प्रमाणित किया गया है। इन 2726 व्यक्तियों में से 1577 प्रशिक्षुओं को एनटीसी मिल्स में रखा गया है।

(iii) **स्किल इंडिया के अंतर्गत सहयोग**

समर्थ योजनाः समर्थ, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप कौशल विकास योजना है। इस योजना में 1300 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से 3 वर्ष (2017–20) की अवधि में 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और इसमें वस्त्र मंत्रालय/राज्य सरकार के वस्त्र उद्योग, संस्थानों/संगठनों और प्रशिक्षण संस्थानों/एनजीओ/सोसाइटियों/ट्रस्टों/संगठनों/कंपनियों/स्टॉर्ट अप/उद्यमियों की भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है।

(iv) **डीलरों की वृद्धि**

एनटीसी में यार्न और फैब्रिक, विशेषतः किसी मिल विशेष के लिए मिल–वार डीलरों की प्रणाली है। दिनां 30.06.2018 तक, कुल 30 डीलर थे जिनमें से 27 यार्न के लिए और 3 फैब्रिक के लिए थे। डीलरों में एनटीसी के यार्न और फैब्रिक की और अधिक विजिबिलिटी के लिए एनटीसी ने पूर्व प्रणाली की समीक्षा की और पूर्ववर्ती डीलरशिप को रद्द कर दिया तथा जुलरई, 2018 में समग्र एनटीसी के लिए नई डीलरशिप की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिलहाल, एनटीसी के पास अखिल भारत आधार पर, 101 पंजीकृत डीलर हैं जिनमें से 89 विशिष्ट रूप से यार्न के लिए 8 फैब्रिक के लिए और 4 यार्न तथा फैब्रिक दोनों के लिए हैं।

(अ) परिसंपत्तियों का सत्यापन

एनटीसी पूर्व एलएमए कार्यकलापों अर्थात् सत्यापन और एनटीसी की चल और अचल संपत्ति का आकलन करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड स्वतंत्र तृतीय पक्ष (विशेषज्ञ/व्यवसायिक सरकारी एजेंसी) लगा हुआ है। एनबीसीसी ने प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

2.5.2 हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.(एचएचईसी)

दि हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. "(कॉरपोरेशन)", वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में ''इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.'' के रूप में दो उद्देश्यों के साथ हुई (i) निर्यात प्रोत्साहन तथा (ii) हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम उत्पादों का व्यापार विकास। वर्ष 1962 में इसका नामकरण ''दि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.'' के रूप में किया गया। कॉरपोरेशन वर्तमान में एक सितारा निर्यात गृह है जो सोना एवं चाँदी के आभूषण/वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुने हुए वूलन कारपेट एवं सिले सिलाए वस्त्र सहित) के कार्य करता है। कोपोरेशन को वर्ष 1997–98 में सोने–चाँदी के आयात तथा घरेलू बाजार में बिक्री के लिए नामित किया गया था।

एचएचईसी कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों, सोसायटियों एमएसएमई आदि के लिए विपणन मंच उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में असंगठित क्षेत्र के लिए काम कर रहा है और उन्हें लाभ हुआ है तथा इस संगठन के साथ बने हुए हैं 1000 से अधिक कारीगर, शिल्पकार, बुनकर, सोसायटी, एमएसएमई के साथ प्रत्यक्ष रूप से है और एचएचईसी के साथ 5000 अप्रयत्क्ष रूप से संबंधित है।

प्रमुख संकेतकों के संबंध में वर्ष 2017–18, 2018–19 (लेखा परीक्षित) और 2019–20 (अनंतिम एवं गैर–लेखा–परीक्षित) में कॉरपोरेशन का निष्पादन नीचे दिया गया है:–

(रु.करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20 (अनंतिम एवं गैर-लेखापरीक्षित)
कारोबार	613.95	53.48	15.38
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(23.61)	(4.00)	(8.96)
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(23.61)	(4.00)	(8.96)

कारोबार का विवरण

(रु.करोड़ में)

विवरण		2018-19 (लेखा परीक्षित)	2019-20 (अनंतिम एवं गैर-लेखापरीक्षित)
निर्यातः			
क	हस्तशिल्प	2.78	1.72
ख	हथकरघा	7.52	4.64
घ	रेडी टू वियर	9.64	4.52
1	उप–जोड़	19.94	10.88
घरेलूः			
क	हस्तशिल्प और हथकरघा	7.90	4.50
ख	'बुलियन	25.64	-
2	उप जोड़	33.54	4.50
3 (1+2)	कुल योग	53.48	15.38

'वस्त्र मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार बुलियन व्ययसाय को रोकने के कारण मुख्य रुप से कमी हुई।

पूंजी

वर्ष 2018–19 के दौरान कारपोरेशन की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः 20.00 करोड़ रुपए और 13.82 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रही। पूरी प्रदत्त पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा अभिदत्त है। निगम ने 2014–15 तक 12.67 करोड़ के संचयी लाभ का भुगतान किया है।

प्रचालन परिणाम

कॉपोरेशन का कुल कारोबार वर्ष 2019–20 के दौरान 53.48 करोड़ से घटकर 15.38 हो गया, 38.10 करोड़ रूपए (71.24%) की कमी हुई है। यह कमी मुख्य रूप से बुलियन का व्यवसाय बंद किए जाने के कारण हुई है:

जनशक्ति

	स्वीकृत संख्या	2018-19	2019-20
अधिकारी	125	42	35
कर्मचारी	89	40	38
कुल	214	82	73

मौजूदा चिंता

वित्तीय विवरण वर्तमान चिंता के आधार पर तैयार किया गया है। मुख्य रूप से संपन्न किए और चल रहे न्यायिक मामलों के प्रतिकूल प्रभाव, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी, आधुनिक कारखाना सेट–अप की कमी, मुख्य अधिकारियों और पूर्णकालिक रणीनतिक प्रबंधन की कमी के कारण और निर्धारित परिसंपत्तियों का कम उपयोग किए जाने के कारण अधिक बकाया और एचएचएसी की अवसंरचना उपर्युक्त कारणों से व्यवसाय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण प्रचालनात्मक हानि हुई है।

वर्तमान स्थिति

रुग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसई के लिए डीपीई की नीति के अनुसार, एचएचईसी को बंद किए जाने का विचार किया जा रहा है।

2.5.3 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लि., लखनऊ की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा फरवरी 1983 में की गई। एनएचडीसी लि. की प्राधिकृत पूँजी 2000 लाख रुपए है तथा इसकी प्रदत्त पूँजी रुपए 1900 लाख है। एनएचडीसी के प्रमुख उद्देश्य हैं:–

- हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए सभी प्रकार के यार्न की आपूर्ति करना।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्ता रंगों तथा संबंधित सामग्री की आपूर्ति करना।
- हथकरघा उत्पादों के बाजार का संवर्धन करना।

उक्त उद्देश्यों के अनुसरण में एनएचडीसी निम्नांकित कार्यों को कर रहा है:–

यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस), भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसके अधीन एनएचडीसी द्वारा मिल गेट की दरों पर संपूर्ण भारत के पात्र हथकरघा बुनकरों को समस्त प्रकार की यार्न की आपूर्ति की जाती है। 5 वर्षों के दौरान वाईएसएस के तहत आपूर्ति किए गए यार्न का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रूपए करोड़ में)
2014-15	1484.300	2160.77
2015-16	1725.00	2356.86
2016-17	1799.14	2941.94
2017-18	1556.05	2564.59
2018-19	442.04	897.15
2019-20	406.17	700.61
2020-21 (जनवरी 2021 तक)	160.78	377.42

वाईएसएस के तहत, भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो प्रचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो प्रचालन खर्चे दिए जाते हैं। वर्तमान में सारे भारत में ऐसे 641 यार्न डिपो कार्यरत हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतियोगी/न्यून दरों पर गुणवत्ता रंग और रसायन की आपूर्ति भी करता है। 5 वर्षों में की गई आपूर्ति का विवरण निम्न है:–

वर्ष	रंग एवं रसायन	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रूपए करोड़ में)
2013-14	36.31	35.69
2014-15	36.90	49.48
2015-16	37.46	44.84
2016-17	45.82	45.97
2017-18	38.91	37.38
2018-19	40.51	45.43
2019-20	33.07	42.13
2020-21 (नवंबर 2020 तक)	19.89	23.94

2. हथकरघा उत्पादों के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन, सिल्क फैब्स एवं वूल फैब्स और राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो जैसी विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करता है। विगत 5 वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	स्टॉलों की सं0	कुल बिक्री (रूपए करोड़ में)
2013-14	23	2168	101.00
2014-15	24	1742	89.00
2015-16	23	1802	92.37
2016-17	25	1716	88.99
2017-18	33	2090	93.78
2018-19	48	2165	15.00
2019-20	37	1957	75.80

3. एनएचडीसी बुनकरों को नवीनतम रंगाई तकनीकों के विषय में शिक्षित करने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एवं बुनकरों की जानकारी के लिए भारत सरकार की जारी योजनाओं के विषय में भी निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है:–

- क्रेता–विक्रेता बैठकें
- एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न का प्रयोग करते हुए नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

विगत 4 वर्षों के दौरान एनएचडीसी का कुल कारोबार, जारी किया गया लाभांश, रेटिंग इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:–

(रूपए लाख में)

वर्ष	कुल कारोबार	निवल लाभ	लाभांश	एमओयू रेटिंग
2014-15	221696.49	2540.00	511.00	उत्कृष्ट
2015-16	240604.43	2407.92	731.00	उत्कृष्ट
2016-17	299351.79	2888.16	870.00	बहुत अच्छा
2017-18	260515.54	2357.75	708.00	-
2018-19	95093.59	(1621.82)	-	-
2019-20	74866.74	(1119.22)	-	-

2.5.4 भारतीय कपास निगम (सीसीआई)

सीसीआई, भारत सरकार द्वारा 1970 में कपास विपणन के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में स्थापित की गई थी। अपनी शुरूआत से निगम निजी कपास व्यापारियों और अन्य संस्थागत खरीदार क्रेताओं से प्रतिस्पर्धा में चल रहा है। इसकी बाजार हिस्सेदारी एमएसपी अभियानों के अंतर्गत कुछ वर्षों को छोड़कर जब यह 31 प्रतिशत तक चली गई, 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत है।

बदलते कपास परिदृश्य के साथ निगम की भूमिका और कार्यों की समीक्षा की गई थी और समय–सयम पर संशोधित की गई। 1985 में मंत्रालय से प्राप्त हुए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई, न्यूनतम मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है, जब कभी कपास का मूल्य (बीज कपास) न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे पहुंचता है। एमएसपी अभियानों के अलावा, घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए, विशेष रूप से जब इसकी फसल का समय नहीं होता है, कारपोरेशन अपने जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद अभियान चलाता है। निगम के वृहद उद्देश्य निम्न प्रकार है:

- जब कभी कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाए तब बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कीमत समर्थन कार्यों को आरंभ करना।
- सीसीआई के अपने जोखिम पर केवल वाणिज्यिक अभियान को प्रारंभ करना।

वित्तीय परिणाम

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीसीआई ने पिछले वर्ष के 2832.45 करोड़ रुपए के कुल कारोबार की तुलना में 6452. 23 करोड़ रुपए का कारोबार किया।
- वित्तीय वर्ष एवं 2019–20 और 2018–19 के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थी:

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2019-20	2018-19
खरीद (गांठ लाख में)	84.51	11.03
बिक्री(गांठ लाख में)	2.17	8.35
कारोबार (रुपए करोड़ में)	6452.23	2832.45
कर पश्चात लाभ(रुपए करोड़ में)	38.07	50.99

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने अल्प कालीन ऋण की रेटिंग केयर ए1(एसओ)[केयर ए1 प्लस] (संरचनात्मक दायित्व) अर्थात 35,000 करोड़ रुपए की अल्प कालीन बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में सौंपा गया उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है जो अल्प कालीन ऋण

दायित्व के समय से भुगतान के लिए सशक्त क्षमता को प्रदर्शित करता है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखता है।

लाभांशः सीसीआई ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 20.75 करोड़ रुपए के लाभांश की अनुशंसा की है।

2.5.5 सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम की स्थापना वर्ष 1952 में दिल्ली में इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन की प्रबंधकारिणी के अधीन किया गया। बाद में 1964 में सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा अधिकार में ले लिया गया तथा 4 फरवरी, 1976 को सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी) के रूप में निगमित किया गया। सीसीआईसी, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

सीसीआईसी का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता युक्त भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं का डीलर, निर्यातक, विनिर्माता तथा एजेंट होना है और भारत तथा विदेशों में इन उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना है। कॉरपोरेशन के दिल्ली, कोलकाता, बंगलौर, चौन्नई, हैदराबाद, पटना और वाराणसी में शोरूम हैं। सीसीआईसी शिल्पकारों और कलाकारों के हितों की देखभाल के लिए कोविड द्व ारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

पूँजी

कॉरपोरेशन की प्राधिकृत पूँजी 1200 लाख रुपए तथा प्रदत्त पूँजी 1085 लाख रुपए है।

कार्यशील परिणाम

(क) कारोबार

निगम का कारोबार पिछले वर्ष अर्थात 2018–19 में 6808.84 लाख रुपए के तुलना में वर्ष 2019–20 में 5261.03 लाख रुपए था। वर्ष 2019–20 के लिए लक्ष्य 8500 लाख रुपए है।

(ख) निर्यात

पिछले वर्ष 274.12 लाख की की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान निगम का कुल निर्यात 186.17 लाख रुपए (अनंतिम) था।

(ग) लाभप्रदता

पिछले वर्ष में इसी अवधि में(–) 543.38 लाख रुपए कर–पूर्व हानि की तुलना में चालू वर्ष में (–) 950 लाख रुपए की कर–पूर्व हानि हुई है ।

सांख्यिकी

पिछले तीन वर्षों के कार्यशील परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:–

(लाख रुपए में)

	2017-18	2018-19	2019-20 (अनंतिमस)
कारोबार	7126.12	6808.84	5261.03
शुद्ध लाभ (+)/ हानि (–)कर पूर्व	(-)949.14	(-)545.38	(-) 950.00
शुद्ध लाभ (+)/ हानि (–) कर पश्चात	(-)2173.64	(-)538.86	लागू नहीं
लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य

डिजाइनों/प्रदर्शनियाँ का विकास

सीसीआईसी निरंतर नए डिजाइनें विकसित करने का प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 702 नई डिजाइनें विकसित की गई। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 37 नए कारपोरेट ग्राहक भी जोड़े गए जिन्हें वर्ष के दौरान एक लाख रुपए और उससे अधिक की बिक्री हुई।

वर्ष 2019–20 के दौरान सीसीआईसी ने इंपोरिया में अंदर–बाहर 13 थीम आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें निगम के संरक्षण का विस्तार करने के लिए निगम द्वारा नवनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

चोलापुर और रामनगर, वाराणसी में दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना

वर्ष के दौरान वस्त्र मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन के सीसीआईसी ने इसके द्वारा पूर्व में वाराणसी में चोलापुर एवं रामनगर में प्रबंधित सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) तथा सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) को क्रमशः 21.11.2017 तथा 27.08.2018 से नई क्रियान्वयन एजेंसियों को सौंप दिया गया है।

हस्तांतरण किए जाने तक सीसीआईसी ने चोलापुर तथा रामनगर में इसके द्वारा संचालित सीएफसी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं पर सूचनाएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराकर 2020 बुनकरों को सुविधा पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त सीसीआईसी ने वाराणसी में सीएफसी से संबद्ध 329 बुनकरों को काम उपलब्ध कराया है तथा वर्ष 2019–2020 के दौरान सीसीआईसी एम्पोरिया के माध्यम से विपणन हेतु 61.55 लाख रुपए मूल्य के साड़ी, ड्रेस मेटैरियल और दुपट्टा जैसी हथकरघा वस्तुओं के आदेश प्रस्तुत किए।

सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां:

सीसीआईसी हस्तशिल्प तथा हथकरघा कलस्टरों तथा देशभर में बड़ी संख्या में फैले कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों आदि के साथ–साथ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, राज्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, एमएसएमई उद्यमियों, महिला संगठनों, अल्प संख्यकों तथा कमजोर तबकों आदि से वस्तुएं खरीदता है। सीसीआईसी के रिटेल मूल्य तथा उत्पादों की गुणवत्ता इस व्यापार में एक मानक समझी जाती है। सीसीआईसी ने वित्त वर्ष 2018–19 में 88.99% की तुलना में वित्त वर्ष 2019–20 में कारीगरों से सीधे तौर पर कुल खरीद का 91.66% हिस्सा खरीदा था इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में 2.67% की वृद्धि दर्ज की गई है।

ऑनलाइन शोपिंग :

सीसीआई के पास अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए www.thecottage.inuked ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लगभग 1000 हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों को उनके विवरण के साथ प्रदर्शित किया गया है। उत्पादों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग ,यूपीआई और पे–टीएम द्वारा एक सुरक्षित भुगतान गेटवे के माध्यम से खरीदा जा सकता है । खरीदे गए उत्पादों को दुनिया के किसी भी देश में पहुंचाया जा सकता है। इस वेबसाइट में आर्डर ट्रैकिंग प्रणाली है और विभिन्न सरकारी वेबसाइटों, इन्क्रेडिबल इंडिया आदि के लिए लिंक उपलब्ध हैं।

सीसीआईसी में डिजीटल पहल

i. सीसीआईसी के इम्पोरिया सात शहरों (दस शोरूम) में हैं। सभी शोरूम और कार्यालय एमपीएलएस नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हैं।

ii. खरीद, बिक्री, माल सूची, उपभोक्त संबंध प्रबंधन आदि के प्रबंधन के लिए एलएस खुदरा के साथ एक ईआरपी सैल्यूशन, माइक्रो सॉफ्ट नेवीजन 2009 आर 2 क्रियान्वित किया गया है।

iii. सभी शाखाओं में जीएसटी के अनुपालनों के अनुसार ईआरपी सैल्यूशन का अनुकूलन किया गया है।

iv. इसके इम्पोरियम में क्रेडिट/डेविट कार्ड/यूपीआई/भीम एप, यूएसएसडी, ई–वैलेट, आरटीजीएस/एनईएफटी और चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जाता है (76% पावतियां ई–साधन के माध्यम से)।

v. सीसीआईसी ने एन्ड्रॉयड और एपल प्लेटफार्म के लिए मोबाइल एप क्रियान्वित किया है।

vi. बुनकरों, शिल्पियों और अन्य क्रेताओं को सभी भुगतान ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाते हैं (98.63% भुगतान ई–साधन के माध्यम से)।

vii. नकदी रहित, विशेष रूप से भीम एप का प्रयोग करके भुगतान करने के लिए अपने उपभोक्ताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए सीसीआईसी ने 151 शिविर लगाए और 80000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

viii. सीसीआईसी ने ई–टेंडरिंग के लिए ई–प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट के लिए और बिक्रेता, पीएफएमएस के लिए जीईएम (अनुदान प्राप्त करने के लिए) और आरटीआई का काम संभालने के लिए ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली जैसी ई–गवर्नेंस सुविधाओं को क्रियान्वित किया है।

लैंगिक न्याय

जहां तक सीसीआईसी का संबंध है महिला कर्मचारियों की कार्य स्थितियां उत्तम हैं। जहां तक मजदूरी, कार्य के घंटों, अन्य लाभों आदि का संबंध है उनके साथ उनके पुरूष समकक्षों जैसा व्यवहार किया जाता है। विभिन्न विभागों में वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और वास्तव में वित्त, प्रचार, आईडीएस, डिस्प्ले जैसे विभागों की प्रमुख हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाता है। उनकी सामान्य शिकायतों और यौनउत्पीडन के मामले, यदि कोई हों के निपटान के लिए एक उचित प्रणाली मौजूद है।

महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से, यदि कार्य की आकस्मिकता के कारण किसी महिला कर्मचारी को सीसीआईसी मुख्यालय अथवा शाखाओं में 8 बजे रात्रि के उपरांत कार्य करना आवश्यक हो तो यह संबंधित विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि ऐसी महिला कर्मचारियों को एक भरोसेमंद सुरक्षा गार्ड अथवा निगम के पुरूष कर्मचारी के माध्यम से टैक्सी सेवा द्वारा घर छोड़ा जाए

कार्यबल की संख्या और प्रशिक्षण:

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, निगम में 255 कर्मचारियों की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इसमें 239 कर्मचारी थे।

2.5.6 ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी):

ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी) को 24 फरवरी, 1920 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत सरकार द्वारा इसे 11 जून, 1981 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम के अंतर्गत अधिकार में लिया गया। बीआईसी लिमिटेड, कानपुर के पास दो ऊनी मिलों का स्वामित्व तथा उनका प्रबंधन कार्य है (1) कानपुर वूलन मिल्स शाखा, कानपुर (2) न्यू एजर्टन वूलन मिल्स शाखा, धारीवाल। इन दो मिलों के उत्पादों को क्रमशः 'लाल इमली' तथा 'धारीवाल' के ब्रांड नामों से जाना जाता है। ये इकाइयाँ ऊनी/ब्लेंडेड सूटिंग, ट्वीड, वरदी का कपड़ा, लोही, शॉलों, गलीचों, कम्बलों आदि का निर्माण करती हैं।

बीआईसी लिमिटेड का आधुनिकीकरण/पुनर्वासन:

वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर बी.आई.सी. लिमिटेड को 1992 में बीआईएफआर को सौंप दिया गया और एक रूग्ण कंपनी घोषित कर

दिया गया। वर्ष 2002 में बीआईएफआर ने कुल 211 करोड़ रुपए की लागत से एक पुनर्वास योजना अनुमोदित की। योजना को समग्र रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लीज होल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड संपत्ति में परिवर्तित किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। बीआईएफआर द्वारा 2008 में संशोधित पुनर्वासन योजना अनुमोदित की गई थी जिसमें भारत सरकार द्वारा 273 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा शेष 116 करोड़ रुपए अधिशेष भूमि की बिक्री से करने की संकल्पना की गई थी। वर्ष 2010 में ब्यूरो फॉर रिकंस्ट्रक्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (बीआरपीएसई) की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2011 में 338 करोड़ रुपए की संशोधित योजना मंजूर की गई। एक संशोधित पुनर्वास योजना का मसौदा (एमडीआरएस) तैयार किया गया और बीआईएफआर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा 14.02.2008 को हुई इसकी सुनवाई में 273.28 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी प्राप्त हुई जिसमें से 157.35 करोड़ रुपए की सरकारी बजट सहायता तथा शेष राशि अधिशेष भूमि की बिक्री से प्राप्त की जानी थी। बीआरपीएसई ने दिनांक 28.07.2010ध्18.12.2010 को हुई अपनी बैठक में 338.04 करोड़ की एक और संशोधित योजना की संस्तुति की। संशोधित योजना को कैबिनेट, भारत सरकार ने 09.06.2011 को हुई अपनी बैठक में 'सिद्धांत रूप में' इस शर्त पर अनुमोदित कर दिया था कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

विचारार्थ वित्तीय साधन निम्नवत हैं : –

(रुपए करोड़ में)

भारत सरकार वीआरएस से अनुदान	17.10
प्रचालन हानियाँ 9/10, 10/11 अनुदान	66.99
भूमि की बिक्री से ब्याज मुक्त ऋण	128.66
वेतन के लिए (2 वर्ष) भारत सरकार से कम ब्याज पर ऋण	78.00
परिवर्तन प्रभार भुगतान हेतु भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	47.35
योजना की लागत	338.04

योजना का कार्यान्वयन अभी प्रारंभ होना है क्योंकि अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए आवश्यक मंजूरी अभी उत्तर प्रदेश सरकार से ली जानी है। यह मामला विभिन्न स्तरों पर उठाया जा रहा है तथा हाल के घटनाक्रम के अनुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 25.11.2014 के का.ज्ञा. के माध्यम से इस मामले के त्वरित निपटान के लिए मंडल आयुक्त, कानपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति की पहली बैठक 07.01.2005 को आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सरकार कानपुर स्थित बीआईसी की इकाई का संचालन मौजूदा प्रबंधन अथवा पीपीपी मॉडल के अनुसार करने की इच्छा रखती है। प्रमुख उद्देश्य कानपुर के औद्योगिकी परिदृश्य को पुनः सुधारने तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित करना है।

बीआईएफआर तथा बीआरपीएसई योजनाओं का बल लीज होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में परिवर्तित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के साथ अधिशेष भूमि की बिक्री से निधियों के सृजन पर था। उत्तर प्रदेश सरकार भूमि परिवर्तन मामले की जांच कर रही है। इसी बीच नीति आयोग ने बीआईसीएल को बंद करने की सिफारिश की जो कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में विचाराधीन है।

बीआईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

i. एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर

एल्गिन मिल्स कंपनी लि. वर्ष 1864 में स्थापित की गई थी और यह वर्ष 1911 में दो इकाइकों, एल्गिन नं.1 और एल्गिन नं.2 को मिलाकर पंजीकृत की गई थी। एक अध्यादेश नामतः ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 द्वारा भारत सरकार ने बीआईसी लि. के सभी शेयरों का अधिग्रहण किया और इस प्रकार यह 11 जून, 1981 को एक सरकारी कंपनी बनी। एल्गिन मिल्स कंपनी ने सरकारी कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। कंपनी को सिविल बाजार के लिए सूती और मिश्रित फैब्रिकों तथा रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थानों के लिए तौलिए, चादरें, सूटिंग एवं सर्टिंग्स, ड्रिल, सैल्यूलर आदि के उत्पादन का कार्य सौंपा गया था।

कंपनी द्वारा लगातार घाटा उठाए जाने के कारण इसे एसआईसीए के उपबंधों के अंतर्गत बीआईएफआर को सौंपा गया था और रुग्ण घोषित किया गया था। बीआईएफआर ने 1994 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। एएआईएफआर ने 1997 में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 1999 में इसे बंद करने का आदेश पारित किया तथा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। भारत सरकार ने जून, 2001 में स्वैच्छिक पृथककरण योजना (वीएसएस) कार्यान्वित की। मैसर्स एल्गिन मिल्स कंपनी लि. ने 1980 के आसपास कार्यशील पूंजी तथा आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किए थे। इन ऋणों का निधियों की कमी के कारण पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका और मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक, मैसर्स आईसीआईसीआई बैंक के अभिहस्तांकितीद्वारा उनके बकाया की वसूली के लिए 2009 में माननीय उच्च न्यायालय में एक केस दर्ज किया गया था तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2011 में परिसमापन के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे। मैसर्स एल्गिन मिल्स कंपनी लि. की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय में मामले की पैरवी की जा रही है। कंपनी ने प्रतिभूत ऋणदाताओं के बकाया

का भुगतान कर दिया है। तथापि,कंपनी की अधिकांश परिसंपत्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक के पास हैं।

जहां तक कोटक महेंद्रा के बकाए का संबंध है, समझौते की भावना और शर्तो के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहमति से निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया गया है। कम्पनी केएमबी द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने के लिए मामले को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उठा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय ने सरकारी परिसमापक को एकल निविदा के कारण चल संपत्तियों की बिक्री के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया और यह कंपनी की चल संपत्तियों के आरक्षित मूल्य के बराबर पर नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकारी परिसमापक को चल संपत्तियों की निविदा आमंत्रित करने का निर्देश दिया और सरकारी परिसमापक कंपनी की चल संपत्तियों की बिक्री की निविदा जारी करने का प्रयास कर रहा है।

ii. **कानपुर टेक्सटाइल्स लि., कानपुर**

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि., वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण ाधीन भारत सरकार की कंपनी, कानपुर टेक्सटाइल्स लि., बीआईसी लि. की अनुषंगी कंपनी है और इसे वर्ष 1920 में निगमित किया गया था। इस कंपनी को घरेलू बाजार और रक्षा, अर्द्धसैनिक, सरकार और अन्य संस्थानों के लिए फैब्रिक और यार्न उत्पादन का काम सौंपा गया था।

कंपनी को लगातार हानि होने और निवल परिसंपत्तियां कम/नकारात्मक होने के कारण कंपनी का मामला एसआईसीए के उपबंध के तहत बीआईएफआर के पास भेजा गया था और कंपनी को वर्ष 1992 रूग्ण घोषित किया गया था। वर्ष 1999 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे बंद करने का आदेश पारित किया और सरकारी परिसमापक नियुक्त किया। 1995 के कंपनी के मामला सं.2 में कई सुनवाइयों के बाद 2001 में भारत सरकार ने स्वैच्छिक पृथकीकरण योजना (वीएसएस) क्रियान्वित की गई प्रतिभूति ऋणदाओं ने माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ओएल ने मिल और कानपुर वस्त्र लिमिटेड के परिसर को कब्जे में ले लिया गया। एक मुश्त निपटान (ओटीएस) के अनुसार सभी प्रतिभूति ऋणदाओं को भुगतान किया गया तथा परिसमापक से बाहर लाने के लिए कम्पनी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अनुमित मांग रही है। इसी बीच कोटक महिन्द्रा बैंक ने अपने बकाया भुगतान के लिए मामला दायर किया जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकारिक परिसमापक को कम्पनी की चल सम्पति की बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया। तदनुसार, सरकारी परिसमापक ने निविदा आमंत्रित की और कंपनी की सभी चल सम्पतियों को बेच दिया गया।

2.5.7 भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि.,कोलकाता

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) 1971 में स्थापित भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) की सरकारी एजेंसी है जो पटसन उत्पादकों के लिए एमएसपी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और कच्चे पटसन बाजार में एक स्थिरकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जब एमएपी नहीं चल रहा होता है, व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए उस समय एमएसपी से अधिक मूल्य पर पटसन की खरीद करके जेसीआई वाणिज्यिक प्रचालन भी करता है। जेसीआई के मूल्य समर्थन अभियानों में जब भी पटसन का प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना छोटे और सीमांत किसानों से एमएसपी कर कच्चा पटसन खरीदना शामिल है। ये अभियान, कच्चे पटसन के मूल्य में अंतर–मौसमी और अंतरा–मौसमी उतार–चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से अत्यधिक आपूर्ति करके बाजार में एक नोशनल बफर के सृजन मे सहायता करते हैं। जेसीआई के विभागीय क्रय केन्द्र (डीपीसी), जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति हैं, किसानों से पटसन सीधे खरीदते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा और त्रिपुरा आदि राज्यों में जेसीआई के लगभग 141 डीपीसी हैं।

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार निगम की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रूपए और निवल मूल्य 147.70 करोड़ रुपए है। संपूर्ण प्राधिकृत पूंजी को भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइब किया गया है।

मिशन

देश के पटसन/मेस्टा उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की नीति का क्रियान्वयन करना।

कच्चे पटसन क्षेत्र में मूल्य स्थिर एजेंसी के रूप में काम करना और इस संबंध में आवश्यक उपाय करना।

विभिन्न पटसन संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विस्तार उपाय शुरू करना।

विजन

पटसन व्यापार क्रियाकलाप जो विविधीकृत के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए आत्म–निर्भरता और सतत् लाभकारिता के दोहरे उद्देश्य के साथ पर्यावरण के अनुकूल है, पर विशेष ध्यान देते हुए किसानों के हित और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था बढ़ावा देने और राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्ची पटसन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना।

मुख्य कार्य

i. जब भी कच्चे पटसन का मूल्य भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छूता है तो बिना किसी मात्रात्मक सीमा के सरकार की ओर से समर्थन मूल्य अभियान चलाना।

ii. जब भी आवश्यकता हो अन्य प्रयोजन के लिए एनजेएमसी की पटसन मिलों के लिए वाणिज्यिक कार्य शुरू करना।

iii. कारपोरेशन पटसन आईकेयर परियोजना की एक कार्यान्वयन एजेंसी जिसका उद्देश्य खेत स्तर पर पटसन उत्पादकों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करके सुदृढ़ कृषि विज्ञान पद्धति को प्रसार करने और प्रोत्साहित करना है।

कारपोरेशन आईकेयर परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को रेटिंग उद्देश्य के लिए सब्सिडी गत पटसन बीजों और माइक्रोबाइल कन्सोर्टियम नामत– क्रिजाफा सोना पाउडर वितरण भी करता है।

iv. कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत योजना और योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

v. ई–कॉमर्स, जेडीपी फ्रेंचाइजी पैन इंडिया, खुदरा बिक्री और कमीशन एजेंटों के माध्यम से विभिन्न चौनलों के माध्यम से पटसन विविधीकृत उत्पादों का विपणन। तिरुपति में प्रसादम वितरण के लिए अल–कोटेड पटसन बैग की आपूर्ति।

vi. जियो–टेक्सटाइल्स, एग्री–टेक्सटाइल्स के बैगों का विपणन।

vii. विभिनन सरकारी एजेंसियों को बी–ट्वील, ए–टवील डीडब्ल्यू टर्पोलिन गनी बैग की आपूर्ति।

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का निष्पादन नीचे दिया गया है:

मात्रात्मक विवरण (लाख गांठ में)	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (वास्तविक)**	**2020-21 (अनुमानित)**
कच्ची पटसन की खरीद	1.90	0.57	0.05	2.25	3.15	0.73	1.00	0.79
कच्ची पटसन की बिक्री	2.60	1.46	0.20	0.71	2.49	2.50	1.55	0.92
अंतिम स्टॉक	1.07	0.17	0.02	1.57	2.24	1.35	0.20	0.09
वित्तीय (रुपए/लाख)								
कच्ची पटसन की बिक्री	12331.00	8027.07	1506.45	5097.70	17406.26	18547.44	12173.06	9000
बिक्री–पटसन बीज	227.13	895.44	627.55	1214.1	580.79	322.50	392.54	1000

2.5.8 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में 3 जून 1980 को पंजीकृत और/अथवा निगमित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित 6 (छह) पटसन मिलें अर्थात पश्चिम बंगाल की नेशनल, किन्निसन, खारदाह, एलेक्जेंड्रा, यूनियन और कटिहार, बिहार में यूनिट आरबीएचएम शामिल थीं। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सरकार के खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति के लिए पटसन सामानों (सेकिंग) के निर्माण का व्यवसाय करना है।

कंपनी को इसकी स्थापना के बाद से लगातार घाटा होने और निवल मूल्य में कमी होने के कारण इसे वर्ष 1992 में बीआईएफआर के लिए संदर्भित किया गया था। मार्च 2010 में कुल 1417.53 करोड़ रु. की लागत से मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और नवंबर 2010 में संशोधित कर 1562.98 करोड़ रुपये की मसौदा पुनरुद्धार योजना को जनवरी 2011 में बीआईएफआर द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। वस्त्र मंत्रालय के हस्तक्षेप पर मंत्रिमंडल के दिनां 19 मार्च 2010 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए छः पटसन मिलों में से स्वयं एनजेएमसी द्वारा इसकी तीन मिलों पश्चिम बंगााल में (किन्निसन, खड़ाह) और बिहार में यूनिटःआरबीएचएम को चलाने के लिए बीआईएफआर ने दिनांक 31.03.2011 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दे दी। पुनरुद्धार योजना में अनिवार्य रूप से तीन मिलों नामतः नेशनल, यूनियन और एलेक्जेंड्रा को बंद करना और शेष तीन मिलों का चलाना शामिल है। इसमें सभी कर्मचारियों को वीआरएस देने, 3 मिलों को चलाने के लिए मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, पूंजीगत व्यय आदि का प्रावधान था। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया था। तीन मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हुए। अंत में आर्थिक कार्यों पर मंत्रीमंडल समिति ने दिनांक 10.10.2018 को एनजेएमसी को बंद करने की अनुमति दे दी।

(क) **एनजेएमसी को बंद किए जाने के कारण:** प्रचालन के लिए चिन्हित की गई तीन मिलों यथा कटिहार में आरबीएचएमय तथा कोलकाता में खारदाह और किन्नीसन मिलों को 2010 तथा 2011 में प्रचालनशील बना दिया गया था। श्रमिकों को कमीशन आधार पर काम पर रखकर उत्पादन शुरू कर दिया गया। चूंकि मिलें घाटा उठा रही थीं इसलिए अप्रैल, 2014 में खारदाह मिल तथा बाद में आरबीएचएम और किन्नीसन मिल में उत्पादन संविदा के आधार पर श्रमिकों को संविदा पर रखने के एक नए मॉडल की शुरूआत की गई। तथापि, इस मॉडल के माध्यम से प्रचालन में कुछ सुधार दर्शाने के बावजूद मिलें औद्यागिक विवाद मामलों, जल्दी–जल्दी होने वाली हड़तालों तथा ठेकेदार द्वारा संविदा के नियम एवं शर्तों का उल्लघंन किए जाने के कारण ये मिलें सफलतापूर्वक नहीं चल सकीं। इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया था कि उद्योग के पास पटसन के बोरों के विनिर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। तदनुसार नीति आयोग ने एनजेएसमी को बंद करने की सिफारिश कर दी।

2.5.9 बर्ड्स जूट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल), एनजेएसीकी सहायक कंपनी: –

पटसन फैब्रिक की एक प्रसंस्करण इकाई,बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) लैंसडाउन जूट मिल प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनभारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल)ने 1980 में राष्ट्रीयकरण से परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया। 1980 और बीजेईएलके इक्विटी शेयरों का 58. 94% की हिस्सेदार बन गई। इसके बाद भारत सरकार ने 1986 में बीजेईएलके शेयरों को एनजेएमसीमें स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार यह 1986 में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई।

बीजेईएल ने अक्टूबर 2002 से उत्पादन कार्यों को रोक दिया। तब से लेकर वर्ष 2014–15 तक कंपनी का कोई बिक्री कारोबार नहीं हुआ। मार्च 2016 से, बीजेईएल विपणन कार्यों में शामिल है और छोटे निर्माताओं तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सामान्य सुविधा केंदों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। बीआईएफआर ने अगस्त, 2012 में कुल 1,37.88 करोड़ की लागत वाली एक पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी। पुनरुद्धार योजना के मसौदे (डीआरएस)को बीआईएफआर द्वारा निम्नलिखित दो शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया था:

i) एक परिसंपत्ति बिक्री समिति (एएससी) का गठन किया जाना था, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य थी।

ii) अपने वर्तमान भूमि उपयोग को ''औद्योगिक'' से ''वाणिज्यिक'' में बदलने के लिए बीजेईएल को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करना होगा।

मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के गैर–सहयोगी रुख होने के कारण इन दो शर्तों के पूरा न होने से पुनरुद्धार योजना पर कोई प्रगति नहीं हुई।

(क) **बंद किए जाने की प्रक्रिया:–** पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में, एनजेएमसी के सभी कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया था। वर्तमान में एनजेएमसी और बीजेईएल की पंजी कोई कर्मचारी नहीं है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर, एनजेएमसी और बीजेईएल के बंद किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्तमान में एनजेएमसी की कुल देनदारियांध्देय राशि 533.40 करोड़ रु. (31.3.2018के अनुसार गैर–लेखापरीक्षित) और बीजेईएल की कुल देनदारियां ध्देय राशि 130.29 करोड़ रु. (31.3.2018 के अनुसार गैर–लेखापरीक्षित) (मंत्रिमंडल नोट के अनुसार) है। हालांकि, एनजेएमसी की कुल परिसंपत्ति (2017 के निर्धारित मूल्य के अनुसार) 2392.09 करोड़ रु. मूल्य और बीजेईएल की कुल परिसंपत्ति 738.58 करोड़ रु. मूल्य की है।

(ख) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को हुई बैठक में समिति ने दिनांक 13 सितंबर, 2018 के कैबिनेट नोट सं. 11/18/2014–पट.(खंड–II) पर विचार किया और दिनांक 1 अक्तूबर, 2018 के अनुपूरक नोट में एनजेएमसी ओर इसकी सहायक कंपनी बीजेईएल को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में प्रकाशित दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार एनजेएमसी और बीजेईएल को बंद किया जाएगा।

अनुमोदित पैरा निम्नानुसार है :-

i) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एनजेएमसी) तथा इसकी सहायक कंपनी बर्ड्स जूट एंड एक्स्पोर्ट्स लि. (बीजेईएल) को बंद करना;

ii) भारत सरकार के पास तत्काल आधार पर 200 करोड़ रुपए जमा करनाय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए तात्कालिक आकसमिक देयताओं के लिए 21.21 करोड़ रुपए को बचाकर रखनाय एनजेएमसी को बंद किए जाने को प्रभावी बनाने के लिए प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखना तथा इसकी बंदी प्रक्रिया के साथ–साथ प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु बीजेईएल को 5 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करना;

iii) एनजेएमसी तथा बीजेईएल की परिसंपत्तियों का निपटान डीपीई द्वारा दिनांक 14.06.2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/5(1)/2014–वित्त(भाग– I) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। एनजेएमसी तथा बीजेईएल चल तथा अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन करेंगे तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान के लिए अचल संपत्तियों का दायित्व नामित की गई भूमि प्रबंधन एजेंसी को सौंप सकते हैं। नामित की गई भूमि प्रबंधन समिति अचल संपत्तियों के संबंध में सूचना एकत्र करेगी और इसका सत्यापन करेगी तथा दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

iv) परिसंपत्तियों के निपटान के माध्यम से सृजित निधि से देयताओं को चुकानाय और

v) शेष राशि को भारत सरकार तथा स्टेकहोल्डरों को लौटाना।

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा)

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

वर्तमान में इजिरा चौदह आरएंडडी प्रायोजित परियोजनाएं संचालित कर रहा हैय वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित बारह, पटसन उद्योग और राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा प्रायोजित एक। अभी तक क्रियांवित की जा रही परियोजना–वार गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं –

1. **थ्रेसहोल्ड मैकेनिकल संपत्तियों और भौतिक मापदंडों पर विचार करते हुए 50 किग्रा क्षमता वाले पटसन थैलों का डिजाइन और विकास**

किफायती बैग आयाम, थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, खाद्यान्न पैक करने के लिए इष्टतम पोरसिटी पर विचार करके एक व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से, 550 ग्राम क्षमता वाले पटसन थैलों को तैयार किया गया है। वर्तमान बी. ट्विल पटसन बैग के लिए सामान्य बैच का उपयोग करते हुए और इजिरा की प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए 29 विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक बैग तैयार किए गए हैं। इन प्रायोगिक बैगों से, टाइप ए और टाइप बी बैग दोनों को अंतिम रूप दिया गया है।

2. **औद्योगिक उपयोगों के लिए मूल्य वर्धित रसायनों के निष्कर्षण के लिए जूट की छड़ें और जूट अपशिष्ट का उपयोग**

सेलूलोज, हेमिकेलुलोस और लिग्निन से युक्त जूट स्टिक और फाइबर अपशिष्ट, लिग्नोसुलफोनेट्स, बइथेनॉल, बायो–ऑयल, बायो–चार और नैनोकैल्यूलोजजैसे मूल्य वर्धित रसायनों के संभावित स्रोत हैं। सोडियम लिग्नोसल्फोनेट, बायो–इथेनॉल, बायो–ऑयल, बायो–चार औरनैनोकैल्यूलोज को इजिरा के रासायनिक प्रसंस्करण पायलट प्लांट में जूट की छड़ें और जूट के कचरे से सफलतापूर्वक निकाला गया है।लीड एसिड बैटरी में जूट से उत्पादित सोडियम लिग्नोसुलोनेट द्वारा लीड इलेक्ट्रोड बैटरी के जीवनकाल में वृद्धि के संबंध में में सीईसीआरआई, कराईकुडी में अध्ययन किया जा रहा है। जूट की छड़ से बायो–ऑयल और बायो–चार उत्पादन करने में सक्षम इजिरा पायलट प्लांट में एक तीव्र पायरोलिसिस प्लांट स्थापित गया है।

3. **जैव-रासायनिक पहल के माध्यम से जूट के पौधे की तीव्र गति से रेटिंग**

जूट के पौधों की नवीन तरीके से तीव्र गति से रेटिंग के लिए बीएलएएसटी विश्लेषण द्वारा अपनाई गई 16एस आरएनए आनुवंशिक लक्षण की विशिष्टता वाली तकनीक का उपयोग करकेएक कुशल माइक्रोबियल कंसोर्टियम (इजिरा सुभरा)को सीएसआईआर–इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ में प्रस्तुत किया गया है।

पहचान किए गए उपभेद हैं (ए) स्यूडोमोनास हुनानेंसिस (बी) लिसिनिबासिलस फुसिफॉर्मिस (सी) मायकोप्लाणा रैमोसा।

वर्ष 2019 के जूट रेटिंग मौसम में, नार्थ 24–परगना, पश्चिम बंगाल, को एक मॉडल जिले के रूप में पहचान किया गया था ताकि इजिरा मेंविकसित माइक्रोबियल कंसोर्टियम (इजिरा सुभरा)का उपयोग करते हुए जूट के पौधों की तेजी से रेटिंगग पर फील्ड प्रदर्शन ट्रायल किया जा सके। नार्थ 24–परगना, 17 जूट उगाने वाले ब्लॉकों में रेटिंग ट्रायल किए गए। 1560 से अधिक क्षेत्र परीक्षण, 8500 सीमांत जूट किसानों को पंजीकृत करके दस किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के एक अन्य प्रमुख जूट उगाने वाले जिले मुर्शिदाबाद में जूट संयंत्र के तेजी से पुनः संचालन पर प्रदर्शन परीक्षण भी आयोजित किए गए। रेट किए गए जूट फाइबर को भी क्षेत्र से एकत्र किया गया था और आईएस मानक के अनुसार उनका मूल्यांकन किया गया था। इजिरा सुभरामें जूट के रेशों की गुणवत्ता में कम से कम 1.5–2.0 ग्रेड के पारम्परिक रूप से रेट किए गए जूट के रेशों की गुणवत्ता में सुधार हुआ था, इसलिए इसे किसानो के लिए लाभप्रद पाया गया।इजिरा के किण्वन प्रयोगशाला में 100 किलोलीटर से अधिक इजिरा सुभराउत्पादित किए गए और किसानों के बीच वितरित किए गए। जल सीमा की स्थिति के तहत इजीरा–सुभरा का उपयोग करके भूमि पर जूट के पौधों की सूखी रेटिंग को भी कई जूट के बढ़ते स्थानों पर करने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार नवीन जूट रेटिंग प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण पर काम किया जा रहा है।

4. **बेहतर उपयोग के लिए जूट के कठोर जड़ की कटिंग की बायो-केमिकल साफ्टनिंग**

इजिरा मेंविकसित जैव रासायनिक हार्ड रूट सॉफ्टनिंग तकनीक, विशेष रूप से कटे हुए जूट के स्थान पर नरम हार्ड कटिंग और अनट्यूट जूट फाइबर के उच्च प्रतिशत को शामिल करके बैच लागत में काफी कमी जैसे के कई लाभों के कारण इसे जूट मिलों में व्यावसायीकृत किया गया है। इस हार्ड रूट सॉफ्टनिंग प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता जूट यार्न के गुणों में देखी जाती है जिसमें 8.0 पौंड से लेकर 24 एलबी/एसपीवाई होती है। उक्त तकनीक को अब तक 19 जूट मिलों को हस्तांतरित किया जा चुका है। इजिराने अपनी किण्वन प्रयोगशाला से उपयोगकर्ता जूट मिलों को लगभग 82,000 लीटर बायोकेमिकल रूट सॉफ्टनिंग सॉलुशन'की आपूर्ति की है।व्यावसायीकरण के एक भाग के रूप में इजिरा के तकनीकी मार्गदर्शन में अब तक पांच जूट मिलों में नई किण्वन प्रयोगशाला'की स्थापना की गई है। इस रूट सॉफ्टनिंग तकनीक का व्यवसायीकरण जारी है।

5. **ग्रामीण सड़कों में पटसन जियो-टेक्सटाइल्स (जेजीटी) के उपयोग के लिए मानकों का विकास**

प्रयोगशाला फुटपाथ मॉडल के आधार पर जेजीटी युक्तग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ''अनुशंसित डिजाइन पद्धति'' का अध्ययन किया गया है। इसे सीधे आईआरसीः एसपीः 72–2015 में ग्रामीण सड़कों की डिजाइन पद्धति में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जेडजीटी का प्रयोग कर के मणिपुर में एक पीएमजीएसवाई सड़क का निर्माण किया गया है और समय–समय पर सड़क के निष्पादन की निगरानी की जा रही है।

निर्यात संवर्धन

3.1 निर्यात

भारतीय वस्त्र उद्योग, दुनिया में चीन के बाद एमएमएफ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में वस्त्रों और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय वस्त्र और तैयार वस्त्र उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधारों में से एक है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी वर्ष 2019–20 में 11.8% है जो एक महत्वपूर्ण अंश है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 5% है। भारत हेतु प्रमुख वस्त्र तथा परिधान गंतव्य ईयू–28 और संयुक्त राज्य अमेरीका है जिन्हें कुल वस्त्र तथा अपैरल का 50% निर्यात किया जाता है। यह उद्योग रोजगार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और बड़ी संख्या में महिलाओं तथा ग्रामीण लोगों सहित संबद्ध क्षेत्रों में 100 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की प्रमुख पहलों के साथ इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से तालमेल बना हुआ है। वस्त्र और अपैरल का निर्यात ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

मिलियन अमरीकी डॉलर	2017-18	2018-19	2019-20	सीएजीआर	2019-20 (अप्रै.-दिस.)	2020-21 (अप्रै.-दिस.) (अनंतिम)	% परिवर्तन
में मूल्य	35,723	36,558	33,378	-3.3%	24861	20319	-18.2%
भारतीय वस्त्र एवं अपैरल	3,573	3,804	3,564	-0.1%	2742	2268	-17.3%
हस्तशिल्प	39,296	40,362	36,943	-3%	27603	22587	-18.2%
हस्तशिल्प सहित कुल टी एण्ड ए	303,376	329,536	313,139	1.6%	238274	201295	-15.5%
भारत का समग्र निर्यात	13%	12%	11.8%		11.6%	11.2%	
समग्र निर्यात का : टी एण्ड सी निर्यात							

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस

- भारत से हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान उत्पादों का निर्यात 2018–19 के दौरान 40.4 बिलियन अमेरीकी डालर से घटकर वर्ष 2019–20 के दौरान 36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक रह गया, जिसने 8.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से जारी वैश्विक मंदी के कारण हुई है, जो कोविड–19 संकट के कारण और बढ़ गई। बाद वाली घटना से आपूर्ति श्रृंखलाओं और मांग में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुए जिसके परिणामस्वरूप आर्डर रद्द हो गए। गिरावट के अन्य मुख्य कारण यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले उच्च टैरिफ हैं, जो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को दिए गए शून्य शुल्क की तुलना में निर्यात निष्पादन को प्रभावित करते हैं।
- 2019–20 में रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) कुल वस्त्र निर्यात का लगभग 46% है। इसके अलावा निर्यात में योगदान करने वाले मुख्य भाग सूती वस्त्र (30.7%), मानव निर्मित वस्त्र (15.9%), कारपेट (4%) तथा हस्तनिर्मित कारपेट को छोड़कर हस्तशिल्प (9.6%) है।
- अप्रैल–दिसम्बर 20 में (अनंतिम), हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और अपैरल निर्यात पिछले वर्ष उसी अवधि अर्थात अप्रैल–दिसम्बर 19 के लिए 27.6 बिलियन अमरीकी डॉलर

की तुलना में 22.6 बिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग) रह गया। अप्रैल–दिसम्बर 20 की अवधि के दौरान भारत के कुल निर्यात में वस्त्र निर्यात की हिस्सेदारी 11.2: थी।

- हथकरघा तथा हस्तशिल्प सहित भारत के वस्त्र उत्पाद सौ से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। तथापि, यूएसए तथा यूरोपीय संघ में भारत के वस्त्र व अपैरल निर्यात का लगभग 50% हिस्सा हैं। चीन, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, सउदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान तथा वियतनाम आदि अन्य प्रमुख निर्यात केंद्र हैं।

आयात :

- भारत, वस्त्र तथा अपैरल का प्रमुख निर्यातक देश है और यहां व्यापार अधिशेष की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश आयात पुनः निर्यात के लिए अथवा कच्चे माल की उद्योग की आवश्यकता के लिए किया जाता है।
- 2019–20 में तदनुरूपी अवधि की तुलना में भारत द्वारा वस्त्र और अपैरल उत्पाद अप्रैल–दिसम्बर 20 में 41 प्रतिशत से कम हो गया है। कमी मुख्यतः कोविड–19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण हुई है।

मिलियन अमेरीकी डालर में मूल्य	2018-19	2019-20	2019-20 (अप्रै.-दिस.)	2020-21 (अप्रै.-दिस.) (अनंतिम)
हस्तशिल्प सहित वस्त्र व अपैरल का आयात	7,549	8262	6669	3935
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में		9.4%		-41%

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस

3.2 निर्यात में वृद्धि के लिए उठाए गए कदम :-

सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- **राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) का विस्तारः** माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 07 मार्च, 2019 को अपैरल और मेड–अप्स निर्यात को सहायता प्रदान करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों/लेवियों (ड्रॉबैक समिति द्वारा यथाअनुशांसित) में छूट प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों में छूट (आरओएससीटीएल) की योजना का अनुमोदन किया। करों/लेवियों की छूट की अनुमति 31.03.2020 तक अधिसूचित दरों पर एक आईटी संचालित स्क्रिप प्रणाली के माध्यम से दी गई है। 14 जनवरी 2020 को, वस्त्र मंत्रालय ने 7.3.2019 से 31.12.2019 तक 4 प्रतिशत की दर वाले आरओएससीटीएल और आरओएसएल एमईआईएस के मध्य अंतर को दूर करने के लिए परिधान और तैयार वस्त्रों के निर्यात के लिए 1 प्रतिशत तक का एक विशेष अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन अधिसूचित किया था। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना को अप्रैल, 2020 से आगे तब तक बढ़ा दिया गया है जब तक कि इस योजना का निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों तथा करों की छूट (आरओडीटीईपी) के साथ विलय नहीं कर दिया जाता है।
- **आरओडीटीईपी योजना :** निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने तैयार वस्त्रों (आरएमजी) सहित सभी निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के लिए योजना को मंजूरी दे दी है और इसे 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी किया गया है। आरओडीटीईपी योजना निर्यातकों को अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों को वापस कर देगी जो अब तक छूटबद्धध्वापस नहीं किए गए थे और इस प्रकार से, हमारे निर्यात को एक अलाभकारी स्थिति में डाल रहे थे।
- **बीसीडी में वृद्धिः** टी एंड ए आयात में वृद्धि को रोकने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने ऐसे उत्पादों की पहचान की है जहां आयात की कीमतों में कमी के साथ–साथ आयात में काफी वृद्धि हुई है। शीर्ष आयातित एचएस लाइनों के श्रेणी–वार विश्लेषण के आधार पर 6 अंक, 504 लाइनों (8 अंकों के स्तर पर) की पहचान की गई थी जिसमें वस्त्र (22 लाइनें), कालीन (75 लाइनें), परिधान (383 लाइनें), तैयार वस्त्र (9 लाइने) और अन्य (15 लाइनें) शामिल हैं। परिणामस्वरूप, सीमा–शुल्क की दिनांक 16.07.2018 की अधिसूचना सं.53/2018 और दिनांक 07.08.2018 की अधिसूचना संख्या 58/2018 तथा दिनांक 13.08.2018 के शुद्धिपत्र 58/2018 के माध्यम से इन लाइनों पर बीसीडीको 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा, 14 हस्तशिल्प वस्तुओं पर भी बीसीडी को मई 2020 में बढ़ाया गया है।
- **पीटीए पर पाटन-रोधी शुल्क को हटानाः** केंद्रीय बजट 2020–21 में, एमटीए विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर कच्चे माल की खरीद और बदले में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर डाउनस्ट्रीम उद्योग को मानव निर्मित फाइबरधफिलामेंट प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु पीटीए पर एडीडी को हटा दिया गया था। पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ) और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न (पीएफवाई) वस्त्र मूल्य श्रृंखला के लिए कच्चे माल हैं और पीएसएफ के निर्माण के लिए प्योर टेरेफथेलिक एसिड (पीटीए) में एक प्रमुख घटक है। चूंकि

पीटीए देश में सीमित संख्या में उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया जाता है, इसलिए यह वस्त्र एमएमएफ निर्माताओं द्वारा भी आयात किया जाता है। पीटीए के आयातों पर पाटन–रोधी शुल्क (एडीडी) लगाया गया था, जो देश में एमएमएफ फाइबर/फिलामेंट्स की लागत को बढ़ा रहा था, जिससे वैश्विक बाजारों में एमएमएफ वस्त्र उद्योग की लागत प्रतिस्पर्धा कम हो रही थी।

- **ऐक्रेलिक फाइबर पर एडीडी को हटाना :** 11 नवम्बर, 2020 को, सरकार ने 'ऐक्रेलिक फाइबर', जो थाईलैंड से उत्पन्न या निर्यात और भारत में आयात किए जाने वाले यार्न और निटवेअर उद्योग के लिए एक कच्चा माल है, पर पाटन–रोधी शुल्क को हटा दिया है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ऐक्रेलिक फाइबर उपलब्ध होगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐक्रेलिक यार्न की कीमत में कमी आएगी। परिणामतः, ऐक्रेलिक आधारित तैयार उत्पाद अर्थात वस्त्र घरेलू के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे और वस्त्र मूल्य श्रृंखला के ऐक्रेलिक आधारित सेगमेंट की वृद्धि को शुरू करेंगे।
- **फोकस उत्पाद प्रोत्साहन योजना (एफपीआईएस):** भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11.11.2020 को मंत्रिमंडल ने ''आत्मनिर्भर भारत'' पहल के अंतर्गत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई योजना को मंजूरी दी है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय की एफपीआईएस नामक योजना स्वीकृत की गई है। योजना 60–70 वैश्विक चौंपियन बनाने के लिए 40 एमएमएफ परिधान और 10 तकनीकी वस्त्र लाइनों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। पांच वर्ष की अवधि में 10683 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को भी मंजूरी दी गई है।

3.3 अन्य पहलें

वस्त्र मंत्रालय ने ''न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन'' के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद से सरकारी नामितियों का नाम वापस लेने का निर्णय किया है।

3.4 निर्यात संवर्धन परिषदें : वस्त्र एवं अपैरल क्षेत्र के सभी सेगमेंट अर्थात सिले–सिलाए परिधान, कपास, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीन का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। ये परिषदें वैश्विक बाजार में अपने संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि और निर्यात का संवर्धन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग से कार्य करती हैं। ये परिषदें, निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों में पहुंच बनाने के लिए भारत और विदेशी बाजारों में वस्त्र एवं अपैरल मेलों तथा प्रदर्शनियों एवं एकल प्रदर्शनियों में भाग लेती हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों का विवरण निम्नलिखित हैं:

i) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद(एईपीसी)

ii) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)

iii) सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)

iv) ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ईपीसी)

v) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संघ (वूल टेक्सप्रो)

vi) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)

vii) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

ix) विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)

x) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

xi) पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धनपरिषद (जेपीडीईपीसी)

3.5 ईपीसी के क्रियाकलाप :

– संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा न्यूज लेटर का प्रकाशन

– विभिन्न बाजारों, नीतिगत घटनाक्रम, निर्यात संबंधी खबर, सरकारी अधिसूचना, निर्यात लक्ष्य, विदेशी व्यापार पूछताछ, फैशन एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम पर नवीनतम सूचना प्रदान करना।

कच्ची सामग्री सहायता

4.1 कपास

प्रस्तावना

कपास देश की प्रमुख फसलों में से एक है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चीसामग्री है। यह लाखों किसानों तथा कपास उद्योग में शामिल कामगारों को कपास के प्रसंस्करण से लेकर व्यापार तक आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में वस्त्र उद्योग में कच्चे माल खपत में कपास और मानव निर्मित रेशों तथा फिलामेंट यार्न का अनुपात 59:41 है।

परिदृश्य :

क. **उत्पादन एवं खपतः** भारत में कपास की खेती 3 भिन्न कृषि–पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं, मध्य क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु आते हैं। कपास की खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे गैर–परंपरागत राज्यों के छोटे क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत ने आजादी के पश्चात से कपास के उत्पादन में एक गुणात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण सुधार किया है। पिछले दशकों के दौरान भारत में कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक बन गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन तथा खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2015-16	332	315.28
2016-17	345	310.41
2017-18	370	319.06
2018-19	330	315.50
2019-20 (पी)	357	261.97

स्रोत : कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 21/09/20 *पी–अनंतिम

ख. क्षेत्रफल/उत्पादकता : भारत में कपास की खेती के अंतर्गत 126.14 लाख हेक्टेयर के कपास क्षेत्रफल अर्थात 326.5 लाख हैक्टेयर के विश्व क्षेत्रफल का लगभग 38% के साथ विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल है। लगभग 62 प्रतिशत भारतीय कपास वर्षा सिंचित क्षेत्रों और 38 प्रतिशत सिचिंत भूमियों पर उगाई जाती है। गत 5 वर्ष हेतु भारत में कपास की उत्पादकता निम्नानुसार है :

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन
2015-16	122.92	459.00
2016-17	108.26	542.00
2017-18	125.86	500.00
2018-19	126.14	445.00
2019-20 (P)	133.73	454.00

स्रोत : कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 21/09/20

*पी–अनंतिम

ग. आयात/निर्यात : वर्तमान में कपास, भारत से मुक्त रूप से निर्यात योग्य वस्तु है। भारत प्रमुख रूप से बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड आदि को कपास का निर्यात करता हैजिसमें से बंगलादेश और चीन भारतीय कपास का सबसे बड़े आयातक हैं। यद्यपि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक व आयातक है एक्स्ट्रा लांग स्टेपल किस्म जो देश में उपलब्ध नहीं है, की कुछ मात्रा आयात की जाती है। निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों के आयात और निर्यात आंकड़े दिए गए हैं:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2015-16	22.79	69.07
2016-17	30.94	58.21
2017-18	15.80	67.59
2018-19	31.00	44.00
2019-20 (P)	16.00	50.00

स्रोत : कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 21/09/20 *पी–अनंतिम

घ. कपास का तुलन पत्रः गत पाँच वर्षों के लिए नीचे दिया गया है:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (P)	2019-20(P)
आपूर्ति					
प्रारंभिक स्टॉक	66.00	36.44	43.76	42.91	44.41
फसल आकार	332.00	345.00	370.00	330.00	357.00
आयात	22.79	30.94	15.80	31.00	16.00
कुल आपूर्ति	**420.79**	**412.38**	**429.56**	**403.91**	**417.41**
मांग					
मिल खपत	270.20	262.70	280.11	274.50	228.16
एसएसआई खपत	27.08	26.21	26.18	25.00	18.81
गैर वस्त्र खपत	18.00	21.50	12.77	16.00	15.00
कुल खपत	**315.28**	**310.41**	**319.06**	**311.50**	**261.97**
निर्यात	69.07	58.21	67.59	44.00	50.00
कुल मांग	**384.35**	**368.62**	**386.65**	**359.50**	**311.97**
अंतिम स्टॉक	36.44	43.76	42.91	44.41	105.44

स्रोत : कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 21/09/20 *पी–अनंतिम

स्टेपल समूहों मध्यम लंबी स्टेपल किस्म (स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तथा माइक्रोनेअर मान 4.3 से 5.1) तथा लंबी स्टेपल कपास (स्टेपल लंबाई 29.5 मी. से 30.5 मिमी. तथा माइक्रोनेअर मान 3.5 से 4.3) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

2020–2021 कपास मौसम के लिए कृषि मंत्रालय ने एफएक्यू ग्रेड का एमएसपी मध्यम स्टेपल के लिए 5515 रु प्रति क्विंटल पर तथा लंबी स्टेपल कपास के लिए 5825 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा गत कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित है :–

वर्ष	मध्यम स्टेपल (स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तकमाइक्रोनेयर केमूल्य 4.3 से 5.1)	लंबा स्टेपल (स्टेपल की लंबाई 29.5 मी से 30.5 मिमी तक माइक्रोनेयर मूल्य 3.5 से 4.3 तक)
2015-16	3800	4100
2016-17	3860	4160
2017-18	4020	4320
2018-19	5150	5450
2019-20	5255	5550
2020-21	5515	5825

ङ. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) प्रचालनः– बीज कपास (कपास) का मूल्य एमएसपी के स्तर से नीचे आ जाने पर किसी मात्रात्मक सीमा के बिना एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों में कपास किसानों द्वारा पेशकश की गई कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद करने के लिए अभियान चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को नामित किया गया है।

देश के कपास किसानों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष कपास मौसम (अक्टूबर से सितम्बर) के प्रारंभ होने से पहले कृषि मंत्रालय, भारत सरकार अपने परामर्शदाता बोर्ड कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कपास के दो आधारभूत

बीज कपास की इन दो आधारभूत किस्मों के समर्थन मूल्य के आधार पर और गुणवत्ता अंतर, सामान्य मूल्य अंतर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की बीज कपास की अन्य श्रेणियों हेतु एमएसपी भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा कपास मौसम 2020–2021(अक्तूबर–सितम्बर) के लिए कपास की अन्य किस्मों हेतु एमएसपी नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	कपास की श्रेणियों और व्यापार द्वारा प्रयुक्त निर्दिष्ट किस्मों के नाम	फाइबर गुणवत्ता पैरामीटर		न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2018-19 रूपये/क्विंटल में
		मूल स्टेपल लंबाई (2.5: स्पैन लंबाई) मिमी में	माइक्रोनेयर मूल्य	
लघु स्टेपल (20.0 मिमी और नीचे)				
1	असम कोमिला	--	7.0-8.0	5015
2	बंगाल देशी	--	6.8-7.2	5015
मध्यम स्टेपल (20.5 मिमी -24.5 मिमी)				
3	जयधर	21.5-22.5	4.8-5.8	5265
4	वी–797 / जी.कॉट.13 / जी.कॉट.21	21.5-23.5	4.2-6.0	5315
5	एके / वाइ–1 (महा.एवं म.प्र.) / एमसीयू–7 (त.ना.) / एसवीपीआर–2 (त.ना.) / पीएसओ–2 (आ.प्र. एवं कर्ना.) / के.–11 (त.ना.)	23.5-24.5	3.4-5.5	5365
मध्यम लंबा स्टेपल (25.0 मिमी -27.0 मिमी)				
6	जे –34 (राज)	24.5-25.5	4.3-5.1	5515
7	एलआरए–5166 / के.सी.–2 (त.ना.)	26.0-26.5	3.4-4.9	5615
8	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड	26.5-27.0	3.8-4.8	5665
लंबा स्टेपल (27.5 मिमी -32.0 मिमी)				
9	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड	27.5-28.5	4.0-4.8	5725
10	एच–4 / एच–6 / एमईसीएच / आरसीएच–2	27.5-28.5	3.5-4.7	5725
11	शंकर–6 / 10	27.5-29.0	3.6-4.8	5775
12	बन्नी / ब्रह्म	29.5-30.5	3.5-4.3	5825
अतिरिक्त लंबा स्टेपल (32.5 मिमी और अधिक)				
13	एमसीयू–5 / सुरभि	32.5-33.5	3.2-4.3	6025
14	डीसीएच–32	34.0-36.0	3.0-3.5	6225
15	सुविन	37.0-39.0	3.2-3.6	7025

च. वर्ष 2018-19 के दौरान कपास एमएसपी अभियान :-

कपास मौसम 01 अक्तूबर से अगले वर्ष के 30 सितम्बर तक चलता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से प्रारंभ होता है तथा 31 जुलाई को समाप्त होता है। नवम्बर से फरवरी माह तक इस मौसम की शुरूआत आवक की गति में वृद्धि के साथ होती है तथा इसके पश्चात बाद वाले महीनों में गिरावट आनी शुरु होती है।

कपास मौसम 2019–20 के दौरान एमएसपी अभियान शुरू करने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 12 कपास उत्पादक राज्यों के 125 जिलों में तीन 367 खरीद केंद्र खोलें। जहां कहीं भी बीज कपास का मूल्य एमएसपी स्तर से नीचे चला गया था, वहां 01 अक्टूबर, 2019 से एमएसपी अभियान के अधीन खरीद प्रारंभ की गई थी। एमएसपी अभियान के अधीन कपास की खरीद के अलावा, जहां व्यवहार्य हो, वहां सीसीआई ने व्यवसायिक अभियान के अधीन इसी प्रकार की खरीददारी की थी ताकि एमएसपी अवसंरचना के हिस्से का उपयोग किया जा सके और ओवरहेड व्यय के हिस्से की वसूली की जा सके।

इस प्रकार, कपास मौसम 2019–20 के दौरान सीसीआई ने 2800 करोड़ के मूल्य की 105.14 लाख गाँठों की खरीद की थी। उपरोक्त स्टाक को ई–नीलामी के माध्यम से एमएसएमई सहित खरीददारों को बेचा जा रहा है।

छ. कपास एमएसपी प्रचालन 2020-2021 :

नया कपास मौसम 2020–21, 1 अक्तूबर, 2020 से आरंभ हो चुका है। कपास की बुआई पूर्ण हो चुकी है और फसल कटाई सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में शुरू हो चुकी है। नए कपास मौसम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

- बुआई के समय अनुकूल कृषि–जलवायु संबंधी दशों के कारण, पिछले वर्ष के दौरान अन्य प्रतिस्पर्धी फसल की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्त होने और एफएक्यू ग्रेड कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 2: तक की वृद्धि के कारण देश में कपास की खेती के अंतर्गत पिछले वर्ष के 126.14 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 133.73 लाख हेक्टेयर हो सकता है।
- उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, 5 वर्ष के औसत उपज और असामयिक वर्षा के कारण कपास उत्पादक राज्यों के भागों में फसल क्षति की समाचार रिपोर्टों पर विचार करते हुए, यह अनुमान है कि देश में कपास उत्पादन पूर्व वर्ष में 330 लाख गांठों (सीओसीपीसी द्वारा दिनांक 21.09.2020 की अपनी पिछली बैठक में अनुमानित) का होगा।

इस उद्देश्य से कि आगामी कपास मौसम में एमएसपी अभियान एक पारदर्शी और सक्षम तरीके से कार्यान्वित किए जाएं, वस्त्र सचिव ने सभी कपास उत्पादक राज्यों के सरकारी अधिकारियों के साथ कपास मौसम 2020–21 के लिए एक बीज कपास (कपास) के एमएसपी प्रचालनों की तैयारी पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इसके पश्चात सभी कपास उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित मुख्य उपाय करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया है :–

क. राज्य सरकारों के सहयोग से एपीएमसी/अधिसूचित एपीएमसी में एमएसपी खरीद की मौजूदा प्रणाली को जारी रखना।

ख. डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देना, एमएसपी योजना का पूरा लाभ वास्तविक कपास किसानों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में लीकेज से बचने के लिए एक त्रुटि–रहित प्रणाली बनाना।

ग. एमएसपी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सभी दस्तावेज यथा बोली पर्ची, तौल पर्ची, टेकपट्टी आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न करना और मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना सीसीआई सर्वर में स्थानांतरित करना ताकि कपास किसानों के खाते में तेजी से सीधे भुगतान की सुविधा हो।

घ. एफ.पी. कपास की गांठों के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना।।

ङ. अपने अधिकार क्षेत्र में सभी एपीएमसी और राज्य के स्वामित्व वाले गोदामों में सीसीटीवी लगाने को सुनिश्चित करने ताकि एमएसपी संचालन की उचित निगरानी और बेहतर पारदर्शिता के लिए रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके।

च. सभी राज्य सरकारों द्वारा एमएसपी लाभ उठाने के लिए केवल एफएक्यू ग्रेड कपास लाने के बारे में कपास किसानों के बीच इसका व्यापक प्रचार करना।

सीसीआई ने कपास किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

i. 18 खरीद और बिक्री शाखाओं के अंतर्गत सभी कपास उत्पादक राज्यों में 12 कपास उत्पादक राज्यों के 150 जिलों को शामिल करते हुए 367 खरीद केंद्रों सहित 610 खरीद केंद्र खोले गए हैं।

ii. एपीएमसी में बैनरों के प्रदर्शन, समाचार पत्रों में विज्ञापन, अलग–अलग किसानों को पैम्पलेटों के वितरण द्वारा कपास किसानों को एमएसपी दरों के बारे में आवश्यक सूचना का प्रसार।

iii. किसानों को उनके कपास के लिए उपयुक्त मूल्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से गांवों, एपीएमसी, जीएमपी फैक्ट्रियों आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर लगाकर एपीएमसी में बिक्री के लिए सूती कपास लाने के लाभों पर जोर दिया जा रहा है।

iv. एमएसपी अभियान को समन्वित और मॉनीटर करने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय में एमएसपी कक्ष गठित किया गया है।

v. एमएसपी के अंतर्गत खरीदी गई कपास का शत–प्रतिशत भुगतान 72 घंटे के अंदर कपास किसानों को सीधे उनके खाते में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से करना।

vi. एमएसपी अभियान में प्रौद्योगिकी का प्रयोग:

- कपास किसानों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक किसान अनुकूल मोबाइल एप 'कॉट–ऐली' की स्थापना की गई।
- कपास किसानों को गुणवत्ता आधारित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए डिजीटलीकृत नमी मीटर, माइक्रोनेयर टेस्टर और हस्तचालित जिनिंग मशीन।

- कपास किसान के बैंक खातों में त्वरित सीधा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ताकपट्टी पर किसानों के फोटो सहित बिलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार करने के लिए वेब कैम और प्रिंटर सहित लैपटॉप।

vii. कपास किसानों को आधुनिक कपास हारवेस्टिंग प्रौद्योगिकी अर्थात सीएसआर के अंतर्गत हस्तचालित कपास पल्कर मशीने प्रदान करना।

viii. वैश्विक स्तर पर भारतीय कपास की गुणवत्ता की सचेतता और छवि बनाने के लिए, विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारतीय कपास के लिए "कस्तूरी कॉटन इंडिया" नामक ब्रांड नाम शुरू किया गया है, ताकि कपास के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल बनाया जा सकें।

4.2 पटसन और पटसन वस्त्र

प्रस्तावना:

पटसन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन, गोल्डन फाइबर, सुरक्षित पैकेजिंग हेतु सभी मानकों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक, नवीकरणीय,बायो–डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग संगठित मिलों तथा तृतीय क्षेत्र और संबद्ध क्रियाकलापों सहित विविधीकृत इकाईयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कई लाख कृषक परिवारों को आजीविका में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं।

कच्ची पटसन:

पटसन सामानों का उत्पादनः पटसन फाइबर का प्रयोग पटसन सामानों के विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जो स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है। पटसन उद्योग ने पैकेजिंग के लिए पटसन वस्त्रों के उत्पादन पर काफी भरोसा किया है। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों के दौरान कच्ची पटसन के आरंभिक स्टॉक, उत्पादन एवं कच्ची पटसन के आयात को दर्शाती है। यह समान अवधि के दौरान कच्ची पटसन के वितरण और खपत को भी दर्शाती है।

2015–16 से 2020–2021 कच्ची पटसन का तुलन-पत्र:

(मात्राः 180 कि.ग्रा. वाली प्रत्येक गांठ लाख में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (Estimated)
(क) आपूर्तिः						
i) आरंभिक स्टॉक	14.00	6.00	22.00	22.40	18.40	26.40
ii) पटसन और मेस्टा क्रॉप	65.00	92.00	76.00	72.00	68.00	72.00
iii)आयात	6.00	4.00	3.40	3.00	4.00	4.00
कुलः	**85.00**	**102.00**	**101.40**	**97.40**	**90.40**	**102.40**
(ख) वितरणः						
iv) मिल खपत	70.00	70.00	69.00	69.00	54.00	65.00
v) घरेलू/औद्योगिक खपत	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
vi) निर्यात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुलः	**79.00**	**80.00**	**79.00**	**79.00**	**64.00**	**75.00**
(ग) अंतिम स्टॉकः	6.00	22.00	22.40	18.40	26.40	27.40

स्रोतः पटसन सलाहकार बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय

पटसन का क्षेत्रफल:

फसल वर्ष	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)
2013-14	8.38
2014-15	8.10
2015-16	7.82
2016-17	7.66

स्रोतः – पटसन विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय

*नोटः पटसन विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय से वर्ष 2017–18 और उससे आगे पटसन क्षेत्रफल के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

कच्ची पटसन के वार्षिक मूल्य का रूझान (रूपए प्रति क्विंटल)

वर्ष (जुलाई से जून)	टीडी-5 (पश्चिम बंगाल से बाहर) के लिए कच्ची पटसन का वार्षिक औसत मूल्य	एमएसपी
2011-12	2306	1675
2012-13	2638	2200
2013-14	2821	2300
2014-15	3137	2400
2015-16	5025	2700
2016-17	3997	3200
2017-18	3720	3500
2018-19	4370	3700
2019-20	4365	3950
2020-21 (जनवरी 2021 तक)	5532	4225

स्रोतः पटसन सलाहकार बोर्ड (जेएबी)

पटसन सामानः पटसन सामानों का उत्पादनः पटसन फाइबर का प्रयोग पटसन सामानों के विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जो स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है। पटसन उद्योग ने पैकेजिंग के लिए पटसन वस्त्रों के उत्पादन पर काफी भरोसा किया है। निम्नलिखित तालिका पिछले 10 वर्षों के दौरान सैकिंग, हैसियन और अन्य सभी उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है।

पटसन सामानों के उत्पादन का रूझान

(मात्रा : हजार मी.ट. में)

अवधि अप्रैल-मार्च	हैसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2011-12	239.9	1165.1	3.6	173.8	1582.4
2012-13	210.0	1218.2	2.9	160.3	1591.3
2013-14	202.5	1150.4	3.3	171.5	1527.7
2014-15	211.3	901.8	3.0	151.2	1267.3
2015-16	196.5	891.9	0.0	128.9	1217.3
2016-17	178.6	871.6	0.0	92.3	1142.5
2017-18	175.3	910.3	0.0	101.5	1187.1
2018-19	147.6	912.3	0.0	101.3	1161.2
2019-20	127.5	923.5	0.0	114.1	1165.1
2020-21 (जनवरी 2021 तक)	92.4	585.3	0.0	81.0	758.7

पटसन सामान की घरेलू मांग:

(मात्रा : हजार मी.ट. में)

अप्रैल-मार्च	हैसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2010-11	182.3	1034.4	0.9	133.4	1351.5
2011-12	184.2	1079.7	0.1	117.9	1381.9
2012-13	165.8	1118.7	0.8	113.9	1399.0
2013-14	157.6	1043.1	0.4	126.4	1327.5
2014-15	171.7	873.2	0.1	111.4	1156.2
2015-16	164.2	890.2	0.0	90.2	1144.6
2016-17	140.9	855.9	0.0	78.9	1075.7
2017-18	141.9	894.2	0.0	76.5	1112.6
2018-19	130.5	900.0	0.0	82.7	1113.2
2019-20	113.8	907.9	0.0	95.0	1116.7
2020-21					
(जनवरी 2021 तक)	66.2	506.6	0.0	59.8	632.6

सरकारी एजेंसियों द्वारा बी-ट्विल थैलों की खरीदः

भारत सरकार ने कच्ची पटसन के उत्पादकों और पटसन उद्योग में लगे कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पटसन पैकिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं का अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय ने पटसन पैकिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं का अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 26.11.2020 को सां.अ. संख्या 4250(ई) के माध्यम से एक आदेश जारी किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पटसन पैकिंग सामग्री में 100ः खाद्यान्न और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से पैक किया जाना है।

वास्तव में, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 30.11.2018 के एक आदेश द्वारा खाद्यान्नों के आरक्षण को बढ़ाकर 100ः कर दिया गया था जो

विगत वर्षों में 90% तक था जिससे पटसन उद्योग के और अधिक संरक्षण/सहायता के लिए भारत सरकार का संरक्षण बढ़ गया है जिसे निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका: विगत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा सिफारिश किए गए आरक्षण का स्तर:

वर्ष	चीनी	खाद्यान्न
2014-15	20%	90%
2015-16	20%	90%
2016-17	20%	90%
2017-18	20%	90%
2018-19	20%	100%
2019-20	20%	100%
2020-21	20%	100%

विभिन्न राज्य खाद्यान्न एजेंसियां पटसन आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए प्रतिमाह पटसन थैलों की खरीद करती है। नीचे दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में खरीद की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है जिससे राज्य सरकारों और एफसीआई द्वारा बी–ट्विल थैलों की खरीद के लिए मांग में वृद्धि हुई है।:

मात्रा: '000' गांठ में

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (15 मार्च, 2021 तक)
मात्रा	2188	2496	2600	2709	3161	2826	1903

ख. कच्ची पटसन तथा मेस्टा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों के हितों की रक्षा हेतु कच्ची पटसन तथा मेस्टा के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों हेतु मूल्यों का निर्धारण करते समय, निम्न ग्रेड की पटसन के उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा उच्च ग्रेड के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मामले पर भी विचार किया जाता है ताकि किसानों को उच्च ग्रेड की पटसन के उत्पादन हेतु प्रेरित किया जा सके।

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन हेतु भारत सरकार की मूल्य सहायता एजेंसी है।

इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में मुख्यतया समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्ची पटसन की खरीद के माध्यम से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा पटसन किसानों के लाभ के लिए कच्ची पटसन बाजार तथा समग्र रूप से पटसन अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भी की गई थी। जेसीआई आवश्यकता पड़ने पर एमएसपी अभियान चलाता है। देश भर के 500 से अधिक केंद्रों पर कच्ची पटसन का लेन–देन किया जाता है। पिछले कई वर्षों के दौरान जेसीआई द्वारा राज्य सहकारी संस्थाओं के सहयोग से खरीदी गई कच्ची पटसन का विवरण निम्नलिखित है:–

(हजार गांठ में मात्रा*)

अवधि (अप्रैल - मार्च)	उत्पादन	प्रापण			प्रापण उत्पादन के प्रतिशत के रूप में
		समर्थन	वाणिज्यिक	कुल	
2012-13	9300	319.0	44.2	363.8	3.91
2013-14	9000	138.0	52.1	190.2	2.11
2014-15	7200	15.5	41.1	56.6	0.77
2015-16	6500	0	4.9	4.9	0.075
2016-17	9200	57.4	168.7	226.1	2.46
2017-18	7600	339	0	339	4.46
2018-19	7200	72	0	72	1.0%
2019-20	6800	81.1	0	81.1	1.2
2020-21	5800*	3.9	0	3.9	0.06

1 गाँठ = 180 किलो।

*पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमानित। वर्ष 2020–21 से पूर्व के उत्पादन आंकड़ों का अनुमान पटसन परामर्शी बोर्ड द्वारा लगाया गया है।

ग. पटसन सामानों का उत्पादन

भारत विश्व में कच्ची पटसन तथा पटसन वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी देश है जो विश्व के अनुमानित उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत का उत्पादन करता है। विनिर्मित पटसन वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा मुख्यतः घरेलू बाजार में पैकेजिंग प्रयोजनों में प्रयोग की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों और वर्तमान वर्ष में पटसन वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे दी गई है :–

(हजार एमटी में मात्रा)

अवधि अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2011-12	239.9	1165.1	3.6	173.8	1582.4
2012-13	210.0	1218.2	2.9	160.3	1591.3
2013-14	202.5	1150.4	3.3	171.5	1527.7
2014-15	211.3	901.8	3.0	151.2	1267.3
2015-16	196.5	891.9	0.0	128.9	1217.3
2016-17	178.6	871.6	0.0	92.3	1142.5
2017-18	175.3	910.3	0.0	101.5	1187.1
2018-19	147.6	912.3	0.0	101.3	1161.2
2019-20	127.5	923.5	0.0	114.1	1165.1
2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	92.4	585.3	0.0	81.0	758.7

निर्यात में गिरावट, हेसियन तथा अन्य के साथ–साथ सस्ते व बढ़िया गुणवत्ता के हेसियन फैब्रिक के आयात के कारण हेसियन का उत्पादन कम हो रहा है जबकि पिछले 3–4 वर्षों से पिछली बढ़त से गिरावट के बाद सैकिंग का उत्पादन सरकारी एजेंसियों के द्वारा निरंतर मांग के कारण लगभग धीमा रहा है।

घ. पटसन सामानों की घरेलू खपत

भारत मुख्यतया अपने वृहद घरेलू बाजार के कारण विश्व में पटसन उत्पादों का प्रमुख उत्पादक रहा है। कुल उत्पादन में से औसत घरेलू उत्पादन लगभग 90% रहा है। पिछले कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष हेतु पटसन उत्पादों की घरेलू खपत का रुख निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

(हजार एमटी में मात्रा)

अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2010-11	182.3	1034.4	0.9	133.4	1351.5
2011-12	184.2	1079.7	0.1	117.9	1381.9
2012-13	165.8	1118.7	0.8	113.9	1399.0
2013-14	157.6	1043.1	0.4	126.4	1327.5
2014-15	171.7	873.2	0.1	111.4	1156.2
2015-16	164.2	890.2	0.0	90.2	1144.6
2016-17	140.9	855.9	0.0	78.9	1075.7
2017-18	141.9	894.3	0.0	76.5	1112.7
2018-19	130.5	900.4	0.0	82.6	1113.5
2019-20	113.8	907.9	0.0	95.0	1116.7
2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	66.2	506.6	0.0	59.8	632.6

(i) **निर्यात निष्पादन**

वर्ष 2014–15 से 2019–20 के दौरान निर्यात रुझान इस प्रकार हैं:

(मात्रा '000' मी.टन में/मूल्य करोड़ रु. में)

प्रकार	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य	मात्रा	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हेसियन	80.2	769.5	77.7	827.3	78.6	930.2	86.86	917.24	64.11	802.69	56.3	758.42
सैकिंग	46.9	296.6	38.7	307.5	46.6	411.9	44.75	407.20	37.09	432.91	38.9	489.49
यार्न	23.6	138.7	16.9	118.5	9.3	72.8	16.98	130.20	13.61	109.42	14.1	117.91
जेडीपी	-	508.6	-	562.3	-	590.9	-	631.50	-	815.51	-	963.44
अन्य	7.7	100.4	5.1	73.7	4.1	68.5	19.63	72.43	6.87	112.74	4.4	94.58
कुल	161.6	1813.8	140.7	1892.3	140.7	2074.2	152.8	2158.57	121.68	2273.27	113.7	2423.84

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस

(i) **कच्ची पटसन एवं पटसन सामानों का आयात**

वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान आयात रुझान इस प्रकार हैं :

मद	इकाई	2020-21 (अप्रै.-दिसं.)			2019-20 (अप्रै.-मार्च)			2018-19 (अप्रै.-मार्च)		
		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	टंसनम	
			रू./लाख	मि. अम. डॉलर		रू./लाख	मि. अम. डॉलर		रू./लाख	मि. अम. डॉलर
हैसियन क्लॉथ	(000वर्ग.मी.)	38097.31	16457.42	22.11	64872.12	23115.28	32.63	58894.31	18323.61	26.20
हैसियन बैग	(मी.टन)	1121.09	1619.06	2.18	506.80	668.15	0.93	414.48	116.81	0.17
कुल हैसियन			18076.48	24.29		23783.43	33.56		18440.42	26.37
सैकिंग क्लॉथ	(000वर्ग.मी.)	28653.36	12500.86	16.84	82146.88	32263.87	45.45	58923.90	21528.20	30.69
सैकिंग बैग	(मी.टन)	29274.22	21726.93	29.22	51085.66	34368.19	48.35	36429.01	21737.55	31.12
कुल सैकिंग			34227.79	46.06		66632.06	93.80		43265.75	61.81
सीबीसी	(000वर्ग.मी.)	10825.18	2585.71	3.49	13531.24	2453.96	3.44	5279.58	1039.79	1.51
यार्न	(मी.टन)	30345.91	25856.06	34.85	59291.80	40478.26	57.09	49203.81	29213.29	41.82
शॉपिंग बैग	(000 Pcs.)	32.93	2.14	0.00	380.93	261.03	0.37	337.98	154.92	0.22
फ्लोर कवर	(000वर्ग.मी.)	128.08	471.16	0.62	176.73	438.49	0.62	302.39	895.73	1.28
डैको. फैब.	(000वर्ग.मी.)	0.04	0.14	0.00	72.30	44.43	0.07	31.59	27.17	0.04
गिफ्ट आर्टिकल	(मी.टन)	25.03	59.00	0.07	150.36	423.53	0.59	41.72	149.86	0.21
ब्लैंकिट	(000 Pcs.)	0.00	0.00	0.00	0.79	4.18	0.01	1.41	6.00	0.01
वॉल हैंगिंग	(मी.टन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	50.12	0.07
वैबिंग	(मी.टन)	1.78	11.05	0.01	31.32	35.95	0.05	0.00	0.00	0.00
सॉइल सेवर	(मी.टन)	551.08	320.22	0.43	957.38	541.99	0.77	151.50	67.77	0.10
फैल्ट	(मी.टन)	0.25	6.51	0.01	0.03	0.75	0.00	1.59	4.81	0.01
कॉटन बैगिंग	(मी.टन)	47.83	45.27	0.06	71.78	67.79	0.10	263.19	140.74	0.21

मद	इकाई	2020-21 (अप्रै.-दिसं.)			2019-20 (अप्रै.-मार्च)			2018-19 (अप्रै.-मार्च)		
		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	टंसनम	
			रू./लाख	मि. अम. डॉलर		रू./लाख	मि. अम. डॉलर		रू./लाख	मि. अम. डॉलर
कैनवास	(000वर्ग.मी.)	0.00	0.00	0.00	0.09	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
तारपॉलिन	(मी.टन)	2303.89	1962.68	2.64	695.45	517.87	0.72	1.46	2.82	0.00
अन्य पटसन फैब्रिक	(000वर्ग.मी.)	135.90	300.32	0.40	70.30	1.58	0.00	496.43	429.53	0.62
अन्य पटसन फैब्रिक	(मी.टन)	0.00	0.00	0.00	1.15	3.61	0.00	0.82	3.35	0.00
अन्य पटसन बैग	(मी.टन)	276.35	532.94	0.71	1741.01	512.96	0.73	5396.75	1290.91	1.86
अन्य पटसन	(000वर्ग.मी.)	6.43	0.44	0.00	28.68	74.59	0.10	43.20	8.75	0.01
कुल आयात			84458	114		136277	192		95192	136
कच्ची पटसन	(मी.टन)	26781	16625	23	77184	35039	49	44959	20468	29

स्रोतः वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता

ङ. पटसन क्षेत्र हेतु पहलें/प्रोत्साहन

i. पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) कच्ची पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री और इसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हितों में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग करने के लिए लागू किया गया है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का खंड 4(1) केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों को शामिल करके स्थायी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देता है, जोकि सरकार की राय में, वस्तु निर्धारण अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा पटसन पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उनके प्रतिशत के मामले में, जिनकी पैकिंग हेतु पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना हो, परामर्श देने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता रखते हों।

केंद्र सरकार एसएसी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात पटसन पैकेजिंग सामग्री अथवा उससे संबंधित किसी वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा प्रतिशतता के अनिवार्य प्रयोग के लिए जेपीएम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत समय–समय पर आदेश जारी कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि कच्चे पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री के हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकार कच्चे पटसन तथा पटसन वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर पटसन में पैक किए जाने वाली वस्तुओं का आरक्षण निर्धारित कर सकती है। सरकार वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण श्रृंखला में रूकावट पैदा किए बिना देश में उत्पादित पटसन की फसल का उपयोग करने के लिए यथा संभव आरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर सकती है।

वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 26.11.2020 के सां.आ. सं. 4250(ई) जो 30.06.2021 तक वैध है के तहत जेपीएम अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आदेश में निम्नावार उल्लेख किया गया हैः–

वस्तुएं	पटसन में पैकेजिंग हेतु आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रतिशतता
खाद्यान्न	उत्पादन का 100%*
चीनी	उत्पादन का 20%**

* प्रारंभिक रुप से खाद्यान्नों के 10% मांगपत्र जैम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के द्वारा जारी किए गए है।

** मिलों या खुले बाजार से प्रापण एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के अंतर्गत विविध पटसन थैलों में

दिनांक 20.12.2019 के उपर्युक्त आदेश को दिनांक 08.06.2020 के आदेश सं. सां.आ. सं. 1852(अ) के तहत 30 सितंबर, 2020 अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

सीसीईए निर्णय में निम्नलिखित अधिदेश दिया गया है –

- खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन थैलों के प्रापण जैम पोर्टल के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर शुरु होंगे। शुरुआत में राज्य प्रापण एजेंसियों (एसपीए) के द्वारा 10% के मांगपत्र जैम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से जारी किए गए हैं। एक सीमा तक जैम पोर्टल बिडिंग के माध्यम से स्वीकृत 30 दिनों के भीतर पूर्ति करने में असमर्थ होने पर, वस्त्र मंत्रालय अनिवार्य पैकेजिंग नियमों के अपफ्रंट विचलन की अनुमति देगा। जैम पोर्टल में जूट मिलों की

भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन सह–आपूर्ति आदेशों (पीसीएसओ) के आबंटन का फार्मूला संशोधित किया जाएगा।

- जूट पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में अवरोध या कमी होने पर अन्य आकस्मिकता/अत्यावश्यकता की स्थिति में वस्त्र मंत्रालय प्रयोक्ता मंत्रालय के परामर्श से इन प्रावधानों को खाद्यान्न उत्पादन के प्रावधानों के अलावा अधिकतम 30% तक सरल कर सकता है।
- यदि प्रापण एजेंसियां खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार की गई आपूर्ति योजना के अनुसार खाद्यान्नों की पैकेजिंग हेतु पटसन थैलों की मांग नहीं करती हैं और मांग (इंडेंट) की संख्या बढ़ जाती है तो पटसन थैलों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को पर्याप्त अतिरिक्त समय मिलेगा। तथापि, यदि मिलें बढ़ाई गई अवधि में थैलों की आपूर्ति करने में असफल होती हैं तो उनके विलय से संबंधित शर्ते लागू होंगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए की कच्ची पटसन में लगे लोग अनिवार्य पैकेजिंग से लाभान्वित हैं, पटसन कार्मिकों को सांविधिक बकायों की अदायगी कराने तथा पटसन कृषकों तथा पटसन के प्रापण पर बैलर्स को त्वरित भुगतान के लिए एक यथोचित व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था में कच्चे पटसन की आपूर्ति के लिए त्वरित भुगतानों पर मिलों से कार्मिकों के सांविधिक भुगतान तथा स्वप्रमाणन से संबद्ध राज्य सरकार के श्रम विभाग से आवधिक प्रमाणन प्राप्त करने को शामिल किया जाएगा।

इस निर्णय से देश के पूर्वी तथा पूर्वात्तर क्षेत्र विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा में अवस्थित किसानों तथा कामगारों को लाभ होगा।

ii. जूट–स्मार्ट, सुशासन दिवस 2016 को माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा प्रारंभ एक ई–शासन पहल बी–ट्विल बोरों की खरीद हेतु एक स्मार्ट अस्त्र के रूप में ई–शासन पहल है।

जूट–स्मार्ट, सभी हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु एक एकीकृत मंच मुहैया करवाने की मंशा रखता है जिससे सूचना पर आसान पहुंच, अधिक पारदर्शिता और पटसन क्षेत्र हेतु व्यापार करने की आसानी हो सके।

बी–ट्विल आपूर्ति प्रबंधन तथा मांग उपस्कर, जिसे संक्षेप में जूट–स्मार्ट कहा जाता है, वास्तव में एक वेब आधारित एपलिकेशन है जिसे बी–ट्विल बोरे की खरीद से संबंधित समग्र लेन–देन को सुकर बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह निम्नलिखित उद्देश्य हेतु बनाया गया है :

- एसपीए द्वारा बी–ट्विल के इंडेंटिंग प्रणाली का एकीकरण
- एसपीए द्वारा उनके संबंधी बैंक खातों में आवश्यक फंड का प्रेषण
- पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा उत्पादन नियंत्रण सह आपूर्ति आदेश (पीसीएसओ) का नियम आधारित आबंटन
- पटसन मिलों द्वारा इंस्पैक्शन कॉल किया जाना तथा निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षकों का आबंटन
- निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना।
- लोडर्स/पटसन मिलों द्वारा रेल ध्रोड़ तथा कौंकोर से परिवहन के लिए प्रेषण सूचना आपलोड करना
- जूट मिलों द्वारा बिल बनाना तथा अंततः इस कार्यालय द्वारा पटसन मिलों को संबंधित बैंकों में भुगतान जारी करना।
- एसपीए द्वारा यदि कोई शिकायत हो तो ऑनलाइन शिकायत जेनरेट करना।
- एसपीए द्वारा फंड का रियल टाइम समाधान

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) द्वारा बी–ट्विल बोरे की खरीद तथा आपूर्ति के प्रचालन को आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) से लेकर 1 नवम्बर, 2016 से पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता को अंतरित करने का निर्णय लिया था। वार्षिक तौर पर भारतीय पटसन कामगारो तथा किसानों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 7584 करोड़ रु. मूल्य की पटसन के बोरों की खरीद की जाती है।

पूर्ववर्ती प्रणाली अधिकांशतः कागजों पर निर्भर थी और हितधारकों, मुख्यतः राज्य खरीद एजेंसियां, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पटसन मिलें, निरीक्षणकर्ता एजेंसी, लोडर, प्रेषिति, वेतन एवं लेखा कार्यालय आदि के मध्य सूचना साझा करने में बाधाएं थी। चूंकि बी–ट्विल बोरी खाद्यानों की खरीद हेतु एक आधारभूत आवश्यकता है, अतः समूचे प्रचालन समयबद्ध हैं और इनकी निकट रूप से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में राज्य खरीद एजेंसियों को उनकी निधि में ब्याज की कमी के कारण लागत कम करने के लिए बैंकों के माध्यम से स्वचालित लेन–देन हेतु प्रावधान हैं।

एसपीए ने पहले ही अपने बैंकों तथा निरीक्षण एजेंसियों का चयन प्रस्तावों हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर के माध्यम से चयनित एजेंसियों में से कर लिया है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्य खरीद एजेंसियों, बैंकों, निरीक्षण एजेंसियो तथा आपूर्ति करने वाली पटसन

मिलों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

वर्तमान में जूट–स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रचालनशील है और 33.18 हजार करोड़ रु. (लगभग) मूल्य की क्रमशः 124.65 लाख गांठ के कुल मांग पत्र नवंबर, 2016 से फरवरी, 2021 तक जूट स्मार्ट के माध्यम से पहले से ही जारी किए जा चुके हैं।

जूट–स्मार्ट एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर मंच है जो राज्य सरकारों तथा एफसीआई द्वारा बी–ट्विल की खरीद की प्रक्रिया को काफी आसान, इसे पूर्णतः पारदर्शी तथा नियम आधारित बनाएगा तथा एसपीए हेतु लागतों में भी कमी लाएगा।

iii. **इसरो के साथ भुवन जम्प परियोजना : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के साथ 'भुवन जम्प' परियोजना**

'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने जेसीआई के परामर्श से पटसन फसल के आंकलन हेतु एक उपग्रह आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है। इस प्रणाली में भू–संबंधित डाटा खेतों से पटसन फसल की स्थिति तथा चित्र दोनों का कैप्चर करने तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र सर्वर पर डाटा अपलोट करने के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है। वर्तमान फसल मौसम 2017–18 में विविध पटसन उत्पादक राज्यों से जेसीआई द्वारा भेजे गए फील्ड डाटा के आधार पर लगभग 7026 फील्ड डाटा इसरो सर्वर को भेजे गए।

iv. **पटसन विविधिकृत उत्पादों का विकास तथा संवर्धन:** पटसन उद्योग मुख्यतः उद्योग के भविष्य हेतु पटसन के बोरों पर निर्भर है जोकि लंबे समय से विविधिकरण तथा आधुनिकीकरण के अभाव से स्पष्ट होता है। विभिन्न अन्य विविधिकृत उत्पादों के विकास हेतु पटसन क्षेत्र को समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। पटसन विविधिकृत उत्पादों (जेडीपी) में 2012–13 की तुलना में 28 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है जो ऐसे उत्पादों हेतु एक बढ़ती हुई वैश्विक मांग को दर्शाता है। पटसन के खरीददारी वाले थैले, पटसन की फर्श कवरिंग, पटसन आधारित गृह साज–सज्जा तथा दीवार कवरिंग और पटसन आधारित हस्तशिल्पों जैसे विभिन्न जेडीपी का उत्पादन तथा विपणन आवश्यक हो जाता है। विविधिकरण का संवर्धन पटसन उद्योग को राज्य सहायता निर्भरता कम करने में सहायता करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा की उद्योग प्रतिस्पर्धी तथा स्वधारणीय बने तांकि वैश्विक तथा घरेलू बाजारों में मौजूद अवसरों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

पटसन खेती में बेहतर कृषि–विज्ञान व्यवहारों को बढ़ावा देने, पटसन विविधिकृत उत्पादों के संवर्धन तथा उनका विपणन, पटसन मिलों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु सहायता आदि के लिए कदम उठाए गए हैं। डिजाइन, प्रशिक्षण, कच्चा माल तथा समान सुविधा आधारभूत ढ़ांचा जैसे अग्रगामी तथा पश्चगामी संयोजनों पर सहायता मुहैया करवाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्लैक स्तर पर महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा प्रचालित जेडीपी क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके अनुपालन में मंत्रालय ने पटसन विविधिकृत उत्पादों के डिजाइन को सुकर बनाने हेतु राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

v. **परियोजना जूट-आईकेयर (जूटः बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया)**

एनजेबी एक चरणबद्ध तरीके से पिछले 2 वर्षों से भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) तथा केंद्रीय पटसन व संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्धान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर एक पटसन–आईकेयर (पटसन–बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया) परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस पायलट परियोजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर इस परियोजना का विस्तार 31 मार्च 2020 तक किया गया है। मंत्रालय ने तीन वर्ष की अवधि (2017–18 से 2019–20) के लिए एनजेबी को कुल 45.35 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। वर्ष 2015 (आईकेयर–I), 2016 (आईकेयर–II), 2017 (आईकेयर–III), 2018 (आईकेयर–IV) तथा 2019 तथा 2018 (आईकेयर–V) के लिए पटसन आईकेयर परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	आईकेयर –I (2015)	आईकेयर – II (2016)	आईकेयर –III (2017)	आईकेयर-IV (2018)	आईकेयर -V (2019)*
कवर किए गए पटसन उत्पादक ब्लाक/ राज्य की संख्या	असम और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 4 ब्लाक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 14 ब्लाक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 30 ब्लाक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 69 ब्लाक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 72 ब्लाक
कवर की गई भूमि (हैक्टेयर)	12,331	26,264	70,628	98,897	1,06,934
कवर किए गए किसानों की संख्या	21,548	41,616	1,20,000	1,93,070	2,43,549
मुहैया करवाए गए प्रमाणित बीज (एमटी में)	64	160	500	755	535
बीज ड्रिल मशीनों की संख्या	350	450	1200	1950	2550
नेल वीडर मशीनों की संख्या	500	700	1200	1950	2850
सीआरआईजेएएफ सोना (एमटी में)	83	273	500	610	612
प्रत्येक किसान को भेजे गए एसएमएस	46	52	55	60	75
बुवाई व रैटिंग प्रदर्शन	50	132	220	400	500

**अनंतिम

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20**
लाख रु. में	256.98	527.55	1,526.21	614.65	749.16
किसानों की सं.	21,548	41,616	1,02,372	1,93,070	2,43,549

**अनंतिम

(च) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार 1 अप्रैल, 2010 को किया गया था और तत्कालीन पटसन विनिर्माता विकास परिषद और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में विलय किया गया था। एनजेबी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान एनजेबी की विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है–

i. **कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय) :**

स्वच्छता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पटसन मिल कार्मिकों के काम की स्थिति के लिए एनजेबी पटसन मिलों को सहायता उपलब्ध कराता है। सहायता की दर वास्तविक व्यय की 90% तथा अधिकतम 60.00 लाख (प्रति मिल/वर्ष) है। पिछले 4 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लाख रुपए में	194.33	249.46	274.13	268.72	471.39
शौचालय ब्लॉक की संख्या	340	252	323	210	320
मिलों की संख्या	12	9	10	7	8

*अनंतिम

ii. **पटसन मिल, एमएसएमई के कार्मिकों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना**

पटसन मिल कार्मिकों और एमएसएमई–जेडीपी यूनिट के कामगारों की बालिकाओं को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सफल होने लिए सहायता उपलब्ध की जाती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है–

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लाख रु. में	187.20	238.84	354.74	277.36	255.25	259.70*
बालिकाओं की संख्या	2721	3151	4442	3835	3573	3618

**अनंतिम

iii. निर्यात बाजार विकास सहायता योजना

निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना पटसन उत्पादों के पंजीकृत निर्माता तथा निर्यातकों को जीवनशैली तथा अन्य पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा विदेशों में व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है :

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
लाख रु. में	272.78	306.48	428.12	384.39	439.81	174.29
पंजीकृत निर्यातकों की संख्या	51	63	73	60	70	30

**अनंतिम

iv. पटसन विविधिकृत उत्पादों तथा अधिक मात्रा में आपूर्ति योजना के रिटेल आउटलेट

संपूर्ण देश में विशेष रुप से उन क्षेत्रों में जहां पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया है जेडीपी का विस्तार करने के लिए रिटेल आऊटलेट योजना चुनिंदा और बड़े पैमाने के उपभोग हेतु पूर्ति श्रंख्ला तथा बड़ीमात्रा में आपूर्ति को प्रोत्साहित करती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत निष्पादन निम्नलिखित है–

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
लाख रु. में	71.11	94.75	95.15	51.87	30.60	5.00
इकाइयों की संख्या	11	20	25	14	10	5

**अनंतिम

v. डिजाइन विकास योजना-एनआईडी पर एनजेबी पटसन डिजाइन सेल

एनआईडी (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान) अहमदाबाद के प्राकृतिक रेशों के अभिनव केंद्र (आईसीएनएफ) में पटसन के शापिंग थैलों तथा जीवनशैली की अनुषंगी सामग्री के विकास के लिए एक पटसन उत्पादन डिजाइन सेल भी स्थापित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में एवं विदेशों में मूल्यसंवर्धन तथा बेहतर बाजार हेतु डिजाइन तथा तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से नवीन व अभिनव उत्पादों का विकास करना है। एनआईडी ने पटसन नमूनों की जीवनशैली सामग्री के लिए 100 से अधिक बुने हुए, डाई किए हुए तथा तैयार नमूने विकसित किए हैं तथा प्लास्टिक बैग, नष्ट होने योग्य पटसन थैलों आदि के बदले में कम कीमत वाले पटसन कैरी बैग्स प्रदर्शनी में रखे हैं। फैशन थैले, टौटे थैले, मोड़ने योग्य हैंड बैग्स (प्राकृतिक व डाई किए हुए) नाम वाले पटसन थैलों को इंडिया डिजाइन मार्क (I मार्क), 2017 से भी पुरस्कृत किया गया है। प्रसार कार्यक्रम के भाग के रुप में, पटसन विविधिकरण क्रियाकलापों, प्रतिमान गतिविधियों को मूल्य वर्धित जेडीपी के उत्पादन में संलग्न मिल/एमएसएमई इकाइयों के द्वारा बढ़ावा देने के लिए एनआइडी ने प्रसार कार्यक्रम के भाग के रुप में उद्योग के समक्ष नये डिजाइनों का प्रस्तुतीकरण किया है। एनजेबी ने इन उन्नत पटसन थैलों तथा जीवनशैली सामग्री को भावी व्यावसायिक गठबंधन हेतु विशिष्ट प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था की है।

vi. पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस)

जेआईडीएस योजना का उद्देश्य विविध क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए सही निकायों के सहयोग से संपूर्ण देश में सुदूर स्थानों पर स्थानीय इकाइयाँ स्थापित करना है। जेआईडी व संभावित उद्यमियों को फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकिंग उपलब्ध कराने, मुख्यतया तकनीकी एप्लीकेशन तथा डिजाइन/उत्पाद विकास व प्रसार पर आधारित स्तर पर प्रशिक्षण व जागरुकता प्रदान करने के लिए समन्वयक के रुप में कार्य करता है। पटसन विविधिकृत उत्पादों (जेडीपी) इकाइयों, एसएचजी, डब्ल्यूएसएचजी, एनजीओ को बाजार सुविधाओं के लिए जेआईडी एजेंसियां एक प्रमुख स्रोत होंगी। इस प्रकार यह उत्पादन इकाइयों के निर्माण व पोषण में सहयोग करता है जिसमें पश्चात उद्यमों मे विकास तथा स्व सहायता समूहों विशेषकर महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजी) की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजन करने में सहायता मिलती है।

जेआईडी योजना की 2016–17 में शुरुआत से पिछले दो वर्षो का निष्पादन निम्नलिखित है–

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
लाख रु. में	39.68	62.20	29.63	9.57
समन्वय एजेंसियों की संख्या	18	25	10	07

**अनंतिम

पिछले चार वर्षों के दौरान (2016–17 व 2019–20) में 56 समन्वय एजेंसियां थी जो पटसन विविधिकृत उत्पादों के लिए 1120 लाभार्थियों को आधारभूत, उन्नत व डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करता है। जैसा की मूल्यांकन किया जा चुका है, जॉब वर्क

या स्वरोजगार पर पटसन विविधिकृत क्रियाकलापों में 400 से अधिक लाभार्थी है।

vii. **पटसन कच्चा माल बैंक (जेआरएमबी) योजना**

यह योजना पटसन असंगठित क्षेत्र तथा उत्पादन इकाइयों की आवश्यक्ताओं को पूरा करके देश में जेडीपी क्रियाकलापों की गति को बढ़ाती है ताकि उन्हें पटसन कच्चे माल की नियमित रुप से आपूर्ति की जाती रहे। जेडीपी के लिए उत्पादन आधार बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं, जिनके लिए सक्षम संस्थानों/एजेंसियों के फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज प्राप्त संयोजन हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है। जेआरएफबी मौजूदा डब्ल्यूएचजी, कारीगरों व उद्यमियों की सेवा के अलावा नये डब्ल्यूएसएचजी, कारीगरों व उद्यमियों को विकसित करने के लिए जेआईडी द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण व कौशल विकास प्रयासों के लिए सहयोग करने का कार्य करते हैं। 2016–17 में इसकी शुरुआत से जेआरएमबी योजना का 4 वर्षों में निष्पादन निम्नलिखित है–

वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20***
लाख रुपए में	14.87	34.30	69.56	87.79
समन्वय एजेंसियों की संख्या	9	11	19	10

**अनंतिम

viii. **संयुक्त पटसन मिलों का सूचीकरण :**

पटसन मिलों में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के शोर, धूल, अधिक रोशनी आदि में पटसन मिलों में काम करने वाले कार्मिकों के स्वास्थ्य निष्पादन निश्चित करने के लिए 67 पटसन मिलों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। 67 पटसन मिलों के अध्ययन के परिणाम प्रसारित कर दिए गए हैं, ताकि इसके लिए पर्याप्त उपचारात्मक प्रस्ताव/कार्रवाई के लिए अध्ययन की अनुशंसाओं को संज्ञान लिया जा सके।

ix. **तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन –**

जेटीएम के अधीन कार्यान्वित 15 आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए एनजेबी द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए। व्यवहार्यता रिपोर्ट पटसन मिलों तथा मौजूदा व भावी उद्यमियों को प्रसारित कर दी गई है। महिलाओँ व बालिकाओं में मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता के लिए पटसन लुगदी के प्रयोग से बने कम कीमत वाले सेनेटरी नैपकिन का विकास व्यवहार्यता रिपोर्ट के मुख्य परिणामों में से एक है। यह पटसन लुगदी एनजेबी द्वारा आईआईटी के सहयोग से विकसित की गई थी। एनजेबी ने इजिरा के लिए एक परियोजना को अनुदान दिया है जिसके अधीन पटसन सैनेटरी नैपकिन के निर्माण के लिए स्वचालित व अर्ध–स्वचल मशीनों को विकसित किया गया व इजिरा में उत्पादन प्रारंभ किया गया। यह तकनीकी व साथ ही साथ मशीनरी को पटसन उद्योग सदस्यों के साथ–साथ रुचि रखने वाले उद्यमियों के बीच प्रसारित किया जा रहा है। यह तकनीकी विकेन्द्रित पटसन क्षेत्र विशेषकर महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) की महिला लाभार्थियों तथा आय सृजन के लिए नए आयाम खोलेगा।

x. **कौशल विकास कार्यक्रम:**

सुधारगृहों जैसे तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के कैदियों, दिल्ली पुलिस के परिवारों/लाभार्थियों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा अन्य संस्थानों पर पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध कौशल विकास कार्यक्रम आयोजनत किए गए। कई लाभार्थियों ने एनजेबी के सहयोग से पटसन उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन प्रारंभ कर दिया है।

xi. **सतत बाजार सहायता–**

इस योजना के अंतर्गत पटसन कारीगरों, उद्यमियों, बुनकरों, गैर–सरकारी संगठनों, महिला स्व–सहायता समूहों को भारत व विदेशों में अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन तथा संवर्धन करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले इन जनसमूहों की जीविका के साधन हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में थे– आईआईटीएफ, दिल्ली; पौष मेला शाति निकेतन, कोलकाता पुस्तक मेला, शिल्पग्राम, माधापुर, हैदराबाद, सूरजकुंड मेला, हरियाणा, टेक्स ट्रेंड्स, दिल्ली; ताज महोत्सव; लखनऊ महोत्सव; शिल्पग्राम उदयपुर; गिफ्टेक्स, मुंबईय भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा आदि। अंतर्राष्ट्रीय मेले, जिनमें पंजीकृत पटसन निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाया गया, ये थेय हांगकांग इंटरनेशनल गिफ्ट मेला, ऑटम फेयर बर्घिगंम, डोमटेक्स हन्नोवर, एएसडी शो, लासवेगास आदि।

xii. **पटसन आधारित किफायती सैनेटरी नैपकिनों का प्रायोगिक निर्माण:**

एनजेबी ने पटसन आधारित किफायती सैनेटरी नैपकिन किफायती पटसन अवशोषक लुगदी तथा पटसन आधारित सैनेटरी पैड के लिए कच्चा माल बैंक स्थापित करने के साथ डब्ल्यूएसएचजी के लिए उत्पादन मॉडल को कार्यान्वित करने के लिए इजिरा को परियोजना निर्दिष्ट की है। परियोजना के लक्ष्यों में नैपकिन निर्माण प्रक्रिया में स्वचालन तथा पीएसयू तथा अन्य सरकारी निकायों के माध्यम से पटसन आधारित नैपकिन का व्यावसायिक तथा गुणवत्ता मानदंड व आश्वासन निर्धारित करना, इजिरा ने किफायती पटसन आधारित

नैपकिन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है तथा प्रस्तुत की कर दी है। परियोजना के लक्ष्यों में गुणवत्ता मानदंड तथा गुणवत्ता आश्वासन तथा जूट के पल्प से सैनेटरी नैपकिन का प्रायोगिक स्तरीय उत्पादन (2400 पीस/प्रतिदिन) की स्थापना में सम्मिलित हैं। किफायती पटसन आधारित लुगदी के निर्माण पर इजिरा ने डीपीआर तैयोर की है व प्रस्तुत की है। इस प्रकार से विकसित उत्पाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान निगम के द्वारा चिकित्सकीय रुप में स्वच्छ के रुप में प्रमाणित है। उत्पादन में संवर्धन के लिए इजिरा द्वारा मैसर्स इनटेक सैफ्टी प्रा. लि. को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया है। इजिरा के प्रस्तावित क्रियाकलापों, लक्ष्यों समय–सीमा आदि को शामिल करके इजिरा तथा एनजेबी के बीच 18 मार्च, 2016 को एक करार ज्ञापन बनाया गया है। जूट आधारित सैनिटरी नैपकिन के नमूने एनआईआरआरएच को भेजे गए थे और यह पाया गया था कि उत्पाद आईएस 5405:1980 के अनुसार सूक्ष्मजीव विज्ञान मानक के संबंध में सुरक्षित है। एनआईआरआरएच ने स्वीकार्यता के अध्ययन पर क्षेत्र परीक्षण करने के लिए आचार समिति की मंजूरी हेतु अपने निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। इस बीच, महाराष्ट्र में क्षेत्र परीक्षण करने के लिए आईजेआईआरए और आईसीएमआर के मध्य जून 2020 में एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है जिसके लिए आईजेआईआरए को 20 हजार पटसन सेनेटरी नैपकिन की आपूर्ति करनी है।

xiii. **पटसन विविधिकृत उत्पादों का विकास व उन्नयन**

पटसन उद्योग में विविधीकरण व आधुनिकीकरण न होने के कारण पटसन के शॉपिंग थैले, पटसन के फ्लोर कवरिंग, पटसन आधारित होम फर्निशिंग तथा वाल कवरिंग तथा पटसन आधारित हस्तशिल्प जैसे विभिन्न जेडीपी का उत्पादन एवं विपणन करने की सख्त जरुरत है। पटसन फार्मिंग में बेहतर कृषक व्यवहार को बढ़ावा देने, पटसन आधारित उत्पाद (जेडीपी) को बढ़ावा देने और विपणन करने, पटसन मिलों आदि के तकनीकी समुन्नयन के लिए सहयोग करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

xiv. **प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए सब्सिडी योजना**

एनजेबी किसानों के लिए प्रमाणित पटसन बीज वितरित करने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहीं है। प्रमाणित पटसन बीज योजना के अधीन 40 रु/किग्रा की सब्सिडी पर वितरित किए जा रहे हैं। भारतीय पटसन निगम का नेटवर्क योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य कच्चे पटसन की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करना तथा कृषकों को बेहतर लाभ प्रदान कराना है।

4.3. रेशम और रेशम उत्पादन

प्रस्तावना :

रेशम, कीट से निकले तंतु से बना एक वस्त्र है, जिसमें चमक–दमक, वस्त्र विन्यास और मजबूती का गुण होता है। इन्हीं अनूठी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में रेशम को ''वस्त्रों की रानी'' के रूप में जाना जाता है । भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश रहा है और इसने दुनिया को कई वस्तु प्रदान किए हैं, रेशम उनमें से एक है। भारत, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तथापि, भारत एकमात्र देश है, जो रेशम की सभी पांच वाणिज्यिक किस्मों जैसे शहतूत, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग में उच्च रोजगार सृजन क्षमता के साथ ही साथकम पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है और रेशम उत्पादकों को अच्छी आय प्राप्त होती है।

4.3.1 भौतिक प्रगति :

भारत 35,820 मी.ट. रेशम के उत्पादन के साथ चीन के बाद, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम– उत्पादक देश है। कुल 35,820 मी.V. कच्चे रेशम उत्पादन की चार किस्मों में शहतूत 70.46% (25,239 मी.ट.), तसर 8.76% (3,136 मी.ट.), एरी 20.11% (7,202 मी.ट.) और मूगा 0.67: (241 मी.ट.) रहा। आयात प्रतिस्थापक बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन 2018–19 के 6,987 मी.ट. से बढ़कर 2019–20 में 7,009 मी.ट. हो गया जो 0.32% की मामूली को वृद्धि दर्शाता है। वन्या रेशम (तसर, एरी, मूगा) उत्पादन 4.51% की वृद्धि के साथ 10,124 मी.ट. से 10,581 मी.ट. हो गया। मूगा रेशम ने 241 मी.टन का अब तक के सबसे अधिक उत्पादन को दर्ज किया है।

वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान किस्म–वार कच्चे रेशम का उत्पादन, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए लक्ष्य और उपलब्धि (सितम्बर, 2020 तक) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

विवरण	2016-17 उपलब्धियां	2017-18 उपलब्धियां	2018-19 उपलब्धियां	2019-20 उपलब्धियां	2020-21	
					लक्ष्य	उपलब्धियां (सितम्बर, 2020 तक)
शहतूत पौधारोपण (लाख हेक्टेयर)	2.17	2.24	2.35	2.39	2.54	2.44
कच्चा रेशम उत्पादन (मी.ट. में):						
मलबरी	5266	5874	6987	7009	8375	2442
मलबरी (द्विप्रज)	16007	16192	18358	18230	19125	7304
मलबरी (संकर नस्ल)	21273	22066	25345	25239	27500	9746
उप – जोड़						
वन्या	3268	2988	2981	3136	3740	139
तसर	5637	6661	6910	7204	7500	4218
एरी	170	192	233	241	260	93
मूगा	9075	9840	10124	10581	11500	4450
उप जोड़	**30348**	**31906**	**35468**	**35820**	**39000**	**14196**
कुल योग (क़ख)	8.51	8.6	9.1	9.4		
संचयी अनुमानित रोजगार (लाख व्यक्ति)						

स्रोतः राज्य रेशम कृषि विभाग से प्राप्त एमआईएस रिपोर्ट से संकलित।

क. योजना एवं इसके घटक

केन्द्र–क्षेत्र की योजना नामतः " सिल्क समग्र" रेशम उद्योग के विकास की एक एकीकृत योजना है, जिसे निम्न चार घटकों के साथ संचालित किया जा रहा है :

1. अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल
2. बीज संगठन
3. समन्वयन तथा बाजार विकास
4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, निर्यात, ब्राण्ड उन्नयन व प्रौद्योगिकी उन्नयन

सिल्क समग्र के सभी चार मुख्य घटक आपस में जुड़े हैं और सबका सामान्य लक्ष्य एक है। अनुसंधान व विकास इकाईयां प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करने की साथ–ही–साथ, पणधारियों को उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देती हैं और फ्रंट लाइन प्रदर्शन के माध्यम से तकनीक को क्षेत्र में स्थानांतरित करती हैं, जबकिबीज उत्पादन इकाइयों की जिम्मेदारी है कि प्रजातीय गुणवत्ता, संकर ओजऔर नस्लों की शक्ति बनाए रखने के लिए चार स्तरीय बीज प्रगुणन नेटवर्क को अद्यतन रखे तथा अपने एककों एवं राज्य की बीज उत्पादन इकाइयों को नाभिकीय एवं मूल बीज की आपूर्ति करें और राज्य इकाइयों को मूल बीज उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सुविधा प्रदान करें । केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बोर्ड सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकार के समन्वय से विकसशील योजनाएं तैयार कर इन्हें कार्यान्वित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेशम उद्योग के विकास के लिए उन योजना कार्यक्रमों के परिणाम राज्य सरकार के समन्वय से पणधारियों तक पहूँच रहे हैं। गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अधीन कार्यरत इकाईयां, रेशमकीट बीज, कोसा, कच्चा रेशम तथा रेशम उत्पाद सहित संपूर्ण रेशम मूल्य श्रृंखला के लिए अनुसंधान व विकास इकाईयों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने तथा प्रमाणित करने में सहायता प्रदान करती हैं, इसके अलावा भारतीय रेशम मार्क संगठन (एसएमओआई) द्वारा उचित ब्रांड के माध्यम से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेशम मार्क लेबल के माध्यम से शुद्ध रेशम उत्पादों का संवर्धन करता है ।

इन योजनाओं से संबंधित विवरण सीएसबी वेबसाइट http://www.csb.gov.in/ में दिया गया है ।

वैयक्तिक लाभार्थी उन्मुख सिल्क समग्र घटक के लिए निधिकरण की पद्धति (%)निम्नानुसार है :

श्रेणी	भारत सरकार (सीएसबी)	राज्य	लाभार्थी
सामान्य राज्य	50	25	25
सामान्य राज्य – एससीएसपी व टीएसपी के लिए	65	25	10
विशेष दर्ज प्राप्त राज्य, पूर्वोत्तर राज्य व एससीएसपी व टीएसपी	80	10	10
समूह गतिविधि	100%	--	--

ऊपर के उल्लेख के अनुसार, 100% वित्त पोषण (सीएसबी) समूह गतिविधियों की पात्रता के प्रति है क्योंकि ये गतिविधियाँ बहुत सीमित हैं और सीएसबी संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। समूह गतिविधियों का तात्पर्य मुख्य रूप से किसानों/पणधारियों द्वारा अपनाये जिस के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन जैसे प्रतिदर्श के रूप में चॉकीके, सासुके आदि हैं। समूह गतिविधियों को राज्य विभागों द्वारा अपने फार्मों में भी लिया जा सकता है। यदि समूह गतिविधियों को राज्यों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो भारत सरकार व राज्य/एनजीओ/लाभार्थी द्वारा हिस्सेदारी पैटर्न 75:25 का होगा । समूह गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी सीएसबी और राज्य दोनों द्वारा की जानी है ।

4.3.2. सिल्क समग्र के मुख्य आकर्षण

1. आनुवंशिक आधार तथा संकर ओज को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगी अनुसंधान पर जोर।
2. फसल चक्र को बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना, नियंत्रित कीटपालन के लिए वान्या रेशम के व्यवस्थित पौधारोपण में विस्तार।
3. समूहपहल के माध्यम से उत्तर–पूर्व सहित गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के क्षैतिज विस्तार को बढ़ावा देना।
4. लाभार्थियों के लिए मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
5. जैव कृषि और पर्यावरण अनुकूल रेशम – वान्या रेशम, को बढ़ावा देना।
6. किसान नर्सरी से वस्त्र उत्पादन तक उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए लाभार्थियों को महत्वपूर्ण निवेश समर्थन प्रदान करना।
7. अतिरिक्त मूल्य प्राप्ति के लिए कुक्कुट आहार के लिए रेशमकीट उपोत्पाद(प्यूपा) का उपयोग, सौंदर्यवर्धक अनुप्रयोग के लिए सेरिसिन और गैर–बुने हुए कपड़े, रेशम डेनिम, रेशम बुनाई आदि में उत्पाद विविधीकरण।
8. राज्य के बीज प्रगुणन सुविधाओं के उन्नयन और कच्चे रेशम के उत्पादन–लक्ष्य से मेल खाने के लिए बीज उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
9. वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करके स्वचालित बीज उत्पादन केंद्रों, मूल बीज फार्मों और विस्तार केंद्रों द्वारा पंजीकरण और रिपोर्टिंग के माध्यम से बीज अधिनियम को सुदृढ़ बनाना।
10. धागाकरण प्रौद्योगिकी का उन्नयन और'' मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के अधीनविकसित स्वदेशी स्वचालित धागाकरण मशीन और उन्नत वान्या धागाकरण उपकरणों को बढ़ावा देना।
11. रेशम उत्पादन के लिए ऋणप्रवाह को बढ़ावा देना – स्वयं सहाय समूह/समूहपहल को बढ़ावा देना।
12. ब्रांड उन्नयन– भारतीय रेशम के जेनेरिक उन्नयन और भारतीय रेशम उत्पादों के लिए वैश्विक छवि सृजित करना ।
13. रेशम उत्पादन के विस्तार हेतु अधिक जिलों को शामिल करने के लिए एकल खिड़की आधारित सिल्क्स रेशम उत्पादन सूचना संबद्ध ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विस्तार।
14. बेहतर योजना के लिए रेशम उत्पादन डेटाबेस का विकास सुनिश्चित करना। सभी पंजीकृत किसानों और धागाकारों तथा राज्य कार्यकर्ताओं को कोसा और कच्चे रेशम मूल्य संबधी मुफ्त एसएमएस सेवा।

योजना से अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार हैं :

1. रेशम उत्पादन को वर्ष 2016–17 के 39,000 मी. टन को 2020–21 के अंत तक 39,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाना।
2. शहतूत (बहुप्रज और द्विप्रज) रेशम का उत्पादन 21,273 मी. टन से बढ़ाकर 27,500 मी. टन करना जिसमें द्विप्रज रेशम को 5,266 मी. टन से 8,375 मी. टन तक बढ़ाना शामिल है।
3. वान्या (मूगा, एरी और तसर) रेशम उत्पादन को 9,075 मी. टन से 11,500 मी. टन तक बढ़ाना।
4. शहतूत कच्चे रेशम की उत्पादकता 100 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़ाकर 108 किग्रा/हेक्टेयर करना।
5. वर्ष 2020–21 तक रोजगार 85 लाख व्यक्ति से 95.4 लाख व्यक्ति तक बढ़ाना।

योजनागत स्कीमों के लिए वित्तीय आबंटन :

वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 और चालू वित्तीय वर्ष 2020–2021 (अक्तूबर, 2019 तक) के दौरान "सिल्क समग्र" योजना से संबंधित वर्ष–वार वित्तीय प्रगति का ब्यौरा निम्न तालिका में प्रस्तुत है :

(रु करोड़ में)

योजना	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (अक्तूबर 2020 तक)
सिल्क समग्र	154.01	154.01	161.50	161.50	120.00	117.41	209.91	209.91	254.00	122.25
जिसमें से उत्तर पूर्व के लिए	23.05	23.05	16.00	16.00	14.00	11.41	11.50	11.50	63.00	29.13
जिसमें से एससीएसपी के लिए	22.73	22.73	23.00	23.00	25.00	25.00	30.00	30.00	55.00	27.50
जिसमें से टीएसपी के लिए	8.50	8.50	30.00	30.00	15.84	15.84	20.00	20.00	20.00	8.77

नोट : प्रशासनिक लागत को छोड़कर मात्र योजना लागत।

4.3.3. उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना :

उत्तर पूर्व, रेशम उत्पादन का गैर–परंपरागत क्षेत्र है और इसी कारण, भारत सरकार ने उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन के साथ परपोषी पौधारोपण विकास से अंतिम उत्पाद तक महत्वपूर्ण मध्यस्थता से सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में रेशम उत्पादन के समेकन एवं विस्तार के लिए विशेष जोर दिया है । इसके एक भाग के रूप में उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस), वस्त्र मंत्रालय की एक छत्र योजना, के अधीन भारत सरकार ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के चयनित संभाव्य जिलों में 1,107.90 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 956.01 करोड़ रुपए है, व्यापक श्रेणियों अर्थात एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी), सघन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी), एरी स्पन सिल्क मिल्स और महत्वाकांक्षी जिलों के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए 38 रेशम उत्पादन परियोजनाओं का अनुमोदन दिया है। इन परियोजनाओं से मलबरी, एरी, मूगा और ओक तसर सेक्टरों के अंतर्गत लगभग 38,170 एकड़ बागान लाने का प्रस्ताव है जिससे परियोजना अवधि के दौरान 2,650 मी.टन कच्चे रेशम का अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है।

4.3.3.1. एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी)

631.97 करोड़ रूपए की कुल लागत (भारत सरकार का अंश 525. 11 करोड़ रूपए) के साथ अठारह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है) जिसमें बीटीसी सहित असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 14 चालू और 4 नई परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें बीटीसी (असम) के लिए मृदा से रेशम की स्थापना और नागालैंड के लिए कोकून–पश्च प्रौद्योगिकी शामिल है। ये परियोजनाएं सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 41,068 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 29,910 एकड़ के शहतूत, एरी और मुगा बागानों को कवर करेगी। सितंबर 2020 तक मंत्रालय ने उपरोक्त परियोजनाओं के लिए 422.12 करोड़ रूपए जारी किए है, जिसके प्रति सूचित व्यय 367.36 करोड़ रूपए (87 प्रतिशत) है।

त्रिपुरा में सिल्क प्रिंटिंग यूनिट : त्रिपुरा में उत्पादित रेशम और फैब्रिक के मूल्यवर्धन के लिए रेशम प्रिंटिंग सुविधाओं की आधुनिकीकरण करने के लिए, एनईआरटीपीएस तहत सिल्क प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग यूनिट की स्थापना के लिए एक परियोजना 3.71 करोड़ रुपए (100% केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर अनुमोदित की गई थी। इस यूनिट का 1.50 लाख मीटर रेशम प्रति वर्ष का प्रिंट और प्रसंस्करण करने का लक्ष्य है। अब तक मंत्रालय ने इस प्रयोजना के लिए 3.52 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसकी तुलना में 3.52 करोड़ रुपए (100%) व्यय होने की सूचना है।

सीएसबी में बीज अवसंरचना यूनिट : पूर्वोत्तर में मलबरी, एरी और मूगा सेक्टरों में गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन के लिए अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए 37.71 करोड़ रुपए की कुल लागत (100% केंद्रीय सहायता) पर एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। इस योजना में 6 बीज अवसंरचना यूनिटों (जोरहाट (असम) में 1 मलबरी बीज यूनिट, सिल्वर (असम), मोकूकचांग (नागालैंड), कोकराझार (बीटीसी असम), तूरा (मेघालय) में 4 मूगा बीज यूनिट उत्पादन क्षमता 30 लाख मलबरी डीएफएलएस और 21.51 लाख मूगा और एरी डीएफएलएस है। मंत्रालय ने अब तक इस परियोजना के लिए 35.82 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसकी तुलना में 32.54 करोड़ रुपए (91%) व्यय होने की सूचना है।

4.3.3.2 गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी):

290.31 करोड़ रुपए की कुल लागत से आयात प्रतिस्थापक बाइवोलटाइन रेशम के उत्पादन के लिए दस परियोजनाएं जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 258.74 करोड़ रुपए है, जिसमें एनईआरटीपीएस के अंतर्गत स्वीकृत की गई 8 जारी और 2 नई परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं में सभी पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर को छोड़कर) को शामिल करते हुए 4900 एकड़ के शहतूत बागानों को कवर करते हुए लगभग 10,607 महिला लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। सितंबर, 2020 तक, मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजना के लिए 213.38 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसमें से 194.32 करोड़ रुपए (91%) का व्यय होने की सूचना है।

4.3.3.3 एरी स्पन सिल्क मिल्स (ईएसएसएम) :

प्रतिवर्ष 165 मी.टन एरी स्पन यार्न का उत्पादन करने के लिए कुल 64.59 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 57.28 करोड़ रुपए) की लागत पर असम, बीटीसी और मणिपुर राज्यों में 3 एरी स्पन सिल्क मिलों का अनुमोदन किया गया है जिससे मिलों की स्थापना के बाद लगभग 7500 स्टेकहोल्डरों को लाभ मिलेगा। अभी तक, मंत्रालय ने उक्त परियोजना के लिए 19.55 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

4.3.3.4. महत्वाकांक्षी जिलों में रेशम उत्पादन का विकास :

भारत सरकार ने राज्य सरकारों की सहभागिता से जिले की संभाव्यता के अनुसार मलबरी, एरी, मूगा या ओक तसर को शामिल करते हुए प्रति जिला एकध्दो ब्लाकों में महत्वाकांक्षी जिलों में रेशम उद्योग के विकास की शुरूआत की है। इस समय असम, बीटीसी, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में 79.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 73.47 करोड़ रुपए है, 5 रेशम उत्पादन परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। इन परियोजनाओं में 3360 एकड़ बागान शामिल है जिससे लगभग 4,245 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा। सितम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत 46.45 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसमें से 19.05 करोड रुपए (41%) व्यय होने की सूचना है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र की वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही समग्र रेशम उत्पादन परियोजनाओं का सारांश नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है :

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (सितम्बर 20 तक) (करोड़ रूपए)	लाभार्थी (संख्या)		आउटपुट प्रति वर्ष (एमटी) 2020-21	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (पी) (सितम्बर-2020 तक)
I	**एकीकृत रेशमकीट विकास परियोजना**							
1	असम	66.67	47.42	45.05	5,965	5,965	94	99.20
2	बीटीसी	34.92	24.68	23.44	3,356	3,356	75	32.44
3	बीटीसी (आईईडीपीबी)	11.41	10.61	10.08	654	654	26	12.94
4	बीटीसी (मृदा से रेशम)	55.36	53.12	37.09	3,526	2,345	102	49.00
5	अरुणाचल प्रदेश	18.42	18.42	17.50	1,805	1,672	36	2.63
6	मणिपुर (घाटी)	149.76	126.60	107.55	6,613	5,957	203	18.62
7	मणिपुर (पहाड़ी)	30.39	24.67	20.50	2,169	1,339	51	18.39
8	मेघालय	30.16	21.91	19.57	2,856	2,856	77	14.56
9	मिजोरम	32.49	24.49	23.26	1,683	1,683	49	3.82
10	मिजोरम (आईएमएसडीपी)	13.52	12.83	12.19	833	800	10	0.16
11	नगालैंड	31.47	22.66	21.52	2,678	2,678	69	12.22
12	नागालैंड (आईईएसडीपी)	13.66	12.83	12.19	1,053	1,053	24	9.73
13	नागालैंड (पीसीटी)	8.57	8.48	8.06	406	406	पश्च कोकून और पश्च यार्न गतिविधियां प्रगति पर	
14	त्रिपुरा	47.95	33.20	30.03	3,432	3,432	121	11.90
	कुल (I)	**544.75**	**441.93**	**388.02**	**37,029**	**34,196**	**938**	**285.61**
Ia	नई आईएसडीपी परियोजनाएँ							
15	अरुणाचल प्रदेश (आईएलएसईएफ)	37.25	35.65	9.12	1,270	445	48	6.23
16	अरुणाचल प्रदेश (आईएमएसडीपी)	12.69	12.15	6.08	875	350	9	0.48
17	बीटीसी–आईईएसडीपी (टैप)	18.63	17.35	10.78	1,400	625	18	4.41
18	नगालैंड–चुंगटिया	18.67	18.04	8.13	500	150	16	-
	कुल(Ia)	**87.24**	**83.19**	**34.10**	**4,045**	**1570**	**91**	**11.12**
	उप योग	**631.97**	**525.11**	**422.12**	**41,074**	**35,766**	**1,029**	**296.73**

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (सितम्बर 20 तक) (करोड़ रूपए)	लाभार्थी (संख्या)		आउटपुट प्रति वर्ष (एमटी) 2020-21	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (पी) (सितम्बर-2020 तक)
Ib	**मूलढ़ांचा परियोजनाएं**							
19	त्रिपुरा (प्रिंटिंग)	3.71	3.71	3.52	-	-	1.50 लाख मीटर/यार्ड	820 साड़ी प्रिंट की गई
20	सीएसबी बीज अवसंरचना	37.71	37.71	35.82	-	-	1.14 लाख मूगा डीएफएलएस और 0.15 लाख एरी डीएफएलएस प्रति वर्ष	0.46 लाख मूगा डीएफएलएस और 0.03 लाख एरी डीएफएलएस प्राप्त
	कुल(Ib)	41.42	41.42	39.35	-	-	-	-
	कुल(I+Ia+Ib)	673.39	566.53	461.47	41,074	35,766	1,029	296.73
II	**गहन बाइवोल्टार रेशमकीट विकास परियोजना**							
1	असम	29.55	26.28	24.96	1,144	1,144	17	0.50
2	बीटीसी	30.06	26.75	25.41	1,188	1,188	17	1.50
3	अरुणाचल प्रदेश	29.47	26.20	24.89	1,144	663	16	0.90
4	मेघालय	29.01	25.77	24.47	1,044	1,033	16	3.60
5	मिजोरम	30.15	26.88	25.54	1,169	1,169	16	4.80
6	नगालैंड	29.43	26.16	24.85	1,144	1,144	16	0.11
7	सिक्किम	29.68	26.43	25.11	1,094	988	17	-
8	त्रिपुरा	29.43	25.95	24.65	1,144	1,144	16	4.60
	कुल(II)	236.78	210.41	199.88	9,071	8,473	130	16.01
IIa	**नई बाइवोल्टाइन परियोजनाएं**							
9	नागालैंड–बाइवोल्टाइन (एसपीवी)	22.43	20.68	10.34	436	320	14	1.31
10	त्रिपुरा–सिपाहीजाला	31.11	27.64	3.16	1,100	120	17	-
	कुल(IIa)	**53.53**	**48.32**	**13.50**	**1,536**	**440**	**31**	**1.31**
	कुल(II+IIa)	**290.31**	**258.74**	**213.38**	**10,607**	**8,913**	**161**	**17.32**
	आईईसी			**4.84**				
III	**एरी स्पन रेशम मिल्स**							
1	असम	21.53	19.09	5.00	2500	-	-	-
2	बीटीसी	21.53	19.09	9.55	2500	-	-	-
3	मणिपुर	21.53	19.09	5.00	2500	-	-	-
	कुल (III)	**64.59**	**57.28**	**19.55**	**7500**	**-**	**-**	**-**
IV	**आकांक्षात्मक जिले**							
1	असम	21.03	19.55	9.78	1,200	566	46	-
2	बीटीसी	20.28	18.64	13.32	1,020	610	40	7.84
3	मेघालय	12.08	10.97	5.48	410	200	17	-
4	मिजोरम	11.56	10.82	9.74	650	500	17	1.3
5	नागालैंड	14.65	13.49	8.13	965	962	17	8.28
	कुल(IV)	**79.60**	**73.47**	**46.45**	**4,245**	**2838**	**137**	**17.39**
सकल योग(I+II+III+IV) (38 परियोजनाएं)		**1,107.90**	**956.01**	**745.69**	**63,426**	**47,517**	**1,327**	**331.45**

पी : अनंतिम

4.3.4. अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सूचना प्रौद्योगिकी पहल

4.3.4.1. अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) :

वर्ष 2020–21 के दौरान, सितम्बर 2020 के अंत तक कुल 11 नई अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं और सीएसबी के विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा 12 परियोजनाओं का समापन किया गया है और वर्तमान में कुल 95 अनुसंधान परियोजनाएं, जिनमें से शहतूत क्षेत्र की 42, वान्या क्षेत्र की 28, कोसोत्तर क्षेत्र में 13 और विशेषीकृत क्षेत्रों (जर्मप्लासम, बीज विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी) में 12 प्रगति पर है।

4.3.4.2 मेजबान पौधे में सुधार :

- आठ उच्च जल और पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता वाली किस्मों यथा एमआई–0437, एमआई–0310, एमआई–0683, एमई–0173, एमआई–0246, एमआई–0685, एमआई–0762 और एमई–0256 की पहचान जलवायु प्रतिरोधी शहतूत की किस्मों को विकसित करने के लिए की गई है।
- एटीडीआरईबी2ए + एटीएसएचएन1 जीन कन्स्ट्रक्ट का उपयोग करते हुए जी4 शहतूत के कोटेलडॉन/हाइपोकोटेल एक्सप्लांट में एग्रोबेक्टीरियम मीडिएटिड जेनेटिक बदलाव के लिए प्रोटोकॉल विकसित किया गया।
- पाँच सूखे को सहने वाले और उच्च उपज शहतूत संभावित जीनोटाइप (पीवाईडी–1, पीवाईडी–4, पीवाईडी–7, पीवाईडी–8 और पीवाईडी–21) की पहचान की गई जिनमें सूखे को सहने वाले (सी–1730) से झ15 प्रतिशत पत्ती उपज सुधार और वर्षा सिंचित किस्म (सी–2038) पर >6 प्रतिशत ओवर रूलिंग चेक है। उच्च उत्पादक शहतूत जीनोटाइप किस्मों (सी–01 और सी–11) की पहचान की गई जिनमें एस1635 पर सिंचित (> 30 प्रतिशत) और वर्षा सिंचित (>20 प्रतिशत) सुधार देखा गया।
- मार्कर समर्थित प्रजनन (एमएबी) के माध्यम से उत्पाद की जेनेटिक संभाव्यता का पता लगाने के लिए एआरबीडी डिजाइन के अंतर्गत पांच रेप्लीकेशन के साथ 231 (183 देशी और 48 विदेशी) विविध शहतूत जर्मप्लास्म स्थापित किए गए।
- एक शहतूत किस्म पीपीआर–1, उच्च जड़ता प्रतिशत के साथ समशीतोष्ण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त के रूप में विकसित की गई थी। शहतूत (एआईसीआईएम) चरण IV के लिए अखिल भारतीय समन्वित प्रायोगिक परीक्षण देश भर के 5 परीक्षण केंद्रों पर शुरू किए गए हैं।
- मेघालय और असम के तीन विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत सोम के फाइटोकैमिकल विविधता मूल्यांकन में फाइटोकैमिकल मात्रा, तनाव परिमाण और सोम की आंतरिक सुरक्षा क्षमता में क्षेत्र और मौसम विशिष्ट अंतरों का पता चला। यह स्थापित किया गया है कि सोम कृषि क्षेत्रों में मिट्टी की आंतरिक पोषणात्मक क्षमता का परिमाण विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में भिन्न होता है।
- अल्टरनेरिया ब्लाइट के प्रति मारक प्रभाव होने वाले देशीय राइजोबेक्टीरिया के एक सूत्र का विकास कैस्टर ब्लाइट रोग के प्रबंधन, पौधों की वृद्धि और पत्ती बायोमास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया है जो स्टेशन परीक्षणों पर है।
- आर एंड डी प्रयासों ने शहतूत की उत्पादकता में वर्ष 2005–06 के दौरान 50 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से 62 मीट्रिक टन/हेक्टेयर/वर्ष तक सुधार करने में सहायता की है।

4.3.4.3 रेशमकीट फसल सुधार, उत्पादन और संरक्षण :

- नई बाइवोल्टाइन डबल संकर बीएफसी 25 x बीएफसी11 का विकास बल्गेरियाई और भारतीय रेशमकीट जेनेटिक संसाधनों का उपयोग करके किया गया है, जो शेल अनुपात 23.8 प्रतिशत, फिलामेंट लंबाई 1,095 मीटर और 5.8 की रेन्डीटा को दर्शाता है।
- एसके6 x एसके7 और बीकॉन1 x बीकॉन4 (औसत उत्पादन: ~65 किलोग्राम) को एक बेहतर शेल वाले (10–12 प्रतिशत) एक बाइवोल्टाइन डबल संकर (बीएचपी 3.2 x बीएचपी 8.9) विकसित किया गया है। (औसत उत्पादन:~ 65 किलाग्राम)।
- विकसित एक सामान्य कीटाणुनाशक, निर्मूल का विकास रेशमकीट पालन गृहों और उपकरणों के विसंक्रमण के लिए किया गया है।
- बाइवोल्टाइन संकर में अंडा वृद्धि (एफसी1 x एफसी2) के लिए एक नई प्रौद्योगिकी का विकास तथा सत्यापन कोकून के 8.5 ग्राम प्रति किलोग्राम वृद्धित अंडा उत्पादन के साथ मेजबान संयंत्र वोलेटाइल को लगा कर किया गया है।
- तीन दिवसीय मुगा अंडे के लिए 18 दिनों के संरक्षण कार्यक्रम का विकास किया गया, जिसमें 2 दिनों के बाद संरक्षण/इन्क्यूबेशन अवधि के परिणामस्वरूप 85 प्रतिशत के सेए जाने में परिणत हुआ।
- (15° सेल्सियस पर 15 दिनों के लिए) तसर रेशमकीट बीडीआर10 मिश्रित अंडों के लिए अल्पावधि बीज संरक्षण कार्यक्रम दो दिन प्रगतिशील इन्क्यूबेशन (कुल 17 दिनों) के साथ विकसित किया गया जो 90 प्रतिशत अंडे सेने में परिणत हुआ।
- मोगा पारिस्थितिकी तंत्र में संभावित बग भक्षक (इयोकैन्थीकोना फरसीसलाटा वूल्फ) को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल चारा विधि विकसित की गई थी।

- आर एंड डी प्रयासों ने 2005–06 के दौरान 48 किलोग्राम/100 डीएफएलएस से 2019–20 के दौरान 65 किलोग्राम/100 डीएफएलएस तक उपज में सुधार करने में सहायता की है।

4.3.4.4 कोकून-पश्च प्रौद्योगिकी का विकास :

- एरी कताई के लिए मिनिएचर अवधारणा के अंतर्गत मशीनरी की एक इष्टतम लाइन विकसित की।
- कुछ ऐसे रसायनों की पहचान की जिनमें शहतूत रेशम के लिए घुलनशीलता वर्ण है।
- वान्या रेशम कोकूनपश्च क्षेत्र में : तसर और मोगा कोकून की गीली रीलिंग, तसर सिल्क के लिए साइजिंग मशीन, तसर कोकून के लिए संशोधित ड्राई रीलिंग मशीन, प्रेशराइज्ड हांक डिगमिंग मशीन और सिल्क रीलिंग वॉटर के पुनर्चक्रण के उपकरण क्षेत्र में प्रचारित किए जा रहे हैं।
- अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले भारतीय रेशम का उपयोग करके विविधीकृत रेशम बुने हुए वस्त्र उत्पादों/वस्त्रों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- भिन्न उबालने और भाप के समय के साथ मिश्रित सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के विभिन्न संकेन्द्रणों के साथ डाबा, रेली और मॉडल इकोरेसिस के लिए पैकेज विकसित किए गए जो रेशम फाइब्राइन के रंग/चमक तथा टेन्साइल गुणों को प्रभावित किए बिना कुकिंग दक्षता और रीलिंग निष्पादन में सुधार करेंगे। यह प्रौद्योगिकी लागत प्रभावी है और रसायन आसानी से उपलब्ध हैं।
- सोलर कुकर और कम बिजली की खपत वाले हॉट एयर ड्रायर की डिजाइनिंग और निर्माण को पूरा किया गया।
- आर एंड डी प्रयासों ने रेंडिटा में सुधार करके इसे वर्ष 2005–06 के दौरान को 8.2 से वर्ष 2019–20 के दौरान इसे 7.3 करने में सहायता की है।

4.3.4.5 उत्पाद डिजाइन विकास और विविधीकरण :

- निफ्ट मुंबई और भुवनेश्वर के साथ चल रही सहयोगात्मक परियोजनाओं को मध्य प्रदेश के बाग, महेश्वर तथा उड़ीसा के नुवापटना और संबलपुरी जैसे क्लस्टरों में नए उत्पादों के विकास के साथ जारी रखा गया है। दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत उत्पादों का विकास पूरा हुआ।
- विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और सिल्क मार्क प्रदर्शनियों में भाग लिया और नए विकसित सिल्क उत्पादों को प्रदर्शित किया।

4.3.4.6 पेटेंट प्राप्त/व्यावसायीकरण के लिए पेशकश की गई प्रौद्योगिकियां/उत्पाद :

- शहतूत रेशमकीट की समक्रमित परिपक्वता के लिए अमरंथासी वीड से फाइटोडिस्टीरियॉइडस प्राप्त करने की प्रक्रिया।
- सेरी अपशिष्ट को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया (पेटेंट संख्या 337598 दिनांकित 29.05.2020) सीएसआरटीआई मैसूर ।
- सेरीसीलिन (पेटेंट संख्या 342953) सीएसआरटीआई बरहामपुर।

4.3.4.7 रेशमकृषि विकास में सुदूर संवेदन (आरएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के अनुप्रयोग :

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने एनईएसएसी, शिलांग के सहयोग से इस परियोजना नामतः " रेशमकृषि विकास में सुदूर संवेदन (आरएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के अनुप्रयोग" को लिया है और सफलतापूर्वक दो चरणों में पूरा किया है तथा इन तकनीकों का उपयोग प्रभावी ढंग से उपयोग सभी चार प्रकार के रेशमकृषि क्षेत्रों नामतः शहतूत, तसर, मूगा और एरी के अंतर्गत देश में 26 राज्यों में फैले 178 ''सिल्क्स'' जिलों (उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 41 जिलों सहित) में रेशमकृषि को शुरू करने के लिए नए उपयुक्त/संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

इस परियोजना अवधि के दौरान, एक ''सिल्कस'' वेब पोर्टल (रेशमकृषि सूचना लिंकेज और ज्ञान प्रणाली) विकसित किया गया है, जो रेशमकृषि से संबद्ध योजनाकारों, फील्ड कर्मचारियों और किसानों के उपयोग के लिए एक आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) आधारित सूचना और परामर्शी सेवा प्रणाली है सिल्कस वेब पोर्टल वर्तमान में उन 178 ''सिल्क'' जिलों में सभी रेशमकृषि क्षेत्रों को कवर करते हुए उपयुक्त/संभावित भूमि क्षेत्र के कुल 134.00 लाख हेक्टेयर के स्थानिक डेटा को सहेजे हुए है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ''सिल्क'' जिले को रेशमकृषि आयोजना, किसान परामर्श और जिले के लिए विशिष्ट अन्य सेवाओं पर 16 गैर–स्थानिक मॉड्यूल द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जो भारत की 12 प्रमुख स्थानीय भाषाओं में बहुभाषी रूप में उपलब्ध कराया गया है। राज्य के रेशमकृषि विभागों, उनके विस्तार अधिकारियों और रेशमकृषि के विकास में दिलचस्पी रखने वाली अन्य सभी एजेंसियों के लिए सिल्कस वेब पोर्टल बहुत उपयोगी है जो उपग्रह छवियों द्वारा इसके मानचित्रों और जलवायु उपयुक्तता, मौसम डेटा, मिट्टी की उर्वरता, मृदा पीएच, जल संसाधनों और भूमि उपयोग और भूमि कवर (एलयूएलसी) सूचना आदि द्वारा प्रदान की गई जानकारी का श्रेष्ठ उपयोग उन 178 "सिल्क्स" जिलों में रेशमकृषि गतिविधियों के और विस्तार के लिए करेंगे।

4.3.4.8. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण :

सीएसबी का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग अपने सभी अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ वर्ष 2020–2021 से क्षमता विकास जारी रखा और उद्योग के पणधारियों को इसे उजागर किया। प्रतिभागियों को विभिन्न संरचित तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से रेशम के सभी उप–क्षेत्रों (शहतूत, तसर, एरी व मूगा) को शामिल करते हुए रेशम क्षेत्र की अनुशंसित प्रौद्योगिकियों और अन्य आधुनिक विकास का प्रदर्शन किया गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 13498 (आंतरिक एवं उद्योग पणधारी सहित) व्यक्तियों को शामिल किया गया। वर्ष 2019–2020 के दौरान (दिसंबर, 2019 तक), 15750 व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न 'कौशल बीजारोपण' और 'कौशल विकास' प्रशिक्षण के लिए 4946 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.3.4.9. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) :

समाप्त परियोजनाओं से विकसित प्रौद्योगिकियों को विभिन्न विस्तार संचार कार्यक्रमों अर्थात् कृषि मेला, समूह चर्चा, प्रबोधन कार्यक्रम, क्षेत्र दिवस, कृषक सम्मिलन, दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, आदि के माध्यम से क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान सितंबर 2020 के अंत तक, कोकून–पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत कुल 38 ईसीपी आयोजित किए गए थे और संस्थानों द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकयों को 994 हितधारकों के मध्य प्रभावी रूप से अंतरित किया गया था। इसी प्रकार, 230 ईसीपी आयोजित किए गए थे और प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से कोकूनपश्च क्षेत्र के अंतर्गत हितधारकों के बीच अंतरित किया गया था। इसके अलावा, 34,142 नमूनों का विभिन्न मानकों यथा कोकून, कच्चे रेशम, कपड़े, रंगों, जल आदि के लिए परीक्षण किया गया।

4.3.4.10. सूचना प्रौद्योगिकी (सितम्बर 2020 तक सूचना प्रौद्योगिकी पहल) :

i. डीबीटी एमआईएसः ''रेशम उद्योग के विकास'' योजना के लिए डीबीटी एमआईएस का विकास पूरा किया गया और एसटीक्युसी द्वारा सुरक्षा लेखा–परीक्षा समाशोधन प्राप्त हुआ है। इसे डीबीटी भारत पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए एनआईसी क्लाउड सर्वर के साथ वीपीएन कनेक्शन प्राप्त किया गया है और यह कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है।

ii. एम–किसान : सीएसबी ने कृषकों को उनके मोबाइल टेलीफोन से एम–किसान वेब पोर्टल के इस्तेमाल द्वारा वैज्ञानिक सुझावों को प्रदान करने हेतु सूचना–प्रसार के लिए वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की पहुंच को और विस्तृत किया है। सभी मुख्य संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से सलाह प्रदान कर रहें हैं। 30.09.2002 तक 76,13,210 एसएमएस संदेशों के रूप में 724 परामर्श भेजे गए ।

iii. एसएमएस सेवा : कृषकों तथा उद्योग के अन्य पणधारियों के उपयोग के लिए रेशम तथा कोसों के दैनिक बाजार दर के संबंध में मोबाइल फोन के माध्यम से एसएमएस सेवाप्रचालित की गई है। पुश और पुल दोनों एसएमएस सेवा प्रचालन में है । रेशम उत्पादन निदेशालय से प्राप्त मोबाइल नम्बर को अद्यतन किया गया है और दैनिक आधार पर सभी पंजीकृत 12040 कृषकों को एसएमएस संदेश प्राप्त हो रहे हैं ।

iv. सिल्क पोर्टल : उत्तर–पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से छाया चित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना संपर्क एवं ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विकास किया गया और रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए उपयोगी क्षेत्रों के चयन एवं विश्लेषण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। बहुभाषी, बहु–जिला ऑकडा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।

v. वीडियो कान्फ्रेंस : केन्द्रीय रेशम बोर्ड में सीएसबी कॉम्प्लेक्स, बेंगलूरु, केरेअवप्रसं, मैसूरु व बहरमपुर, केतअवप्रसं, राँची, केरेअवप्रसं, पाम्पोर, केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में सुसज्जित वीडियो कान्फ्रेन्स सुविधा उपलब्ध है। 30.09.2020 तक 235 बहु–स्टुडियो वीडियो कान्फ्रेंस संचालित किए गए। इसके अतिरिक्त, कई वेब आधारित वीडियो कान्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी।

vi. सीएसबी वेबसाइट : केन्द्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट "csb.gov.in"द्विभाषी रूप अर्थात् अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से सामान्य नागरिकों के लिए, जिन्हें संगठन तथा इसकी योजनाओं एवं अन्य विवरण के बारे में जानना होता है, अधिकाधिक जानकारी प्रसारित की जाती है। वेबसाइट में रेशम उत्पादन योजना कार्यक्रम, उपलब्धियाँ तथा सफलता की कहानियाँ विशेष रूप से दी गई हैं। सीएसबी ने अपना नया वेबसाइट पूरा किया है और भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू अनुकूल तथा सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

vii. एईबीएएस : आधार सक्रिय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली केन्द्रीय रेशम बोर्ड में लागूकी गई है। उपस्थिति पोर्टल में फार्म कामगार सहित 4254 से अधिक कर्मचारी पंजीकृत है। सभी 121 उपकरण आर डी सेवा से युक्त है।

viii. कृषकों तथा धागाकारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस : राष्ट्रीय स्तर पर कृषकों तथा धागाकारों का डेटाबेस बनाने के लिए कृषक एवं धागाकार डेटाबेस को तैयार कर इसे विकसित किया गया है, इससे प्रभावी निर्णय लेने में समुचित सूचना के साथ नीति निर्धारकों को मदद मिलेगी। डेटाबेस में राज्यों द्वारा 30.09.2020 को यथा विद्यमान 7,33,680 कृषकों एवं 14,809 धागाकारों के विवरण रिकार्ड किए गए हैं।

ix. एनईआरटीपीएस पर एमआईएस "उत्तर पूर्वी राज्यों में गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन विकास परियोजना" : गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन के लिए एमआईएस विकसित कर सभी पणधारियों द्वारा बिना समस्या के इसे देखने के लिए समर्पित सर्वर पर होस्ट किया गया है।

x. एफआरडीबी कृषकों के साथ संपर्क करने के लिए बीपीओः प्रत्येक अंचल के नोडल अधिकारी एफआरडीबी ऑकडा आधार से मोबाइल नंबर लेते हुए चयनित कृषकों से नियमित रूप से संपर्क कर रहे हैं ।

4.3.5. बीज संगठन- रेशमकीट बीज उत्पादन तथा आपूर्ति

सीएसबी के पास राज्यों को बुनियादी बीज की आपूर्ति करने वाले बुनियादी बीज फार्मों की एक श्रृंखला है। इसके वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्र किसानों को वाणिज्यिक रेशम कीट बीज की आपूर्ति करने में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। देश भर में फैले इसके बुनियादी/वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्रों की नेटवर्क के माध्यम से राज्यों को बुनियादी और वाणिज्यिक बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए मलबरी हेतु राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएसओ), तसर के लिए बुनियादी तसर रेशम कीट बीज संगठन (बीटीएसएसओ), मूगा के लिए मूगा रेशम कीट बीज संगठन (एमएसएसओ) और एरी के लिए एरी रेशम कीट बीज संगठन (ईएसएसओ) स्थापित किए गए हैं।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2019–20 और 2020–2021 (सितम्बर, 2020 तक) के दौरान सीएसबी की बीज इकाईयों द्वारा लब्ध प्रगति का विवरण दर्शाता है :

(यूनिट : लाख डीएफएलएस)

मद	2019-20		2020-21	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (सितम्बर 2020 तक)
मलबरी	470	399.87	410	134.85
तसर	51.17	55.53	52.77	21.21
ओक तसर	1.48	0.44	0.576	0.014
मूगा	5.65	5.71	5.86	3.47
एरी	6.30	6.64	6.00	2.87
कुल	**534.60**	**468.19**	**475.206**	**162.414**

4.3.6. समन्वय तथा बाजार विकास

सीएसबी का लक्ष्य है "भारत विश्व में रेशम के अग्रणी देश के रूप में उभरे" और इस लक्ष्य परक कथन के समर्थन में बोर्ड ने सभी 3 विशेषक्षेत्रों – क) रेशमकीट बीज उत्पादन, ख) क्षेत्र/कोसा पूर्व क्षेत्र तथा ग) उद्योग अथवा कोसोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों एवं कार्यनीतियों को योजनाबद्ध किया है ।

सीएसबी के कार्यकलापों में अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन, 4 स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रख–रखाव, वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता पैरामीटर स्थापित करना, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम का उन्नयन तथा केन्द्र सरकार को रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों में सलाह देना। इन कार्यकलापों का संचालन विभिन्न राज्यों में स्थित 165 इकाइयों [01.10.2020 को यथा विद्यमान] के समूह द्वारा किया जा रहा है।

रेशम की बढ़ती आंतरिक मांग और भूमंडलीय ताप, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, शहरीकरण एवं नए नाशक जीवों और रोगों के प्रकोप की चुनौतियों को पूरा करने एवं रेशम उत्पादन क्षेत्र को वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान व विकास संस्थान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधान व विकास संस्थान कृषकों/विद्यार्थियों/पणधारियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

रेशम उद्योग के संपूर्ण विकास के लिए संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन विभाग ओर निजी उद्यमियों के समन्वय से केंद्रीय सेक्टर योजना ख्केसेयो, और रेशम उद्योग के विकास से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सीएसबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का भरपूर लाभ लिया जा रहा है ।

4.3.7 गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली :

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली का एक प्रमुख्य उद्देश्य यह है कि गुणवत्ता आश्चासन, गुणवत्ता निर्धारण और गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने के लिए समुचित उपाय किया जाए। योजनांतर्गत, दो घटकों यथा "कोसा एवं कच्चे रेशम के परीक्षण एकक" एवं "रेशम मार्क संवर्धन" को लागू किया जा रहा है। कोसों की गुणवत्ता से धागाकरण के दौरान निष्पादन तथा उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सीडीपी के समर्थन से विभिन्न कोसा बाजारों में स्थापित कोसा परीक्षण केंद्र कोसा परीक्षण के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं । क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणन केंद्र निर्यात किए जाने वाले रेशम माल को लदान पूर्व स्वैच्छिक निरीक्षण करते हैं, ताकि भारत से निर्यात किए जा रहे रेशम माल की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, भारत के रेशम मार्क संगठन ख्भा रे मा सं, के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्वता के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड "रेशम मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है। "रेशम मार्क", लेबल एक प्रकार

का आश्वसन है, जो शुद्व रेशम के नाम पर कृत्रिम रेशम उत्पादों को बिक्री करने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

वर्ष 2018–19 एवं 2019–2020 [दिसंबर, 2019 तक] के दौरान रेशम मार्क योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है :

विवरण	2018-19		2019-20	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य*	उपलब्धि [सितम्बर, 2020 तक]
नामांकित नये सदस्यों की	260	280	130	83
कुल सं.	27.00	29.71	15	6.637
बेचे गए रेशम मार्क लेबुलों की कुल सं. (लाख सं.)	500	549	2410	55
जागरुकता कार्यक्रम/प्रदर्शनी/मेले/कार्यशाला/रोड शो				

* वर्ष 2020–21 के लिए लक्ष्यों को कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण व्यापार में कमी की प्रवृत्ति के मद्देनजर काफी कम किया गया था।

4.3.7.1 रेशम मार्क प्रदर्शनी :

रेशम मार्क की विश्वसनीयता एवं लोकप्रियता को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से देशभर के रेशम मार्क प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए रेशम मार्क प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है । रेशम मार्क प्रदर्शनी लोकप्रियता का एक आदर्श मंच है जो शुद्ध रेशम उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए निर्माताओं और उपभोक्ताओं को एक ही मंच पर लाने का कार्य करती है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों का अच्छा व्यापार होता है। इस कार्यक्रम के दौरान एसएमओआई द्वारा प्रभावशाली जागरुकता और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। तथापि, कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण सुरक्षित दूरी इत्यादि पर सरकारी दिशानिर्देशों के मद्देनजर, 2020–21 के दौरान किसी भी तरह की भौतिक प्रदर्शनियों की योजना नहीं बनाई जा रही है। इसके बजाए, ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों पर सिल्क मार्क उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, एसएमओआई सिल्क मार्क के अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा 'सिल्क मार्क' के साथ 100 प्रतिशत शुद्ध रेशम उत्पादों को ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए मैसर्स Amazon.in के साथ एक समझौता कर रहा है।

आगे, मेसर्स फ्लिपकार्ट के साथ भी उनके प्लेटफॉर्म पर हमारे सिल्क मार्क अधिकृत उपयोगकर्ताओं के उत्पादों को ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए विचार–विमर्श किया जा रहा है।

4.3.8. योजना स्कीमों के लिए बजट आबंटन :

वर्ष 2019–20 एवं 2020–2021 [अक्तूबर, 2020 तक] के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सीएसबी को आबंटित बजट और उपगत व्यय निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

#	सीएसबी के कार्यक्रम	2019-20		2020-21	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय(अनंतिम) (अक्तूबर, 2020 तक)
	सिल्क समग्र (रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना)				
1.	अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहल	736.61	734.56	705	353.44
2.	बीज संगठन				
3.	समन्वय एवं बाजार विकास (एचआरडी)				
4.	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली एवं निर्यात/ब्रांड संवर्धन तथा तकनीकी उन्नयन				
	एससीसीपी	30.00	30.00	55.00	27.50
	टीएसपी	21.00	21.00	40.00	18.77
	कुल योग	787.61(*)	785.56(*)	800.00($)	399.71($)

(*)–वर्ष 2019–20 के दौरान 787.61 करोड़ रुपए की आबंटित राशि में "577.70 करोड़ रुपए का "जीआईए–वेतन घटक" और 785.86 करोड़ रुपए के व्यय में 481.29 करोड़ रु. का "जीआईए–वेतन घटक" मार्च 2020 तक के लिए शामिल है जिसके परिणामस्वरूप जीआईए–वेतन के तहत 2.05 करोड़ रुपए की बचत हुई जिसे वस्त्र मंत्रालय/भारत सरकार को अभ्यर्पित किया गया ।

($)– वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 800.00 करोड़ रुपए की आबंटित राशि में "546.00 करोड़ रुपए की "जीआईए–वेतन घटक" और 399.71 करोड़ रुपए के व्यय में 227.46 करोड़ रुपए का "जीआईए–वेतन घटक" अक्तूबर, 2020 तक के लिए शामिल है।

4.3.9. वर्ष 2020-2021 के दौरान सिल्क समग्र योजना के तहत अनुसूचित जाति उप-योजना ख्एससीएसपी, और जनजाति उप-योजना [टीएसपी] का कार्यान्वयन।

4.3.9.1. अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी)

वर्ष 2020–21 के दौरान वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने रेशम उत्पादन के तहत अनुसूचित जाति उप–योजना [एससीएसपी] के कार्यान्वयन के प्रति 30.00 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी है। वर्ष 2020–21 के दौरान एससीएसपी के तहत घटकों के कार्यान्वयन के प्रति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, ओडिशा और हरियाणा को 27.50 करोड़ रुपए (सितंबर, 2019 तक) की संपूर्ण स्वीकृत राशि विमोचित की गई ।

4.3.9.2. जनजातीय उप-योजना [टीएसपी]

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान रेशम उत्पादन के तहत जनजातीय उप–योजना [टीएसपी] के कार्यान्वयन के प्रति 20.00 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। अभी तक, वर्ष 2020–21 के दौरान टीएसपी के तहत घटकों के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छततीसगढ़ और तमिलनाडु को 8.77 करोड़ रुपए की संपूर्ण स्वीकृत राशि विमोचित की गई ।

4.3.10. तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना [एमकेएसपी]

सीएसबी द्वारा छः राज्यों में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ख्एमकेएसपी, के अंतर्गत 7160.96 लाख रूपए की लागत पर बहु–राज्य तसर परियोजना का समन्वय किया जा रहा है जिसे अक्तूबर, 2013 से ग्रामीण विकास मंत्रालय [5366.15 लाख रूपए] और सीएसबी [1794.81 लाख रूपए] द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना से झारखंड, उडीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं बिहार के राज्यों में अधिकतर वामपंथी उग्रवाद [एलडब्लूई] से प्रभावित 23 जिलों के सीमांत परिवार, विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर 36,000 संपोषणीय जीविका का सृजन हुआ है।

718 अनौपचारिक उत्पादक समूहों में कुल 36488 किसानों को शामिल किया गया है। निजी अपशिष्ट भूमि में 2738 किसानों द्वारा 1521 हेक्टेयर के तसर बागान तैयार किए गए है। 402 न्यूक्लियस बीज उत्पादकों ने 50 कोकून प्रति डीएफएल के मानदण्ड के प्रति 58.35 बीज कोकून प्रति डीएफएल की दर से 123.34 लाख बीज कोकून का उत्पादन करने के लिए 2.114 लाख डीएफएल न्यूक्लियस बीजों का उपयोग किया। 1704 बीज उत्पादकों ने 32 कोकून प्रति डीएफएल के मानदण्ड के प्रति 29.54 बीज कोकून प्रति डीएफएल की दर से 388 लाख बीज कोकून का उत्पादन करने के लिए बीटीएसएसओ और बीएसपीयू से 13.120 लाख डीएफएलएस के आधारभूत बीज की खरीद की। 367 निजी ग्रेन्योर ने 280.146 लाख बीज कोकून का प्रसंस्करण किया और 65.33 लाख वाणिज्यिक डीएफएलएस का उत्पादन 4.29:1 के कोकूनःडीएफएल अनुपात की दर से किया जबकि मानदण्ड 4:1 का है और परियोजना क्षेत्रों में 65.32 लाख वाणिज्यिक डीएफएलएस की आपूर्ति की गई। 14225 वाणिज्यिक पालकों ने विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत निजी ग्रेनेज से खरीदे गए 65 लाख डीएफएलएस का उपयोग करके, 2403 लाख रीलिंग कोकून का उत्पादन 37 कोकून प्रति डीएफएल की दर से किया।

4.3.11. अभिसरण

वस्त्र मंत्रालय, सीएसएस (रेशम समग्र) और एनईआरटीपीएस योजनाओं के अंतर्गत रेशम कृषि क्षेत्र के लिए सहायता दे रहा है। भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं की वित्तीय सहायता के अभिसरण से अतिरिक्त निधि की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है । राज्यों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019–20 के दौरान 1264.28 करोड़ रुपए के लिए प्रस्तुत परियोजना की तुलना में राज्यों को 1181.45 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 513.88 करोड़ रुपए आरकेवीवाई, मनरेगा और अन्य अभिसरण कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–2021 (सितम्बर 20 तक) के दौरान राज्यों ने 172.56 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, 69.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और अभिसरण के माध्यम से रेशमकृषि के लिए 32.45 करोड़ रूपए की निधियां प्राप्त की हैं। कुछ राज्यों से प्रगति रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

4.4 ऊन एवं ऊनी वस्त्र

4.4.1 केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन वर्ष 1987 में किया गया था जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

4.4.2 योजना बजट

एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक के लिए 112 करोड़ रुपये के योजनागत वित्तीय परिव्यय को स्वीकृत किया गया था और इस कार्यक्रम को चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 तक लागू करने के लिए बढ़ा दिया गया है। 112 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय में से, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए योजनागत आवंटन सीबीडब्ल्यूडी हेतु स्थापना और प्रशासनिक व्यय के लिए 4.00 करोड़ रूपए सहित 20 करोड़ रुपये है और जनवरी, 2021 तक ऊन क्षेत्र योजना अर्थात एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के अंतर्गत कुल व्यय 7.65 करोड़ रुपये है।

वस्त्र मंत्रालय

क. क्रियान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा

एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

ऊन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने नया एकीकृत कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) तैयार किया है जिसे स्थायी वित्त समिति की दिनांक 21.03.2017 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदित किया गया है। यह कार्यक्रम सभी हितधारकों जैसे ऊन उत्पादक को–ऑपरेटिव का गठन, मशीन शीप शियरिंग, ऊन विपणन/ऊन प्रसंस्करण/ऊनी उत्पाद निर्माण सशक्तिकरण की अनिवार्य आवश्यकता सहित ऊन क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया है। अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप के माध्यम से प्रमाणन, लेबलिंग, पश्मीना ऊन की ब्रांडिंग और औद्योगिक उत्पादों में दक्कनी ऊन के उपयोग पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पश्मीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए पुर्निर्माण योजना के नाम से आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यान्वयन के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके विभिन्न घटकों के अंतर्गत की गई प्रगति निम्नानुसार है–

(i) ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)

देश में कच्ची ऊन के विपणन पर और जोर देने के लिए ऊन के विपणन के लिए चक्रीय निधि के सृजन, लाभप्रद मूल्य पर ऊन की अधिक खरीद, ऊन उत्पादक सोसाइटी का निर्माण, बेहतर सुविधाओं के लिए ऊन की मंडियों के सशक्तिकरण के लिए सहायता हेतु देश के सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस) नामक एक नई योजना लागू की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत 250 लाख का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड राज्य में ऊन मंडी/ग्रेडिंग केंद्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जनवरी, 2021 तक 11.25 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(ii) ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)

यह योजना विभिन्न प्रकार की ऊन और ऊनी प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे– ऊन उतारने, सुखाने, कार्डिंग रंगाई, बुनाई, कताई, ऊन उत्पादन में फेलटिंग/गैर–बुनाई और ऊन व्यापारिक क्षेत्रों के लिए समान सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। यह नया अलग कार्यक्रम सभी प्रकार के ऊन और ऊनी प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए एक व्यापक सेवा पैकेज प्रदान करेगा, जिसमें रेशे की लंबाई को बढ़ाने और प्रति भेड़ ऊन उत्पादन को बढ़ाने के लिए मशीन से ऊन उतारने, गुणवत्ता मानकों के परीक्षण उपकरण, कंप्यूटर समर्थित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आदि शामिल होगा। ऐसे संयंत्रोंध केंद्रों की स्थापना करने से ऊन प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी और भारतीय ऊन उद्योग में मूल्यवर्धन से अधिक लाभ आएगा और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। जरूरतमंद व्यक्तियों को ऊनी उत्पादों की खरीद और वितरण, बुनाई मशीन, कताई चरखा आदि जैसे छोटे विनिर्माण उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत 150 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। दक्खनी ऊन के बेहतर उपयोग के लिए कर्नाटक राज्य में सीएफसी की स्थापना, 12 शीयरिंग मशीन और एक बेल प्रेस मशीन की खरीद के लिए जनवरी, 2021 तक 47.63 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(iii) मानव संसाधन विकास एवं संवर्धनात्मक क्रियाकलाप (एचआरडी)

विभिन्न विख्यात संगठनों/संस्थाओं/विभागों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चला कर कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है। योजना के अंतर्गत ऊन क्षेत्र के कुछ मुद्दों को प्राप्त करने और विकसित की गई नई प्रौद्योगिकी को प्रचार करने के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 200 लाख रुपये रुपये का प्रावधान इसकी विभिन्न गतिविधियों जैसे बोर्ड के स्वयं के ऊन परीक्षण केन्द्र के प्रचालन, बुनाई डिजाइनिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बाजार आसूचना नेटवर्क, जारी परियोजनाओं की निगरानी आदि के लिए 200 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है और जनवरी, 2021 तक बीकानेर में ऊनी उद्योग को ऊन परीक्षण सेवाएँ प्रदान करने और कुल्लू में बुनाई और डिजाइनिंग केंद्र में हथकरघा पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33.00 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(iv) ऊन विकास योजना (डब्ल्यूडीएस)

वस्त्र मंत्रालय ने 12वीं योजना की स्वास्थ्य देखभाल, नस्ल सुधार चारापूरक जैसे संघटकों के साथ भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस) की चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। चल रही परियोजनाओं की देनदारी को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 में 14.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

अ) पश्मीना ऊन विकास के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए पुनर्निर्माण योजना

माननीय प्रधान मंत्री ने 50 करोड़रुपये के बजट आवंटन के साथ पश्मीना ऊन के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। परियोजना में पश्मीना के विकास की परिकल्पना कच्चे पश्मीना के उत्पादन से लेकर पश्मीना उत्पादों के विपणन तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला के ऊर्ध्वाधर एकीकरण के माध्यम से की गई है। परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य में पश्मीना शिल्प से जुड़े मानव संसाधन के लिए आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, विश्व स्तर पर एक ब्रांड के रूप में पश्मीना की स्थापना करते हुए उत्पादकता, विविधीकरण, उत्पाद गुणवत्ता, विपणन अवसरों में सुधार करना है। कच्चे पश्मीना के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए परियोजना पश्मीना उत्पादों के विकास की प्रक्रिया में दक्ष और उत्पादक तरीकों को प्रारंभ करेगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 800 लाख रुपये का प्रावधान जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए इस पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 30 हेक्टेयर के एक चारे के खेत के विकास, 10 हेक्टेयर के दो चारे के खेत, एक फीड पैलेट बनाने वाले संयंत्र, पशु स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को सुदृढ़ करने, गार्ड रूम के साथ आश्रय शेड के निर्माण, भक्षक रोधी कोरल, आधारभूत स्टॉक के रूप में पश्मीना बकरियों का वितरण, टेंट आदि के लिए जारी परियोजनाओं हेतु 'संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए पुनर्निर्माण योजना' के अंतर्गत के अंतर्गत जनवरी, 2021 तक 416.75 लाख रूपए जारी किए गए है।

ख. निर्यात का रूझान:

डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऊन और ऊन मिश्रित उत्पादों का निर्यात किया गया है। 2019–20 और 2020–2021 (सितंबर, 2019 तक) के दौरान ऊनी उत्पादों के निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :–

उत्पादन	2019-20 (दिसंबर, 2019 तक)	2020-21 (दिसंबर, 2020 तक)
	रुपए करोड़ में	रुपए करोड़ में
आरएमजी ऊन	906.27	564.60
ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड–अप्स इत्यादि	981.14	577.36
हस्तनिर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	7327.63	7677.86
कुल	**9215.04**	**8819.82**
वृद्धि / कमी	4.28% कमी	

ग. आयात का रूझान

घरेलू उद्योग, अपैरल श्रेणी के ऊन के आयात पर बहुत अधिक आश्रित है। यह घरेलू उद्योगों को आयात पर आश्रित बनाता है। भारत कई देशों से कच्ची ऊन का आयात कर रहा है। आस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, तुर्की, आदि प्रमुख पांच आयात बाजार हैं। वर्ष 2019–20 और 2020–2021 (दिसंबर, 2020 तक) के दौरान कच्ची ऊन, ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स तथा सिलेसिलाए परिधान का आयात नीचे दिया गया है :

कच्ची ऊन का आयात

2019-20		2020-21 (दिसंबर, 2020 तक)	
मात्रा मिलियन किग्रा में	मात्रा मिलियन किग्रा में	मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रुपए में
69.21	62.20	62.20	449.34

ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेड-अप्स आदि का आयात

2019-20	2020-21 (दिसंबर, 2020 तक)
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य करोड़ रुपए में
752.53	348.70

आरएमजी का आयात

2019-20	2020-21 (दिसंबर, 2020 तक)
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य करोड़ रुपए में
114.94	72.10

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता

5.1 वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) क्रियान्वित कर रहा है। टीयूएफएस एक ऋण संबद्ध योजना है जिसका क्रियान्वयन पात्र निवेशों पर सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋणप्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

5.2 यह योजना आरंभ में अप्रैल, 1999 में 31 मार्च, 2004 तक अनुमोदित की गई थी और इसे तत्पश्चात 2004 से 2007 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2007 में यह स्कीम तकनीकी वस्त्र और गारमेंट के सेगमेंटों के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ आगे बढ़ाई गई थी और इसे संशोधित टीयूएफएस (एमटीयूएफएस) के रूप में जाना जाता है। यह योजना 29.06.2010–27.04.2011 के दौरान स्थगित रही जिसे 'ब्लैक आउट अवधि' के रूप में जाना जाता है। स्कीम को पुनर्गठित किया गया था और पुनर्गठित टीयूएफ योजना (आरटीयूएफएस) 28.04.2011 से 31.03.2012 तक क्रियान्वित की गई।

5.3 यह योजना फिर से 01.04.2012 से संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के रूप में संशोधित की गई थी और 11 जुलाई, 2016 तक क्रियान्वित की गई थी।

5.4 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):

5.4.1 एटीयूएफएस पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजी सब्सिडी के साथ 13 जनवरी, 2016 को आरआरटीयूएफएस के स्थान पर शुरू की गई थी। गारमेंट और तकनीकी वस्त्र जैसे सेगमेंट, जहां रोजगार और निर्यात की संभावना अधिक है 30 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 15% की दर पर पूंजी सब्सिडी के पात्र हैं। नए शटलरहित करघे (विविंग प्रीपेरेटरी और निटिंग सहित) के लिए वीविंग, प्रोसेसिंग, पटसन, रेशम और हथकरघा जैसे सेगमेंट 20 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 10% की दर पर सब्सिडी प्राप्त करेंगे। एटीयूएफएस के अंतर्गत विभिन्न सेगमेंटों की सब्सिडी की दरे और सीमा नीचे दी गई है :–

क्र.सं.	क्षेत्र	पूंजी निवेश सब्सिडी की दरें (सीआईएस)
1.	परिधान, तकनीकी वस्त्र	30 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 15%
2.	नए शटल–रहित करघों के लिए बुनाई (प्रीपेरेटरी बुनाई एवं निटिंग सहित), प्रसंस्करण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा	20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 10%
3(a)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्र–यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध मेंपात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत से 50% अधिक है।	30 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 15%
3(b)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्र–यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध मेंपात्र पूंजी निवेश 50% से कम है।	20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 10%

- दिशानिर्देशों में दिए गए उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:
  - 0 देश में आसानी से व्यवसाय को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन के उद्देश्य को प्राप्त करना और विनिर्माण में 'जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट' के साथ 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना।
  - 0 निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, वस्त्र उद्योग में आयात स्थानापन्न के साथ निर्यात को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करना। यह वस्त्र मशीनरी (बेंचमार्क

प्रौद्योगिकी वाली) के विनिर्माण में भी अप्रत्यक्ष रूप से निवेश को बढ़ावा देगा।

5.4.2 यदि इकाई ने पूर्व में आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया हो, तो वह नई अथवा मौजूदा इकाइयों के लिए एक एकल इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर शेष सब्सिडी की सीमा तक पात्र होगी।

5.4.3 एटीयूएफएस के अंतर्गत 12671 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं और नए मामलों के लिए 5151 रुपए की देयताओं को पूरा करने के लिए 2015–16 से 2021–22 तक सात वर्षों के लिए 17822 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इससे एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 35 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होगा।

5.4.4 यह योजना एक वेब आधारित एमआईएस सिस्टम (आई–टफ्स)के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है और मशीन की स्थापना किए जाने तथा उसकी जांच के पश्चात सब्सिडी सीधे इकाई को जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वस्त्र आयुक्त द्वारा बेंचमार्क वाली मशीन की खरीद का सत्यापन करने के लिए 100: संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण किया जाता है।

5.4.5 एटीयूएफएस के अंतर्गत 25.03.2021 तक 46860.70 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 11107 यूआईडी जारी किए गए हैं और 3378.73 करोड़ रुपए मूल्य की सब्सिडी जारी की गई है। एटीयूएफएस की सेगमेंट–वार प्रगति नीचे दी गई है:–

क्र. सं.	सेगमेंट का नाम	जारी किए गए यूआईडी संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रू. में)	सब्सिडी धनराशि (करोड़ रू. में)	रोजगार		
					नए	मौजूदा	कुल
1	गारमेंटिंग (15% सीआईएस)	1285	2692.03	266.178	84336	358973	443309
2	हथकरघा (10% सीआईसी)	89	69.1144	5.56617	457	222	679
3	पटसन (10% सीआईसी)	12	14.4741	1.18757	3258	15294	18552
4	बहु–गतिविधि (10% सीआईसी / 15% सीआईसी)	1925	21850.3	1401.64	143308	395298	538606
5	प्रसंस्करण (10% सीआईसी)	1218	4636.49	323.192	24595	160801	185396
6	रेशम (10% सीआईसी)	40	52.7911	3.66082	427	498	925
7	तकनीकी वस्त्र (15% सीआईसी)	403	2669.83	246.083	6221	20315	26536
8	विविंग (10% सीआईसी)	6135	14875.7	1130.55	52057	77085	129142
	कुल	**11107**	**46860.7**	**3378.06**	**314659**	**1028486**	**1343145**

5.4.6 वेब आधारित प्रक्रिया को सुचारू बनाने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एटीयूएफएस को एक समग्र समाधान बनाने के लिए 02.08.2018 को एटीयूएफएस के दिशा–निर्देशों में संशोधन किया गया है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(क) स्वचालित यूआईडी तैयार करना

(ख) डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करना

(ग) दस्तावेजों की कम संख्या

(घ) मशीन की सूची बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना

(ङ) जेआईटी निरीक्षण के दौरान अनुमोदन आईटीयूएफएस सॉफ्टवेयर में जियोटैग युक्त और टाइम स्टैंप युक्त फोटोग्राफ अपलोड करना

(च) सब्सिडी पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी इकाई के खाते में जारी की गई।

(छ) पहचान के लिए मशीनरी पर मशीन पहचान कोड उकेरा गया है।

5.4.7 इसके अतिरिक्त, जेआईटी रिपोर्ट / सब्सिडी दावे को आगे बढ़ाने सहित अनुमोदन की प्रक्रिया को सुचारू बनो के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनकीसूचनी नीचे दी गई है:

(क) **शक्तियों का प्रत्यायोजन :** यूनिटों को सीधे 5 करोड़ तक सब्सिडी को जारी करने के लिए एटीयूएफएस के बजट

शीर्ष को संचालित करने के लिए शक्तियां वस्त्र आयुक्त को प्रत्यायोजित की गई थी और 5.0 करोड़ रूपए से अधिक की राशि की सब्सिडी को 7 दिन के भीतर जारी करने के लिए आईएफडब्ल्यू की सहमति प्राप्त करने हेतु वस्त्र आयुक्त द्वारा अनुमोदन के पश्चात इसे वस्त्र मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(ख) जियो टैगिंग और डिजीटल हस्ताक्षर : मशीन की जियो टैगिंग प्रणाली क्रियान्वित की गई थी और आईटीयूएफएस में इकाइयों/बैंकों/वस्त्र आयुक्त के कार्यालयों द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर की शुरूआत की गई है।

(ग) दावों की कार्रवाई में विलंब को कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्ति करने की की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जेआईटी रिपोर्टें अनुमोदन के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को अग्रेषित किए जाने से पहले हर हालत में पूर्ण हों।

(घ) कट–ऑफ तिथि और जियो टैगिंग के संबंध में विभिन्न नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

(ङ) योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शित में सुधार करने के लिए पात्र दावोंध्मामलों की स्थिति और इस योजना के अंतर्गत लंबित मामलों को वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

(च) टीयूएफएस के पिछले संस्करण के अंतर्गत खरीदी गई मशीनों का सत्यापन करने का आदेश दिया गया है ताकि दावों की प्रमाणिकता का सत्यापन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेंचमार्क वाली मशीनरी की खरीद की गई है।

5.4.8 मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020, विशेष रूप से कोविड–19 अवधि के पश्चात, में प्रारंभ किए गए विभिन्न उपचारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान एटीयूएफएस के साथ–साथ टीयूएफएस के पिछले संस्करणों के अंतर्गत भौतिक सत्यापन के पश्चात होने निपटान होने वाले दावों में सुधार हुआ , जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है :

वित्तीय वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	निपटान किए गए मामलों की संख्या
2016-17	117	12
2017-18	568	50
2018-19	2352	469
2019-20	1914	932
2020-21(till 25.03.2021)	1350	2239

इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी की बाधाओं के बावजूद, दावों के निपटान की दिशा में अतिरिक्त प्रयास किए गए और वर्ष के प्रथम भाग का अधिकांश हिस्सा कोविड संबंधी चुनौतियों से निपटने वाला होने के बावजूद इसके परिणामस्वरूप 2239 मामलों को 25.03.2021 तक निपटाया गया था जबकि 2019–20 के दौरान 932 मामलों का निपटान किया गया था।

5.4.9 कोविड-19 *महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपाय :*

i. गैर–बुने हुए फाइबर के उत्पादन में रत तथा एन–95 मास्क और पीपीई किट के उत्पादन की क्षमता वाली तकनीकी वस्त्र यूनिटों की पहचान की गई। यह दृढ़ता का एक आदर्श उदाहरण है, जिसमें सरकारी तंत्र की सुविधाजनक शक्तियों को उद्योगों की उद्यमी शक्ति के साथ मिलकर मिलाकर चुनौती को वस्त्र क्षेत्र के लिए अवसर में बदल दिया गया था

ii. नकदी प्रवाह को आसान करके उद्योग को राहत देने के लिए, अप्रैल 2020 में एटीयूएफएस (आरआर टीयूएफएस सहित) योजना में एक विकल्प प्रस्तुत किया गया है। यह सब्सिडी जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक गारंटी (बीजी) के प्रति आंशिक सब्सिडी जारी करने की अनुमति देता है। अभी तक बीजी के प्रति 125.50 करोड़ रुपये (आरआर–टीयूएफएस के अंतर्गत 42 करोड़ रुपये सहित) मूल्य की कुल सब्सिडी जारी की गई है।

iii. आंतरिक तकनीकी समिति (आईटीसी) की 15 बैठकें एटीयूएफएस के अंतर्गत मशीन विनिर्माताओं को सूचीबद्ध करने के लिए 631 अनुरोधों की जांच के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से आयोजित की गईं, जिनमें से 350 को अब तक तकनीकी–सपोर्ट सुविधाजनक बनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

iv. तकनीकी सलाहकार निगरानी समिति (टीएएमसी) की बैठकें इस अवधि के दौरान नियमित रूप से वीसी मोड के माध्यम से एटीयूएफएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण तकनीकी और नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई हैं।

v. राहत देने/मंजूरी की गति बढ़ाने के लिए भी निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :

   क. लॉक डाउन अवधि के दौरान अटके हुए एटीयूएफएस के अंतर्गत दावों के लिए समयसीमा में विलंब को क्षमा करना।

   ख. समग्र भारत आधार पर वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ पीएफएमएस के अंतर्गत एजेंसियों (यूनिट/लाभार्थी) के पंजीकरण का विकेंद्रीकरण।

ग. वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रमुख शहर समूहों में आउटरीच शिविर का आयोजन करना।

घ. कार्यभार के अनुसार तेजी से निपटान के लिए वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच मामलों का पुनः वितरण।

ङ. लंबित टीयूएफएस संबंधित कार्यों के निपटान में तेजी लाने के लिए पीएससी, सूरत में कैंप कार्यालय की स्थापना।

5.5 टीयूएफएस के अंतर्गत बजट आवंटनः-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2014-15	2300	1885.02	1884.31
2015-16	1520.00	1413.68	1393.19
2016-17	1480.00	2610.00	2621.98
2017-18	2013	1913.15	1913.15
2018-19	2300	622.63	621.92
2019-20	700	494.37	317.89
2020-21	761.90	555.70	555.63*

* ओएई 25.03.2021 की स्थिति के अनुसार

5.6. परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) : मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 के संकल्प के माध्यम से परिधान क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) को भी अधिसूचित किया है। निर्दिष्ट गुणवत्ता वाली मशीनों की स्थापना के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने वाली परिधान इकाइयों को 3 वर्ष के पश्चात 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

इसलिए, परिधान इकाइयों ने निर्दिष्ट मशीनों के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत पूंजी निवेश सब्सिडी की सीमा को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में इकाई द्वारा उल्लिखित अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर 10% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के अंतर्गत एसपीईएलएसजीयू की भांति मेडअप्स इकाइयों की सीमा को 50 करोड़ रुपए तक बढ़ाते हुए उन्हें 10% अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तथापि, दिनांक 31.03.2019 तक की समय–सीमा के भीतर किसी इकाई ने अर्हता प्राप्त नहीं की है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सहायता

6.1 पृष्ठभूमि

6.1.1 वस्त्र क्षेत्र के लिए एक दृढ़ मानव संसाधन बनाने की दृष्टि से, विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र के सभी खंडों में प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल की आवश्यकता को देखते हुए, वस्त्र मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2010–11 से विभिन्न कौशल विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। व्यापक एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2017–18 के दौरान कुल 11.14 लाख लोगों को वस्त्र और परिधान, पटसन, कताई, बुनाई, तकनीकी वस्त्र, रेशमकृषि, हथकरघा और हस्तशिल्प के विभिन्न विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

6.1.2 आगे जारी रखते हुए, वस्त्र मंत्रालय ने समर्थ–वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना नामक कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए (संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर जिन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है) कुल 1300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 10 लाख लोगों के लक्ष्य को रखते हुए किया गया है)। प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की प्रौद्योगिकीय और बाजार मांग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत बनाया गया है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 20 दिसम्बर, 2017 को 1300 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक के लिए समर्थ नामक नई कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। नई योजना के दिशानिर्देश 23.04.2018 को जारी किए गए थे।

6.1.3 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 10.01.2020 के का.ज्ञा. सं.42/02/पीएफ–II/2014 के माध्यम से 31.03.2020 को समाप्त हो रही सभी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए समय–सीमा का अंतरिम विस्तार 31.03.2021 तक की अवधि या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए किया है।

6.2 समर्थ के कार्यान्वयन की प्रगति

6.2.1 आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी), प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नम्बर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑन–लाइन निगरानी आदि जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल रूपरेखा के अंतर्गत 'समर्थ' तैयार किया गया था।

6.2.2 कार्यान्वयन और निगरानी में सुलभता के लिए एक ठोस प्रणाली को बनाने के प्रयास के साथ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक के समाधान वाले एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जिसमें प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने, प्रस्तावों के ऑनलाइन डेस्क मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्रों के मोबाइल ऐप समर्थित भौतिक सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण के बाद प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण, एईबीएएस, मूल्यांकन के लिए अलग मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रमाणपत्र जारी करना आदि जैसे प्रावधान शामिल है, हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद समर्थ के अंतर्गत प्रचालनशील किया गया है।

6.2.3 इसके अलावा, कार्यान्वयन ढांचे की समीक्षा की गई थी और यह केवल राज्य सरकार की एजेंसियों, वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों, वस्त्र उद्योग इकाइयों और उद्योग संघों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु कार्यान्वयन भागीदारों के पास आवश्यक अवसंरचना होनी चाहिए और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बैक टू बैक व्यवस्था या उप–अनुबंध/आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रक्रियाओं/ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनाए गए प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं :

- सभी कार्यान्वयन भागीदारों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रणाली में योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध किए जाने तथा लक्ष्य

आवंटन के लिए सभी प्रकार के प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तावों का मूल्यांकन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भी किया जाता है।

- योजना के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्रों का समर्पित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवाया जाना है। इस उद्देश्य के लिए एक मोबाइल ऐप को प्रचालित किया गया है। प्रशिक्षण केंद्र की क्षमता को सत्यापन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है और प्रशिक्षण लक्ष्य का वास्तविक आवंटन प्रक्रिया के मूल्यांकन की क्षमता पर आधारित होता है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा जीवन चक्र ऑनलाइन एमआईएस में लिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को अनिवार्य कर दिया गया है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम की वास्तविक समय निगरानी रखने के लिए ऑनलाइन एमआईएस के साथ एकीकृत है।

6.3 सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के प्रारंभ में कार्यान्वयन की प्रगति

6.3.1 18 राज्य सरकारों को पारंपरिक और संगठित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 3.6 लाख लाभार्थियों के सैद्धांतिक प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इन राज्य एजेंसियों ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 14.08.2019 को मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठन (विकास आयुक्त–हथकरघा, विकास आयुक्त–हस्तशिल्प, सीएसबी और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड को पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल/कौशल उन्नयन के लिए 43,020 लाभार्थियों का प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है। एजेंसियों को प्रशिक्षण केंद्रों के भौतिक सत्यापन और लक्ष्य का औपचारिक आवंटन के लिए विस्तृत प्रशिक्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

6.3.2 आरएफपी प्रक्रिया के माध्यम से संगठित क्षेत्रों में उद्योग उन्मुख प्रवेश स्तर के कौशल और कौशल उन्नयन कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए उद्योग/उद्योग संघों को पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रशिक्षण केंद्रों के प्रस्तावों के मूल्यांकन और भौतिक सत्यापन पर, कुल 76 उद्योगों/उद्योग संघों को पैनलबद्ध किया गया है और उन्हें प्रवेश स्तर के कौशल के लिए 1.36 लाख लाभार्थियों का प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है।

6.3.3 इसके अलावा, भारतीय रेडीमेड वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए परिधान और परिधान खंडों में वांछित कौशलों की आवश्यकता पर उद्योग के साथ बड़े पैमाने पर चर्चा की गई। उद्योग की मांग के आधार पर, मौजूदा श्रमिकों के कौशल उन्नयन/पुनः कौशल प्रदान करने को शुरू करने के लिए उद्योगों/उद्योग संघों के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसके प्रति 62 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रशिक्षण केंद्रों के भौतिक सत्यापन के बाद कुल 44 उद्योग/उद्योग संघों को पैनलबद्ध किया गया है और 30,326 लाभार्थियों का प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है।

6.3.4 इस योजना में एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई के साथ कार्य करने वाले उद्योग संघों के लिए एक अलग आरएफपी आमंत्रित की गई थी। कुल 11 उद्योग संघों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण लक्ष्य के आवंटन के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है । अब तक 6 उद्योग संघों के लिए 34,572 के एक प्रशिक्षण लक्ष्य को मंजूरी दी गई है और शेष एजेंसियों को पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है।

6.3.5 जहां सरकार ने तकनीकी वस्त्रों में देश को वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को मंजूरी दी है, यह आवश्यक माना गया था कि प्रौद्योगिकय रूप से चुनौतीपूर्ण और तेजी से बढ़ते तकनीकी वस्त्र खंड क्षेत्र में मानव संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए इसमें कौशल विकास को व्यापक रूप से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। एनएसएफक्यू के साथ संरेखित किए गए कुल 6 पाठ्यक्रम पहले ही तकनीकी वस्त्र खंड की योजना के अंतर्गत अपनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, तेजी से बदलते तकनीकी वस्त्र उद्योग और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलीय कृषि आदि को कवर करने वाले अनुप्रयोगों से संबंधित इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं। ये पाठ्यक्रम उद्योग में प्रवेश करने वाले नए कर्मचारियों के लिए उच्च क्रम कौशल को लक्षित करेंगे जो कि खंड में तेजी से बदलती उच्च सिरे की प्रौद्योगिकी के साथ अपने को ढाल सकेंगे। तकनीकी वस्त्र खंड से संबंधित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विशेष रूप से प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित करने के लिए उद्योग/उद्योग संघों को पैनलबद्ध किए जाने के लिए एक अलग आरएफपी भी आमंत्रित की गई है।

6.4. कोविड–19 का प्रभाव

6.4.1 योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च, 2020 के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन साझेदारों द्वारा प्रारंभ किया गया था, तथापि, कोविड–19 के प्रकोप के मद्देनजर, कौशल प्रदान करने गतिविधियों को रोक दिया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि कई कार्यान्वयन भागीदारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने के बाद

महामारी के प्रसार से संबंधित मुद्दों के कारण अपने बैचों को स्थगित/रद्द करना पड़ा था। प्रभावी रूप से, मार्च से अगस्त, 2020 तक छह माह के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका।

6.4.2 तथापि, मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान कार्यान्वयन भागीदारों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित उपायों को प्रारंभ किया हैं :

i) **कार्यान्वयन भागीदारों के साथ निरंतर चर्चा**

प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिए कार्यान्वयन भागीदारों (राज्य एजेंसियों, उद्योगध्उद्योग संघ, क्षेत्रीय संगठनों) के साथ 15 से अधिक आभासी बैठकें आयोजित की गई हैं। उद्योग के संचालन के सामान्य होने और व्यापार की हानि, आर्डरों के कम होने, विपरीत प्रवास सहित विभिन्न कारणों के चलते भी योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन भागीदारों को लॉकडाउन अवधि के पश्चात के दौरान अपने कार्यक्रम बहाल करने/प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने में काफी समय लगा। निरंतर संपर्क से आईपी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करनेध्बहाल करने को सुकर बनाया गया।

ii) **ऑनलाइन टीओटी कार्यक्रम के लिए विशेष प्रावधान :**

चूंकि समर्थ योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रमों का प्रमुख भाग मशीनरी आधारित व्यावहारिक सत्र है, इसलिए कार्यक्रम को ऑनलाइन मोड में परिवर्तित करना संभव नहीं था। तथापि, इस योजना के प्रवेश स्तर और कौशल उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन टीओटी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष उपाय किए गए है। वैश्विक महामारी अवधि के दौरान प्रवेश स्तर के कौशल और कौशल उन्नयन के अंतर्गत 900 से अधिक प्रशिक्षकों को ऑनलाइन टीओटी कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है और ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रमाणित किया गया है।

iii) **प्रशिक्षण कार्यक्रम में वृद्धि करने के लिए और अधिक प्रशिक्षण केंद्रों को जोड़ना**

कोविड–19 वैश्विक महामारी के संबंध में सुरक्षित दूरी के मानदंडों के कारण, कार्यान्वयन भागीदारों को स्वीकृत प्रशिक्षण लक्ष्य के लिए अधिक प्रशिक्षण केंद्रों को पंजीकृत करने की अनुमति दी गई थी। अगस्त के महीने में आईपी द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्रों के पंजीकरण के लिए एमआईएस में विंडो खोली गई थी। पोर्टल में पंजीकृत 18 आईपी के कुल 292 प्रशिक्षण केंद्रों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया और प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी गई।

iv) **प्रशिक्षण केंद्रों का भौतिक सत्यापन**

आरएसए (वस्त्र समिति) और केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) द्वारा जुलाई से मध्य नवंबर, 2020 के दौरान एमआईएस में आईपी की बोर्डिंग को सुकर बनाकर प्रवेश स्तरीय कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए 400 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

6.4.3 हितधारकों के साथ चर्चा के दौरान प्रवेश स्तर के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नए कामगारों को कौशल प्रदान करने के अतिरिक्त, वस्त्र क्लस्टरों में मौजूदा श्रमिकों के बहु–कौशल/कौशल उन्नयनध्पुनः कौशल प्रदान करने को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में वस्त्र उद्योग द्वारा असंगत गुणवत्ता, उच्च अस्वीकृति/अपव्यय और प्रदाय में विलंब जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने के संदर्भ में बल दिया गया था। पाठ्यक्रम के भाग के रूप तकनीकी और जीवन कौशल के विकास, डिजिटल उपकरण, गति और उत्पादकता तथा प्रबंधन कौशल को बढ़ावा देने के माध्यम से कौशल उन्नयन पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया था।

6.4.4 वस्त्र उद्योग के सुझावों की जांच की गई और अन्य बातों के साथ कोविड–19 पश्च वैश्विक स्थिति में लाभ उठाने के लिए उनके प्रयास की दिशा में उद्योग की सहायता करने के लिए मौजूदा कर्मचारियों के कौशल उन्नयन/पुनः कौशलबद्ध करने पर बल देने के लिए कमद उठाए गए हैं।

6.5 बजट उपयोग की स्थिति

आरंभिक 2 वर्षों के दौरान, पिछली योजना अर्थात आईएसडीएस की देयता को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग किया गया था। निधियों का वर्षवार उपयोग निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग किया गया बजट
1	2017-18	173.99	100.00	100.00
2	2018-19	200.00	42.00	16.99
3	2019-20	100.50	102.10	72.06
4	2020-21	150.00	80.00*	58.53**
	Total	**624.49**	**324.10**	**247.58**

* प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2020–21 ** 09.03.2021 तक

6.6 प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति

समर्थ पहले ही वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास के समूचे क्षितिज को पूरा करने के लिए एक लक्षित मजबूत कार्यान्वयन रूपरेखा की स्थापना कर चुका हैं। अब तक, विभिन्न कार्यान्वयन भागीदारों ने 8.12 लाख

लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समग्र लक्ष्य का अनुरोध किया है। योजना के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, लक्ष्य के अंतिम आवंटन को भौतिक निरीक्षण के माध्यम से सत्यापित कार्यान्वयन भागीदारों को संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता के आधार पर प्राधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्राधिकार प्राप्त समिति द्वारा 3.3 लाख लाभार्थियों के कौशल–उन्नयन की प्रक्रिया, संबंधित कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। 31.03.2021 से आगे 2 वर्ष के लिए समर्थ का कार्यान्वयन जारी रखने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट)

वर्ष 1986 में स्थापित निफ्ट हमारे देश में फैशन शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और वस्त्र एवं अपैरल उद्योग को पेशेवर मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक रहा है। इसे भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2006 में एक सांविधिक संस्थान बनाया गया और भारत के राष्ट्रपति इसमें 'विजीटर' के रूप में शामिल है और इसके समूचे देश में पूर्ण रूप से तैयार कैंपस है। अपने साथ समझ और बौद्धिक अभिमुखीकरण की एक व्यापक श्रृंखला लाते हुए, पहले–पहल के अनुदेशकों में अंतर्राष्ट्रीय फैशन संस्थाओं से अग्रणी प्रगतिशील विद्वान शामिल थे। आंतरिक संकाय को बुद्धिजीवियों के एक विशिष्ट समूह से लिया गया था जिन्होंने गतिशीलता की एक समझ समाहित करते हुए प्रभावी अधिगम का एक मार्ग निकाला। नई दिल्ली में निफ्ट मुख्यालय में पुपुल जयकर हॉल कई शैक्षणिक विचारकों और दूरंदेशी लोगों की याद दिलाता है जो संस्थान को सफलता के पथ पर ले जाने में अग्रणी रहे थे। शैक्षणि ाक समावेशिता संस्थान की इन विस्तार योजनाओं में एक उत्प्रेरक है समय के साथ निफ्ट ने समूचे देश में अपनी शाखाएं खोली है। पंचकूला कैंपस इसकी नवीनतम उपलब्धि है। पेशेवर रूप से प्रबंधित इसके 16 परिसरों के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है जो यह सुनिश्चित करती है कि देश के विभिन्न भागों से भावी विद्यार्थी उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकें।

इसकी स्थापना के शुरूआती वर्षों से संस्थान का डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में फैशन शिक्षा में मजबूत आधार है। तभी से निफ्ट ने उच्च अकादमिक मानक प्राप्त किए हैं। संस्थान के शिक्षक अग्रणी पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, रचनात्मक विचारकों, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषणकर्ताओं के एक समुदाय के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

अपनी इस यात्रा के माध्यम से निफ्ट ने अपनी अकादमिक रणनीति को सुदृढ़ बनाया है। वैचारिक नेतृत्व, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने वाले, उद्योग केंद्रित, रचनात्मक उद्यम और सहयोगियों से सीखने को प्रेरित करने के संस्थान के अकादमिक आधार को और मजबूत बनाया है। रचनात्मक विचारकों की एक नई पीढ़ी का पोषण करने वाला संस्थान, स्नातक, स्नात्कोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विश्वस्तरीय सीखने की प्रक्रियाओं के विचार को प्रस्तुत करते हुए इस संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक भागीदारी की है।

निफ्ट फैशन शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति कटिबद्ध है। संस्थान का दृष्टि–पत्र चुनौतियों को स्वीकार करता है और उच्चतम शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने पर बल देता है। निफ्ट सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों को हासिल करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

विगत वर्षों में डिजाइन की भूमिका और संभावनाएं, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में कई गुणा विस्तार हुआ है। निफ्ट में हमने निरन्तर उद्योग से आगे को बने रहने और भारत में फैशन परिदृश्य को दिशा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्तमान और भावी मांगों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और निफ्ट के पास अब वर्धित सृजनात्मक संभावना और लचीलेपन के साथ एक नया और समय से बहुत आगे का पुनर्गठित पाठ्यक्रम है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं– मेजर्स और माइनर्स की अवधारणाएं, कार्यक्रम के भीतर विशेषसता और चुनने के लिए जनरल इलेक्टिव्स का समूह, जिससे छात्र व्यक्तिपरक विषयों में विशेषज्ञता हासिल कर सकें, एनआईएफटी को समय से काफी आगे ले जाते है।

स्नातक बैच, 2020

प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। वर्ष 2020 में अलग–अलग परिसरों ने अपने दीक्षांत समारोह आयोजित किए।

वर्ष 2020 में कुल 3077 स्नातकों ने उपाधियां प्राप्त कीं। परिसर–वार तथा कार्यक्रम–वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

परिसर–वार तथा कार्यक्रम–वार वर्ष 2020 में स्नातक हो रहे विद्यार्थियों का विवरण

अकादमी कार्यक्रम	बेंगलुरु	भोपाल	भुवनेश्वर	चेन्नई	गांधीनगर	हैदराबाद	जोधपुर	कांगड़ा	कोलकाता	कन्नूर	मुंबई	नई दिल्ली	पटना	रायबरेली	शिलांग		कुल
बैचलर ऑफ डिजाइन (एसेसरी डिजाइन)	30	32	30	28	36	34	31	28	29		31	33	32	26	27		**427**
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन कम्यूनिकेशन)	34		31	26	30	26	32	33	34	34	52	31	33	25		13	**434**
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन डिजाइन)	36		29	39	37	33	34	33	40	33	59	35	35	17	24	18	**502**
बैचलर ऑफ डिजाइन (निटवियर डिजाइन)	35			20		29			28	34	33	30					**209**
बैचलर ऑफ डिजाइन (लेदर डिजाइन)				26					34			37		21			**118**
बैचलर ऑफ डिजाइन (टेक्सटाइल डिजाइन)	31	34	32	25	34	28	30	27	30	24	35	34	33				**397**
बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (अपैरल प्रोडक्शन)	33		28	31	25	29	30	28	29	25	30	35	28				**351**
मास्टर ऑफ डिजाइन	32									32	31	31					**126**
मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट	36	32	31	33	34	33	31		28	28	35	33	31	24	21		**430**
मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी	22			18	21							22					**83**
कुल	**289**	**98**	**181**	**246**	**217**	**212**	**188**	**149**	**252**	**210**	**306**	**321**	**192**	**113**	**72**	**31**	**3077**

उपर्युक्त के अलावा, निफ्ट दिल्ली कैंपस के दीक्षांत समारोह 2020 में 3 छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधियां प्रदान की गई है।

निफ्ट द्वारा शुरू की गई परामर्शदात्री परियोजनाएं

निफ्ट विभिन्न सरकारों तथा गैर–सरकारी संगठनों के साथ परामर्शी परियोजनाएं संचालित करता है। यह परियोजनाएं शिक्षकों को अनुभव तथा छात्रों को प्रयोगशील शिक्षण के अवसवर उपलब्ध कराती हैं। इनसे तकनीकी कौशल उन्नयन तथा डिजाइन मूल्य में वृद्धि के द्वारा विभिन्न स्टेकहोल्डरों को लाभ प्राप्त होता है। निफ्ट द्वारा चलाए जा रही 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की प्रमुख परामर्शी परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है :–

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा स्वीकृत एनआईएफटी में खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत ऊंचे तबके के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए एक नया खादी उत्पाद विकसित करने की योजना और खादी ब्रांड को मजबूत करने के लिए करना। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र, पांच निफ्ट परिसरों अर्थात निफ्ट दिल्ली, निफ्ट कोलकाता, निफ्ट गांधीनगर, निफ्ट शिलॉन्ग और निफ्ट बेंगलुरु में हब

और स्पोक मॉडल में स्थापित किए जाएंगे। गतिविधियों के क्षेत्र खादी के लिए वैश्विक मानकों की बेंचमार्क डिजाइन प्रक्रियाएँ तैयार करना, नए वस्त्र और उत्पाद बनाना, वस्त्रों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रसार करना और दृश्य, बिक्री, खादी की पैकेजिंग ब्रांडिंग और प्रचार आदि है। परियोजना का मूल्य 20 करोड़ रूपए है।

- भारत के वस्त्र उत्पादन के हब कोयंबटूर में वस्त्र में उन्नत अनुसंधान के लिए एक केंद्र की स्थापना, वस्त्र और परिधान क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी के समर्थन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र को स्थापित करना। केंद्र का उद्देश्य मौलिक अनुसंधान, उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन करना है, ताकि आउटरीच, आर्थिक विकास, सहभागिता और विस्तार की सुविधा के लिए, अनुसंधान और शिक्षण के साथ मिलकर और मौलिक अनुसंधान, उत्पाद विकास, परीक्षण और निर्माण सेवाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार और भागीदारों के साथ कार्य करना है।
- शिल्प आधारित उद्यमों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की एक परियोजना, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा अनुमोदित की गई है। परियोजना शिल्प की ब्रिकी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण, स्थायी शिल्प–आधारित उद्यम बनाना, डिजिटल ज्ञान के अंतरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, रोजगार सृजन और बड़े बाजारों के साथ जुड़ाव और शिल्प क्षेत्र में उद्यमिता विकसित करना के माध्यम से शिल्प क्षेत्र के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगी। परियोजना का मूल्य 2.44 करोड़ रूपए है।
- 08 बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) अर्थात अहमदाबाद, भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, कांचीपुरम, मुंबई, वाराणसी और श्रीनगर में विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना करना। यह क्षेत्रीय विशेषता और प्रत्येक डब्ल्यूएससी के वस्त्र घटनाक्रमों को दर्शाने के साथ दृश्य पहचान के सृजन के माध्यम से डब्ल्यूएससी की दृश्य बिक्री और प्रत्येक डब्ल्यूएससी के लिए एक वार्षिक गतिविधि कैलेंडर बनाने को सुकर बनाएगा। परियोजना का मूल्य 7.60 करोड़ रूपए है।

- एनआईएफटी और ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के बीच 23 अक्टूबर, 2019 को नैदानिक अध्ययन के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में कारीगरों को हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला और साथ ही साथ विभिन्न ग्रामीण उत्पादों के विपणन के लिए तकनीकी समर्थन प्रदान करने, 15 डिजाइन हस्तक्षेप और उत्पाद विकास, कारीगरों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल/कार्यक्रम और कार्यशाला, गुणवत्ता सुधार, एमओआरडी आउटलेट्स के लिए स्थान और उनकी आंतरिक बनावट, ब्रांडिंग और संवर्धन आदि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- नवाचार और उद्यमशीलता को सुकर बनाने के लिए एक निफ्ट डिजाइन इनोवेशन इन्क्यूबेटर, (डीआईआई) की स्थापना और निम्नलिखित क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनआईएफटी, मुम्बई, नई दिल्ली और चेन्नई कैंपसों में इन्क्यूबेशन सुविधाएं (क्षेत्रीय इन्क्यूबेटर्स) स्थापित करने को सुकर बनाना :

  1. परिधान, घर और स्थान के लिए वस्त्र (दिल्ली)
  2. स्मार्ट पहनने योग्य वस्त्र (मुंबई)
  3. फैशन और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज (मुंबई)
  4. आराम और एक्टिव वियर सहित परिधान (चेन्नई)

  परियोजना का मूल्य 17.532 करोड़ रूपए है।

- विजननेक्स्ट–प्रवृत्ति अंतर्दृष्टि और पूर्वानुमान प्रयोगशाला परियोजना को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमता समर्थित देशीय फैशन पूर्वानुमान सेवा बनाने के लिए स्वीकृत किया गया है जो हमारे देश के लिए मौसमी फैशन प्रवृत्तियों को डिजाइन करने का प्रयास करती है। प्रवृत्ति पूर्वानुमान सेवा को हमारे राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताओं और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। परियोजना का मूल्य 20.41 करोड़ रूपए है।

- द रिपोजिट्री–भारतीय वस्त्र और शिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा वित्त पोषण सहायता के साथ निफ्ट क्लस्टर पहल के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। यह परियोजना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म/पोर्टल, वस्त्र और परिधानों का एक आभासी संग्रहालय मुहैया करवाती है, जिसमें डिजाइनर अभिलेखागार, शिल्पकारों, उनके समुदायों, उनकी कार्य प्रक्रियाओं और उत्पादों पर व्यक्तिगत जानकारी, मामला अध्ययन और शिल्प तथा वस्त्र के क्षेत्रों में अनुसंधान – निफ्ट, शिल्प संग्रहालय, बुनकर सेवा केंद्र और निजी संकलनों से शामिल होते है। परियोजना का मूल्य 15.57 करोड़ रूपए है।

- इंडियासाइज परियोजना पहनने के लिए तैयार वस्त्रों की बेहतर फिटिंग के लिए भारतीय आबादी के शरीर माप के आधार पर आकार चार्ट विकसित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना है। परियोजना का मूल्य 31 करोड़ रूपए है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद रेंज विकास, पैकेजिंग/प्रदर्शनी, फैशन शो और मीडिया के माध्यम से प्रचार, ई–मार्केटिंग पोर्टल्स के साथ संयोजन, ब्रांड निर्माण के लिए विकास हेतु पारंपरिक कलाधशिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन (उस्ताद) योजना के अंतर्गत निफ्ट एक ज्ञान भागीदार है। परियोजना का मूल्य 15.09 करोड़ रूपए है।

- निफ्ट, हथकरघा और वस्त्र विभाग, केरल सरकार के लिए मूल्य वर्धित हथकरघा उत्पाद योजना की ब्रांडिंग को लागू करने में एक ज्ञान भागीदार है। कुल परियोजना मूल्य 3.7 करोड़ रूपए है।

- निफ्ट, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (आईआईडीसी), ग्वालियर में योजना के अंतर्गत परिधान विनिर्माण में एक इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना के लिए एक ज्ञान भागीदार है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के परिधान विनिर्माण में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करने का एक पायलट चरण शामिल है।

- फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी विषयों के लिए ई–सामग्री का विकास – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सूचना और 16 संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईसीटी) योजना के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत 09 एमओओसी पाठ्यक्रमों के लिए द्वितीय चरण। परियोजना मूल्य 1.16 करोड़ रूपए है।

- एनआईएफटी को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन, डीपीआर तैयार करना, कार्यान्वयन में सहायता और परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए भागलपुर मेगा हैंडलूम क्लस्टर के एकीकृत

और समग्र विकास हेतु क्लस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसी के रूप में नियोजित किया गया है।

सतत शिक्षा कार्यक्रम

वस्त्र क्षेत्र में विकास की तीव्र गति के साथ उद्योग में इच्छुक और कार्यरत पेशेवरों की सतत शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उद्योग की जनशक्ति प्रशिक्षण और ज्ञान उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान 11 निफ्ट परिसरों में 46 सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 7,75,84,941/– रूपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2020–21 में निफ्ट ने 20,30,24,500/– रूपए (लगभग) के कुल प्रत्याशित राजस्व के साथ, 09 निफ्ट परिसरों में 76 पाठ्यक्रम (43 – एक वर्षीय कार्यक्रम, 21 – छह महीने और 12 – तीन महीने) की पेशकश की।

पेशकश किए जाने वाले सतत शिक्षा कार्यक्रमों के अतिरिक्त, एनआईएफटी ने शैक्षणिक वर्ष 2014 से डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करना प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और अन्य स्रोतों के इष्टतम उपयोग के लिए केंद्रों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना है।

डिप्लोमा कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य के उन स्थानीय छात्रों के लिए मूल्यवर्धित कार्यक्रमों की पेशकश करना है जहां नए एनआईएफटी परिसर स्थित है। वर्ष 2020–21 के दौरान, तीन डिप्लोमा कार्यक्रमों का आयोजन एनआईएफटी कैंपसों में किया गया था जिससे 1,13,28,200/– रूपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। वर्तमान में, नए शैक्षणिक सत्र के दौरान दो डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

निफ्ट के पुराने स्नातकों के डिप्लोमा को डिग्री में परिवर्तित करने की अनुमति देने के लिए पूरक कार्यक्रम के रूप में ब्रिज कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। आरंभ में इस ब्रिज कार्यक्रम की पेशकश 5 वर्ष (2009–14) के लिए की गई थी और बाद में इसे दो वर्ष (2014–16) तक बढ़ा दिया गया था। एल्यूमनी की मांग पर इस ब्रिज कार्यक्रम को वर्ष 2019–20 से दूरस्थ/ऑनलाइन पद्धति के रूप में पुनः शुरू किया जा रहा है। इस वर्ष का कुल इनटेक 39 है जिसमें से 17 अवर स्नातक (यूजी) ब्रिज कार्यक्रम (एफडीएण्डएडी) और 22 एक सेमेस्टर के लिए 48 परास्नातक (पीजी) ब्रिज कार्यक्रम (एलडी, केडी, टीडी, एफसी, जीएमटी एवं एएमएम) हैं।

उद्योग और पूर्व छात्र मामले - कैम्पस नियोजन

कोविड–19 वैश्वक महामारी के कारण कोई भौतिक नियोजन कार्यक्रम नहीं चलाए गए तथापि ऑनलाइन नियोजन प्रगति पर हैं जिसके माध्यम से छात्रों को नियोजित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लिंकेज

एनआईएफटी की अकादमिक रणनीति अंतरराष्ट्रीयता को अपनाती है। पिछले कई वर्षों में, निफ्ट ने सचेत रूप से अपनी अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता और विदेशों में अन्य प्रतिष्ठित फैशन संस्थानों के मध्य अपनी ख्याति में वृद्धि की है। एनआईएफटीके 27 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय फैशन संस्थानों और संगठनों के साथ रणनीतिक समझौते और साझेदारी हैं जो समान शैक्षणिक दिशा साझा करते हैं। एक तरफ यह एनआईएफटी छात्रों को सहयोगी संस्थानों के साथ आदान–प्रदान कार्यक्रम का अवसर देकर फैशन की वैश्विक मुख्य धारा के साथ एकीकृत होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है और दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत निफ्ट के साथ–साथ भौगोलिक क्षेत्रों के साथ संवाद करने के लिए, उनके दृष्टिकोण को विकसित करने तथा विविध संस्कृतियों को

समझने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में इसी तरह के 'विदेश में अध्ययन' के अवसर प्रस्तुत करता है।

एक शैक्षिक ग्रेडिएंट उपलब्ध कराने के लिए संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध छात्रों को अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं/सेमीनारों/अनुसंधान तथा अन्य गतिविधियों में भागीदारी दिलाता है। इसके अलावा, रणनीतिक समझौते फैकल्टी के आदान प्रदान के माध्यम से फैकल्टी स्तर पर शिक्षा या संयुक्त अनुसंधान प्रयासों को विस्तृत करने के विकल्प उपलब्ध कराते हैं। इससे निफ्ट फैकल्टी को विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के समान बनाकर शैक्षणिक विधियों तथा सुविधाओं के स्थायी अद्यतीकरण तथा उन्नयन सुनिश्चित होता है।

शिक्षण अध्यापन, अवधारणाओं और पेशेवर विचारों के आदान–प्रदान को सुकर बनाने के लिए, संकाय सदस्य शैक्षिणक आदान–प्रदान कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और व्यापार शो में भाग लेते है जिससे कक्षा में पर्याप्त अनुभव प्राप्त होता है और एनआईएफटी का ज्ञान पूल समृद्ध होता है।

जिन संस्थानों के साथ निफ्ट के संबंध है, वे निम्नवत हैं :

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	देशक्षेत्र
1	क्वींसलैंड यूनवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (क्यूयीटी)	ऑस्ट्रेलिया
2	रॉयल मेलबोर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरएमआईटी)	ऑस्ट्रेलिया
3	मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी (एमएमयू)	यूके
4	ईएसएमओडी	जर्मनी, फ्रांस
5	शवेजरीशचे टेक्स्टिल फाशुले एसटीएफ	स्विट्जरलैंड
6	फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एफआईटी)	अमेरीका
7	बफेलो में द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क कॉलेज	अमेरीका
8	एम्स्टर्डम फैशन इंस्टीट्यूट (एमएमएफआई)	नीदरलैंड
9	सैक्सियन यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज	नीदरलैंड
10	इकोले नेशनले सुपरीयर देस आर्ट्स एट इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल्स (ईएनएसएआईटी)	फ्रांस
11	इंस्टीट्यूटो यूरोपो डी डिजाइन (आईईडी)	इटली
12	नुओवा एकेडेमिया डी बेल्ली आरटी (नाबा)	इटली
13	डी मोंट फोर्ट यूनिवर्सिटी (डीएमयू)	यूके
14	ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट्स (जीएसए)	यूके
15	बीजीएमईए यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (बीयूएफटी)	बांग्लादेश
16	बंका गाकुएन यूनिवर्सिटी	जापान
17	द फैशन एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट (एफडीआई)	मॉरीशस
18	डोंगुआ यूनिवर्सिटी	चीन
19	यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्प्टन	यूके
20	इकोले डुपर्रे	फ्रांस
21	पोलीटेक्निको डी मिलानो (पीडीएम)	इटली
22	शेंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन	इजराइल
23	केईए– कोपेनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी	डेनमार्क
24	नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी	अमेरीका
25	सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन	अमेरीका
26	नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी	यूके
27	मैसी यूनिवर्सिटी	न्यूजीलैंड

2020-21 का छात्र आदान-प्रदान डाटा

संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शैक्षिक और सांस्कृतिक समृद्धि में अनुभव प्रदान करने के लिए निफ्ट की ओर भी आकर्षित करता है। विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से, विदेशी संस्थानों के छात्रों ने न केवल भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प में मूल्यवान अंतर्दृष्टि विकसित की है, बल्कि भारतीय बाजार और इसकी गतिशीलता को भी समझा है।			
सेमेस्टर आदान–प्रदान कार्यकम	जनवरी – जून 2020	बाहर जाने वाले	बीयूएफटी – 03 सैक्सियॉन – 02 एनसेट – 13 केईए – 03 डीएयू – 02
		आने वाले	बीयूएफटी – 04
	जुलाई – दिस्मबर 2020		शून्य
एसईपी (उड़ान योजना के अंतर्गत)	जनवरी – जनवरी 2020		01
ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम	एसटीसी 2020	जाने वाले	कोविड–19 की स्थिति के कारण शून्य
		आने वाले	22
दोहरी डिग्री अवसर फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एफआईटी), न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ एनआईएफटी की रणनीतिक साझेदारी, एनआईएफटी और एफआईटी दोनों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने के लिए एनआईएफटी से मेधावी छात्रों के चयन की अनुमति प्रदान करके एक अनूठा अवसर देती है। निफ्ट के छात्र होम इंस्टीट्यूट में दो वर्ष का अध्ययन करने के पश्चात बीच में एफआईटी में एक वर्ष अध्ययन करते है। इसके बाद, छात्र दोनों संस्थानों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने के लिए निफ्ट में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करते है।			

कोविड–19 के दुनिया भर में फैलने के कारण जून–दिसंबर 2020 और जनवरी–जून 2021 में कोई भी छात्र आदान–प्रदान नहीं हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 2020 में निफ्ट में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा:

आर्टस यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्नमाउथ ने 4 फरवरी 2020 को निफ्ट का दौरा किया। 7 फरवरी 2020 को नार्थ केरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी ने संस्थान का दौरा किया। फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एण्ड मर्केंडाइजिंग (एफआईडीएम) के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 3 अक्टूबर 2020 को दौरा किया।

नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर :

वर्ष 2020 में न्यूजीलैंड के मैसी विश्वविद्यालय, फ्रांस के एनामोमा फैशन स्कूल, यूएस के ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी और यूके के कोवेंट्री विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

संकाय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण और विकास (एफओटीडी)

एफओटीडी यूनिट सभी एनआईएफटी परिसर के आत्मनिर्भर रहने और बाहरी संकाय संसाधनों पर उनकी निर्भरता न्यूनतम करने को सुनिश्चित करने के लिए संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुकर बनाते है। इस वर्ष, वैश्विक महामारी के कारण, संकाय का प्रशिक्षण भिन्न तरीके से आयोजित किया गया था।

ऑनलाइन संकाय प्रशिक्षणः जून 2020 से प्रारंभ करके, निफ्ट ने सभी परिसरों में संकाय के लिए 13 ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए। ऑनलाइन प्रशिक्षण के मुख्य आकर्षण में उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री प्रदाय को सुकर बनाने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध विशेषज्ञों को आमंत्रित करना शामिल था। डिजिटल प्रिंट एडिटिंग तकनीक, कम संख्या वाले प्रबंधन, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, परफार्मेंस वस्त्र, स्मार्ट वस्त्र और पहनने योग्य वस्त्र जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षणों के लिए नियोजित प्रशिक्षक प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि आईआईटी–दिल्ली, आईआईएम–इंदौर, आईआईएम–शिलॉन्ग, एमआईसीए तथा अरविंद मिल्स, एडिडास और अमेजन जैसे उद्योगों से विशेषज्ञ थे। सेल्फ एंड सोसाइटी, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स और फैशन स्टाइलिंग जैसे विषयों के लिए प्रख्यात व्यक्तियों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण में इतिहासकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वास्तुकारों और व्यवसायिक क्षेत्र के नवाचारियों द्वारा सत्र शामिल थे। एनआईएफटी के वरिष्ठ संकाय और डोमेन विशेषज्ञों ने ऑनलाइन शिक्षण के उपकरणों और शिक्षण पर पाठ्यक्रम लेने में सहयोग किया। प्रत्येक विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण के दौरान समूचे संकाय को पढ़ाने, असाइनमेंट डिजाइन करने और मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु ऑनलाइन सत्र आयोजित किए। कुछ संकाय सदस्यों ने लोकप्रिय पोर्टल्स जैसे कि कोर्सेरा आदि द्वारा पेशकश किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को अपनाकर अपना कौशल उन्नयन किया।

सभी परिसरों में 400 से अधिक संकाय सदस्य विशेषज्ञों से अधिगम का लाभ लेने में सक्षम हुए थे। बड़ी संख्या में शामिल होने वाले ऐसे प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही संभव थे। एफओटीडी यूनिट ने अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए, ताकि निफ्ट भविष्य में ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से संकाय के लिए एक मिश्रित प्रशिक्षण की सुविधा जारी रख सके।

पेशेवर विकास नीति को संशोधित और बीओजी–एनआईएफटी द्वारा अनुमोदित किया गया था ताकि स्वयं के उन्नयन और पुनः अभिमुखीकरण के लिए भत्ते का उपयोग करने के लिए संकाय सदस्यों के लिए कई अन्य गतिविधियों को शामिल किया जा सके। इनमें शोध के लिए निर्धारित धन का उपयोग, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेना, पेटेंट दाखिल करना और सम्मेलनों में पेपर प्रस्तुत करना शामिल हैं। सभी संकाय सदस्यों के लिए उनकी योग्यता और रुचि के विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निधि के उपयोग को न्यायसंगत बनाने के लिए मानदंड बनाए गए थे।

शिल्प क्लस्टर

भारत में फैशन शिक्षा के एक अग्रणी के रूप में, निफ्ट अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के महत्व को समझता है और ऐसे जमीन से जुड़े डिजाइनरों को बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखता है जो भारत के विभिन्न शिल्पों की सराहना करने और उन्हें बढ़ावा देने में सक्षम हैं। कई शैक्षणिक गतिविधियाँ छात्रों को शिल्प क्षेत्र की वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने और क्षेत्रीय संवेदनशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सहायता करती हैं। निफ्ट में शिल्प क्लस्टर पहल छात्रों को शिल्प क्षेत्र की वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने और जमीनी स्तर पर क्लस्टर स्तर पर अनुभव साझा करने के अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस पहल के माध्यम से, निफ्ट फैशन में शिल्प को आत्मसात करने और इसके विपरीत में व्यापक जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करने में सफल रहा है। शिल्प क्लस्टर पहल कार्यक्रम एनआईएफटी के छात्रों को प्रत्येक वर्ष भारत के विविधतापूर्ण प्रचुर एवं अनूठे हथकरघा तथा हस्तशिल्प से एक व्यवस्थित, सतत और नियमित अनुभव प्रदान करता है। विशेषज्ञता के अनुरूप छात्र डिजाइन बुद्धि मता, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विकास, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ब्रांड प्रबंधन, खुदरा उद्यमशीलता, संगठनात्मक विकास और प्रणाली डिजाइन तथा विकास जैसे क्लस्टरों के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देते है। छात्र प्रक्रिया नवाचार, उत्पादन योजना और अनुसंधान आधारित सुधार और गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्रों में भी योगदान देते है। छात्र लोगों, पोस्टर, ब्रोशर और कैटलॉग जैसी प्रचार सामग्री के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प समूहों की अलग पहचान विकसित करने में कारीगरों और बुनकरों की सहायता करते हैं। प्रत्येक कैंपस ने 5 वर्ष की अवधि हेतु 2–5 शिल्प क्लस्टर अपनाए हैं।

सभी निफ्ट परिसरों ने विभिन्न क्लस्टरों के भीतर इन शिल्प क्लस्टर गतिविधियों का संचालन किया। इनमें हथकरघा के लिए क्लस्टर शामिल थे – चंदेरी मध्य प्रदेश; तंगालिया, सुरेंद्रनगर, सिंगल इक्कत, सुरेंद्रनगर, भसरिया बुनाई, मेहसाणा; कच्छ का काला कपास और दरियां; कलना– समुद्रगढ़–धात्रीग्राम हथकरघा क्लस्टर, बर्दवान (पूर्व), पश्चिम बंगाल; पारसी गारा – मुंबई; जरदोजी – मुंबई; पैठानी – येओला; सोलापुर साड़ी – सोलापुर; खुंद फैब्रिक/टेरी तौलिया – सोलापुर; सोलापुर बेडशीट – सोलापुर; कोसा सिल्क – भंडारा; हिमरू शॉल – औरंगाबाद; भागलपुर हैंडलूम क्लस्टर, भागलपुर, बिहार; एरी सिल्क वीविंग, प्लाशा और उम्डन, मेघालय; इल्कल हैंडलूम क्लस्टर, कर्नाटक; कांचीपुरम सिल्क हैंडलूम बुनाई। हस्तशिल्प समूहों में शामिल हैं–थोडा कढ़ाई, ऊटीय रोज वुड इनले, मैसूरु; बाग प्रिंट हस्तशिल्प, बाग, मध्य प्रदेशय ढोकरा शिल्प (बेल मेटल) बेतूल मध्य प्रदेशय गुहलडी, गोल्डन ग्रास (केंद्रपाड़ा); लकड़ी और जाली का काम दिल्ली; बीकानेर, राजस्थान; चंबा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश; नमदा, कच्छ – हस्तशिल्प; ब्लॉक प्रिंटिंग, देसा, बनासकांठा – हस्तशिल्प; बाटीक, कच्छ – हस्तशिल्प; बंजारा कढ़ाई – येलम्मा थंडाय वारंगल धुरियाँ और जनगांव; पत्थर पर नक्काशी और लकड़ी पर नक्काशी गया और पटना; अनेगुंडी गाँव, गंगावती, तालुक, कोप्पल जिला, कर्नाटक में कारीगरों द्वारा की जाने वाली केला रेशा कला; कोफ्तगिरी, पात्रा फर्नीचर, दर्पण जड़ना, संगमरमर जड़ना, टेराकोटा, चांदी के आभूषण उदयपुर, राजस्थान; गोंड आभूषण, अदीलाबाद और बांस शिल्प।

शिल्प आधारित स्नातक परियोजनाएं

वर्ष 2019 में, सभी निफ्ट कैंपस में पच्चीस छात्रों द्वारा छह हथकरघा क्लस्टर आधारित और उन्नीस हस्तकला क्लस्टर आधारित स्नातक परियोजनाएं शुरू की गईं। स्नातक सेमेस्टर के छात्रों ने टंगालिया बुनाई क्लस्टर में डिजाइन हस्तक्षेप, मुगा सिल्क हथकरघा क्लस्टर

(असम), मिजोरम की पून बुनाई, चंपा के कोसा रेशम, कलना हथकरघा क्लस्टर की जामदानी बुनाईय कोटपाडवीव का पुनरुद्धार और नवाचारय ओडिशा पापियर माछ शिल्प क्लस्टरय कांगड़ा के पाइन सुई शिल्प को बढ़ावा देनाय ग्वालियर कालीन क्लस्टर में डिजाइन हस्तक्षेपय दार्जिलिंग हाथ बुनाई क्लस्टर में डिजाइन हस्तक्षेपय गोवा में क्रोशेट का उत्पाद विकास, स्थिरता और मूल्यवर्धनय मेघालय के खेंगेंग कढ़ाई में पुनरुद्धार और नवाचारय पंजाब क्लस्टर में लोक खिलौनों और त्रिपुरी क्लस्टर में फुलकारी शिल्प में डिजाइन हस्तक्षेप, बोबिन लेस क्लस्टर, हैदराबाद में डिजाइन हस्तक्षेप जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शिल्प आधारित परियोजनाएं शुरू की थी। इन सभी परियोजनाओं को विकास आयुक्त हस्तकरघा और विकास आयुक्त हस्तशिल्प के कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था।

शिल्प बाज़ार

प्रत्येक निफ्ट कैंपस ने शिल्प बाजार आयोजित किया जहां अभिज्ञात कलस्टरों से कारीगरों तथा बुनकरों को आमंत्रित किया गया। इन शिल्प बाजारों को विस्तृत रूप से बढ़ावा दिया गया तथा इन्होंने बुनकरों तथा कारीगरों द्वारा विकसित उत्पादों की बिक्री हेतु मंच प्रदान किया। इस शिल्प बाजारों को स्थानीयसमाचार पत्रों में प्रकाशित होने के साथ सराहना प्राप्त होती है। कारीगरों ने इस प्रयास की उन्हें आमंत्रित करने तथा उन्हें शहरी बाजारों से परिचित करने तथा शहरी ग्राहकों की जरूरतों को समझने में सहायता करने के लिए सराहना की है।

शिल्प कोष

निफ्ट ने अपने हितधारकों हेतु श्रेणीबद्ध पहुंच प्रणाली में साथ शिल्प कलस्टर रिपोर्ट का एक स्थायी डिजीटल कोष विकसित किया है। निफ्ट का यह प्रयास शिल्प कलस्टरों में रचनात्मक नवाचार तथा अनुसंधान कारने वाले युवा डिजाइन व्यवसायिकों द्वारा डिजाइन पहल हेतु अवसर बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नए शिल्प कलस्टर प्रयास के उद्देश्यों के अनुरूप है।

शिल्प शोध और प्रलेखन निफ्ट के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है जो छात्रों के उनकी समृद्ध शिल्प विरासत के बारे में सुग्राहीकरण के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ वस्त्र मंत्रालय की अनूठी शिल्प क्लस्टर पहल कार्यक्रम को मिश्रित करता है। रिपॉजिटरी ने शिल्प दस्तावेजीकरण या परियोजना रिपोर्ट को संकलित करने की प्रक्रिया शुरू की है जो विभिन्न परिसरों में बिखरी हुई है। पिछले 3 वर्षों में विभिन्न परिसरों में शिल्प दस्तावेजों की इन्वेंटरी बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये रिपोर्ट नैदानिक अध्ययन और प्रक्रिया प्रलेखन के माध्यम से निफ्ट के छात्रों और संकायों द्वारा शिल्प समूहों में हस्तक्षेप के परिणाम हैं। शिल्प को निफ्ट समुदायों और अन्य के बीच सभी अनुसंधानों को अंतर संबंधित करने, प्रदर्शित करने और परिणाम साझा करने की आवश्यकता का एक ही पृष्ठभूमि पर निदान करेगा। निफ्ट हमेशा सूचना प्रसारण में अग्रणी रहा है और शिल्प कोष इस दिशा में एक मुख्य कदम है।

पीएचडी, अनुसंधान और आईपीआर

निफ्ट पूर्णकालिक और अंशकालिक डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अपनी उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों, डिजाइन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान के स्वतंत अनुसंधान और प्रसार के कारण जाना जाता है। यह कार्यक्रम शिक्षा और उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रयोग हेतु वास्तविक ज्ञान का निकाय बनाने के लिए वस्त्र, फैशन तथा परिधान क्षेत्र में अनुसंधान संचालित करने के लिए उद्देश्य से किया गया है।

पीएचडी कार्यक्रम हेतु परिणामों की घोषणा तथा जुलाई माह में पंजीकरण के साथ दाखिले की प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह के दौरान प्रारंभ होती है। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले हेतु योग्यता योग्यता पात्रता डाक्टर की उपाधि की डिग्री के दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

पीएचडी कार्यक्रम 2009 में 7 छात्रों के साथ शुरू किया गया था और वर्तमान में 34 छात्र एनआईएफटी से पीएचडी कर रहे हैं। कार्यक्रम की समय–सीमा के संबंध में, अंशकालिक अभ्यर्थियों से पांच वर्षों के भीतर पर्यवेक्षित अध्ययन पूरा करने की प्रत्याशा की जाती है, जिसे अधिकतम सात वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और पूर्णकालिक उम्मीदवारों से चार वर्षों के भीतर पर्यवेक्षित अध्ययन को पूरा करने की आशा की जाती है और इस अवधि के दौरान उन्हें मासिक वजीफे का भुगतान किया जाता है, और उनके अध्ययन को महानिदेशक, निफ्ट के विशिष्ट अनुमोदन द्वारा अधिकतम छह वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 28 विद्वानों ने अद्यतन तिथि तक पीएचडी कार्यक्रम पूरा किया है।

निफ्ट के संकाय सदस्यों के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई :–

- 18 जुलाई 2020 को एवी. मोनिका मोइसिन, बुखारेस्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, एलएलएम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, सांस्कृतिक आईपी राइट्स इनिशिएटिव के संस्थापक द्वारा आयोजित विजुअल साहित्यिक चोरी और उससे बचने के लिए नियम।
- 1 अगस्त 2020 को शिक्षण और अनुसंधान में शैक्षणिक सत्यनिष्ठा का व्यवहार : सिद्धांत से व्यवहार तक। कार्यशाला का संचालन डॉ. वर्तिका भारद्वाज, अनुदेश की एसोसिएट प्रोफेसर, ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय, अमरीका द्वारा किया गया था।
- अगस्त, 2020 को शैक्षणिक गतिविधियों में नैतिक सत्यनिष्ठा, वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. अमरेश चक्रवर्ती, अध्यक्ष, सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बैंगलोर, पीएच.डी. (इंजीनियरिंग डिजाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके) द्वारा।
- 26 जून 2020 को पेटेंटिंग और टीआईएफएसी की भूमिका को समझना। कार्यशाला का संचालन टीआईएफएसी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किया गया।

यूनिट प्रभारी आईपीआर डॉ. दीपक जोशी ने निफ्ट नई दिल्ली अभिमुखीकरण कार्यक्रम 2020 के दौरान छात्रों के नए भर्ती हुए बैच के लिए एक ऑनलाइन वर्कशॉप आईपीआर साहित्यिक चोरी पर आयोजित की।

प्रिंटेड वस्त्र डिजाइन औद्योगिक प्रक्रिया में नूतम विधि के लिए निफ्ट मुंबई के प्रोफेसर डॉ. किसलय चौधरी द्वारा आईपी के लिए आईपी मूल्यांकन समिति समीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

निम्नलिखित पेटेंट के लिए पेटेंट प्रक्रिया प्रारंभ की गई है :

- सेल्फ डिफेंस वीयरबल, संयुक्त खोजकर्ता डॉ. नूपुर आनंद और डॉ. दीपक पंघाल।
- कम्प्यूटरीकृत सिलाई कौशल मूल्यांकन प्रणाली, संयुक्त खोजकर्ता डॉ. प्रबीर जना और डॉ. दीपक पंघल (डिजाइन इनोवा के श्री दिनेश कुमार के साथ)।
- एडवांस नीडल गार्ड, खोजकर्ता – श्री सरफराज अहमद और डॉ. दीपक पंघाल।
- एसएनएलएस सिलाई मशीन के लिए पेडल–लेस अटैचमेंटय खोजकर्ता और स्व–वित्तपोषक श्री अभिषेक गंगोपाध्याय, श्री अंकुर मखीजा, निफ्ट गांधी नगर।
- औद्योगिक सिलाई मशीन के लिए स्वचालित डिटैचेबल साइकिल टाइम और आउटपुट कैलकुलेटरय खोजकर्ता सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, श्री अंकुर मखीजा, निफ्ट गांधी नगर, मैसर्स शाही एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड, फरीदाबाद द्वारा समर्थित और प्रायोजित।

- एक स्वचालित सिलाई सुई वेंडिंग मशीन, पेटेंट आवेदन संख्याः 201921006345, पेटेंट दायर करने की तिथिः 18.02.2019, खोजकर्ता : सुश्री अक्षिता मिश्रा, श्री अंकुर मखीजा, आवेदक – राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)।
- सिलाई मशीन के लिएएक मशीन द्वारा तोड़ी गई सुई को एकत्र करने वाला सिस्टम, पेटेंट आवेदन संख्याः 201921006747, पेटेंट फाइलिंग तिथिः 20.02.2019, खोजकर्ता : सुश्री इशिता उप्रेती, सुश्री नितिका यादव, श्री अंकुर मखीजा, आवेदक : राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)
- भारतीय पेटेंट आवेदन संख्या 201911053167, 20 दिसंबर, 2019 को दायर, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम पर, शीर्षकः एक सुई प्रतिस्थापन प्रणाली, खोजकर्ता : शेखर रवि, शुभम तिलारा, प्रबीर जना और सुहेल अनवर।
- डा. पावन गोडियावाला के नाम संयुक्त पेटेंट है (एटीआईआरए, अहमदाबाद के तीन अन्य खोजकर्ताओं के साथ) जो एक वस्त्र निर्माण इकाई में सिलाई मशीनों के लिए उत्पादन निगरानी प्रणाली से संबंधित है (पेटेंट संख्या 206591)।

एनआईएफटी डिजाइन नवाचार फाउंडेशन

वस्त्र मंत्रालय ने डिजाइन नवाचार इनक्यूबेटर परियोजना को मंजूरी दी है जिसमें 17.5 करोड़ के पूंजीगत व्यय का योगदान मंत्रालय द्वारा और 6.5 करोड़ के परिचालन व्यय का योगदान राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) द्वारा दिया जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत, वस्त्र मंत्रालय ने 25 जुलाई, 2020 को एनआईएफटी डिजाइन नवाचार फाउंडेशन नामक एक धारा 8 की कंपनी का गठन किया है। इस कंपनी का उद्देश्य वस्त्र और फैशन क्षेत्र में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है। एनएफडीआई चार इन्क्यूबेटरों की स्थापना कर रहा है, अर्थात् दिल्ली में एक घर और अन्य स्थान इनक्यूबेटर, मुंबई में स्मार्ट पहनने योग्य सिस्टम, मुंबई में फैशन और जीवन शैली, और चेन्नई में एक परिधान और एथलीजर इनक्यूबेटर।

चार इनक्यूबेटरों के प्रोटोटाइप विकास प्रयोगशालाओं के लिए खरीद प्रक्रिया मौजूद है, जबकि कई संभावित इनक्यूबेट, इन्क्यूबेशन–पूर्व चरण में हैं। इन्क्यूबेशन–पूर्व चरण के दौरान, संस्थापकों का ध्यान व्यापार के मूल्य प्रतिमानों को परिभाषित करने और व्यवसाय मॉडल कैनवस को विकसित करने का है।

वित्तीय वर्ष, 2020–21 के अंत तक, दो इनक्यूबेटर चालू होंगे, और पांच इनक्यूबेटी एनएफडीआई के अंतर्गत कार्य करेंगे।

शिल्प मेला

शिल्प मेला–2020 का आयोजन 6 से 8 नवंबर, 2020 को निफ्ट गांधीनगर में किया गया था। प्रो. डॉ. वंदना नारंग, डीन, निफ्ट ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन वर्चुअल रूप में किया और कारीगरों के साथ परस्पर चर्चा की। गुजरात के विभिन्न हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े कुल 17 कारीगरों ने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री में भाग लिया। जरदोसी – अरीभारत, कठपुतली शो/कठपुतली बनाना,

मटानीपाछेदी आदि के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई थी। कठपुतली बनाना, धातु का काम, सिंगल इकत पटोला, अशावली ब्रोकेड, अप्लीक जैसे प्रमुख शिल्पों को दर्शाया गया था। संकाय और छात्रों को शामिल करने वाली टीम ने सभी चालू हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए एक ई–कैटलॉग विकसित किया और इसे निफ्ट समुदाय और मित्रों के बीच साझा किया गया। शिल्पमेला 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम आदि पर भी प्रचारित किया गया।

सेवा सहकारी संघ जैसे एनजीओ सहित अन्य शिल्प हितधारकों और राज्य सरकार के संगठनों जिनका प्रतिनिधित्व गर्विगुर्जरी (जीएसएचएचडीसी) ने किया था, ने भी इस मेले में भाग लिया।

इस कार्यक्रम ने वर्तमान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों को अपने शिल्प कौशल और उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनका विपणन करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

शिल्प मेला का समापन समारोह पर 8 नवम्बर, 2020 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था । श्री शांतमनु, आईएएस, महानिदेशक, निफ्ट इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सभी भाग लेने वाले कारीगरों के साथ परस्पर चर्चा की तथा हथकरघा और हस्तशिल्प की बेहतरी के लिए ऐसी सभी पहल में निफ्ट के सहयोग का आश्वासन दिया।

अवसंरचना के लिए सहायता

एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

वस्त्र उद्योग को विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुवधिाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) 10वीं पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वित की जा रही है। इसकी परियोजना लागत में अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 40% वित्तीय सहायता के साथ आईटीपी की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन/सहायता के लिए सामान्य अवसंरचना और भवन शामिल हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीपी स्थापना में लोचशीलता प्रदान की गई है।

इस योजना के अंतर्गत कंपाउंड वॉल, सड़क, नाली, जलापूर्ति, कैपटिव विद्युत संयंत्र सहित विद्युत आपूर्ति, बहिस्राव शोधन, दूरसंचार लाइन जैसी सामान्य अवसंरचनाओं, परीक्षण प्रयोगशाला (उपकरण सहित), डिजाइन केंद्र (उपकरण सहित), परीक्षण केंद्र (उपकरण सहित), व्यापार केंद्र/प्रदर्शनी केंद्र, वेयर हाउसिंग सुविधा/कच्ची सामग्री डिपो, एक पैकेजिंग इकाई, क्रैच, कैंटीन, कामगार होस्टल, सेवा प्रदाता कार्यालय, श्रमिक विश्राम स्थल और मनोरंजन सुविधाएं, विपणन सुविधा प्रणाली (वैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज) आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए उत्पादन के लिए कारखाना हेतु भवन, संयंत्र एवं मशीनरी और वस्त्र इकाइयों के लिए कार्य स्थल और कामगारों के होस्टल, जो किराया/हायर परचेज आधार पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं, जैसी के घटकों के अंतर्गत वित्त पोषण किया जाता है।

भारत सरकार की कुल वित्तीय सहायता 40 करोड़ रुपए की अधि ाकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 40ः तक सीमित है। तथापि, भारत सरकार की सहायता अरुणालच प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 90% की दर से प्रदान की जाएगी।

अभी तक 56 स्वीकृत वस्त्र पार्क क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

क्रियान्वयन की स्थितिः

उपर्युक्त पार्कों के पूरी तरह से प्रचालनशील हो जाने पर लगभग 5333 वस्त्र इकाइयों के शुरू होने, लगभग 3,44,443 व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 26,529 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किए जाने की संभावना है।

इन 56 वस्त्र पार्कों में एसआईटीपी के अंतर्गत 1398.98 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अभी तक 23 पार्क पूरे हो गए हैं। ये हैं– ब्रांडिक्स –आंध्र प्रदेश, गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, मुंद्रा सेज, आरजेडी टेक्सटाइल पार्क, सूरत सुपर यार्न प्रा. लि., वराज आईटीपी, फेयरडील टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि., सयन टेक्सटाइल पार्क– गुजरात, मैट्रो हाइटैक को–ऑपरेटिव पार्क लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्रय पल्लाडम हाईटैक वीविंग पार्क, करूर टेक्सटाइल्स पार्क, तमिलनाडुय मदुरई एकीकृत वस्त्र पार्क, तमिलनाडु, इस्लामपुर एकीकृत वस्त्र पार्क, बारामती हाईटेक वस्त्र पार्क, दिशान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं लातूर इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क–महाराष्ट्र, लोटस इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, पंजाब, डोडबल्लापुर टेक्सटाइल पार्क, कर्नाटक, नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क और जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क प्रा.लि.–राजस्थान, पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लि. – तेलंगाना, अस्मिता इन्फ्राटेक प्रा.लि., महाराष्ट्र और प्राइड इंडिया कोऑपरेटिव टेक्सटाइल पार्क लि. महाराष्ट्र।

एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल निर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान योजना (एसएजीएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्योग में तेजी लाने और विशेष रूप से महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर यह योजना क्रियान्वित कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय पार्क में नई/अतिरिक्त अपैरल इकाइयों की स्थापना करने के लिए एसआईटीपी के अंतर्गत एकीकृत वस्त्र पार्कों को 10.00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत पालाडैम हाईटेक विविंग पार्क, तमिलनाडु के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है।

एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से अक्तूबर, 2013 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना का उद्देश्य समुद्री, नदी और शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) सहित उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थ बनाना है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्य में नई प्रसंस्करण इकाइयों वर्तमान वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों के समुन्नयन और नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा विधिवत अनुशांसित उपयुक्त प्रसतवों के साथ परियोजना लागत के 25% वहन की प्रतिबद्धता मंत्रालय के विचारार्थ अग्रेषित करें। आईपीडीएस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा नीचे दिए गए 8 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

i. बलोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और बलोतरा, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., बलोतरा द्वारा 18 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

ii. जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और जसोल, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., राजस्थान द्वारा 2.5 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

iii. सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा 12.3 एमएलडी जेडएलडी परियोजना की स्थापना करना।

iv. पाली, राजस्थान में 12 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी का उन्नयन।

v. गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, सूरत, गुजरात में 25 एनएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vi. विरूधनगर, तमिलनाडु में सदर्न जिला टेक्सटाइल प्रसंस्करण कलस्टर (प्रा.) लि. द्वारा 6 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vii. भवानी तालुका, इरोड जिला, तमिलनाडु में श्री भवानी सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र द्वारा 4 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

viii. 3.1 एमएलडी से 8.0 एमएलडी नेक्सटजेन वस्त्र पार्क, राजस्थान का उन्नयन।

स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत 88.82 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना का विस्तार किया गया है।

अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम) की शुरूआत 12.93 करोड़ रुपएध्उद्भवन केंद्र की दर से 38.80 करोड़ रुपए के प्रांरभिक परिव्यय के साथ जनवरी, 2014 में पायलट आधार पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य नए उद्यमियों को पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और प्लग एंड प्ले की सुविधा के साथ एकीकृत कार्यस्थल प्रदान कर अपैरल विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देना है जो नए उद्भवन केंद्र स्थापित करने में लगने वाले समय, लागत और प्रयासों को कम करने में उनकी मदद करेगा। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में एचएसआईआईडीसी, ओडिशा में एसपीआईएनएफईडी तथा मध्य प्रदेश में आईआईडीसी की एक–एक अर्थात कुल तीन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

वस्त्र उद्योग के कामगारों हेतु आवास (एसटीआईडब्ल्यूए)

वस्त्र कामगारों की आवास योजना की शुरूआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2014 में 45 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र एवं अपैरल उद्योग के कामगारों को वस्त्र एवं अपैरल उद्योगों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों के नजदीक सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। ऐसी दो परियोजनाओं को अक्तूबर, 2014 में स्वीकृत किया गया था जिनमें गुजरात इको–टेक्सटाइल्स पार्क प्रा.लि. तथा तमिलनाडु में पल्लाडम हाई–टेक विविंग पार्क प्रा.लि. शामिल हैं। दोनों परियोजनाओं को कार्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा कर लिया गया है।

तकनीकी वस्त्र

8.1. परिभाषा

''तकनीकी वस्त्र वस्त्र सामाग्रियां हैं और इन उत्पादों का निर्माण मुख्य रूप से सौंदर्य विशिष्टताओं के अलावा तकनीकी निष्पादन और कार्यात्मक उद्देश्यों हेतु किया जाता है।'

उनकी कार्यात्मक आवश्यकताओं और अन्त्य उपयोग अनुप्रयोगों के आधार पर तकनीकी वस्त्र विभिन्न श्रेणियों को 12 वर्गों में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है।

i. एग्रोटेक– (जैसे शैड नेटस, फसल–आवरण, आदि),

ii. मेडिटेक (जैसे डायपर, पीपीई, कांटेक्ट लेंस आदि),

iii. मोबिलटेक – (जैसे एयर–बैग, नायलॉन टायर कॉटस आदि),

iv. पैकटेक– (जैसे रैपिंग फैब्रिक, जूट बैग आदि),

v. स्पोर्टेक– (जैसे कृत्रिम टर्फ, पैराशूट आदि),

vi. बिल्डटेक– (जैसे आर्किटेक्चरल मेम्ब्रेन, होर्डिंग और साइनेज आदि),

vii. क्लोथेक – (छाते का कपड़ा, इंटरलिनिंग आदि),

viii. होमटेक– (ब्लेंड, आग प्रतिरोधी पर्दे, आदि),

ix. प्रोटेक– (बुलेट प्रूफ जैकेट, रासायनिक सुरक्षा कपड़े आदि),

x. जियोटेक– (जियो–ग्रिड, भू–कंपोजिट आदि),

xi. ओयेकोटेक– (पर्यावरणीय संरक्षण, आदि),

xii. इंडूटेक– (जैसे कंवेयर बेल्ट, बॉलटिंग क्लॉथ आदि)।

8.2 मंत्रालय द्वारा विगत में की गई पहलें:

8.2.1 तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी)

देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करने और बढ़ रही मांग को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने दिसंबर, 2010 में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) की शुरूआत की थी। टीएमटीटी के दो मिनी मिशन थे (क) उत्कृष्टता कैंप की स्थापना करनाय और (ख) बाजार विकास और फोकस उद्भवन केंद्रों की स्थापना करना। टीएमटीटी के अंतर्गत, 8 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना, मुंबई (2), गाजियाबाद, कोयंबटूर (2), कोल्हापुर, अहमदाबाद और थाणे में किया गया है। इसी प्रकार 11 फोकस उद्भवन केंद्रों (एफआईसी) का स्थापना की गई है जो देशभर में फैले हुए हैं इनमें आईआईटी खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली और कानपुरः निटरा, सिटरा, अटरा, डीकेटीई इंजीनियरिंग कॉलेज और पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय शामिल हैं।

8.2.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना

यह योजना 55 करोड़ रुपए के परिव्यय से वित्त वर्ष 2012–13 में शुरू की गई थी। एगोटेक्सटाइल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केंद्रों और शेष भारत में 10 प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत कुल 1218 एग्रो टेक्सटाइल्स किटों का वितरण किया गया है ओर 5012 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 48.23 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। प्राप्त प्रमुख लाभ थे (i) 30–45% जल संरक्षण (ii) कृषि उत्पादकता में दो गुना वृद्धि (iii) किसानों की आय में 60% वृद्धि हाने की सूचना दी गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2019–20 में बंद कर दी गई थी।

8.2.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो टेक्निकल टेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना:

यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने और जियो–टेक्सटाइल्स का उपयोग करने के लिए 427 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि (2014–15 से 2018–19) के लिए मार्च, 2014 में शुरू की गई थी। यह जागरूकता के निर्माण, परीक्षण दक्षता और पूर्वोत्तर क्षेत्र की अवसंरचना के लाभ के लिए प्रायोगिक परियोजना थी। इस योजना के अंतर्गत 12 सड़क परियोजनाएं, 11 जलाशय परियोजनाएं और 17 ढाल स्थिरीकरण परियोजनाएं शुरू की गई थी। सभी पूर्वोत्तर राज्यो (सिक्किम को छोड़कर) को लाभ हुआ है। अवसंरचना का जीवल काल लगभग दोगुना हो गया है और रखरखाव लागत 50% तक कम हो गई है। यह भी पाया गया था

कि 30% जल की हानि पर रोक लगी है। प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए यह योजना जारी रखी गई है।

8.3 तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में वर्तमान पहलें:

8.3.1 एचएसएन कोड की अधिसूचना (नामावली की एकीकृत प्रणाली): विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित आईटीसी (एचएस) कोड में तकनीकी वस्त्र के लिए कोई विशिष्ट अध्याय नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, या तो तकनीकी वस्त्र के रूप में घोषित की जा रही गैर–तकनीकी वस्त्र मदों का वर्गीकरण नहीं था अथवा व्यापार नीति के भाग के रूप में सही तकनीकी वस्त्रों का सही ढ़ग से संवर्धन नहीं किया जा रहा था। आयात–निर्यात सांख्यिकी का भी सही ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता था। काफी समय से उद्योग द्वारा तकनीकी वस्त्र के पृथक वर्गीकरण की मांग की जा रही थी। स्टेकहोल्डर के लाभों की मांग को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2019 में 207 एचएसएन कोडों का वर्गीकरण किया गया है और उन्हें आसानी से व्यापार करने की दृष्टि से तकनीकी वस्त्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

8.3.2 207 तकनीकी वस्त्र मदों की व्यापार सांख्यिकी:–

(करोड़ रुपए में)

	निर्यात	आयात	व्यापार शेष (निर्यात-आयात)
2018-19	14,012.82	15,577.71	-1,564.89
2019-20	12,924.32	14,290. 58	-1,366.26
2020-21			
(अप्रै.–सितं. 2020)	6,539.84	4,772.33	1,767.51

8.3.3 तकनीकी वस्त्र का अनिवार्य उपयोग: अनुप्रयोगों के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्र के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से 10 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में अनिवार्य उपयोग के लिए हाल ही में ब्यानबे (92) अनुप्रयोग क्षेत्रों की पहचान की गई है। अभी तक, 68 (अड़सठ) अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य उपयोग अधिसूचना जारी की गई है।

8.3.4 मानकीकरण: हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 377 तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए आईएस मानक प्रकाशित किए हैं।

8.3.5 कौशल विकास: तकनीकी वस्त्र में कौशल का अंतर इस क्षेत्र के विकास का एक प्रमुख कारक है। चूंकि मशीनरियों और संयंत्रों में विकसित प्रौद्योगिकी शामिल होती है इसलिए इन मशीनों को प्रचालित करने के लिए अत्यंत कुशल कार्मिकों की आवश्यकता होती है। उद्योग के अनुरोध पर वस्त्र मंत्रालय ने अपने कौशल विकास कार्यक्रम (समर्थ नामक) में तकनीकी वस्त्र के लिए 6 अतिरिक्त पाठ्यक्रम पहले ही शामिल किए हैं।

8.3.6 **बेसलाइन अध्ययन:** वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 2015 में पिछला बेसलाइन सर्वेक्षण किया था, और वर्तमान नीतियां सूचना पर आधारित हैं जो लगभग 5 वर्ष पुरानी है। इसी बीच आपूर्ति और मांग दोनों में तकनीकी वस्त्र उद्योग में कई ढ़ांचागत परिवर्तन किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आविष्कार किए जाने से भारतीय बाजार के कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अतएव, वस्त्र मंत्रालय ने आईआईटी, दिल्ली को एक नया बेसलाइन अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है जो उद्योग, उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सभी स्टेकहोल्डरों की भागीदारी को शामिल करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आईआईटी दिल्ली ने अपनी मध्यावधि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

8.3.7 **न्यूनतम खरीद मात्रा को अधिसूचित करना:** मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार ने दिनांक 23.10.2019 के अपने आदेश के माध्यम से तकनीकी वस्त्र के निम्नलिखित 10 क्षेत्रों की सार्वजनिक खरीद की न्यूनतम स्थानीय मात्रा को अधिसूचित किया है:–

क्र.सं.	तकनीकी वस्त्रों का विभाजन	न्यूनतम स्थानीय मात्रा
1	बिल्डटेक	80%
2	एग्रोटेक	80%
3	जियोटेक	50%
4	स्पोर्टेक	50%
5	पैकटेक	80%
6	मॉबिटेक	50%
7	क्लॉथटेक	80%
8	होमटेक	80%
9	इंडूटेक	50%
10	ओयोटेक	60%

8.4 राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

तकनीकी वस्त्र में देश को वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को वित्त वर्ष 2020–21 से 2023–24 की 4 वर्ष की क्रियान्वयन अवधि के साथ कुल 1480 करोड़ रुपए के परिव्यय से निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया है। इस मिशन में 4 घटक होंगे।

8.4.1 घटक–I (अनुसंधान, नवाचार और विकास) : यह घटक (i) कार्बन फाइबर, अरामेड फाइबर, नायलान फाइबर और कंपोजिट में नवीन प्रौद्योगिकी उत्पादों के उद्देश्य से फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान और (ii) जियो–टेक्सटाइल्स, एग्रो–टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, मोबाइल टेक्सटाइल्स और स्पोर्ट टेक्सटाइल्स तथा बायोडिग्रेडेबल तकनीकी वस्त्रों में अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान दोनों को बढ़ावा देगा। मौलिक अनुसंधान क्रियाकलाप पूल किए गए संसाधन की पद्धति पर आधारित होगा और इसे विभिन्न वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र (सीएसआईआर) प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अन्य विख्यात वैज्ञानिक/औद्योगिक/शैक्षणिक प्रयोगशालाओं में किया जाएगा। अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान (सीएसआईआर), आईआईटी, भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (एनएएल), भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) और ऐसी अन्य विख्यात प्रयोगशालाओं में किया जाएगा।

8.4.2 घटक –II (संवर्धन और बाजार विकास) : भारतीय तकनीकी वस्त्र क्षेत्र 16 बिलियन अमरीकी डालर का होने का अनुमान लगाया है जो 250 बिलियन अमरीकी डालर के वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार का 6% है। भारत में तकनीकी वस्त्र के पहुँच का स्तर का विकसित देशों में 30–70% की तुलना में बहुत कम 5–10% के बीच है। इस मिशन का उद्देश्य बाजार विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश संवर्धन, और 'मेक इन इंडिया' पहलों के माध्यम से वर्ष 2024 तक घरेलू बाजार के आकार को 40–50 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक ले जाने के लिए 15–20% की दर से वार्षिक औसत वृद्धि करना होगा।

8.4.3 घटक – III (निर्यात संवर्धन): इस घटक का उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के निर्यात को 14000 करोड़ रु. के वर्तमान वार्षिक मूल्य से बढ़ाकर 2020–21 तक 2000 करेड़ रु. करना और 2023–24 तक निर्यात में प्रतिवर्ष 10% औसत वृद्धि सुनिश्चित करना है। इस क्षेत्र में प्रभावी समन्वय और संवर्धन क्रियाकलाप के लिए तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया जाएगा।

8.4.4 घटक–IV (शिक्षा ,प्रशिक्षण, कौशल विकास) : देश में शिक्षा, कौशल विकास तथा मानव संसाधनों की उपयुक्ता प्रौद्योगिकीय चुनौतीपूर्ण तथा तीव्र विकासशील तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के अनुसार पर्याप्त नहीं है। यह मिशन तकनीकी वस्त्र अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि तथा डेरी भागों को शामिल करने वाले अनुप्रयोग क्षेत्रों से संबंधित उच्चतर अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा। संबंध प्रगतिशील तकनीकी वस्त्र निर्माण इकाइयों की आवश्यकता पूर्ति हेतु कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उच्च कुशल श्रम संसाधनों को उपयुक्त निकाय बनाया जाएगा।

यह मिशन रणनीतिक क्षेत्रों सहित देश में विविध प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग पर संकेंद्रित होगा। कृषि, मतस्य पालन, डेरी, कुकुटपालन आदि में तकनीकी वस्त्र का प्रयोग, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत मितव्ययता जल तथा मृदा संरक्षण, बेहतर उत्पादकता तथा भारत में निर्माण तथा निर्यात क्रियाकलापों के अलावा कृषकों के प्रति एकड़ स्वामित्व से उच्चतर आय में सुधार लाएगा। राजमार्गों, रेलवे तथा बंदरगाहों में जियो टेक्सटाइल के प्रयोग से सुदृढ़ अवसंरचना कम रखरखाव लागत तथा अवसंरचना परिसंपत्तियों की जीवन चक्र उत्तम होगा।

नवप्रवर्तन तथा उद्भवन केंद्रों तथा 'स्टार्ट–अप तथा जोखिमों' के संवर्धन के निर्माण के साथ–साथ मिशन द्वारा युवा अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी विज्ञान मानकों और स्नातकों के बीच नवप्रवर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान नवप्रवर्तन तथा विकास क्रियाकलापों के माध्यम से इस प्रकार अर्जित सूचना के आसान तथा आंकलन योग्य प्रसारण हेतु अनुसंधान परिणाम सरकारी 'ट्रस्ट' में रखे जाएंगे।

अनुसंधान का एक उप–घटक बायो–डिग्रेडेबल तकनीकी वस्त्र पदार्थों के विकास पर विशेषतया एग्रो टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स तथा चिकित्सा वस्त्रों हेतु विकास पर संकेंद्रित होगा। यह चिकित्सा तथा स्वच्छता अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण पर जोर दिए जाने के साथ उपयोग हो चुके तकनीकी वस्त्रों के पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल निस्तारण हेतु उपयुक्त उपकरणों को भी विकसित करेगा।

संबंधित क्षेत्र में विख्यात विशेषज्ञ की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय में एक मिशन निदेशालय क्रियाशील किया जाएगा। यह मिशन चार वर्षों की अवधि के पश्चात अंतिम चरण में प्रवेश करेगा।

स्वदेशी पीपीई बॉडी कवरॉल्स का विकास

9.1 पृष्ठभूमि:

दिसंबर, 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर से कोरोनावायरस के प्रसार के साथ दुनिया को एक अभूतपूर्व संकट और चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसे कोविड –19 का नाम दिया गया। कोरोनावायरस के कारण, एहतियात और उपचार ने हर देश को आश्चर्य में डाल दिया। भारत ने इस महामारी जिसे 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था, का न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त उपाय किए थे और एक रणनीतिक तैयारी तथा प्रतिक्रिया योजना जारी की थी।

कोरोनावायरस के प्रसार और गंभीरता के खतरनाक स्तर दोनों से चिंतित, डब्ल्यूएचओ ने एक आकलन किया और वायरल संक्रमण को 11 मार्च, 2020 को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया।

जैसे ही भारत को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सक्रिय कर दी थी।

बॉडी कवर्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का हिस्सा हैं, जो कोविड –19 मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों को उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट सुरक्षात्मक सूट हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित इसकी कठोर तकनीकी आवश्यकताएं हैं।

मार्च 2020 से पहले, सीओवीआईडी –19 (आईएसओ 16003 मानक के तहत श्रेणी –3 जोखिम स्तर के रूप में वर्गीकृत) के लिए उपयुक्त बॉडी कवर का निर्माण देश में नहीं किया जाता था, इन्हें आमतौर पर चीन, अमेरिका और यूरोप में उनकी विनिर्माण क्षमता वाले स्रोतों से आयात किया जाता था। इससे पूर्व देश में कोविड किस्म के वायरस के लिए उपयुक्त पीपीई कवरआल की आवश्यकता प्रति वर्ष 50000 से कम थी।

चूंकि आयातित सामग्री चीन में प्रकोप के कारण उपलब्ध नहीं थी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में वस्त्र मंत्रालय से संपर्क किया और कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य पेशेवरों के उपयोग के लिए स्वदेशी स्रोतों से पीपीई (बॉडी कवरआल और एन –95 मास्क) की आपूर्ति के लिए सहयोग मांगा।

वस्त्र मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आउटरीच कार्यक्रम, फैब्रिक और परिधान निर्माताओं को युद्ध–स्तर पर उपयुक्त उत्पाद विकसित करने और विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग के साथ 30 जनवरी से कई दौर की बैठकें, विचार–विमर्श और सक्रिय सहयोग शुरू किए गए हैं। स्टेकहोल्डरों में फिक्की, सीआईआई, आईटीटीए (भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ), 3 एम, डॉव डू पोंट, हनीवेल, अरविंद मिल्स, वेलस्पन और कई अन्य छोटे और मध्यम निर्माता शामिल हैं।

9.2 तकनीकी आवश्यकता का विकास

आरंभिक चुनौती सही फैब्रिक को विकसित करना था जो कम वजन वाला हो और उपयुक्त रूप से आरामदायक हो लेकिन तकनीकी विनिर्देश में उल्लिखित परिभाषित परीक्षण स्तर पर किसी भी तरल के लिए अभेद्य हो।

फरवरी 2020 के पहले दो सप्ताह के दौरान, भारतीय चिकित्सा वस्त्र निर्माताओं द्वारा विकसित किए गए फैब्रिक के कई परीक्षण नमूनों को दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (सिटरा) (चिकित्सा संबंधी वस्त्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र) में भेजा गया था। विभिन्न वस्त्र नमूनों पर किए गए परीक्षण के परिणाम तत्काल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा किए गए।

डब्ल्यूएचओ ने दिनांक 27 फरवरी 2020 को, कोविड–19 के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए अपना अंतरिम दिशानिर्देश जारी किया। इसके आधार पर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2 मार्च को अपनी तकनीकी विशिष्टता को अंतिम रूप दिया। इस तकनीकी आवश्यकता में फैब्रिक और सीम दोनों के लिए केवल आईएसओ

16003 श्रेणी–3 एक्सपोजर प्रेशर (सिंथेटिक रक्त प्रवेश परीक्षण) को पास करने के लिए कवरॉल की आवश्यकता थी।

आरंभ में, केवल एक प्रयोगशाला (सिटरा, कोयम्बटूर) थी जिसमें सिंथेटिक रक्त प्रवेश प्रतिरोधक परीक्षण की सुविधा थी। डीआरडीओ ने अप्रैल के पहले सप्ताह में दिल्ली (इनमास) में अपनी प्रयोगशाला में एक परीक्षण सुविधा स्थापित की। इसके पश्चात, मंत्रालय के ठोस प्रयासों से, वर्तमान में 11 (ग्यारह) प्रयोगशालाएं हैं, जो पीई कवरॉल और वस्त्र पर परीक्षण कर रही हैं। ये हैं–

(i) साउथ इंडिया वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयंबटूर, तमिलनाडु

(ii) रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, ग्वालियर में, अब इनमास (डीआरडीओ) की प्रयोगशाला दिल्ली में

(iii) हैवी व्हीकल फैक्ट्री, अवदी, तमिलनाडु

(iv) स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर, उत्तर प्रदेश

(v) आयुध निर्माणी, मुरादनगर, उत्तर प्रदेश

(vi) आयुध निर्माणी, कानपुर , उत्तर प्रदेश

(vii) आयुध निर्माणी, अंबरनाथ (मुंबई के पास), महाराष्ट्र

(viii) मेटल एंड स्टील फैक्ट्री, इशापुर (कोलकाता के निकट), पश्चिम बंगाल

(ix) वस्त्र समिति, मुंबई की प्रयोगशाला

(x) नार्थ इंडिया वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद

(xi) वस्त्र समिति, बैंगलुरू की प्रयोगशाला।

उच्च मानकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, आपूर्ति से पहले प्रत्येक परीक्षण किए गए नमूने के लिए विशिष्ट प्रमाणन कोड (यूसीसी) प्राप्त करना और प्रत्येक आपूर्ति किए गए बॉडी कवराल में यूसीसी, निर्माता का नाम, निर्माण की तारीख/बैच संख्या आदि का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। बाद में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की खरीद एजेंसी, मैसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 2 मार्च 2020 के दिशानिर्देशों के साथ 5 मार्च 2020 को एक निविदा प्रकाशित की थी।

9.3 फैब्रिक और स्वदेशी कवरॉल का विकास

मार्च 2020 तक एक बड़ी चुनौती थी, केवल 2 फैब्रिक निर्माताओं और 4 परिधान निर्माताओं ने सिटरा में परीक्षण पास किए थे। स्टेकहोल्डरों के साथ भौतिक बैठक से लेकर वर्चुअल मोड तक कई दौर की बैठकें आयोजित की गईं और घरेलू होजरी और परिधान निर्माताओं को पीपीई के तकनीकी विनिर्देश के आधार पर कार्य शुरू करने के लिए आश्वस्त किया गया। इसी समय, राज्य सरकारों (जैसे पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश) ने वस्त्र और पीपीई के उत्पादन के लिए एमएसएमई की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया।

लॉकडाउन के दौरान, निर्माताओं की पहचान करना, उन्हें एक नए उत्पाद का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, परीक्षण के लिए भेजे गए नमूने प्राप्त करना आदि चुनौतियां थीं, क्योंकि हाल के इतिहास में पहली बार देश के सामने एक अभूतपूर्व स्थिति थी। संचार के सभी साधन बंद थे, सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद थे, और पूरा देश निषेधात्मक आदेशों लागू था

यह एक असाधारण स्थिति थी और सरकारी नियमों और विनियमों के दायरे में रहकर, राष्ट्र हित में असाधारण निर्णय लिए गए। किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में निर्धारित कार्य घंटों के विपरीत, चौबीस घंटे समन्वय किया जा रहा था, सम्पूर्ण संचार इलेक्ट्रॉनिक थे और एक घंटे की भी देरी हो जाने से भी देश को असीमित नुकसान होता और मानव जीवन जोखिम में आ जाता। मंत्रालय लॉकडाउन के दौरान निर्माण इकाइयों को खोलने, उनके कार्यबल के आने–जाने और सामग्री के लाने ले जाने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने के नियम से परे चला गया। कुछ स्थानों पर, स्थानीय पुलिस बल की मदद ली गई ताकि वे निर्माताओं के कार्य स्थल से नमूने प्राप्त कर सकें और परीक्षण प्रयोगशाला, जो शुरू में केवल कोयम्बटूर (सिटरा) में था, तक पहुंचाने के लिए उन्हें हवाई अड्डे तक पहुंचा सकें। पीपीई किट के निर्माण में सुविधा देने वाले अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों को विशेष अनुमति दी गई थी। परीक्षण के लिए नमूनों को ले जाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की लाइफलाइन उड़ान सेवा के माध्यम से सक्रिय सहायता से विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई थी

उन निर्माताओं को, उनकी कार्यशील पूंजी की कमी को दूर करने के लिए यथापेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जो इस दौरान सहयोग के लिए आगे आए थे। सचिव (वस्त्र) ने विशेष रूप से सचिव (वित्तीय सेवा विभाग) से ऋण की सुविधा का अनुरोध किया और 9 विशिष्ट विनिर्माण इकाइयों के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी सीमा को बढ़ाया थ। डीआरडीई ग्वालियर तक नमूने ले जाने के लिए विशेष रेलवे की व्यवस्था की गई थी।

चूंकि, कोयंबटूर के लिए सीधी उड़ान हमेशा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए नमूने बैंगलोर भेजे जाते थे, केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के अधिकारियों द्वारा हवाई अड्डे पर प्राप्त किया जाता था। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने बैंगलोर और कोयम्बटूर के बीच नियमित सड़क परिवहन सेवा का संचालन किया।

नई निर्माण क्षमता विकसित करने के प्रयासों के फलस्वरूप, अप्रैल 2020 तक कवरॉल के निर्माण के लिए 106 स्वदेशी इकाइयां आगे आ गईं। बॉडी कवरॉल का वास्तविक उत्पादन स्तर मई, 2020 के मध्य तक 4.5 लाख यूनिट प्रति दिन से अधिक हो गया था।

इस प्रकार, भारत ने संकट को एक अवसर में बदल दिया और माननीय प्रधान मंत्री के प्रमुख कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देते हुए पीपीई के निर्माण में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा।.

9.4 केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष की स्थापना:

वस्त्र मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर स्वयं को संगठित किया। सचिव वस्त्र की प्रत्यक्ष देखरेख में नीतिगत पहल सहित गतिविधियों की निगरानी के लिए, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया। माननीय वस्त्र मंत्री ने भी गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रखा था। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र समिति का कार्यालय, केंद्रीय रेशम बोर्ड, विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय भी इनमें शामिल थे। नियंत्रण कक्ष ने उत्पादन इकाइयों/राज्य सरकारों और नियंत्रण कक्ष के बीच एक पुल के रूप में चौबीसों घंटे काम किया, ताकि कोई बाधा आने पर उसका निवारण किया जा सके और प्रगति की सूचना दी जा सके।

अधिकारियों के पास निर्माताओं, स्थानीय अधिकारियों जैसे जिला प्रशासन और पुलिस, निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सभी गतिविधियों का समन्वय करने की जिम्मेदारी थी। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी निर्माताओं के लिए उत्पादन इकाइयों के लिए आवागमन के पास, लॉकडाउन के दौरान कारखानों के संचालन की अनुमति, नमूनों/उत्पादों के परिवहन, लॉकडाउन अवधि के दौरान कारखानों को खोलने की अनुमति, श्रमिकों के आने–जाने की सुविधा, फैब्रिक, टेप आदि जैसे कच्चे माल की आपूर्ति के साथ निर्माताओं को जोड़ने जैसी लॉजिस्टिक्स में मदद करना था, क्योंकि देश सख्त लॉकडाउन के तहत था।

उन्हें विक्रेताओं को समय पर भुगतान करने के अलावा तैयार माल के आवागमन, एचएलएल के साथ आपूर्ति का मिलान जैसी व्यवस्था के लिए खरीद एजेंसी – हिंदुस्तान लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक इकाई, के साथ समन्वय के लिए अधिदेशित किया गया था।

9.5 नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी:

वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति, केंद्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालयों में से मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल इकाइयाँ और अन्य अधिकारी बैंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, नोएडा, गुरुगांव, कोयम्बटूर, कोलकाता और अमृतसर/लुधियाना सहित देश के विभिन्न हिस्सों से प्रचालन करते थे। वरिष्ठ अधिकारी निम्नलिखित जैसे क्षेत्र में सभी गतिविधियों का समन्वय करते थे:–

- जिला प्रशासन, पुलिस जैसे स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क
- स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिय सांसद और विधायक
- उत्पादन इकाइयों के लिए आने जाने के पास की व्यवस्था, कारखानों के प्रचालन के लिए परमिट की व्यवस्था
- अंतर–राज्य परिवहन और व्यवस्था
- रसद और आने जाने के लिए चौबीसों घंटे दूरभाष सहायता

मंत्रालय के फील्ड अधिकारियों को प्रत्येक इकाई की सुविधा के लिए उनके साथ समन्वय करने, प्रगति की रिपोर्ट करने और उत्पादन में किसी भी बाधा को हल करने का कार्य सौंपा गया था। कुल 200 नोडल अधिकारियों को काम पर लगाया गया।

9.6 उपलब्धि:

वैश्विक महामारी समूचे देश के अलावा, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक अभूतपूर्व स्थिति लेकर आई है। ठोस प्रयासों के साथ, भारत इस आकसमिकता को अवसर में बदलने में सक्षम था और दो महीनों की अल्पावधि में ही 11 अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित लगभग 1,100 निर्माताओं के साथ एक बिलियन अमरीकी डॉलर अथवा 7,000 करोड़ रुपये की कीमत वाले एक नए उद्योग का निर्माण किया, इन सभी को निर्बाध गति के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया।

भारत ने अभी तक 6 करोड़ से अधिक पीपीई कवरॉल का उत्पादन किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया सहित देशों को 2 करोड़ का निर्यात किया है। प्रति दिन 4.5 लाख की उत्पादन क्षमता वाले लगभग 1100 उद्यमों को पीपीई के निर्माण की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार, भारत ने 15 करोड़ से अधिक एन–95 मास्क का उत्पादन किया है और नवंबर, 2020 तक 4 करोड़ मास्क का निर्यात किया है। भारत में एन–95 मास्क के उत्पादन की वर्तमान क्षमता 32 लाख प्रतिदिन है, जिसमें 200 से अधिक निर्माता काम करते हैं। मई 2020 के मध्य में बॉडी कवरॉल्स का वास्तविक उत्पादन स्तर प्रति दिन 4.5 लाख से अधिक हो गया था।

आज भारत निजी सुरक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, जिसमें निर्यात की माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिशेष भी है।

क्षेत्र की योजनाएं

10.1 विद्युतकरघा

10.1.1 सिंहावलोकन

विकेन्दीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन एवं रोजगार सृजन के संदर्भ में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2013 के दौरान किए गए मैसर्स नीलसन बेसलाइन विद्युतकरघा सर्वेक्षण के अनुसार यह विकेंद्रीकृत क्षेत्र में 44.18 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है एवं देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 60% का योगदान करता है। विद्युतकरघा क्षेत्र में उत्पादित होने वाले फैब्रिक का 60: मानव निर्मित होता है। निर्यात होने वाले फैब्रिक में से 60% से अधिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। रेडीमेड गारमेंट एवं घरेलू वस्त्र क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यतया विद्युतकरघा क्षेत्र पर निर्भर हैं।

देश में लगभग 25 लाख विद्युतकरघे हैं। इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का स्तर सामान्य करघों से लेकर उच्च तकनीक वाले शटल रहित करघों तक है। यह अनुमान है कि शटल वाले करघों में से 75% से अधिक अप्रचलित एवं 15 वर्ष तक पुराने हैं तथा उनके साथ कोई प्रसंस्करण अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणध्उपस्कर नहीं जुड़े हुए हैं। फिर भी, पिछले 8–9 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के स्तर में कुछ उन्नयन हुआ है।

10.1.2 कपड़े का उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में):

पिछले 6 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र के साथ–साथ कुल कपड़ा उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	कुल उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)	विद्युतकरघा से उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)	कुल कपड़ा उत्पादन में विद्युतकरघा की प्रतिशतता
2013-14	63,500	36,790	57.93%
2014-15	65,276	37,749	57.83%
2015–16	65,505	36,984	56.78%
2016-17	64,421	35,672	55.37%
2017-18	67,779	38,945	57.46%
2018-19	71,051	39,826	56.05%
2019-20 (अनं.)			
(अप्रैल–जन.)	64,165	40,034	62.39%

स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकीय प्रकोष्ठ, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

10.1.3 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण :

वस्त्र आयुक्त तथा अन्य एजेंसियों के अंतर्गत 47 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) में से 43 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) को आधुनिक मशीनों और प्रोजेक्टाइल, रेपियर, एयरजैट, ऑटामेटिक, कॉप चौंजिंग करघों, ड्राप बॉक्स करघों, तीन वाइंडर, कॉन वाइंडर, सेक्सनल वार्पिंग मशीन, डीजीसेट आदि किस्म के शटल रहित करघों जैसे उपकरण के साथ आधुनिकीकृत किया गया है। 47 पीएससी में से 15 पीएससी वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के अधीन हैं, 26 पीएससी विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा चलाए जाते हैं, 4 पीएससी कर्नाटक विद्युतकरघा राज्य विकास निगम (केएसटीआईडीसी), बैंगलोर के अधीन हैं तथा एक–एक पीएससी क्रमशः मध्य प्रदेश सरकार और मणिपुर राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है।

10.1.4 विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजनाएं

क. विद्युतकरघा कामगार समूह बीमा योजना (जीआईएस) :

भारत सरकार ने समूह बीमा योजना वर्ष 2003–04 से शुरू की है और यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। विद्युतकरघा बनुकरों/कामगारों को एक वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है जिसे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर पुनः नया बनाया जाता है।

पिछले पांच वर्षों दोरान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत विद्युतकरघा कामगारों का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	नामांकित विद्युतकरघा कामगारों की संख्या	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त अंशदान (करोड़ रूपए में)
1	2015-16	111441	6.62
2	2016-17	131921	2.00
3	2017-18	161821	4.00
4	2018-19	109912	5.28 (सहित 1.94)
5	2019-2020	66326	अग्रिम में प्रदत्त 1.94

ख. सम्मिलित समूह बीमा योजना:

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय विद्युतकरघा क्षेत्र के सभी कामगारों को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमित करने का इच्छुक है और इसे 18 से 50 वर्ष की आयु समूह हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा 51 से 59 वर्ष की आयु समूह हेतु आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को शामिल करके 1 सम्मिलित समूह बीमा योजना के अंतर्गत पाया गया है।

उक्त बीमा योजना 1 जून, 2017 से प्रभावी है और यह तीन वर्षों की अवधि अर्थात 31.3.2020 तक वैध रहेगी। योजना को विद्युतकरघा बुनकरोंध्कामगारो हेतु अभिसारित समूह बीमा योजना के रूप में जाना जाएगा।

उद्देश्य

योजना का आधारभूत उद्देश्य प्रकृतिक मृत्यु, दुर्घटनावश मृत्यु और साथ ही साथ दुर्घटना के कारण आंशिक तथा स्थाई निशक्तता के मामले में बीमा कवर मुहैया करवाना है।

प्रीमियम और लाभ

सामाजिक सुरक्षा पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ संरचना (पीएमएसबीवाई के प्रीमियम सहित) निम्नानुसार हैः

आयु समूह	प्रीमियम की संरचना	लाभ
18 से 50 वर्ष	वस्त्र मंत्रालय का अंशदान 162/– रूपए	पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु 200000/– रूपए
	सदस्य का अंशदान 80/– रूपए	दुर्घटना के कारण मृत्यु 400000/– रूपए (पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 200000/– रूपए और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 200000/– रूपए)
	कुल 342/– रूपए	स्थायी पूर्ण निशक्तता पर 200000/– रूपए
	सामाजिक सुरक्षा निधि 100/– रूपए	स्थायी आंशिक निशक्तता पर 100000/– रूपए

संशोधित एएबीवाई योजना केवल नवीकरण आधार पर मौजूदा विद्युतकरघा बुनकरों हेतु लागू हैं जो जून, 2016 से मई 2017 की अवधि के दौरान तत्कालीन जीआईएस में पहले से पंजीकृत हैं। एएबीवाई योजना के अंतर्गत किसी नए विद्युतकरघा बुनकर को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। जीआईएस के मौजूदा सदस्यों हेतु संशोधित एएबीवाई योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ ढांचा निम्नानुसार हैः

आयु समूह	प्रीमियम की संरचना	लाभ
51 से 59 वर्ष	वस्त्र मंत्रालय का अंशदान 290/– रूपए	किसी कारण मृत्युहोनेपर 60000/– रूपए
	सदस्य का अंशदान 80/– रूपए	
	सामाजिक सुरक्षा निधि 100/– रूपए	
	कुल 470/– रूपए	

अतिरिक्त लाभ :

उपर्युक्त के अलावा, इस योजना के अंतर्गत कोई कामगार शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) के तहत अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा/प्रति छमाही 600 रुपए के शैक्षिक अनुदान का पात्र होगा।

10.1.5 पावरटेक्स इंडिया

विद्युतकरघा क्षेत्र की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता पर ध्यान देने और प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्तमान विद्युतकरघा क्षेत्र का पुनरूद्धार नए घटकों यथा सौर उर्जा योजना और विद्युतकरघा बुनकरों हेतु प्रधानमंत्री ऋण योजना, प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करके और वर्तमान योजनाओं यथा समूह कार्य शेड योजना, सामान्य सुविधा केंद्र योजना, धागा बैंक योजना, प्लेन मशीनीकरघों हेतु स्व–स्थाने उन्नयन योजना आदि के युक्तिकरण/उन्नयन द्वारा किया गया है। इस योजना को अब

पावरटेक्स इंडिया के नाम से प्रारंभ किया गया है और यह 1.04.2017 से 31.3.2020 तक प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक हैं:

क. साधारण विद्युतकरघा का स्व-स्थाने उन्नयन योजना

- इस योजना का उद्देश्य कतिपय अतिरिक्त संलग्नकों के साथ सादे विद्युतकरघों का उन्नयन करके उत्पादन किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है जिससे वे स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ होंगे। इसका उद्देश्य 3 वर्षों (2017–18 से 2019–20) में 1,25,000 करघों को शामिल करना है।
- यह योजना लघु विद्युतकरघा बुनकरों के लिए है जिनके पास 8 तक करघे हों। 4 से कम करघों वाली इकाइयों को वरीयता दी जाएगी। भारत सरकार सामान्य, एससी और एसटी श्रेणी के आवेदकों के लिए क्रमशः 45,000 रुपए, 67,500 रुपए और 81,000 रुपए प्रति विद्युतकरघा अधितकतम सब्सिडी तक उन्नयन की लागत का 50%, 75% और 90% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।
- भारत सरकार की करघा सब्सिडी के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारें भी प्रति विद्युतकरघा 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, बिहार राज्य सरकार भी अपने संबंधित कलस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 12,000 रुपए प्रदान कर रही है तथा तेलंगाना सरकार अपने संबंधित कलस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में के रूप में उपस्कर लागत के 50% प्रदान कर रही हैं।
- वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान 91198 करघों का उन्नयन किया गया है और भारत सरकार की 111.55 करोड़ रु. की सब्सिडी जारी की गई है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान (दिनांक 04.12.2020 के अनुसार) 2472 करघों का उन्नयन किया गया है और भारत सरकार की 2.57 करोड़ रु. की सबसिडी जारी की गई है।

ख. समूह वर्कशेड योजना (जीडब्ल्यूएस)

इस योजना का उद्देश्य मशीनीकरघों हेतु आधुनिक बुनाई मशीनरी के साथ आधारभूत ढांचे की स्थापना करना है ताकि वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सके। संशोधित योजना के अनुसार कार्य शेड के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता निर्माण की इकाई लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित होगी जो कि अधिकतम 400 रु. प्रति वर्ग फुट की सीमा के अधीन होगी, इनमें से जो भी कम हो। सामान्यतः एकल चौड़ाई (230 सेंटीमीटर तक) के 24 आधुनिक करघे वाले न्यूनतम 4 बुनकरों का समूह अथवा 16 अधिक चौड़ाई वाले करघों (230 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक) वाले प्रत्येक लाभग्राही के पास कम से कम चार करघे होने वाले बुनकरों का समूह बनेगा। शयनगृह/कामगारों के आवास के निर्माण हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता में न्यूनतम 1.25 व्यक्ति प्रति विद्युतकरघे के आवास हेतु 125 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति का पर्याप्त स्वच्छता पूर्ण शौचालय तथा स्नानागार (वैकल्पिक तौर पर भंडार कक्ष के साथ रसोई तथा भोजन कक्ष शामिल किया जा सकता है) के साथ आवास मुहैया करवाया जाएगा। शयनगृह/कामगार आवास हेतु प्रतिवर्ग फुट आर्थिक सहायता की दर समूह कार्य शेड के लिए लागू प्रति वर्ग फुट आर्थिक सहायता की दर के समान होगी।

ग. यार्न बैंक के लिए कॉर्पस

विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी)/कंसोर्टियम को थोक मूल्य की दर पर यार्न की खरीद हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए ब्याज मुक्त स्थायी निधि प्रदान करने और विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में लघु बुनकरों को उचित दर पर ब्याज प्रदान करना। यार्न की बिक्री पर बिचौलिए/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की दलाली प्रभार को दूर करना। एसपीवी/कंसोर्टियम को सरकार द्वारा प्रति यार्न बैंक अधिकतम 200 लाख रुपए का ब्याज मुक्त स्थायी निधि प्रदान की जाती है।

घ. सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)

एक समूह में संबद्ध और सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के इच्छुक विद्युतकरघा बुनकरों को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना। कलस्टर की आवश्यकता के अनुसार पिछडी और अग्रणी एकीकरण के लिए पीपीपी पद्धति वाली परियोजनाओं के अंतर्गत इसमें हाऊस डिजाइन केन्द्र/स्टूडियो, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना एवं व्यापार केन्द्र तथा सामान्य कच्ची सामग्रीध्यार्न/बिक्री डिपो, औद्योगिक उद्योग के लिए जल शोधन संयंत्र और सामान्य बुनाई पूर्व सुविधाएं अर्थात वार्पिंग, साइजिंग आदि शामिल हैं।

सीएफसी के लिए भारत सरकार का शेयर प्रति कलस्टर 200 लाख रूपए है।

विद्युतकरघा कलस्टरों की ग्रेडिंग के आधार पर भारत सरकार की सहायता के स्तर निम्नलिखित हैं:

- ग्रेड – ए – परियोजना लागत का 60% तक।
- ग्रेड – बी – परियोजना लागत का 70% तक।
- ग्रेड – सी – परियोजना लागत का 80% तक।
- ग्रेड – डी और एनईआर/जे. एंड के. के कलस्टरों में परियोजना लागत का 90% तक।

ङ. विद्युतकरघा क्षेत्र हेतु सौर ऊर्जा योजना

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा ईकाइयों द्वारा सामना की जा रही विद्युत की कटौतीध्कमी की समस्या को दूर करना है ताकि उपयोग. दक्षता, उत्पादकता आदि में सुधार किया जा सके और सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) संयंत्र की स्थापना हेतु छोटी विद्युतकरघा यूनिटों को वित्तीय सहायता/पूंजीगत आर्थिक सहायता मुहैया करवाकर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पार्धात्मक रूप से सामना किए जाने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

प्रस्तावित सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) संयंत्र को 2 माध्यम में कार्यान्वित किया जाना है– (1) ऑन–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र और (2) ऑफ–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र।

भारत सरकार निम्नलिखित के अनुसार आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा के अधीन सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए सौर उर्जा संयंत्र की आधारभूत लागत (सौर पैनल की लागत. इनवर्टर. बैटरी) के क्रमशः 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता/पूंजीगत आर्थिक सहायता मुहैया कराती है–

सं.	किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) के रूप में क्षमता	आर्थिक सहायता हेतु पात्र उपकरण तथा घटक की अधिकतम लागत		अधिकतम आर्थिक सहायता रूपए में	
		ऑन–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑफ–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑन–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑन–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु
1	**4 केडब्ल्यूपी (आमतौर पर 04 करघों के लिए उपयुक्त)**				
	सामान्य @ 50%	2,80,000/-	3,60,000/-	1,40,000/-	1,80,000/-
	अनु.जा. @ 75%		2,10,000/-	2,70,000/-	
	अनु.ज.जा. @ 90%		2,52,000/-	3,24,000/-	
2	**6 केडब्ल्यूपी (आमतौर पर 06 करघों के लिए उपयुक्त)**				
	सामान्य @ 50%	4,20,000/-	2,10,000/-	2,10,000/-	2,70,000/-
	अनु.जा. @ 75%		3,15,000/-	4,05,000/-	
	अनु.ज.जा. @ 90%		3,78,000/-	4,86,000/-	
3	**8 केडब्ल्यूपी (आमतैर पर 08 करघों के लिए उपयुक्त)**				
	सामान्य @ 50%	5,60,000/-	2,80,000/-	2,80,000/-	3,60,000/-
	अनु.जा. @ 75%		4,20,000/-	5,40,000/-	
	अनु.ज.जा. @ 90%		5,04,000/-	6,48,000/-	

यह योजना दिनांक 01.04.2017 से लागू है।

च. विद्युतकरघा बुनकरों हेतु प्रधानमंत्री ऋण योजना

सरकार विद्युतकरघा बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने, निवेश आवश्यकताओं (सावधि ऋण) तथा साथ ही साथ कार्यशील पूंजी हेतु एक लोचशील एवं लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है।

योजना में दो घटक हैं अर्थात् प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत श्रेणी–। और स्टैंड–अप इंडिया योजना के अंतर्गत श्रेणी–॥ । वस्त्र आयुक्त का कार्यालय इस योजना के प्रचालन हेतु ऋणदाता एजेंसियों को सूचीबद्ध करता है।

इन घटकों के अंतर्गत पात्रता, आवेदन के तरीके तथा उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा योजना के दिशानिर्देशों में दिया गया है।

छ. सहायता अनुदान और विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, 26 वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए) और 6 राज्य सरकारों के अंतर्गत 15 विद्युतकरघा सेवा केंद्र (पीएससी) समूचे देश में स्थापित किए गए हैं तथा कार्य कर रहे हैं। पीएससी सरकार की ओर से विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण, डिजाइन विकास, परामर्श, संगोष्ठी/कार्याशाला आदि जैसी विभिन्न सेवा की पेशकश कर रहे हैं।

टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मुहैया करवाया गया सहायता अनुदान(जीआईए) मुख्यतः विद्युतकरघा क्षेत्र को सेवाएं मुहैया कराने के लिए पीएससी के परिचालन हेतु होने वाले व्यय के लिए है। टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों की पीएससी को सहायता अनुदान मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा मंजूर की जाएगी।

विद्युतकरघा सेवा केंद्रों को कलस्टर में आवश्यक सुविधाओं के साथ उन्नत बनाने तथा आधुनिकीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों को बेहतर बनाना तथा नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक बनाने हेतु आधुनिक करघे स्थापित करना और प्रशिक्षण उपलब्ध करना भी शामिल है। इसके अलावा विद्युतकरघा सेवा केंद्रों को प्रीपरेटरी मशीनें परीक्षण उपकरण, गारमेंट तथा अपैरल हेतु सिलाई मशीनें, कढ़ाई मशीनें, डिजाइन विकास सुविधाएं आदि भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

ज. टेक्स-वेंचर पूंजी निधि की योजना

विद्युतकरघा उद्योग में निर्माण और सेवा कार्यकलापों में लगी कंपनियों में प्राथमिक निवेश करने के लिए 35 करोड़ रुपए के कार्पस वाली एक समर्पित निधि, टेक्स फंड शुरू की गई है।

टेक्स–वेंचर पूंजी निधि के लिए भारत सरकार 24.50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी और सिडबी द्वारा 10.50 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

टेक्स–वेंचर निधि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार और समय–समय पर संशोधित अनुसार इक्विटी शेयर और/अथवा वस्त्र सुक्ष्म और लघु उपक्रम की इक्विटी में कन्वर्टिवल इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा। इस निधि का संचालन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन 2012 (सेबी का एआईएफ विनियमन 2012) के तहत होगा।

निधि का प्राथमिक निवेश उद्देश्य आरंभिक अथवा विकास स्तर पर पूंजी निवेश आवश्यकता के लिए गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निजी वार्ता सम्मत इक्विटी/इक्विटी से संबंधित और/अथवा परिवर्तनीय/गैर–परिवर्तनीय ऋण साधनों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि के माध्यम से आकर्षक जोखिम समायोजित प्रतिफल प्राप्त करना है।

लाभ :

योजना के अंतर्गत कंपनियों की इक्विटी में निवेश से उनकी निवल मूल्य, वाणिज्यिक बैंक ऋण वृद्धि, उनकी विनिर्माण क्षमता में सुधार और बिक्री कारोबार, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा। निधि से निवेशों द्वारा निवेशक कंपनियों के आंतरिक प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं प्रबंधन क्षमता तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार होने का अनुमान है।

भारत सरकार और सिडबी के बीच दिनांक 03.10.2014 को अंशदान करार पर हस्ताक्षर किया गया है और वर्ष 2014–15 के लिए आबंटित 11.50 करोड़ रुपए की राशि सिडबी वेंचर पूंजी लि. (एसवीसीएल) को नवम्बर, 2014 में जारी की गई है।

इस घटक के अंतर्गत कुल 17.93 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयता के लिए अभी तक 6 मामलों को अनुमोदित किया गया है।

झ. विद्युतकरघा के लिए सुविधा केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन और रोजगार सृजन के रूप में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वदेशी उत्पादन तथा विपणन के साथ–साथ विद्युतकरघा बनुकरों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2007–08 से एकीकृत योजना कार्यान्वित की गई है, जिसका उद्देश्य विद्युतकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण, अनुभव दौरा, क्रेता–विक्रेता बैठकें, कलस्टर विकास कार्यकलाप तथा कौशल विकास/उन्नयन इत्यादि है।

10.1.5.1 सुविधा सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के घटक:

(क) सुविधा सेवाएं

- **हेल्पलाइन:** निःशुल्क कॉल द्वारा विद्युतकरघा बुनकरों को आवश्यक सहायता/परामर्श/जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन (1800222017) स्थापित की गई है।
- विद्युतकरघा बुनकरों तथा इकाइयों की पीएससी के साथ पंजीकरण की सुविधा –
- **एसएमएस एलर्ट:** एक प्रणाली विकसित की गई है ताकि जिससे विद्युतकरघा संबंधित विषयों पर नए घटनाक्रम/पहलों के संबंध में विद्युतकरघा बुनकरों को एसएमएस एलर्ट भेजे जा सके।
- **बैंक सहायता:** अग्रणी बैंक तथा प्रमुख बैंकों की सेवाएं विद्युतकरघा क्लस्टरों में विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के माध्यम से मुहैया करवाई जाएंगी ताकि विद्युतकरघा बुनकरों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके और विद्युतकरघा इकाइयां बैंकों से ऋण सुविधाएं तथा मुद्रा ऋण प्राप्त कर सकें।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी – भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल/मोबाइल एप्लीकेशन का विकास।

(ग) जागरूकता और बाजार विकास कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक/क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं:

1. संगोष्ठियां/कार्यशालाएं
2. क्रेता विक्रेता बैठकें
3. रिवर्स क्रेता–विक्रेता बैठकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमः
4. विद्युतकरघा उत्पादों के विपणन हेतु ई–प्लेटफार्म

5. बुनकरों का संपर्क दौरा– भारत सरकार द्वारा प्रत्येक बुनकर को आकस्मिक व्यय और स्लीपर क्लास के लिए आने–जाने का रेल भाड़ा के प्रति 5000 रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. अध्ययन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन कार्यक्रमों का आयोजन करनाधविशेष आवश्यकताओं संबंधी योजनाएं

(घ) इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया मे प्रचार:

विद्युतकरघा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रचार में सहायता करने तथा जागरूकता का सृजन करने में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन उपकरणों द्वारा हितधारकों/विद्युतकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं का समाधान किया जा सकता है।

फरवरी, 2019 में निटिंग तथा निटवियर क्षेत्र के विकास हेतु एक योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2019–20 से 2020–2021 (04.12.2020 तक) तक पावरटेक्स इंडिया योजना की योजना–वार उपलब्धियां अनुबंध–I में संलग्न हैं।

10.1.6. व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना:

भिवंडी (महाराष्ट्र) तथा इरोड़ (तमिलनाडु) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर का विकास करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा उनके बजट भाषणमें 2008–09 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन को समर्थ बनाने के लिए वर्ष 2008–09 में व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना तैयार की गई थी। तत्पश्चात, वित्त मंत्री ने वर्ष 2009–10, 2012–13 और 2014–15 के बजट भाषणों में क्रमशः भीलवाड़ा (राजस्थान), इचलकरंजी (महाराष्ट्र) और सूरत (गुजरात) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टरों के विकास करने की घोषणा की है।

क्लस्टरों के डिजायन में निहित दिशानिर्देशों/सिद्धांतों का उद्देश्य विश्वस्तरीय आधारभूत ढ़ांचे का सृजन करना है तथा उत्पादन श्रृंखला को इस ढंग से एकीकृत करना है कि जिससे उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कलस्टर दृष्टिकोण योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ते बाजार शेयर के अनुसार कलस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना तथा उत्पादों का उच्च इकाई मूल्य प्राप्त करके उत्पादकता को बढ़ाना है। योजना में पर्याप्त आधारभूत ढ़ांचा, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिजायन विकास, कच्ची सामग्री, बैंकों, विपणन और संवर्धन, क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य घटकों के अनुसार अपेक्षित सहायता/संपर्क उपलब्ध कराया जाता है जो विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

सीपीसीडीएस को 110 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 12वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए अक्तूबर 2013 में संशोधित किया गया था। इस योजना को 99.99 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय (विद्युतकरघा हेतु 75 करोड़ रुपए. रेशम हेतु 24.99 करोड़ रुपए) के साथ 3 वर्ष की अवधि (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक) की अवधि हेतु कार्यान्वयन के लिए दिसंबर, 2016 में फिर से संशोधित किया गया था। संशोधित योजना के तहत मेगाकलस्टर के लिए सरकार की सहायता अधिकतम 50 करोड़ रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित है।

इस योजना के अंतर्गत विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(i) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इरोड (तमिलनाडु):

इरोड स्थित विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की घोषणा 2008–09 के बजट में की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत, एकीकृत वस्त्र बाजार परिसर जिसमें साप्ताहिक वस्त्र सैंडी बाजार, दैनिक बाजार (थोक बाजार परिसर) और प्रदर्शनी हॉल शामिल हैं, को अनुमोदित किया गया था। साप्ताहिक बाजार और दैनिक बाजार का निर्माण पूरा हो गया है। अभी तक इस परियोजना के लिए 35.745 करोड़ रु. की भारत सरकार की सहायता जारी की गई है।

(ii) विद्युतकरघा मेगा कलस्टर, इचलकरंजी (महाराष्ट्र)

बजट 2012–13 में कुल 113.57 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचलकरंजी की घोषणा की गई थी। अभी तक इस परियोजना के लिए 29.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(iii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत (गुजरात)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत की बजट घोषणा वर्ष 2014–15 में की गई थी। सीएमटीए के रूप में मैसर्स आईएल एंड एफएस का चयन किया गया है। कलस्टर समन्वय समूह (सीसीजी) का गठन किया गया है। यह परियोजना संकल्पना स्तर पर है।

अनुबंध–I

वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक (04.12.202 तक) पावर-टेक्स के अंतर्गत योजना-वार उपलब्धि

(रू. करोड़ में)

क्रम सं.	योजनाओं के नाम	2019-20		2020-21, 04.12.2020 तक*	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	साधरण विद्युतकरघा स्व–स्थाने उन्नयन	473 (2018–19 के दौरान उन्नत करघे)	0.16	2472 उन्नत करघे	2.57
2	समूह वर्कशेड	38	24.60	-	10.83
3	यार्न बैंक योजना	03	1.67	-	0
4	सामान्य सुविधा केंद्र	04	1.22	-	5.33
5	विपणन, प्रचार और आईटी	0	0	0	0
6	गैर टीएक्ससी पीएससी को सहायता (आवर्ती) में अनुदान	32	4.70	32	4.71
7	सहायता अनुदान (पीएससी का आधुनिकीकरण)	0	0	0	0
8	प्रधानमंत्री ऋण योजना	6	1.18	39	3.99
9	सौर ऊर्जा योजना	0	0	0	0
10	टेक्स वेंचर निधि	0	0	0	0
	कुल	**-**	**33.53**		**27.43**

*पावर टेक्स इंडिया योजना 01.04.2017 से 31.03.2020 तक है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिबद्ध देयताओं के लिए निधि जारी की गई है।

10.1 हथकरघा

10.2.1 प्रस्तावना

हथकरघा बुनाई कृषि के बाद सबसे बड़े आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है जो 35.23 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। देश में वस्त्र उत्पादन में इस क्षेत्र का लगभग 15% योगदान है और यह देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से आता है।

हथकरघा क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान है।यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशलों के हस्तांतरण द्वारा कायम रहा है। इस क्षेत्र की ताकत इसकी अद्वितीयता, उत्पादन में लचीलेपन, नवाचारों में खुलापन, आपूर्तिकर्ता की जरुरत के अनुसार अनुकूलन क्षमता और इसकी परंपरा की संपन्नता में निहित है।

तथापि, आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने हथकरघा क्षेत्र में गहरी पैठ बना ली है। विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, सस्ते आयातित फैब्रिक की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों ने हथकरघा क्षेत्र की जीवंतता को चुनौती दी है।

भारत सरकार अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण कर रही है। क्लस्टर एप्रोच, आक्रामक विपणन प्रयास और समाज कल्याण उपायों जैसी विभिन्न नीति संबंधी पहलों और योजना संबंधी मध्यस्थताओं के कारण हथकरघा क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है और बुनकरों की आय में वृद्धि हुई है। 11वीं योजना की शुरूआत में हथकरघा फैब्रिक उत्पादन काफी प्रभावी रहा और इसकी विकास दर 6% से 7% रही। इसके बाद आर्थिक मंदी ने भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और हथकरघा क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा। वर्ष 2008–09 में उत्पादन में मामूली गिरावट रही। वर्तमान में इसमें सकारात्मक संकेत है और उत्पादन में वृद्धि देखी गई है।

वस्त्र मंत्रालय

हथकरघा पीढ़ीगत विरासत का एक अनमोल हिस्सा है और हमारे देश की समृद्धि एवं विविधता तथा बुनकरों की कलात्मकता को दर्शाता है। हाथ से बुनाई की परंपरा देश के सांस्कृतिक लोकाचार का एक हिस्सा है। एक आर्थिक गतिविधि के रूप में, हथकरघा कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र लगभग 28.20 लाख हथकरघा से जुड़े 35.23 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 13.7% अनुसूचित जाति से हैं, 17.8% अनुसूचित जनजाति से हैं, 36% अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और 27% अन्य जातियों से हैं।

विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गईः

(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रमय

(ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजनाय

(iii) यार्न आपूर्ति योजनाय

(iv) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना।

योजना–वार ब्यौरा इस प्रकार हैः–

i. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम :**

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान कार्यान्वयन हेतु आंशिक संशोधनों के साथ तैयार किया गया था। यह कार्यक्रम हथकरघों के एकीकृत और समावेशी विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित संकल्पना का अनुसरण करता है। यह बुनकरो को स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारिता के दायरे के अन्दर और बाहर दोनों तरह से कच्ची समाग्री, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों के रूप में स्थायी अवसंरचना के सृजन, हथकरघा उत्पादों की ई–मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल के विकास आदि के लिए सहायता प्रदान करता है।

योजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :–

1. रियायती ऋण (मुद्रा ऋण)
2. ब्लॉक स्तरीय कलस्टर
3. हथकरघा विपणन सहायता
4. विपणन प्रोत्साहन

1. हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती ऋणः राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम की रियायती ऋण संघटक योजना के तहत हथकरघा क्षेत्र को रियायती दर पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है। योजना के तहत, तीन वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपए की मार्जिन मनी सहायता और तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जा रही है। पूर्व में बुनकर क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण स्वीकृत किए जाते थे। वर्तमान में हथकरघा बुनकरों तथा बुनकर उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा पोर्टल प्लेटफार्म अपनाया गया है। ब्याज सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी और मार्जिन मनी के संबंध में वित्तीय सहायता के दावों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से "हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' विकसित किया गया है। मार्जिन मनी बुनकर के ऋण खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है और ब्याज छूट तथा ऋण गारंटी शुल्क इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकों को स्थानांतरित की जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान 119.86 करोड़ रुपए की स्वीकृत/वितरित की गई राशि से 22353 ऋण मंजूर किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान 40.02 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से दिनांक 31.01.2021 तक 7037 ऋण मंजूर किए गए हैं।

2. ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरः इसकी शुरूआत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीसी) के एक संघटक के रूप में वर्ष 2015–16 में हुई। विभिन्न मध्यस्थताओं यथा कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद विकास, वर्कशेड का निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना इत्यादि के लिए के लिए ब्लॉक में प्रति कलस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों की सिफारिश की गई है।

वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)/सीएचसीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत ब्लॉक स्तरीय कलस्टरो की संख्या/जारी निधियां/शामिल लाभार्थी का राज्य वार ब्यौरा :

(16.02.2021 के अनुसार) (रु.करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	बीएलसी की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश		1.77	
2	बिहार		0.07	
3	छत्तीसगढ़		0.24	
4	गुजरात	2	0.67	203
5	हिमाचल प्रदेश (बीएलसी के बाहर)		0.04	91
6	झारखंड		1.63	
7	केरल		1.30	
8	कर्नाटक		1.66	
9	महाराष्ट्र		0.89	
10	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम		2.00	
11	ओडिशा		1.62	
12	तेलंगाना		0.10	
13	निफ्ट		0.07	
14	उत्तर प्रदेश		0.29	
	कुल (सामा.)	2	12.35	294
	एनईआर			
1	असम		5.50	
	कुल (एनईआर)	0	5.50	0
	उप कुल (सा.. एनईआर)	2	17.85	294

3. **हथकरघा विपणन सहायता:** हथकरघा विपणन सहायता का मुख्य उद्देश्य बुनकरों एवं हथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए विपणन मंच प्रदान करना है। इस संघटक के मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:–

i. एक्सपो, कार्यक्रमों एवं शिल्प मेलों का आयोजन
ii. निर्यात संवर्धन
iii. हैंडलूम मार्क
iv. इंडिया हैंडलूम ब्रांड
v. ई–कॉमर्स
vi. विपणन प्रोत्साहन
vii. हथकरघा पुरस्कार
viii. भौगोलिक संकेतक

i. **एक्सपो, कार्यक्रमों एवं शिल्प मेलों का आयोजन:** जिला से राष्ट्रीय स्तर तक हथकरघा उत्पादों की बिक्री करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों और राज्य सरकार की नामित हथकरघा एजेंसियों को राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो (एनएचई) एवं विशेष हथकरघा एक्सपो (एसएचई), जिला स्तरीय कार्यक्रम (डीएलई), शिल्प मेला, अन्य विपणन कार्यक्रमों आदि जैसे विपणन कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान मंजूर किए गए कार्यक्रम नीचे दिए अनुसार हैं:

वर्ष	मंजूर कार्यक्रम	जारी की गई राशि (करोड़ रूपए में)
2016-17	181	16.24
2017-18	181	26.05
2018-19	165	16.34
2019-20	127	14.19
2020-21 (15.02.2021 के अनुसार)	55	10.47

ii. **निर्यात संवर्धन:** हथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, क्रेता–विक्रेता बैठकों आदि में भाग लेने तथा नवीनतम डिजाइन, रुझान, रंग पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों/शीर्ष और हथकरघा निर्यातकों की सहायता करनाहै। इस घटक के तहत, (i) निर्यात परियोजनाओं (ii) अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी और (iii) डिजाइन स्टूडियो की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2017–18 के दौरान एचईपीसी ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत 08 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। 2017–18 के दौरान हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2280.19 करोड़ था। वर्ष 2018–19 के दौरान एचईपीसी ने 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। निर्यात के आंकड़े वर्ष 2018–19 के दौरान 2399.39 करोड़ रु. और वर्ष 2019–20 में 248.33 करोड़ रु. है। वर्ष 2019–20 के दौरान, एचईपीसी ने 9 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और 2020–21 (15.02.2021 तक) में अभी तक 07 वर्चुअल कार्यक्रमों में में भाग लिया है। वर्ष 2020–21 के दौरान निर्यात का आंकड़ा (सितंबर 2020 तक) 650.94 करोड़ रु. है।

iii. **हैंडलूम मार्क:** हैंडलूम मार्क खरीदारों को गारंटी के रूप में सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया है कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा उत्पाद एक वास्तविक हस्तनिर्मित उत्पाद है और पावरलूम या मिल निर्मित उत्पाद नहीं है। हैंडलूम मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडिकेटेड लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित और लोकप्रिय किया जाता है। वस्त्र समिति हैंडलूम मार्क के प्रचार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार हैंडलूम मार्क के लिए कुल 22464 पंजीकरण जारी किए गए हैं। 815 रिटेल आउटलेट हैंडलूम मार्क लेबल के साथ हथकरघा सामान बेच रहे हैं।

iv. **इंडिया हैंडलूम ब्रांड:** ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरणात्मक अनुपालनों के अलावा कच्ची सामग्री, प्रोसेसिंग, बुनाई एवं अन्य मानकों की दृष्टि से उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएसबी) का शुभारंभ किया गया था। 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' केवल उत्कृष्ट हस्तनिर्मित उत्पादों के इच्छुक ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले त्रुटिरहित प्रीमियम एवं प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य बुनकरों के लिए विशेष बाजार स्थान तथा आय में वृद्धि करना है।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) एक व्यापक जागरूकता और ब्रांड निर्माण अभियान शुरू किया गया है।

(ii) ई–विपणन के लिए खुली नीति जिसके तहत ई–कॉमर्स कंपनियों को विशेषकर आईएचबी उत्पादों तथा सामान्यतः आईएचबी के अलावा हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए फोकस करने हेतु प्रेरित करना

(iii) 25 खुदरा केन्द्रों से पैन इंडिया आधार पर भागीदारी की गई जिनमें ये केन्द्र अपने स्टोर में विशेष रूप से आईएचबी उत्पादों के लिए स्थान आरक्षित रखते हैं।

v. **ई–कॉमर्स:** 25 अगस्त, 2014 को फ्लिपकार्ट के साथ हथकरघा बुनकरों को ऑनलाइन विपणन मंच प्रदान करने और बिचौलियों को समाप्त करने हेतु ई–कॉमर्स के माध्यम से बुनकरों और हथकरघा सहकारी समितियों के हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, और अधिक ऑनलाइन विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए, वर्ष 2015 के दौरान हथकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु ई–कॉमर्स संस्थाओं को आमंत्रित करने के लिए एक ओपन डोर नीति तैयार की गई थी। तदनुसार विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए 23 ई–कॉमर्स संस्थाओं नामतः (i) मै. वीवस्मार्ट ऑनलाइन सर्विसेज (ii) मै. ईबे इंडिया प्रा.लि. (iii) मै. फिल्पकार्ट इंटरनेट प्रा.लि. (iv) मै. क्राफ्टविला हैंडिक्राफ्ट प्रा. लि. (v) मै. पीर्गासे टैकन्लॉजी प्रा.लि. (vi) मै. गोकोप सॉलूशन एंड सर्विसेज प्रा.लि. (vii) मै. क्लूज नेटवर्क प्रा.लि. (viii) मै. सैनोरिटा क्रिएशनप्रा.लि. (ix) मै. एमाजोन सेलर सर्विस प्रा.लि. (x) मै.टैकवाइडर नेटवर्क इंडिया प्रा.लि. (xi) मै. वीनस शॉपी (xii) मै. सुरेखा आर्ट (xiii) मै. मूडी साफ्टवेयर आर

एंड डी प्रा.लि. (xiv) मै. मंत्रा डिजाइन प्रा.लि. (xv) मै. ईराम इन्फोटैक प्रा.लि. (xvi) मै. डीज ऐली (xvii) मै. चारू क्रिएशन प्रा.लि. (xviii) मै. आरामार्ट ई–कॉमर्स एलएलपी (xix) मै. बिग फुट रिटेल सॉलूशन्स (xx) मै. ऑरपैक्स क्वॉलट्रा (xxi) मै. बाइन्ड बाइन्ड ईकॉमर्स प्रा.लि. (xxii) मै. डेनिम क्लब इंडिया तथा (xxiii) मै. शॉपिंग कार्ट 24 ऑनलाइन सर्विसेस प्रा.लि.को अनुबंधित किया गया है।

vi. **विपणन प्रोत्साहनः** विपणन प्रोत्साहन हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए सहायक माहौल तैयार करने के लिए दिया जाता है। यह काफी हद तक हथकरघा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में मूल्य के लिए एक प्रोत्साहन होगा ताकि एक ओर जहां वे कीमत में मामूली कमी करने में सक्षम हों, दूसरी ओर वे बुनियादी ढाँचे में निवेश कर सकें जिससे कि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हो सके। एजेंसी से उम्मीद है कि इस राशि का उपयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाएगा जो हथकरघा सामानों की समग्र बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को आकर्षित करेगी। विपणन प्रोत्साहन (एमआई) के लिए सहायता राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों के लिए पात्र होगी। विपणन प्रोत्साहन उन एजेंसियों को दिया जाता है, जिन्हें वास्तव में विपणन सहायता की आवश्यकता होती है और इसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, ताकि बाद में एजेंसी अपने आप निर्वाह कर सके। विपणन प्रोत्साहन जारी करने के लिए पात्रता हेतु ऊपरी सीमा वार्षिक टर्नओवर के 30 लाख रूपए निर्धारित की गई है ताकि उपलब्ध बजट के भीतर जरूरतमंद समितियों को शामिल किया जा सके। 30 लाख रूपए से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली वाली सोसाइटियां एमआई के लिए पात्र नहीं हैं। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 22.61 करोड़ रूपए और वर्ष 2018–19 के दौरान 26.36 करोड़ रूपए, वर्ष 2019–20 के दौरान 36. 66 करोड़ रूपए और वर्ष 2020–21 के दौरान (15.02.2021 की स्थिति के अनुसार) 57.17 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

vii. **हथकरघा पुरस्कारः** वस्त्र मंत्रालय हथकरघा बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र प्रदान करता है। पुरस्कारों का संक्षिप्त सार इस प्रकार हैः–

(क) **संत कबीर पुरस्कारः** संत कबीर पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई भी हथकरघा बुनकर, जिसे राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला है अथवा असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने बुनाई परम्परा के संवर्धन, विकास और संरक्षण तथा बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

वित्तीय सहायताः– इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, स्वर्ण से मढ़ा हुआ एक सिक्का, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्टफोन और प्रमाण पत्र शामिल होगा।

(ख) **राष्ट्रीय पुरस्कारः** राष्ट्रीय पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी में योगदान और हथकरघा बुनाई के विकास में पहचान के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान उन्हें और अधिक उत्साहवर्धक और सार्थक तरीके से काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अन्य को भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वित्तीय सहायताः– इस पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्ट फोन तथा एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।

(ग) **राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्रः** राष्ट्रीय उत्कृष्टताप्रमाण पत्र (एनएमसी) उत्कृष्ट एवं हुनरमंद हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वित्तीय सहायताः राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र में 0.75 लाख रुपये का एक नगद पुरस्कार और एक

प्रमाण पत्र शामिल होगा। वर्ष 2015 के दौरान इस मंत्रालय ने हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन विकास के क्षेत्र में अतिरिक्त, 03 राष्ट्रीय पुरस्कार और 06 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार और हथकरघा उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 05 राष्ट्रीय पुरस्कार और 10 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किए हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2016 से बुनाई के क्षेत्र में मौजूदा संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र के अलावा विशेष रुप से महिला हथकरघा बुनकरों के लिए 02 संत कबीर पुरस्कार, 04 राष्ट्रीय पुरस्कार और 04 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाणपत्र भी शुरु किए गए हैं। महिला हथकरघा बुनकरों को यह विशेष पुरस्कार "एसकेए/एनए/एनएमसी (कमलादेवी चट्टोपाध्याय)" के नाम से होगा।

वस्त्र मंत्रालय

संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र पुरस्कारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	पुरस्कार का नाम		पुरस्कारों की संख्या			
		श्रेणी	सामान्य	विशेष रूप से महिलाओं के लिए	कुल	सकल योग
01	संत कबीर पुरस्कार (एसकेए)	बुनाई	10	02	12	12
02	राष्ट्रीय पुरस्कार (एनए)	बुनाई	20	04	24	32
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	03	-	03	
		हथकरघा उत्पादों का विपणन	05	-	05	
03	राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र (एनएमसी)	बुनाई	20	04	24	40
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	06	-	06	
		हथकरघा उत्पादों का विपणन	10	-	10	
	कुल		**74**	**10**	**84**	**84**

नोटः – हथकरघा क्षेत्र में (हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए बुनाई, डिजाइन विकास और हथकरघा उत्पादों के विपणन) कुल मिलाकर अधिकतम 12 संत कबीर पुरस्कार, 32 राष्ट्रीय पुरस्कार और 40 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

पिछले 4 वर्षों में दिए गए पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है: –

(i) वर्ष 2012, 2013 और 2014 के लिएचेन्नई में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 7 अगस्त 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ii) वर्ष 2015 के लिए, 7अगस्त 2016 को वाराणसी में माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

(iii) वर्ष 2016 के लिएमाननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में 7 अगस्त 2018 को चौथे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

(iv) वर्ष 2017 के लिए हथकरघा पुरस्कार नियत समय पर प्रदान किए जाएंगे।

पुरस्कार	वर्ष एवं पुरस्कारों की संख्या				
	2012	2013	2014	2015	2016
संत कबीर पुरस्कार	06	05	05	03	05
राष्ट्रीय पुरस्कार	20	19	18	23	22
राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र	19	07	04	20	22
कुल	45	31	27	46	49
पुरस्कार प्रदान किए जाने का वर्ष	2015	2015	2015	2016	2018

v. **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन:** वस्तुओंका भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और इनका दूसरों द्वारा अनधिकृतप्रयोग किए जाने से रोका जाता है। पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता 1.50 लाख रूपए और प्रशिक्षण तथा सूचना के प्रचार–प्रसार आदि के लिए 1.50 लाख रूपए हैं। अभी तक इस अधिनियम के तहत 65 हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत किया गया है।

"नेशनल सेंटर फॉर हेरिटेज टेक्सटाइल" (एनसीएचटी)", जनपथ, नई दिल्ली: शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हैंडलूम मार्केटिंग काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए वस्त्र मंत्रालय को जनपथ, नई दिल्ली में 1.779 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी। इस भवन के निर्माण की परियोजना लागत 42.00 करोड़ रूपए थी।

एनसीएचटी का मुख्य उद्देश्य हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने तथा देशभर में तैयार किए गए हथकरघा उत्पादों के उत्कृष्ट विविध प्रकारों के प्रदर्शन के लिए अवसंरचना सहायता मुहैया करना है।

10.2.2 हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(i) जीवन एवं दुर्घटना बीमा

(क) हथकरघा बुनकरों को एमजीबीबीवाई के तहत जीवन एवं दुर्घटना बीमा कवर 31 मार्च, 2017 तक प्रदान किया गया था। कुछ संशोधनों के साथ हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) का अनुमोदन दिनांक 5 जून, 2018 को किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीबीवाई)और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक बीमा योजना है जो 18–50 वर्ष के आयु वर्ग वाले हथकरघा बुनकरों/कामगारों को प्राकृतिक/दुर्घटना मृत्यु, पूर्ण/आंशिक दिव्यांग्ता पर जीवन, दुर्घटना और दिव्यांग्ता बीमा कवरेज प्रदान करती है। तथापि, 51–59 वर्षों की आयु समूह वाले मौजूदा बुनकर परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के तहत कवरेज जारी रखेंगे। पीएमजेबीबीवाईऔर पीएमएसबीवाई के तहत प्रति बुनकर 342/–रूपए के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा इस प्रकार है:–

क्र.सं.	वार्षिक हिस्सा	राशि
(i)	भारत सरकार हिस्सा	162/– रूपए
(ii)	एलआईसी हिस्सा	80/– रूपए
(iii)	बुनकर हिस्सा	100/– रूपए
	कुल	342/– रूपए

लाभ

क्र.सं.	मद	लाभ
(i)	प्राकृतिक मृत्यु	2,00,000/– रूपए
(ii)	दुर्घटना मृत्यु	2,00,000/– रूपए
(iii)	पूर्ण दिव्यांगता	2,00,000/– रूपए
(iv)	आंशिक दिव्यांगता	1,00,000/– रूपए

(ख) परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना(एमजीबीबीवाई):

परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजनाएक ऐसी बीमा योजना है जो 51–59 वर्ष की आयु समूह वाले ऐसे हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है जो दिनांक 31.05.2017 को एमजीबीबीवाई के तहत पहले से ही शामिल हैं। दिनांक 01.06.2017 को अथवा उसके बाद इस योजना के तहत 51–59 वर्ष की आयु समूह वाले बुनकरों का कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार एमजीबीबीवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या हर वर्ष कम हो जाएगी और 9 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी। 470/– रूपए के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा इस प्रकार होता है:–

भारत सरकार का हिस्सा	290/– रूपए
एलआईसी हिस्सा	100/– रूपए
बुनकर/कामगार हिस्सा	80/– रूपए
कुल	470/– रूपए

लाभ

लाभ	
प्राकृतिक मृत्यु	60,000/– रूपए
दुर्घटना मृत्यु	1,50,000/– रूपए
पूर्ण दिव्यांग्ता	1,50,000/– रूपए
आंशिक दिव्यांग्ता	75,000/– रूपए

पिछले चार वर्षों से जीवन एवं दुर्घटना बीमा योजना के तहत बुनकरों का नामांकन निम्नानुसार है:

वर्ष	नामांकित बुनकर
2015-16	5.83 लाख
2016-17	5.32 लाख
2017-18	1.70 लाख
2018-19	1.71 लाख
2019-20	1.39 लाख

पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और परिवर्तित एमजीबीबीवाई के तहत बुनकरों/कामगारों के नामांकन के लिए वर्ष 2017–18 के लिए लक्ष्य 5.32 लाख और वर्ष 2018–19 के लिए 6.65 लाख तथा वर्ष 2019–20 के लिए 6.57 लाख है जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 3.74 लाख और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2.83लाख शामिल हैं।

इस योजना के तहत निःशुल्क ऐड–ऑन लाभ के रूप मेंलाभार्थी के 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले अधिकतम दो बच्चों को प्रत्येक बच्चे के लिए 100/–रुप्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। हालांकि, छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से किया जाएगा। छात्र को एनएसपी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। स्कूल और नोडल एजेंसी छात्रों के विवरण को सत्यापित करेगी। एलआईसीवर्ष में एक बार डीबीटीके माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति की पेमेंट जारी करेगी। छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

III. **यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)**

भारत सरकार मिल गेट कीमत पर हथकरघा बुनकरों को हर प्रकार का यार्न प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित कर रही है ताकि हथकरघा क्षेत्र हेतु बेसिक कच्ची सामग्री की नियमित आपूर्ति सुविधा प्रदान की जा सके और इस क्षेत्र की पूर्ण रोजगार संभाव्यता का उपयोग करने में सहातया मिल सके। यह योजना भारत सरकार के एक उपक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), लखनऊ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत माल–भाड़ा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। मालभाडा प्रतिपूर्ति की दर, डिपो संचालन व्यय तथा एनएचडीसी के सेवा प्रभार इस प्रकार है:

(आपूर्त यार्न के मूल्य का :)

क्षेत्र	माल भाड़ा			डिपो प्रचालन प्रभार	एनएचडीसी सेवा प्रभार
	सिल्क/जूट के अलावा	सिल्क यार्न	जूट/जूट मिश्रित यार्न		
मैदानी क्षेत्रों में	2.5%	1%	10%	2.0%	1.25%
पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्र	2.5%	1.25%	10%	2.0%	1.5%
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5%	1.50%	10%	2.0%	2.00%

इसके अलावा, पावरलूम और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल हथकरघा बुनकरों को सब्सिडी युक्त यार्न प्रदान करने हेतु मात्रात्मक सीमा सहित कॉटन, घरेलू रेशम, ऊनी यार्न और हंक रूप में लिनन यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है। 10% सब्सिडी घटकों के तहत विभिन्न प्रकार के यार्न की पात्रतानिम्नानुसार है:

कॉटन और घरेलू रेशम के धागे के लिए

1. 40एस कॉटन सहित एवं तक – 30 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
2. 40एस कॉटन से अधिक – 10 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
3. घरेलू रेशम के लिए – 4 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह

ऊनी यार्न के लिए

ऊनी यार्न (10एसएनएम से नीचे)	50 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
ऊनी यार्न (10एससे 39.99एसएनएम)	10 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
ऊनी यार्न (40एसएनएम एवं उससे अधिक)	4 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह

लिनन यार्न के लिए

लिनन यार्न (5 लीसे 10 ली)	20 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
लिनन यार्न (10 लीसे अधिक)	7 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के तहत यार्न की आपूर्ति इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (लाख कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रूपए में)
2014-15	1484.300	216077.51
2015-16	1725.46	235686.52
2016-17	1799.14	294194.80
2017-18	1556.05	256459.01
2018-19	442.04	89714.50
2019-20	406.17	70061.02
2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	160.78	37742.31

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के 10% सब्सिडी संघटक के तहत आपूर्ति इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (लाख कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रूपए में)
2014-15	286.34	102683.50
2015-16	257.077	92777.460
2016-17	313.31	134601.15
2017-18	330.90	120973.11
2018-19	146.26	50198.32
2019-20	93.26	36566.69
2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	59.81	22321.31

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के के तहत जारी निधियां इस प्रकार है:

वर्ष	जारी निधियां (करोड़ रूपए में)
2014-15	127.81
2015-16	321.96
2016-17	261.35
2017-18	199.84
2018-19	126.84
2019-	142.21
2020-2021 (दिसम्बर, 2020 तक)	53.11

10.2.3 व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना

पांच वर्षो के लिए प्रति क्लस्टर 40.00 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सहायता के साथ भौगोलिक स्थानों में कम से कम 15000 हथकरघों के शामिल करते हुए मेगा हथकरघा क्लस्टर के विकास हेतु व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) कार्यान्वयन के अधीन है।

सीएचसीडीएस के दिशानिर्देश अगस्त, 2015 में संशोधित किए गए थे जिसमें एनएचडीपी की तर्ज पर ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर(बीएलसी) शामिल है।

वर्ष 2020–21 (दिनांक 16.02.2021 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए 5.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

10.2.4 हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

हथकरघा उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस समय दिनांक 3.9.2008 के सा.आ. सं. 2160 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत केवल हथकरघों पर उत्पादन के लिए कुछ विनिर्देशों के साथ 11 प्रकार की वस्त्र मदें आरक्षित हैं। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा (जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार) किए गए विद्युतकरघा निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

दिल्ली, चेन्नै और अहमदाबाद स्थित तीन प्रवर्तन कार्यालय हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार 'हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन' योजना के तहत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देती है। राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा तालिका 1.2 में दिया गया है:–

तालिका 1.1

क्र.सं.	वास्तविक प्रगति		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 जन. 2021 तक
1.	विद्युतकरघा निरीक्षणों का लक्ष्य	3,21,452	3,34,468	3,51,572	3,67860	401400	158160
2.	निरीक्षित विद्युतकरघों की संख्या	3,32,327	3,47,293	3,67,927	385557	408660	121039
3.	दर्ज एफआईआर की संख्या	140	64	83	67	88	05
4.	दोषसिद्धि	120	25	89	66	62	18

तालिका 1.2

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 जन. 2021 तक
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	41.22	-	-	43.15	52.43
2.	पश्चिम बंगाल	3.79	14.67	0.49	33.37	11.97	8.10
3.	गुजरात	10.12	11.37	25.70	15.39	7.82	8.95
4.	राजस्थान	-	-	30.80	14.54	12.39	-
5.	मध्य प्रदेश	-	28.86	13.64	8.72	15.74	-
6.	हरियाणा	-	-	-	-	10.19	-
7.	तमिलनाडु	108.95	72.44	121.72	57.06	117.60	99.44
8.	उत्तर प्रदेश	8.24	12.71	89.28	91.63	57.50	146.86
9.	केरल	7.78	5.63	10.88	-	-	-
10	तेलंगाना	11.36	47.40	6.97	7.18	-	32.50
	कुल	**150.24**	**234.30**	**299.48**	**227.89**	**276.36**	**348.28**

10.2.5 हथकरघा संगठन

क) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) फैब्रिक्स, होम फार्निशिंग, कारपेट और फ्लोर कवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नोडल एजेंसी है। एचईपीसी का गठन 96 सदस्यों के साथ 1965 में किया गया और समूचे देश में इसकी वर्तमान सदस्यता 1501 है। एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई में है और क्षेत्रिय कार्यालय नई दिल्ली में है।

एचएचईपीसी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए भारतीय हथकरघा निर्यातकों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को सभी प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

- तमिलनाडु में करूर एवं मदुरै, केरल में कन्नूर तथा हरियाणा में पानीपतमें प्रमुख हथकरघा निर्यात केंद्र हैं। निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद जैसे कि टेबलमेट्स, प्लेसमेट्स, कशीदाकारी वस्त्र सामग्री, पर्दे, फर्श मैट, किचनवेयर आदि का उत्पादन करूर, मदुरै और कन्नूर में किया जाता है, जबकि पानीपत दरियों और अन्य भारी किस्मों के लिए प्रसिद्ध है जहां हैंडस्पून यार्न का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है।
- इसके अलावा, केरल, वारणासी, भागलपुर, शांतिपुर, जयपुर, अहमदाबाद, वारंगल, चिराला, पोचमपल्ली और संपलपुर जैसे अन्य केंद्र भी हैंडलूम निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बड़ी संख्या में व्यापारी निर्यातक हैं जो अपने उत्पादों इन केंद्रों से खरीदते हैं।

एचईपीसी के उद्देश्य:

परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. सदस्य निर्यातकों को व्यापारिक सूचना तथा आसूचना का प्रचार–प्रसार,
2. भारतीय हथकरघा उत्पादों का विदेशों में प्रचार,
3. उत्पाद विविधीकरण एवं आधुनिक विपणन जरूरतों की पूर्ति को सुगमब नाना,
4. निर्यात–बाजार हेतु हथकरघों के आधुनिकीकरण की गति को तेज करना,
5. हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु डिजाइन संबंधी निविष्टियां प्रदान करना,
6. व्यापार मिशनों/क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन एवं विदेशों के व्यापार मेलों में भागीदारी,
7. हथकरघा निर्यातकों हेतु परामर्शी एवं मार्गदर्शी सेवाएं,
8. हथकरघा निर्यात व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के

प्रक्रियात्मक एवं नीतिगत मामलों में भारत सरकार के साथ सम्पर्क करना,

9. हथकरघा निर्यातकों से संबंधित व्यापारिक शिकायतों का निपटान,

10. हथकरघा निर्यातकों के लाभ के लिए विदेश स्थित वाणिज्यिक एजेंसियों के साथ आयात संवर्धन हेतु संपर्क करना।

निर्यात लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	
		करोड़ रूपये में	यूएस डॉलर में
2013-14	602 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2233.11	369.11
2014-15	460 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2246.48	367.41
2015-16	421 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2353.33	360.02
2016-17	450 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2392.21	357.53
2017-18	463 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2280.18	353.92
2018-19	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2399.39	343.43
2019-20	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2248.33	315.62
2020-21 (नवं. 2020 तक)		983.60	132.14

ख) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)

परम्परागत और समसामयिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) की स्थापना की गई है ताकि हथकरघा क्षेत्र को तेजी से बदलती बाजार की मांग के अनुरुप बनाया जा सके। इस समय, एनसीटीडी दिल्ली स्थित बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यूएससी) के परिसर से कार्य कर रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 (दिसंबर 2020 तक) के दौरान, कुल 209 डिजाइन विकसित किए गए हैं जिन्हें अभी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना हैं। एनसीटीडी की वेबसाइट प्रधान कार्यालय के पीएमयू द्वारा विकसित की जा रही है। वेबसाइट विकसित हो जाने पर, उसे शीघ्र अपलोड किया जाएगा।

हस्तशिल्प:

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अपना विशेष महत्व रखता है। हस्तशिल्प में विशाल सम्भावनाएं हैं, चूंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए मौजूदा लाखों कारीगरों को, बल्कि शिल्प कार्यकलापों में बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए कारीगरों को बनाए रखने की भी क्षमता है। हस्तशिल्प क्षेत्र का रोजगार उत्पादन तथा निर्यात में विशेष योगदान जारी है।

हस्तशिल्प क्षेत्र में कम पूंजी, नई तकनीकों की जानकारी का अभाव, नई प्रौद्योगिकियों, विपणन आसूचना की कमी तथा अपर्याप्त संस्थागत फ्रेमवर्क जैसी रुकावटों को लेकर समस्याएँ रही हैं। इन समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान उत्पाद विकास, घरेलू बिक्री और निर्यात के मामले में अब क्षेत्र में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय कार्यालय के साथ समग्र भारत में विद्यमान है जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और गुवाहाटी में 06क्षेत्रीय कार्यालय है जो देश भर में 60 हस्तशिल्प केन्द्रों के मुख्य तौर पर शिल्प केन्द्रित क्षेत्रों के कार्यकरण को समन्वित करता है।

कारीगर : अनुमानित हस्तशिल्प कारीगरों की कुल संख्या 68.86 लाख है, इनमें से 30.25 लाख पुरुष हैं और 38.61 लाख महिला कारीगर हैं।

कारीगरों की जनसांख्यिकीय रूपरेखा:

महिला	56.13 %
पुरुष	43.87 %
एससी	20.8%
एसटी	7.5%
ओबीसी	52.4%
सामान्य	19.2%

10.1 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन सहित देश भर में 09 मेगा कलस्टरों और 12 हस्तशिल्प परियोजनाओं का एकीकृत विकास और संवर्धन, कारीगरों को विभिन्न मेलों में मिल रही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पहुंच खएक्स्पोजर, के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र निर्यात के मामले में तेजी से विकास कर रहा है।

सितंबर, 2020 तक हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात 13904.87 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2019–20 के दौरान निर्यात 37069. 59 करोड़ रुपए था।

2014–15 से 2020–21 तक (सितंबर तक) हस्तशिल्प का निर्यात

पिछले पाँच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उत्पादन और निर्यात

वर्ष	उत्पादन(करोड़ रूपये में) *	रत्नों एवं आभूषणों सहित हस्तशिल्प का निर्यात (करोड़ रूपये में)
2014-15	38245.90	28524.49
2015-16	41557.65	31038.52
2016-17	46151.60	34394.27
2017-18	43288.17	32235.25
2018-19	50580.99	36798.20
2019-20	49537.53	37069.59
2020-21 (सितंबर 2020 तक)	18370.96	13904.87

10.2 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्न दो स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है–

क. ''राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम'' (एनएचडीपी)

ख. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास स्कीम ख्मेगा कलस्टर स्कीम,

वर्ष 2017–18 के दौरान सभी हस्तशिल्प कलस्टरों के समग्र रूप से विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बल देने हेतु "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम'' (एनएचडीपी) नामक एक छत्र योजना के तहत हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत एनएचडीपी के निम्न संघटक हैं–

1. बेस लाइन सर्वेक्षण एवं कारीगरों की व्यवस्था ख्एएचवीवाई,
2. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम
3. मानव संसाधन विकास
4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान एवं विकास योजना
7. विपणन सहायता एवं सेवाएं

10.2.1 बेस लाइन सर्वेक्षण एवं कारीगरों का संघटन (एएचवीवाई)

इस योजना का उद्देश्य प्रभावी सदस्य सहभागिता एवं परस्पर सहयोग के सिद्धान्त के आधार पर कारीगर कलस्टर को व्यावसायिक रुप से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर समुदायिक उद्यमियों के रुप में विकसित करके भारतीय हस्तशिल्पों का संवर्धन करना है। इस योजना में हस्तशिल्प के सतत विकास हेतु शिल्पियों की सहभागिता द्वारा परियोजना आधारित, आवश्यकता आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। स्कीम के संघटक निम्न प्रकार से हैं–

i. कारीगरों को स्वावलंबन समूहों (एस एच जी)/समितियों में संगठित करने हेतु सामुदायिक सशक्तिकरण।

ii. डीपीआर/डीएसआर को तैयार करना।

iii. कलस्टर प्रबंधक को वेतन क्षतिपूर्ति सहित परियोजना प्रबंधन लागत।

iv. व्यापक विकास सहायता ।

v. कारीगरों की उत्पादक कंपनी का गठन।

123 विभिन्न कार्यक्रमों के लिए को 755.82 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है और दिनांक 30.11.2020 तक 409.87 लाख रूपये जारी किए गए हैं।

10.2.2 डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन

इस स्कीम का लक्ष्य विदेशी बाजारों के लिए अभिनव डिजाइनों और प्रोटोटाइप उत्पादों के विकास, लुप्तप्राय शिल्पों के पुनुरुत्थान और विरासत के परिरक्षण आदि के माध्यम से कारीगरों के कौशल को बढ़ाना है। इस स्कीम के निम्न संघटक हैं–

i. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला

ii. एकीकृत डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना

iii. डिजाइन प्रोटोटाइप के लिए निर्यातक एवं उद्यमी को सहायता

iv. डिजाइन, ट्रेंड और टेक्निकल कलर फॉरकास्ट के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन आसूचना

v. हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र

vi. औजारों, सुरक्षा उपस्करों, लूमों, भट्टियों आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता।

vii. आज की आवश्यकताओं के अनुरूप इस योजना में वेतन क्षतिपूर्ति, कारीगरों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, कार्यक्रम की अवधि आदि जैसे कुछ बदलाव किए गए हैं।

10.2.2.1 पुरस्कार :

हस्तशिल्प के क्षेत्र में देश भर के हस्तशिल्प कारीगरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिये जाने वाले देश के सर्वोच्च हस्तशिल्प

पुरस्कारों में शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र नामक हस्तशिल्प पुरस्कार शामिल हैं।

(क) **शिल्प गुरूः** शिल्प गुरु पुरस्कार प्रति वर्ष उन 10 उत्कृष्ट शिल्पियों को प्रदान किये जाते हैं जो हस्तशिल्प की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने हस्तशिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। कोई भी हस्तशिल्प कारीगर जो राष्ट्रीय पुरस्कृत या राज्य पुरस्कृत हो अथवा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र विजेता हो अथवा जो हस्तशिल्प में असाधारण स्तर या विशिष्ट कौशल युक्त हस्तशिल्प कारीगर हो, जिसने हस्तशिल्प परंपरा के संवर्धन, विकास और परिरक्षण, शिल्प एवं शिल्प समुदाय के कल्याण एवं विकास में असाधारण योगदान दिया हो और अन्य पात्र मापदंडों को पूरा करता हो। प्रत्येक पुरस्कार में 2.00 लाख रुपए नकद, एक स्वर्ण जड़ित सिक्का, एक शाल, एक प्रमाण पत्र और एक ताम्रपत्र शामिल है।

(ख) **राष्ट्रीय पुरस्कारः** उत्कृष्ट शिल्पी को शिल्प कौशल में उत्कृष्टता बनाए रखने और हमारी पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उत्कृष्ट योगदान और शिल्प के विकास के लिये प्रतिवर्ष 20 शिल्पकारों को सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक शाल, एक प्रमाण पत्र और एक ताम्रपत्र शामिल है।

(ग) **राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्रः** राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रति वर्ष 20 उत्कृष्ट उत्कृष्ट शिल्पियों को प्रदान किया जाता है जिन्होने हस्तशिल्प उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और पात्रता मानदंडों को पूरा किया हो। प्रत्येक पुरस्कार में 75,000/– का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र शामिल है।

डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी उन्नयन योजना के तहत, वर्ष 2020–21 के दौरान 123 विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए निधियां स्वीकृत की गई है और कारीगरों को 4250 उन्नत टूल किट प्रदान किए गए हैं। 30–11–2020 तक 10.69 करोड़ रुपए का व्यय किया गया जिससे 8420 कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

10.2.3 मानव संसाधन विकास

हस्तशिल्प क्षेत्र को अर्हताप्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास स्कीम ख्एचआरडी, को तैयार किया गया है। यह कार्यबल वर्तमान बाजार की जरुरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में मजबूत उत्पादन आधार तैयार करने में योगदान देगा। यह योजना अपने संघटकों के माध्यम से अपेक्षित इनपुट प्रदान करके हस्तशिल्प हेतु डिजाइनरों के प्रशिक्षित काडर के रूप में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानव पूंजी के निर्माण का भी लक्ष्य रखती है। इसमें कारीगरों को अपना व्यवसाय सफलता से शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस

स्कीम के निम्न घटक हैं–

1. प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण।
2. हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
3. गुरु–शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण।
4. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण ।
5. डिजाइन मेंटरशिप तथा प्रशिक्षुता कार्यक्रम ।

मानव संसाधन विकास योजना के तहत, 199 विभिन्न विकासात्मक/प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए और वर्ष 2020–21 के दौरान निधि स्वीकृत की गई और 11.16 करोड़ रु. का व्यय किया है। इस प्रकार दिनांक 30.11.2020 तक 3980 कारीगरों को लाभ हुआ है।

10.2.4 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

यह योजना कारीगरों को स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, पहचान, ऋण सुविधाओं देने, औजार एवं उपस्कर मुहैया कराने आदि जैसी उनके कल्याण से जुड़ी आवश्यकताओं से संबन्धित मुद्दों को उठाने की ओर परिकल्पित है। इस योजना के मुख्य संघटक निम्न प्रकार से हैं–

1. राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर जी एस एस बी वाई) [रुकी हुई स्कीम]
2. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना ख्आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई),
3. दरिद्र परिस्थितियों में रह रहे कारीगरों को सहायता
4. क्रेडिट गारंटी स्कीम
5. ब्याज में छूट स्कीम
6. पहचान–पत्र जारी करना और डाटाबेस का निर्माण।

कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ योजना के तहत 30.11.2020 तक 1.32 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

10.2.5 अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता

निकटतम संभावित स्थान पर अपेक्षित प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिजाइन विकास, कच्चा माल बैंक तथा विपणन एवं संवर्धन सुविधाएँ मुहैया कराई जाती है और देश में कुशल व्यक्तियों के संसाधन पूल में सुधार सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश में

हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करना और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ–साथ उत्पाद लागत को कम करना है जिससे कि हमारे उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना के तहत दिनांक 30.11.2020 तक 13.03 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है।

10.2.6 विपणन सहायता एवं सेवाएँ

हस्तशिल्पों के संवर्धन एवं विपणन के उद्देश्य से विभिन्न पात्र संगठनों को महानगरों/राज्यों की राजधानियों/पर्यटक अथवा वाणिज्यक स्थलों/अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियों/संगोष्ठियोंमें भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे देश के विभिन्न भागों के हस्तशिल्प कारीगरोंध स्वावलंबन समूहों को सीधे विपणन मंच मुहैया होगा।

दिनांक 31.11.2020 तक 14 घरेलू विपणन कार्यक्रम आयोजित किये गये। ये कार्यक्रम कारीगरों को गांधी शिल्प बाजार, शिल्प बाजार, विषयगत प्रदर्शनी आदि के माध्यम से घरेलू विपणन अवसरों को मुहैया कराने की सुविधा प्रदान करते हैं इनसे 66.45 लाख स्वीकृत कुल निधि और जारी की गइ 33.22 लाख रु. से 465 कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

10.2.7 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास स्कीम की शुरुआत महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन करने हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं तथा विशिष्ट पहलुओं का गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे नीति आयोजन में उपयोगी इनपुट सृजित किए जा सकें तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा क्रियान्वित स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। 12वीं योजना के दौरान निम्न क्रियाकलाप किये जाएंगे :

1. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन।
2. लेबलिंग/प्रमाणीकरण को प्रेरित करने के प्रयोजन से लीगल, पैरा लीगल, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता।
3. क्षेत्र/सेगमेंट की चुनौतियों का सामना करते हुए संगठन को सक्षम बनाने के लिए लुप्तप्राय शिल्पों, डिजाइन, विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान आधार, अनुसंधान एवं इनके क्रियान्वयन को शामिल करते हुए शिल्पों के संरक्षण से जुड़ी क्रियाविधि (मैकेनिजम) को बनाने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता ।
4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना ।
5. जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत शिल्पों का पंजीकरण और क्रियान्वयन पर आवश्यक अनुवर्तन ।
6. जेनेरिक उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित बार कोडिंग और जीएसआई ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।
7. भारतीय हस्तशिल्प के ब्रांड निर्माण तथा संवर्धन से जुड़ी समस्याओं/मुद्दों को उठाने के लिए वित्तीयसहायता ।
8. हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन।

वर्ष 2020–21 के दौरान, 30.11.2020 तक 07 सर्वेक्षण/अध्ययन और 104 कार्यशाला/संगोष्ठी स्वीकृत किए गए। इसके लिए 30.11.2020 1.61 करोड़ रूपये की राशि जरी की गई है।

10.3 व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर योजना)

मेगा कलस्टर अप्रोच उन हस्तशिल्प कलस्टरों में आधारभूत संरचनात्मक एवं उत्पादन श्रृंखला को प्रवर्धित करने की एक मुहिम है जो असंगठित रहे हैं और जो अभी तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ बराबरी नहीं कर सके हैं। इस क्षेत्र की संभावनाएं आधारभूत संरचनात्मक उन्नयन, मशीनरी के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण में निहित हैं। कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए विशिष्ट बाजार का निर्माण करने के लिए मूल सिद्धांत के रुप में देशी उत्पादों के लिए ब्रांड निर्माण के अतिरिक्त नव परिवर्तित निर्माण सहित डिजाइनिंग की जानकारी भी अपेक्षित है। यह कार्यक्रम विपणन लिंकेजों और उत्पाद विविधीकरण के साथ–साथ आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन का समर्थन करता है। हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एनएचडीपी द्वारा ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने के संबंध में संशोधित रणनीति अपनाई गई है। इसके साथ प्राथमिक उत्पादकों की सहायता करना, डिजाइन में मदद करना तथा कारीगरों को प्रशिक्षण देना और विपणन सहायता का भी प्रावधान रखा गया है।

10.3.1 नरसापुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर–भदोही, श्रीनगर, जोधपुर, बरेली, लखनऊ, कच्छ और जम्मू एवं कश्मीर में 09 हस्तशिल्प मेगा कलस्टर मंजूर किए गए हैं और अब तक 243.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

10.3.2 उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, वाराणसी फेस–2 और हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत 12 एकीकृत विकास तथा हस्तशिल्प संवर्धन परियोजनाएँ (विशेष परियोजनाएं) हैं। अभी तक 97.63 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

10.3.3 हस्तशिल्प संगठन:

i. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

वर्ष 2020–21 (नवंबर 2020 तक) के दौरान परिषद की गतिविधियां

1) 1,820 की सदस्यता (नवंबर 2020 तक)

2) भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों का निर्यात –

वर्ष	यूएस मिलियन डॉलर में निर्यात	करोड़ रूपए में निर्यात
2015-16	1,448.24	9,481.36
2016-17	1,491.22	10,001.90
2017-18	1,427.70	9,205.90
2018-19	1,765.96	12,364.69
2019-20	1,666.11	11,799.47
2020-21 अनंतिम (सितं, 2020 तक)	732.85	5,473.80

1. वर्ष 2020–21 के दौरान कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) द्वारा शुरू की गई गतिविधियाँ;

क्रमांक	गतिविधि	अप्रैल-अक्तूबर, 2019 संख्या
1.	जारी की गई कालीन लेबलें	89,000
2.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	1
3.	घरेलू कार्यक्रम	9

आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम:

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां:

1. ओसियानिया बाजार पर विशेष फोकस करते हुए क्रेता–विक्रेता बैठक–29 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2020 तक वर्चुअल प्रदर्शनी

सीईपीसी ने दूसरी वर्चुअल प्रदर्शनी आयोजित की– ओसियानिया बाजार पर विशेष फोकस करते हुए 29 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2020 तक क्रेता–विक्रेता बैठक। बीएसएम का उद्घाटन श्री सिद्धनाथ सिंह, अध्यक्ष, सीईपीसी द्वारा 29 सितंबर, 2020 को किया गया था।

श्री सिद्धनाथ सिंह, अध्यक्ष, सीईपीसी ने बताया कि सीईपीसी की यह पहल भारतीय उत्पादों और महामारी के समय के पश्चात विश्व भर में हस्त निर्मित कालीनों और फर्श बिछावन की मांग के बीच अंतर को पाटने के लिए की गई है। परिषद ने यह बीएसएम विकास आयुक्त हस्तशिल्प योजना के अंतर्गत आयोजित की गई जिसमें केवल 50 सदस्यों ने भाग लिया। श्री सिंह ने बताया कि परिषद और जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से हमने वर्चुअल बीएसएम में जेएंडके क्षेत्र के 6 सदस्यों की भागीदारी प्राप्त किया है।

बीएसएम को लगभग 76 विदेशी क्रेताओं की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं।

बीएमएम में प्रतिभागी विनिर्माताओं और निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय के अवसर तथा एक छत के नीचे देश भर के निर्यातकों से मिलने और नए और प्रचलन वाले नवीनतम उत्पादों को खरदीने और मौके पर ऑर्डर देने के लिए कालीनों के आयातकों के लिए एक उत्कृष्ठ अवसर प्रदान किया है।

प्रदर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है, लगभग प्रत्येक प्रतिभागी ने विदेशी क्रेताओं और खरीदने वाले प्रतिभागियों के साथ पर्याप्त विडियो कॉफ्रेंसिंग की है और काफी पूछताछ की है। सभी प्रदर्शक ऐसे आश्चर्यजनक अवसर प्रदान करने के लिए आयोजकों से बहुत खुश थे।

श्री रवि कपूर, आईएएस, सचिव (वस्त्र), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्चुअल बीएसएम आयोजित करने में परिषद के प्रयासों की विडियों संदेश के माध्यम से प्रशंसा की और सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामना दी तथा भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग को सदैव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

श्री शांतमन, आईएएस, विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मत्रालय, भारत सरकार ने दूसरी वर्चुअल प्रदर्शनी – आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओसियाना बाजार के लिए बीएसएम आयोजित करने में परिषद के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार दर्जी द्वारा निर्मित कालीन तैयार करने के लिए भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग की क्षमता का उल्लेख किया।

घरेलू गतिविधियां:

1. 40वां भारतीय कालीन एक्सपो - 21 से 25 अगस्त, 2020 तक वर्चुअल संस्करण

सीईपीसी ने दिनांक 21 से 25 अगस्म, 2020 तक हस्तनिर्मित कालीनों और अन्य फर्श बिछावन के लिए एक नितांत व्यापार मेला 40वां भारत कालीन एक्सपो के प्रथम संस्करण का आयोजन भारतीय उत्पादों और महामारी के समय के पश्चात विश्व भर में हस्त निर्मित कालीनों और फर्श बिछावन की मांग के बीच अंतर को पाटने के लिए एक पहल के रूप में किया। इस मेले का उद्घाटन माननीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने 21 अगस्त, 2020 को विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से श्री शांतमनु, आईएएस, विकास आयुक्त हस्तशिल्पकी गरिमामय उपस्थिति में किया।

40वां भारत कालीन एक्सपों के प्रथम संस्करण को 61 देशों के लगभग 364 विदेशी क्रेताओं और एक्सपो में दुनिया भर के 191 क्रय प्रतिनिधियों की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं।

प्रदर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है, लगभग प्रत्येक प्रतिभागी ने विदेशी क्रेताओं और खरीदने वाले प्रतिभागियों के साथ पर्याप्त विडियो कॉफ्रेंसिंग की है और काफी पूछताछ की है। सभी प्रदर्शक ऐसे आश्चर्यजनक अवसर प्रदान करने के लिए आयोजकों से बहुत खुश थे।

श्री रवि कपूर, आईएएस, सचिव (वस्त्र), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्चुअल प्रदर्शनी में अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि यह वर्चुअल प्रदर्शनी हमारे कारीगरों, बुनकरों और निर्यातकों के लिए काफी सहायक होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्चुअल प्रदर्शनी का प्रभाव देखने को मिलेगा और विदेशी क्रेताओं के साथ व्यवसाय संबंध विकसित होंगे।

यह बात निर्विवाद रूप से पुनः उभर कर आयी है कि भारतीय कालीन एक्सपो ने दुनिया भर के क्रेताओं की ओर से बढ़ रहे समर्थन के साथ एशिया के सबसे बड़े हस्तनिर्मित कालीन शो के रूप में स्थापित किया है। भारतीय कालीन एक्सपो निर्यातकों और विनिर्माताओं को भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय के अवसर प्रदान करता है क्योंकि इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के विख्यात विदेशी हस्तनिर्मित कालीन के साथ भाग लेते हैं। यह आयातकों को दुनिया भर के निर्यातकों से एक छत के नीचे मिलने और नए उत्पाद खरीदने तथा मौके पर ऑर्डर देने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान करता है।

श्री स्मृति जूबिन इरानी, केंद्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री, 40वां भारत कालीन एक्सपो–वर्चुअल संस्करण का विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए

2. **14 अगस्त, 2020 को 'कालीन उद्योग के लिए पैकेजिंग की नई तकनीक' पर वेबीनार**– सीईएसपी ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के सहयोग से कालीन उद्योग के लिए पैकेजिंग नई तकनीक पर एक वेबीनार का आयोजन किया। श्री उमेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ सीईओ सदस्य ने सत्र की अध्यक्षता की। श्री प्रवीण कुमार, निदेशक वाणिज्य विभाग, भारत सरकार इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

वैश्विक व्यापार के बदलते परिदृश्य में उत्पाद की पैकेजिंग गुणवत्ता वाले व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्रेता पैकेजिंग के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि निर्यात करने वाले समुदाय को निर्यात के लिए प्रस्तावित अपने उत्पादों की पैकेजिंग के लिए नई तकनीक के बारे में जागरूक होना चाहिए। चूंकि हम विश्व स्तरीय उत्पाद का उत्पादन और निर्यात कर रहे हैं और यदि यह सुंदर पैकेजिंग में होगा तो इसका प्रभाव बिल्कुल भिन्न होगा।

उपर्युक्त के मद्देनजर सीईपीसी ने भारत सरकार के एक विश्व विख्यात संगठन के माध्यम से विश्व स्तरीय पैकेजिंग के तकनीकों को प्रदर्शित करने की एक योजना बनाई है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई पैकेजिंग की विभिन्न तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए एक आश्चर्यजनक अवसर प्रदान कर रहा है।

डॉ. तनवीर आलम, निदेशक (प्रभारी) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई ने'कालीन उद्योग के लिए पैकेजिंग की नई तकनीक' पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। वर्तमान में पैकेजिंग विज्ञान और कला एवं प्रौद्योगिकी एक मिश्रण है और यह उत्पाद केब्रांड मूल्य को बढ़ा सकता है और इसे किसी उत्पाद का विशिष्ट विक्रेता समझा जाता है।

अधिकांश सदस्य प्लास्टिक और रोलिंग कालीनों आदि में लपेटने की परंपरागत पैकिंग का उपयोग कर रहे हैं किंतु कुछ देशों ने पहले ही प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसका समाधान ढूंढे जाने की आवश्यकता है जो न केवल लागत प्रभावी है बल्कि हमारे उत्पादों की कीमत को भी बढ़ा देता है।

3. **19 अगस्त, 2020 को 'कालीन उद्योग के लिए रूझान, रंग एवं डिजाइन पूर्वानुमान' पर वेबीनार**–सीईपीसी ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) एवं क्रय एजेंट एसोसिएशन (बीएए) के सहयोग से रंग, डिजाइन एवं रूझान पूर्वानुमान पर एक वार्ता वेबीनार का आयोजन किया। रंग और डिजाइन पूर्वानुमान वर्तमान बाजार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विनिर्माता तथा निर्यातकों को उपभोक्ताओंध्बाजार की आवश्यकता और उनकी रुचि का मूल्यांकन करने में सहायता करता है।

श्री संजय कुमार ने वेबीनार की कार्यवाही की और निम्नलिखित विशेषज्ञों ने उपस्थित लोगों के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया–

- श्री दीपक गाबा, मैसर्स थ्री एस के फाउंडर और सीईओ ने कार्पेट सोर्सिंग पर प्रस्तुतिकरण दिया।
- सुश्री फियोना कालफील्ड, मैसर्स थ्री एस की क्रियेटिव निदेशक ने विकास के लिए रूझान, दिशा एवं ग्रीन स्पेश–कालीन क्षेत्र कार्पेट सोर्सिंग पर प्रस्तुतिकरण दिया।
- सुश्री मीक स्टीवन, कालीन पत्रिका के संपादक, जर्मनी ने यूरोप में कालीन के रूझान कार्पेट सोर्सिंग पर प्रस्तुतिकरण दिया।
- श्री अमित जैन, मैसर्स श्री जय इंटरनेशनल के एमडी ने कालीन उद्योग में नवाचार कार्पेट सोर्सिंग पर प्रस्तुतिकरण दिया।
- डॉ. शालिनी सूद सहगल– क्रियेटिव निदेशक, विजननेक्स्ट और प्रोफेसर, निफ्ट एवं
- डॉ. कॉस्तव सेन गुप्तादृ लीड इंसाइट, विजननेक्स्ट और एसोसिएट प्रोफेसर, निफ्ट ने विजन नेक्स्ट परियोजना के बारे में बताया और ट्रेंडइंसाइट तथा पूर्वानुमान लैब कार्पेट सोर्सिंग पर प्रस्तुतिकरण दिया।
- सुश्री बिंदु रंजन, केंद्र प्रमुख, एनआईडी ने कालीन– अंडरफुट के लिए डिजाइन प्रक्रिया कार्पेट सोर्सिंग पर प्रस्तुतिकरण दिया।

4. **40वां भारत कालीन एक्सपो की प्रतिभागिता के लिए संस्थागत डिजाइन पुरस्कार-25 अगस्त, 2020 को वर्चुअल संस्करण-** परिषद ने पहली बार विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 25 अगस्त, 2020 को 11.30 बजे पहली वर्चुअल प्रदर्शनी–40वां भारत कालीन एक्सपो में 'डिजाइन पुरस्कार–2020' का आयोजन किया। श्री सिद्ध नाथ सिंह, अध्यक्ष सीईपीसी ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि इस 'डिजाइन पुरस्कार 2020' की स्थापना करने का मूल विचार महामारी के पश्चात विश्व भर में भारतीय उत्पादों और हस्तनिर्मित कालीनों तथा फर्श बिछावन के अंतर को पाटने के लिए सीईपीसी द्व ारा प्रथम वर्चुअल प्रदर्शनी–40वां भारत कालीन एक्सपो नामक पहल में प्रतिभागियों विशेष रूप से उद्योग में युवा पीढ़ी की भागीदारी के लिए उनके कठिन श्रम की सराहना और मान्यता प्रदान करना था।

पुरस्कार विजेताओं का चयन फैशन और डिजाइनिंग के क्षेत्र के निम्नलिखित विख्यात डिजाइनरों और प्रोफेसरों तथा प्रतिष्ठित निम्नलिखित व्यक्तियों की 6 सदस्यों वाली चयन समिति/निर्याणयक मंडल द्वारा किया गया थाः

1. श्री सुनील सेठी, प्रबंध निदेशक, मैसर्स सुनील सेठी डिजाइन एलाइंस और एलाइंस मर्चेडाइजिंग कंपनी और अध्यक्ष भारतीय फैशन और डिजाइन परिषद, नई दिल्ली।
2. डॉ. रजनीकांत, पदम श्री सम्मान–2019 पुरस्कार विजेता, कार्यकारी निदेशक/महासचिव, मानव कल्याण संघ, वाराणसी।
3. श्री संदीप पटेल, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, नई दिल्ली।
4. डॉ. शालिनी सूद सहगल– क्रियेटिव निदेशक, विजननेक्स्ट और प्रोफेसर, निफ्ट, नई दिल्ली।
5. डॉ. कॉस्तव सेन गुप्ता–लीड इंसाइट, विजननेक्स्ट और एसोसिएट प्रोफेसर, निफ्ट, चेन्नई।
6. सुश्री बिंदु रंजन, केंद्र प्रमुख, एनआईडी, नई दिल्ली।

श्री संजय कुमार, कार्यकारी निदेशक ने पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा कीः

1. **उत्कृष्ट हैंड नॉटेड कारपेट के लिए डिजाइन पुरस्कार-**
   - मैसर्स चौधरी एक्सपोर्ट्स, जयपुर – प्रथम पुरस्कार
   - मैसर्स अरोड़ा कारपेट, आगरा – द्वितीय पुरस्कार
2. **उत्कृष्ट हैंड टफ्टेड कारपेट के लिए डिजाइन पुरस्कार**
   - मैसर्स विलेज विवर्स, मिर्जापुर – प्रथम पुस्कार
   - मैसर्स विनी डेकोर, पानीपत – द्वितीय पुरस्कार
3. **दरी के लिए डिजाइन पुरस्कार**
   - मैसर्स गैलरी, भदोही – प्रथम पुस्कार
4. **उत्कृष्ट परंपरागत कालीन के लिए पुरस्कार**
   - मैसर्स नूर कारपेट कंपनी
5. **उत्कृष्ट एसथेटिक स्टॉल के डिजाइन पुरस्कार**
   - मैसर्स हजारा आर्ट्स, श्रीनगर

5. **दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आरओडीटीईपी योजना पर वेबिनार:** सीईपीसी ने दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आरओडीटीईपी योजना पर वेबिनार का आयोजन किया। श्री सिद्धनाथ सिंह, अध्यक्ष सीईपीसी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में सदस्यों को एमईआईएस योजना को बंद किए जाने और इस उद्देश्य से 1 जनवरी, 2021 से एक नई योजना आरओडीटीईपी शुरू किए जाने के बारे में बताया जिससे निर्यातक हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप के रूप में रिफंड प्राप्त करेंगे जिसका रखरखाव इलेक्ट्रॉनिक बही खाते में किया जाएगा। यह निर्यात को ड्राबैक और आईजीएसटी जैसे रिफंड के साथ शून्य दर सुनिश्चित करेगी। नई आरओडीटीईपी योजना भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान स्तर प्रदान करने में सहायता करेगी। सरकार ने ईपीसी के आंकड़े पर विचार करने के लिए श्री वाई.एस.परांडे और श्री गौतम राय सहित श्री जी.के.पिल्लई के अधीन एक समिति का गठन किया है।

श्री सिंह ने बताया कि वे मानते हैं कि सदस्य डाटा उपलब्ध कराने में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं इसलिए हमने आज की वेबीनार का आयोजन किया है ताकि श्री एन.के.चोपड़ा जो परामर्श प्रदान कर रहे हैं और सरकार को अपेक्षित डाटा प्रस्तुत करने के लिए कालीन उद्योग की सहायता कर रहे हैं, द्वारा सदस्यों के प्रश्नोंध संदेहों को स्पष्ट किया जा सके।

श्री सिद्धनाथ सिंह ने सदस्यों से सरकार को समय पर डाटा प्रस्तुत करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित डाटा प्रस्तुत में सहयोग करने का अनुरोध किया।

श्री एन.के.चोपडा, प्रबंध निदेशक, मैसर्स आईसीसीएच ग्लोबल कंसलटिंग प्रा.लि. ने सदस्यों को एमईआईएस और आरओडीटीईपी योजना में अंतर सहित आरओडीटीईपी योजना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, विशेषताओं और लाभ के बारे में बताया। श्री एन.के.चोपड़ा ने सदस्यों से अपेक्षित डाटा/इनपुट के ब्यौरे के बारे में बताया और इस मामले में उनकी आंशकाओं को भी स्पष्ट किया।

श्री पंकुश अरोड़ा ने आरओडीटीईपी के उद्देश्य, विशेषता और एमईआईएस एवं आरओडीटीईपी के बीच के अंतर के बारे में विस्तृत रूप से पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया। इसके अलावा उन्होंने आरओडीटीईपी समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र पर चर्चा की।

6. **दिनांक 20 अक्तूबर, 2020 को 'कालीन परीक्षण' पर वेबीनार**-सीईपीसी ने विभिन्न आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार कालीन क्षेत्र के लिए विभिन्न परीक्षणों के बारे में सदस्य निर्यातकों को अवगत कराने के लिए दिनांक 20 अक्तूबर, 2020 को 'कालीन परीक्षण' पर वेबीनार का आयोजन किया।

श्री मिनहाजउद्दीन शेख, उप महाप्रबंधक–टीजीआरसी आरएंडडी प्रमुख, तकनीकी शासन एवं विनियामक अनुपालन (टीजीआरसी), मैसर्स टीयूबी एसयूबी साउथ एशिया प्रा.लि. गुड़गांव, एक जर्मनी आधारित परीक्षण कंपनी ने यूएस एंव यूरोपीय बाजारों में विभिन्न परीक्षण आवश्यकताओं और विनियमों–कालीन अनुपालन और मानक, मूल्यवर्धन, प्रोत्साहन और विश्वास पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया।

डा.आर.के.मलिक, डीन, एसोसिएट प्रोफेसर और तकनीकी प्रबंधन, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), भदोही ने आईआईसीटी में उपलब्ध विभिन्न परीक्षण सुविधाओं, आईआईसीटी प्रयोगशाला रिपोर्ट के प्रत्यायोजन, परीक्षण के लाभ और उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन, अपने उत्पादों पर उपभोक्ता का विश्वास पैदा करना, अवशिष्ट को कम करने और प्रक्रिया को ईष्टतम बनाने पर प्रस्तुतिकरण दिया।

प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछें और सम्मानित वक्ताओं द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। कुछ सदस्यों ने फाइबर परीक्षण सुविधा की उपलब्धता के बारे में जानना चाहा जो उत्पादों के मानकों को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। श्री राजेश ने आगे बताया कि आने वाले दिनों में एंटी बैक्टीरियल परीक्षण की आवश्यकता होगी। मैसर्स जयपुर रग्स के श्री राजेश कुमार ने कोविड–19 के परिदृश्य के कारण ईयू और यूएसए में अतिरिक्त परीक्षण आवश्यकता के बारे में जानना चाहा। कुछ सदस्यों ने परीक्षण रिपोर्टों की बाध्यता के बारे में जानना चाहा।

डा. आर.के. मलिक ने प्रतिभागियों को निर्यातकों के लिए आईआईसीटी 'कालीन बंधु योजना' के बारे में बताया। कालीन बंधु योजना के अंतर्गत सदस्य बनने के पश्चात सदस्य आईआईसीटी में विकसित सभी परीक्षण प्रभारों, प्रकाशन, साफ्टवेयर और डिजाइन पर 20

प्रतिशत छूट, परामर्श शुल्क एवं प्रभार पर 10 प्रतिशत छूट, संदर्भ के लिए पुस्तकालय तक आसान पहुंच, परामर्श के लिए आईआईसीटी टीम द्वारा संपर्क के लिए पात्र हैं।

7. **दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 को व्यापार उपचार और निर्यात संवर्धन उपाय पर वेबीनार-** सीईपीसी ने विभिन्न व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में सदस्यों को अवगत कराने और जागरूकता का प्रसार करने तथा मशीन निर्मित कालीन और अन्य फर्श बिछावन के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिएदिनांक 27 अक्तूबर, 2020 को व्यापार उपचार और निर्यात संवर्धन उपाय पर वेबीनार का आयोजन किया।

श्री सतीश कुमार, अपर महानिदेशक, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), भारत सरकार ने व्यापार उपचार उपायों पर प्रस्तुतिकरण दिया और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उदद्योग मंत्रालय में एक अर्द्ध न्यायिक निकाय, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के बारे में बताया जो पाटन रोधी, सब्सिडी रोधी और उत्पादों के सुरक्षा मामलों पर अनुसंधान और जांच करती है और शुल्क लगाने के लिए केंद्र सरकार (वित्त मंत्रालय) को सिफारिशें करता है। श्री सतीश कुमारने पाटन रोधी, सब्सिडी रोधी और सुरक्षा उपायों की विस्तृत क्रियाविधियों और तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया।

श्री अमित कुमार, संयुक्त डीजीएफटी, कानपुर ने कालीनों के वैश्विक आयात पर प्रस्तुतिकरण दिया और प्रतिभागियों को बाजार विश्लेषण आंकड़े प्रदान किए। श्री अमित कुमार ने बताया कि विविधीकरण करने और अधिक से अधिक विचार–विमर्श करने तथा यह पता लगाने पर फोकस करने की आवश्यकता है कि किन उत्पादों की मांग अधिक है और वैश्विक बाजार में हमारी कितनी हिस्सेदारी है।

8. **6 नवंबर, 2020 (शुक्रवार) को कालीन क्षेत्र में 'भौगोलिक संकेतक (जीआई)' पर वेबीनार-** सीईपीसी नेसदस्य निर्यातकों को शिक्षित करने और उन्हें प्राधिकृत जीआई उपयोगकर्ता बनने के पश्चात के लाभों, जीआई का प्राधिकृत उपयोगकर्ता बनने की विस्तृत क्रियाविधि आदि के बारे में जागरूकता लाने के लिए 6 नवंबर, 2020 (शुक्रवार) को कालीन क्षेत्र में 'भौगोलिक संकेतक (जीआई)' पर वेबीनार का आयोजन किया। श्री चिन्नाराजा जी.नायडू, उप जीआई पंजीयक और श्री प्रशांत कुमार भैरप्पनवार, वरिष्ठ जीआई परीक्षक, जीआई रजिस्ट्री भारत सरकार, चेन्नई भी जीआई पर सदस्यों को शिक्षित करने के लिए वेबीनार में उपस्थित थे। श्री नायडू ने सदस्यों को जीआई के महत्व और हमारी अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में बताया। जीआई हमारी परंपरागत विरासत का संरक्षण और सुरक्षा करती है।

श्री प्रशांत कुमार भैरप्पनवार, वरिष्ठ जीआई परीक्षक, जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई ने बताया कि जीआई रजिस्ट्री एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकार है और उन्होंने जीआई की अवधारणा और समानों का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और सुरक्षा) अधिनियम, 1999 के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और बताया कि भारत में जीआई कैसे प्रचालन करता है। हमारे अधिनियम के अनुसार भौगोलिक संकेतक कोई संकेत को संदर्भित करता है जो उत्पादित किए जाने वाले समानों से विशिष्ट स्थान तक ले जाए जाने वाले समानों, उनकी गुणवत्ता, ख्याति अथवा समानों की अन्य विशेषताओं के बारे में पता लगाता है जो इसके भौगोलिक उत्पत्ति का उल्लेख करने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने सदस्यों को बताया कि जीआई के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है, जीआई के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है, कौन आवेदक हो सकता है, पंजीकरण की प्रक्रिया और क्रियाविधि क्या हैऔर जीआई के लाभ आदि क्या है। उन्होंने वेबीनार में सदस्यों के प्रश्नों और आशंकाओं को स्पष्ट किया।

9. 1999 बैचों में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की आरपीएल योजना के अंतर्गत 9343 कारीगरों को प्रमाणित किया गया।

परिषद की आगामी अनुमोदित गतिविधियां:

कार्यक्रम का नाम	**कार्यक्रम की तारीख**	**स्थान**
इंडिया कारपेट एक्सपो–वर्चुअल संस्करण	12–16 जनवरी, 2021	पूरी दुनिया पर फोकस
एंबीयेंट 2021	19–23 फरवरी, 2021	फ्रैंकफर्ट, जर्मनी
शंघाई (चीन) में डॉमेटेक्स एशिया चाइना फ्लोर	26–28 मार्च, 2021	शंघाई, चीन
शंघाई (चीन) में थीम और जीआई पैवेलियन डोमोटेक्स एशिया चाइना फ्लोर	26–28 मार्च , 2021	शंघाई, चीन
इंडिया कारपेट एक्सपो	मार्च –21	नई दिल्ली
वर्चुअल बीएसएम	घोषणा की जानी है	हांगकांग बाजार पर फोकस
वर्चुअल बीएसएम	घोषणा की जानी है	यूएई और मध्य पूर्व पर फोकस

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की तारीख	स्थान
स्टेंड अलोन प्रदर्शनी	घोषणा की जानी है	मुंबई
वर्चुअल बीएसएम	घोषणा की जानी है	यू.एस.ए. पर फोकस
वर्चुअल बीएसएम	घोषणा की जानी है	यूरोप पर फोकस
इंडिया कारपेट एक्सपो	घोषणा की जानी है	हैदराबाद
थीम और जीआई पवैलियन	घोषणा की जानी है	हैदराबाद
इंडिया कारपेट एक्सपो	घोषणा की जानी है	चंडीगढ़
थीम और जीआई पवैलियन	घोषणा की जानी है	चंडीगढ़
वर्चुअल बीएसएम	घोषणा की जानी है	चिली और कोलंबिया पर फोकस
इंडिया कारपेट एक्सपो	घोषणा की जानी है	बैंगलोर
थीम और जीआई पवैलियन	घोषणा की जानी है	बैंगलोर

2. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद

वर्ष 2020–21 (अप्रैल–नवंबर, 2020) के दौरान हस्तशिल्प के संवर्धन, विकास और निर्यात संवर्धन के लिए ईपीसीएच द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों के संबंध में सूचना एवं निष्पादन सामग्री का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. वर्चुअल मोड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी/मेले/बीएसएम

क्र.सं.	मेला/प्रदर्शनी का नाम	अवधि
1	भारतीय फैशन गहने और सहायक सामान मेला (आईएफजेएएस)	01 से 04 जून, 2020
2	आईएचजीएफ टेक्सटाइल मेला	15 से 18 जून, 2020
3	आईएचजीएफ दिल्ली मेला वसंत 2020 का 49 वां संस्करण	13 से 19 जुलाई, 2020
4	आईएचजीएफ दिल्ली वर्चुअल मेला– शरद 2020 का 50वां संस्करण	04 से 09 नवंबर, 2020
5	ओडीओपी ऑनलाइन मेला (एक जिला एक उत्पाद)	19 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2020 तक
6	वर्चुअल क्रेता–विक्रेता बैठक (आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड)	24 से 28 नवंबर, 2020

वर्चुअल मेला भारतीय फैशन गहने और सहायक सामान मेला (आईएफजेएएस)
(1–4 जून, 2020)

आईएचजीएफ टेक्सटाइल मेला (15–18 जून, 2020)

49 वां आईएचजीएफ दिल्ली वर्चुअल मेला - वसंत 2020 (13-19 जुलाई, 2020)

50वां आईएचजीएफ वर्चुअल दिल्ली मेला- शरद, 2020(4-9 नवंबर 2020)

एक जिला एक उत्पाद- ओडीओपी ऑनलाइन मेला
(19 अक्तूबर - 14 नवंबर 2020)

2. वर्चुअल मोड में आयोजित संगोष्ठी

अखिल भारत आधार पर वर्चुअल प्लेटफार्म पर 131 संगोष्ठी का आयोजन किया गया

केंद्रीय क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	कोविड के दौरान आयोजित कुल
27	5	37	5	52	5	131

3. नवंबर, 2020से - मार्च, 2021के दौरान आयोजन के लिए प्रस्तावित क्रियाकलाप:

- राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तकनिर्धारित, वस्त्र मंत्रालय, भारत द्वारा आयोजित किया गया
- आईजीएचएफदिल्ली मेला – वसंत, 2021 इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली (एनसीआर) में 13–17 मार्च, 2021 तक निर्धारित है

4. भौतिक मोड में आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. दिनांक 22.09.2020 को संदुर, बेल्लारी जिला, कर्नाटक में एसटी कारीगरों के लिए हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दो बैचों का उद्घाटन।
2. दिनांक 23.09.2020 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एसटी कारीगरों के लिए फैशन ज्वैलरी पर हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन।
3. दिनांक 23.09.2020 को बीरभूम, पश्चिम बंगाल में एसटी कारीगरों के लिए धातु शिल्प पर हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन।
4. दिनांक 24.09.2020 को बाड़मेर, राजस्थान में लेदर शिल्प क्लस्टर के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे और चौथे बैच के प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र कावितरण।
5. दिनांक 05.09.2020 को जैसलमेर में हैंड एम्ब्रायडरी शिल्प कलस्टर के तहत तृतीय और चतुर्थ बैच के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र कावितरण।
6. दिनांक 03.09.2020 को मुरादाबाद में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन।

7. दिनांक 13.10.2020 को सहारनपुर में लकड़ी के खिलौने के शिल्प में एकीकृत डिजाइन और तकनीकी विकास परियोजना।.

8. दिनांक 14.10.2020 को बरेली में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन।

9. दिनांक 15.10.2020 को मुरादाबाद में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारीगरों को टूलकिट कावितरण।

10. दिनांक 21.10.2020 को नार्थ 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में एसटी कारीगरों के लिए पटसन शिल्प पर हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

11. दिनांक 22.10.2020 को सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सामान्य कारीगरों के लिए उत्कीर्णन/नक्काशी/नक्काशी/सहायक (वुडवेयर) में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम

12. दिनांक 26.10.2020 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एस सी कारीगरों के लिए पारंपरिक हाथ से कढ़ाई में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

13. दिनांक 23.11.2020 को चन्नपटना, रामनगर जिला, कर्नाटक में लकड़ी के खिलौने केशिल्प पर एकीकृत डिजाइन और तकनीकी विकास परियोजना।

14. दिनांक 19.11.2020 को ओयन ग्राम, अरुणाचल प्रदेश में एसटी कारीगर के लिए पारंपरिक बांस चटाई बुनाई में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

15. दिनांक 24.11.2020 को बरेली में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारीगरों को टूलकिट का वितरण।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलकियाँ

दिनांक 22.09.2020 को संदूर, बेल्लारी जिला, कर्नाटक में अनुसूचित जाति के कारीगरों के लिए हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दो बैचों का उद्घाटन।

दिनांक 24.09.2020 को बाड़मेर में लेदर शिल्प कलस्टर के अंतर्गत 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे और चौथे बैचे के प्रतिभागियों को प्रमामणपत्र का वितरण

वस्त्र मंत्रालय

दिनांक 25.09.2020 को बाड़मेर में लेदर क्राफ्ट क्लस्टर के तहत 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे और चौथे बैच के प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र का वितरण

दिनांक 21–09–2020 को सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सामान्य कारीगरों के लिए उत्कीर्णन/नक्काशी/नक्काशी/सहायक लकड़ी के सामान में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 21–09–2020 को सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सामान्य कारीगरों के लिए उत्कीर्णन/नक्काशी/नक्काशी सहायक लकड़ी के सामान में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 13.10.2020 को सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में लकड़ी के खिलौने शिल्प में एकीकृत डिजाइन और तकनीकी विकास परियोजना।

दिनांक 15.10.2020 कोकटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारीगरों को टूलकिट वितरण।

अनूसुचित जाति के लिए परंपरागत हस्त एम्ब्रायडरी में एकीकृत हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 25–09–2020 को सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के कारीगरों लिए पारंपरिक हस्त कढ़ाई में

दिनांक 19.11.2020 को ओयन ग्राम, अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के पारंपरिक तकनीकी बांस चटाई बुनकरों के लिए हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. भारतीय कालीन प्रोद्यौगिकी संस्थान(आईआईसीटी) - भदोही

आईआईसीटी के नाम से लोकप्रिय भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1998 में एक पंजीकृत समिति के रुप में की गई थी। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 2001 में बी–टेक (कालीन और वस्त्र प्रौद्योगिकी) कार्यक्रम की शुरुआत से वास्तव में सक्रिय हुआ, यह अपनी तरह का एक अनूठा डिग्री कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 20 छात्रों से हुई और बाद में यह संख्या 60 तक पहुंच गई।

आईआईसीटी की गुणवत्ता नीति

- हमारे छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना जिससे किस्टेकहोल्डरों की प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए सतत् आधार पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाना।
- सभी स्टेकहोल्डरों और उद्योगों के सभी विभागों को समय पर और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना।

संस्थान की प्रोफाइल का प्रदर्शन

1. मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

➢ कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी.टेक कार्यक्रम

- बी.टेक कार्यक्रम में कुल 205 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।
- आईआईटी, एनआईटीआईई, आईएसएम, आईआईएम, निफ्ट आदि जैसे प्रमुख सेस्थानों उच्च अध्ययन करने वाले 655 छात्र इस व्यापार में सेवा दे रहे हैं।

➢ प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रशिक्षण

- व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)– इसयोजना के तहत 3500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- 1138 प्रशिक्षुओं को आईएसडीएस के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है.
- समय–समय पर उद्योग आधारित आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।
- अल्पावधि पाठ्यक्रमः समय–समय पर दजर्र निर्मित उद्योग आधारित अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है

2. डिजाइन निर्माण एवं विकास (डीसीडी)

डिजाइन बैंक निर्मित– 15000 से अधिक डिजाइन ऐसे हैं जिनमें से लगभग 3500 डिजाइनों का उपयोग उद्योग द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया है। डिजाइन बैंक की विविधता में

पारंपरिक भारतीय मोटिफ (जैसेः हड़प्पा, अजंता, मुगल, रंगोली, जयपुरी, फुलकारी, कांथा, पैठानी, कलमकारी, बनारसी, जमवार आदि), आधुनिक मोटिफ आदि का चलन है।

3. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

उत्पाद विकासः कुछ उत्पाद विकास गतिविधियों को संस्थागत स्तर पर और/अथवा उनकेसहयोग से पूरा किया गया है जिसमें निम्नशामिल हैं:

- कॉयर आधारित कालीनः
- रेशम कालीनः
- एरी रेशम कालीनः
- मोडाक्रिलिक आधारित कालीनः
- हस्तनिर्मित एस्ट्रोटर्फ किस्म की कालीन
- प्राकृतिक फाइबर आधारित कालीनः
- प्राकृतिक रंगाईः
- जैविक उत्पादः।
- पॉलिएस्टर झबरा के लिए स्थानः
- बुजबुन उपयोगः
- वर्टिकल ब्लाइंड
- कॉयर पेपर और कॉयर सिल्क
- पीपीई कवरॉल (बॉडी सूट और शू कवर
- कालीन उद्योग के अपशिष्ट के रेशेदार अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग।
- अपशिष्ट कालीन से हीटिंग पैड का निर्माण और मूल्यांकन.
- हाथ से बने कालीनों में पटसन सामग्री का प्रयोग।
- एर्गोनोमिक और लचीले ट्युफिंग फ्रेम की अवधारणाः
- हैंड नॉटेड और तिब्बती, झबरा, सौम आदि के लिएक्रॉस बार हॉरिजॉन्टल लूम सीबीएचएल (लकड़ी अथवा धातु)
- इंडिया नॉटः आईआईसीटी की प्रोप्राइटरी जो करघे में सेमी नॉटिंग की अनुमति देता है, मेक इन इंडिया मिशन का पूरक है, उद्योग आगे आने वाला और तलाशकरने वाल है
- स्नेभा कालीन बैकिंग प्रणालीः पॉलिमर बैकिंग प्रौद्योगिकी, लाइट वेट, वॉशेबल ने कारपेट ई वर्ल्ड जैसे प्रकाशनों में इसकी विशेषताओं और व्यवहार्यता की रिपोर्ट की है।
- एक अन्य टेरी लीनो संरचनाः एक नया/लागत प्रभावी कालीन टेरी संरचना प्रदान करने के लिए प्रोप्राइटरी मेक इन इंडिया पहल।
- इस आर एंड डी अवधारणा का लाभ कालीन और होम टेक्सटाइल द्वारा लिया जा सकता है जिसमें इसके उद्योग/बाजार हिस्सेदारी/निष्पादन को बढ़ाने के लिए काफी हद तक तौलिया उद्योग शामिल है।

4. उद्योग को तकनीकी सहायता (टीएसआई)

- संस्थान अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे सीएडी लैब, डिजाइन स्टूडियो, फिजिकल एंड केमिकल लैब्स और कार्पेट लैब के माध्यम से उद्योग को निरंतर तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है ताकि वैश्विक बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- आईआईसीटी प्रयोगशालाएं एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं इसलिए परीक्षण रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हैं.
- ''कालीन बंधु''–उद्योग के लिए मंच – आईआईसीटी इंटरफेस वार्तालाप कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रहा है।

परियोजनाएं- आईआईसीटी द्वारा विभिन्न मुख्य परियोजनाएं (सरकारी और प्रायोजित) चलाई गई हैं और संतोषजनक ढ़गसे चल रही हैं।

वर्ष की मुख्य उपलब्धियां

- दिनांक 03.12.2020 को कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई।
- संस्थान अधिदेश को पूरा कर रहा है और सभी चार गतिविधियों अर्थात (1) मानव संसाधन विकास (एचआरडी), (2) डिजाइन निर्माण एवं विकास (डीसीडी) (3) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), (4) उद्योग को तकनीकी सहायता (टीएसआई) को पूरा कर रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशाला आदि में आईआईसीटीके विभिन्न संकायों ने भाग लिया और शोध पत्र प्रस्तुत किए और विभिन्न मंचों पर आईआईसीटीका सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।
- समसामयिक विकास और कालीन उद्योग द्वारा हाल में सामना की गई चुनौतियों पर व्याख्यान देने के लिए उद्योग द्वारा उद्योग जगत के प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया गयाथा
- मुंबई के तकनीकी विशेषज्ञों से मिलने और उनके साथ बातचीत करने के लिए छात्रों के लिए उद्योग–संस्थान वार्तालाप बेठकों का आयोजन किया गया था। इन सत्रों को उपयोगी पाया गया क्योंकि विशेषज्ञों ने बाजार में नवीनतम मशीनरी और पर्यावरण की क्षमता के लिए पर्यावरण के अनुकूल हरित उत्पादों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला।
- पूर्व छात्र पुनर्मिलन– पूर्व छात्रों के साथ वर्तमान छात्रों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए दिनांक 15 फरवरी 2020 को संस्थान में ऐसे पूर्व छात्रों के पुनर्मिलन का आयोजन

किया गया था, जो उद्योग में तैनात हैं। पूर्व छात्रों ने कैरियर कीसलाह के साथ युवा स्नातक छात्रों को सलाह देने की अपनी इच्छा व्यक्त की। पूर्व छात्रों ने वर्तमान छात्रों के लाभ के लिए पिछले छात्रों के साथ व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है। इस व्याख्यान श्रृंखला से कॉरपोरेट जगत में चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्तमान छात्रों को सलाह, कोचिंग और मार्गदर्शन में मदद मिलनी शुरू हो गई है।

- उद्योग के साथ समझौता ज्ञापन– छात्रों के लाभ के लिए एक बंधन बनाने और भविष्य के संबंधों को विकसित करने के लिए उद्योग भागीदारों के साथ कई समझौता ज्ञापनों की शुरुआत की गई थी। ओबीईईटीईईप्राइवेट लिमिटेड और आईआईसीटीभदोही के साथ समझौता ज्ञापन के प्रमुख बिंदु:

संस्थान अपने बी.टेकके माध्यम से तकनीकी विशेषज्ञों के लिए क्षेत्र की काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने में सक्षम है। टेक्नोक्रेट्स और उक्त का कार्य चल रहा है। उद्योग भी आगे आए हैं और इन टेक्नोक्रेट्स को अपनेसंगठन में उपयुक्त रूप से नियोजित किया है।

4. धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र

भारत के हस्तशिल्प देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि इनका उच्च उपयोगिता और सजावट मूल्य भी है। हस्तशिल्प क्षेत्र अत्यंत असंगठित है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था में ठोस योगदान देता है और जनसंख्या के बहुत बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है।

मुरादाबाद धातु हस्तशिल्प उत्पादों के लिए पीतल नगरी के नाम से ही प्रसिद्ध है। देश से कलात्मक धातु पात्रों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और यदि बेहतर फिनिशिंग, पैकेजिंग आदि के साथ उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए तो इसमें और वृद्धि का सामर्थ्य है, चूंकि पारंपरिक तरीके से निर्यात मदों की फिनिशिंग में कमी रह जाती है जो आयातक देशों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। परियोजना (यूएनडीपी–आईएनडी/एसएस/026) को मार्च, 1983 में वस्त्र विकास स्थायी वित्त समिति, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास निधि ओर उ.प्र. सरकार के सहयोग से मुरादाबाद में धातु हस्तशिलप सेवा केंद्र की स्थापना की। इस संबंध में, धातु हस्तशिल्पों के संवर्धन और व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास निधि और उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन से मुरादाबाद में धातुहस्त शिल्प सेवा केन्द्र की स्थापना की। वर्ष 1985 में परियोजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसे बाद में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत भारत सरकार सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है जिसका प्रबंधन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, व्यापार एवं संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र के स्थापना से पूर्व, कलात्मक धातु पात्र उद्योग में उत्पादन एवं सर्फेस फिनिशिंग की पुरातन तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक तरीके से निर्यात मदों की फिनिशिंग में कमी रह जाती है जो आयातक देशों की कड़ी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। उपर्युक्त बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार ने मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प विकास केंद्र की स्थापना की।

आरंभिक चरणों में केंद्र के मामलों को यूपी स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लि०, उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम के माध्यम से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा देखा जा रहा था किन्तु अगस्त, 1991 में न लाभ न हानि के आधार पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। संस्था के नीतिगत मामलों को सरकारी परिषद द्वारा देखा जाता है जिसमें वि०आ०(ह०) अध्यक्ष होते है और संस्था के दैनिक मामलों को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति द्वारा देखा जाता है।

परियोजना उपकरणों का स्थापन वर्ष 1987 में आरंभ किया गया। जून 1989 में लेकरिंग शॉप को स्वीकृति मिलने पर परीक्षण उत्पादन आरंभ किया गया।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना सभी उन्नत प्रोद्योगिकी एवं लेकरिंग, एलेक्ट्रोप्लटिंग (गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, ब्रास, क्रोम आदि), एंटिक फिनिश, पाउडर कोटिंग एवं सैंड/शॉट ब्लास्टिंग आदि जैसी सुविधाओं और लेड एंड कैडमियम लिचिंग, लेड इन सर्फेस कोटिंग, एफडीए टेस्ट एवं केलिफोर्निया प्रोप.65, मेटल एवं मेटल अलोय एनालिसिस, मल्टी लेयर मेटेलिक प्लेटिंग थिक्नेस टेस्ट, एनालिसिस ऑफ एलेक्ट्रोलाइट, कोरोसन रेसिस्टेंस टेस्ट, साल्ट स्प्रे टेस्ट, हुमिडीटी टेस्ट, टेस्टिंग ऑफ लेकर कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ पैंट कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ पाउडर कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ बरस्टिंग स्ट्रेन्थ ऑफ करुगटेस बोक्सेस, ड्रॉप टेस्ट ऑफ कार्टन्स, कलर शेड मेचिंग, मोइश्चर कंटेन्ट इन वुड, आरओएचएस टेस्ट, रेडियशन टेस्ट आदि जैसी टेस्टिंग सुविधाओं के साथ की गई हैं।

केंद्र के उद्देश्य

1. कलात्मक धातु पात्रों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनकी निर्यात योग्यता को बढ़ाना।
2. शिल्पियों के कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और कलात्मक धातु पात्र उद्योग सेजुड़ी तकनीकों को मुहैया कराना।

3. हस्तशिल्प उत्पादों की फिनिशिंग में सुधार लाने में निर्यातकों के लिए मददगार सामान्य सुविधा केन्द्र (सी एफ सी) की स्थापना।

4. एनएबीएल द्वारा प्रत्यापित अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं के संबंध में परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।

5. मेटल फिनिशिंग तथा धातु हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े क्रियाकलापों के क्षेत्र में सतत अनुसंधान एवं विकास मुहैया कराना।

एमएचएससी के विभिन्न विभाग –

- एलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप
- लेकरिंग
- पाउडर कोटिंग
- पोलिशिंग
- अनुसंधान, टेस्टिंग और केलिबरेशन प्रयोगशाला
- सैंड/शॉट ब्लास्टिंग
- डिजाइन बैंक
- कौशल विकास प्रशिक्षण

अनुसंधान प्रशिक्षण एवं केलिबरेशन प्रयोगशाला (आरटीसी प्रयोगशाला)

अनुसंधान परीक्षण एवं एंड केलिबरेशन प्रयोगशाला (आरटीसी प्रयोगशाला) की स्थापना वर्ष 2005 में धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की उन्नयन योजना के दौरान की गई थी। यह आईएसओ/आईईसी:17025/2005 के अनुसार धातु एवं मिश्र धातु, पेंट एवं सर्फेस कोटिंग, एलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ एंड साल्ट, आरओएचएस, माइग्रेशन ऑफ हेवी मेटल एंड वाटर एंड वेस्ट के लिए एनएबीएल क्रेडिटेड है।

एमएचएससी धातु हस्तशिल्प उत्पादों, रसायन, गैर–विनाशकारी, विषाक्त धातु टेस्टिंग, ड्रॉप टेस्ट और जंग प्रतिरोध टेस्टिंग, आरओएचएस, आरईएसीएच (एसएचवीसी) आदि के क्षेत्र में एक अग्रणी पदार्थ टेस्टिंग प्रयोगशाला है।

आरटीसी प्रयोगशाला ने, समकालीन टेस्टिंग उपकरणों जैसे आईसी–आईसीपी–एमएस, एफटीआईआर, ईडीएक्सआरएफ,एएएस और बर्स्टिंग स्ट्रेन्थ टेस्टर आदि से सुसज्जित ईएन/आईएसओ/आईईसी 17025:2005 की अपेक्षाओं के अनुसार गुणवत्ता और कार्यान्वित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए विशाल प्रतिष्ठा हासिल की है। एमएचएससी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सर्वोत्तम सेवाओं की प्रदानगी सुनिश्चित करता रहा है।

इयोन क्रोमैटोग्राफी-आईसीपीएमएस और एफटीआईआर की स्थापना के पश्चात निर्यातकों, निर्माताओं और शिल्पकारों के लिए निम्नलिखित कुछ परीक्षण सुविधाएं शुरू की गई हैं:

1 वैश्विक पलायन

2 टॉक्सिक मेटल का समग्र पलायन

3 भारी धातुओं का विशिष्ट पलायन रबड़ एवं प्लास्टिक की पहचान

4 टॉक्सिक संयोजन की पहचान

निर्यातकों को लाभ:

सभी संबंधित टेस्ट सुविधाएं निर्यातकों के द्वार पर उपलब्ध होगी जो किफायती भी होगी। टेस्टिंग ग्राहकों की आवश्यकतानुसार परिणामों की क्वालिटी पर प्रभाव डाले बिना अल्प अवधि में की जाएगी। सैंपलों को दिल्ली के अन्य स्थानों या कहीं ओर ले जाने से निर्यातकों के समय और पैसे की बचत होगी। थर्ड पार्टी प्रेषित माल निरीक्षण सुविधाएं उनके दरवाजे पर उपलब्ध होगी। आरटीसी प्रयोगशाला द्वारा जारी टेस्ट प्रमाणपत्र विभिन्न देशों के अनेक विदेशी खरीददारों, बाईंग हाउसेस, एक्सपोर्ट हाउसेस और ट्रेड टैक्स आदि जैसे सरकारी विभागों द्वारा मान्यताप्राप्त है। तैयार उत्पादों के साथ–साथ प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उनके उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर जानने से उद्योग को अधिक आत्मविश्वास प्राप्त होगा।

- धातु के बर्तन के उत्पादन में गुणवत्तापरक सुधार एवं उनकी योग्यता में वृद्धि।
- अपने व्यापार की नवीनतम तकनीकी के साथ उन्नयन।
- मेटल फिनिशिंग, मेटल कॉस्टिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण एवं प्रमाणन आदि के क्षेत्र में निर्यातकों/विनिर्माताओं आदि की समस्या का समाधान करने के लिए उनके साथ आसान संपर्क।
- एमएचएससी जीएसटी, सेज, आयकर, रेलवे, भेल, जल निगम, स्वच्छ गंगाराज्य मिशन–उत्तर प्रदेश, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, फॉरेंसिक विभागों जैसे सरकारी विभागों के लाभार्थियों के अलावा प्रत्येक वर्ष मुरादाबाद एवं इसके आसपास हस्तशिल्प व्यापार निर्यातकों, विनिर्माताओं एवं कारीगरों को बड़े पैमाने पर मेटल फिनिशिंग, परीक्षण, निरीक्षण एवं अन्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है।
    - लगभग 1500 कारीगर लाभांवित
    - लगभग 2400 निर्यातक लाभांवित
    - लगभग 1500 विनिर्माता लाभांवित

केंद्र की हाल की उपलब्धियां:

1. एमएचएससी के मेटल फिनिशिंग सेक्शन (एमएफएस) ने 1 अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2020 तक 6001101.00 रुपए का राजस्व प्राप्त किया।

2. एमएचएसी की आरटीसी प्रयोगशाला से 1 अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2020 तक 2693620.00 रुपए का राजस्व प्राप्त किया।

3. मेटल फिनिशिंग सेक्शन (एमएफएस) एवं आरटीसी प्रयोगशाला से 1 अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2020 तक अर्जित कुल राजस्व 8694721.00 रुपए है। हालांकि यह 10359566.00 रुपए था। यह राजस्व प्राप्तिध्व्यवसाय पर कोविड–19 के प्रभाव की पुष्टि कर रहा है। उपर्युक्त एमएफएस एवं आरटीसीएल का केंद्र में उपलब्ध डाटा कम से कम 750 निर्यातक, विनिर्माता, क्रेता/क्रेता एजेंट और मुरादाबाद एवं आसपास के क्षेत्र के कारीगरों के बारे में प्रदर्शित करता है जिन्हें परीक्षण एवं प्रमाणन अथवा फिनिशिंग जैसे विभिन्न तरीकों से लाभ प्राप्त हुआ है।

4. वित्त वर्ष– 2018–19.2019–20 एवं 2020 – 21 [नवंबर 2020] के दौरान केंद्र की आय एवं व्यय का ब्यौरा

वर्ष	आय (रूपए में)	व्यय (रूपए में)
2018–19	1,83,33236.00 रुपए	1,79,16648.00 रुपए
2019–20	1,86,16425.00 रुपए	1,76,33655.00 रुपए
2020–21[नवं.]	86,94721.00 रुपए	78,22364.00 रुपए

(क) राष्ट्रीय परीक्षण एवं कैलीब्रेशन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड एनएबीएल द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों की टीम,जिसमें डा. आर.के.सोलंकी, श्री जी.वी. रामामुर्ती, एमएसएमई चेन्नई, श्री प्रभात रंजन जाना, डा.संजय अग्रवाल–वैज्ञानिक–बीआईएस एवं डा. डी.पी.सिंह शामिल थे, द्वारा दिनांक 11.07.2020 – 12.07.2020 और 18.07.2020 – 19.07.2020 को एनएबीएल प्रत्यायन के नवीनीकरण के लिए आरटीसी प्रयोगशाला का मूल्यांकन किया है और संस्थान द्वारा सफलतापूर्वक यह कार्य किया गया है। अब संस्थान की आरटीसी प्रयोगशाला 09.09.2020 से 08.09.2022 प्रत्यायित है।

(ख) एमएचएससी ने निदेशक, उद्योग के कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एमएचएससी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम के अंतर्गत धातु शिल्प में शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और अपशिष्ट शोधन, नक्काशी, गुणवत्ता नियंत्रण, लैकरिंग और पेंटिंग, वेल्डिंग और शोल्डरिंग, पावर कोटिंग और पैकेजिंग जैसे हमारे पाठ्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क) के अनुरूप हैं।

लगभग 600 कारीगर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभांवित हुए हैं। उनमें से कुछ ने अपना व्यवसाय करना आरंभ कर दिया है।

उद्योग को लाभ

- धातु के बर्तन के उत्पादन में गुणवत्तापरक सुधार एवं उनकी योग्यता में वृद्धि।
- अपने व्यापार की नवीनतम तकनीकी के साथ उन्नयन।
- मेटल फिनिशिंग, मेटल कॉस्टिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण एवं प्रमाणन आदि के क्षेत्र में निर्यातकों/विनिर्माताओं आदि की समस्या का समाधान करने के लिए उनके साथ आसान संपर्क।

(ख) श्री विनोद अग्रवालदृ नारी मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मुरादाबाद के मेयर

(ग) श्री संजय चौहानदृ मुरादाबाद के नगर पालिका आयुक्त ने एमएचएससी का दौरा किया और स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत समीक्षा की

(ग) उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती अनंदीबेन पटेल ने मुरादाबाद का दौरा किया और उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना के अंतर्गत ओडीओपी प्रशिक्षुओं का टूलकिट वितरित किए। एमएचएससी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में चयनित किया गया है और वर्चुअल तरीके से एमएचएसी की समीक्षा की गई है।

5. राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी

राष्ट्रीय शिलप संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी (पूर्व में राष्ट्रीय हस्तशिलप और हथकरघा संग्रहालय) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थित है। यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा की भारत की प्राचीन परंपराओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, शिल्पियों, डिजाइनरों, निर्यातकों, विद्वानों और जनता को विचार–विमर्श फोरम प्रदान करना, शिल्पियों को बिचौलिए के बिना विपणन मंच प्रदान करना और भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा परंपरा के लिए एक संसाधन केंद्र का कार्य करना है। शिल्प नमूनों का संग्रह, संरक्षण और संरक्षा तथा कला और शिल्प का पुररूद्धार, पुनरूत्पादन और विकास करना शिल्प संग्रहालय की गतिविधियां हैं।

संग्रहालय संग्रहः

संग्रहालय में 28,000 से अधिक कलाकृतियां हैं जिसमें धातु के आइकन, दिये और धूपदान, रिचुअल सहायक समाना रोजमर्रा के जीवन के समान, लकड़ी की नक्काशी, पेंटेड वुड एवं वेयर मैस, डॉल, खिलौने, पपेट, मास्क, फॉक एवं आदिवासी पेंटिंग और मूर्तियां, टेरीकोटा, फॉक और आदिवासी गहने तथा परंपरागत भारतीय वस्त्र का समग्र खंड शामिल है। फॉक और आदिवासी कला गैलरी, मंदिर गैलरी, कोर्ट शिल्प गैलरी और वस्त्र गैलरी इनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है और शेष संग्रहालय संग्रह भंडार में रखे गए हैं।

शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रमः

संग्रहालय वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले अपने निर्यातित शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्प और हथकरघा को सहायता करने का प्रयास करता है। शिल्पियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। कोविड–19 महामारी के कारण अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान कोई शिल्पी/शिल्पकार एनसीएम2एचकेए नहीं आएं। अक्तूबर से नवंबर, 2020 के दौरान 41 शिल्पियों और 10 कारीगरों ने संग्रहालय का दौरा किया है।

अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरणः

अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण के कार्य में दो गतिविधियां अर्थात फील्ड अनुसंधान और शिल्पकारों का दस्तावेजीकरण करना शामिल है।

परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा का अनुसंधान और दस्तावेजीकरण करना शिल्प संग्रहालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस योजना के अंतर्गत संग्रहालय फॉक और आदिवासी कला सहित हस्तशिल्प और हथकरघा की परंपरा का दस्तावेजीकरण करने के लिए फील्ड में काम करने के लिए विद्वानों को निधियां प्रदान करता है।

ग्राम परिसरः

संग्रहालय का ग्राम परिसर, ग्रामीण भारत परिसर के रूप में 1972 में स्थापित देश के विभिन्न भागों की ग्रामीण संरचना के साथ ग्रामीण भारत की याद दिलाती है, इसमें झोपडियां और घर, दीवारें और बरामदें, देश के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं प्रतिकृति में निर्मित क्षेत्र के परंपरागत स्वरूप के साथ सुसज्जित कला शामिल है। परिसर में कुल्लू हट (हिमाचल प्रदेश), मेहर हट (सौराष्ट्र, गुजरात), गड़बा हट (ओडिशा), बन्नी हट (गुजरात), मधुबनी कोर्टयार्ड (बिहार), आदि हट (अरुणाचल प्रदेश), निकोबार हट (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह), कोर्टयार्ड (जम्मू एवं कश्मीर), रामा हट (असम), नागा हट (नॉर्थ नागालैंड), टोडा हट (तमिलनाडु), गोंड हट (मध्य प्रदेश), देवनाराण्न श्राइन (राजस्थान), बंगाल कोटयार्ड (पश्चिम बंगाल) शामिल है।

परिसर में 4 ओपन एयर थिएटर भी विकसित किए गए हैं:

- कादम्बरी थिएटर
- सारंगा एम्फीथिएटर
- आंगन मंच
- पिल्खन मंच

पुस्तकालयः

संग्रहालय में 10,000 से अधिक संदर्भ पुस्तकों और परंपरागत कला शिल्प टेक्सटाइल्स पर अन्य पत्रिकाएं तथा भारतीय आदिवासियों पर प्रमुख मानव विज्ञान पर कृतियों के साथ एक विशिष्ट संदर्भ पुस्तकालय है। आमतौर पर अनुसंधान विद्वान और विभिन्न संस्थाओं के छात्र संग्रहालय में नियमित रूप से दौरा करते हैं। किंतु कोविड–19 महामारी के कारण इस अवधि में केवल 20 आगंतुकों ने पुस्तकालय का दौरा किया और नवंबर, 2020 तक केवल 20 पुस्तकें जारी की गयी।

आंगतुक ब्यौरा सत्र 2020-2021

क्र.सं.	महीना	विदेशी	बच्चेछात्र	आम जनता/ भारतीय
1.	अप्रैल 2020	0	0	0
2.	मई 2020	0	0	0
3	जून 2020	0	0	0
4	जुलाई 2020	0	0	0

5	अगस्त 2020	0	0	0
6	सितंबर 2020	0	0	0
7.	अक्टूबर 2020	14	35	1050
8	नवंबर 2020	7	14	0951
	कुल	**21**	**49**	**2001**

कोविड–19 महामारी के कारण संग्रहालय अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 (सत्र 2020–21 में) तक बंद था।

संरक्षण और सुरक्षा:

संरक्षण और सुरक्षा– अनुभाग का मुख्य कार्य वर्ष भर विभिन्न प्रकार की सामाग्रियों/वस्तुओं की रोकथाम और रोग निवारक देखभाल करना है। अप्रैल से नवंबर, 2020 के दौरान शिल्प संग्रहालय में किए गए संरक्षण कार्य निम्नानुसार हैं:–

20 वस्तुओं का रासायनिक उपचार किया गयाय 5 वस्तुओं का संरक्षण किया गया। इसके अलावा, कीटनाशक स्प्रे, सफाई और 20 वस्तुओं का रासायनिक उपचार किया गया। लगभग 3500 टेक्सटाइल्स का भौतिक निरीक्षण किया गया और विशिष्ठ साफ–सफाई के साथ स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2020 के दौरान शिल्प संग्रहालय ने विभिन्न प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों/कार्यक्रमों (कोविड–19 महामारी के कारण संग्रहालय अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक बंद था) का आयोजन किया।

1. आनलाइन प्रदर्शनी (गुगल कला एवं संस्कृति पर): मगुगल कला एवं संस्कृति के सहयोग से दिवाली के अवसर पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी।
2. 'डिबिया' पर एक नाटक: सभी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राष्ट्रीय शिलप संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी में एक खुले थिएटर 'पिल्खन मंच' में 13 नवंबर, 2020 को शून्य थिएटर ग्रुप द्वारा 'डिबिया' पर एक नाअक प्रस्तुत किय गया।
3. लगभग 60 विद्वानों, शिल्प विशेषज्ञों, अनुसंधान कर्ताओं, वास्तुकारों, फैशन और डिजाइनरों ने विभिन्न शिल्प डाकुमेंट्री फिल्म को देखा।
4. परंपरागत भारतीय टेक्सटाइल्स, हस्तशिलप और शिल्प संग्रहालय पर लगभग 20 लघु फिल्में एनसीएम2एचकेए में आंगतुकों के लिए दिखायी गयी।

प्रतिनिधिमंडल और अन्य द्वारा दौरा:

1. भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत श्री केनेथ आई. जस्टर का 10 अक्तूबर, 2020 को दौरा।
2. अभी तक स्कूलों और कॉलेजों के 49 छात्रों, 2001 भारतीय और 21 विदेशी आंगतुकों ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी का दौरा किया है। कोविड–19 महामारी के कारण संग्रहालय अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक बंद था (सत्र 2020–21 में)।

क्र.सं.	**माह**	**विदेशी**	**बच्चे/छात्र**	**आम जनता/ भारतीय**
1.	अक्तूबर, 2020	14	35	1050
2	नवबंर, 2020	7	14	0951
	कुल	21	49	2001

वित्तीय प्रगति:

वित्तीय वप्र 2020–21 के लिए वित्तीय परिव्यय/बजट अनुमान 15.00 करोड़ रुपए है जिसमें से 31.10.2020 तक 7.84 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। उपर्युक्त के अलावा सीएसआर निधि अनुमोदित की गई है किंतु दो परियोजनाओं के लिए 13.4 करोड़ रुपए की निधि बीपीसीएल से अभी प्राप्त होना है–

(1) संग्रहालय स्टोरेज का पुनर्गठन–4.05 करोड़ रुपए

(2) डिजिटल अभिलेखागार– 9.36 करोड़ रुपए

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन

11.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

वस्त्र मंत्रालय देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए को पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) क्रियान्वित कर रहा है। एनईआरटीपीएस एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन और क्रियान्वयन में आवश्यक लचीलेपन के साथ परियोजना आधारित दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया जाता है। योजना के अंतर्गत अपैरल एवं परिधान, पटसन, हथकरघा, हस्तशिल्प, विद्युतकरघा और रेशम उत्पादन सहित वस्त्र क्षेत्र के सभी उप–क्षेत्रों को शामिल करने वाली परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अवसंरचना, नई प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और बाजार पहुंच के लिए आवश्यक सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर में वस्त्र उद्योग का स्थायी विकास करना है।

11.2 एनईआरटीपीएस के अंतर्गत पहलें:

11.2.1 रेशम उत्पादनः एनईआरटीपीएस के अंतर्गत चार व्यापक श्रेणियों अर्थात एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी), गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी) एरी स्पन सिल्क मिल्स (ईएसएसएम) तथा महत्वकांक्षी जिलों (एडी) के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में चिन्हित संभावित जिलों में क्रियान्वयन के लिए रेशम उत्पादन परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

11.2.1.1: एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी): 20 परियोजनाएं

(क): बीटीसी सहित असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा में क्रियान्वयन के लिए 631.97 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 525.11 करोड़ रुपए) की कुल लागत के साथ कुल 18 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। यह परियोजना मलबरी, एरी और मूगा के 29,910 एकड़ पौधारोपण को सहायता प्रदान करेगी। इसमें बीटीसी (सक्षम) के सिल्क और नागालैंड के लिए पश्च कोकून प्रौद्योगिकी हेतु मृदा शामिल हैं। ये परियोजनाएं राज्य रेशम पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।

(ख): सीएसबी में बीज भंडार इकाइयां: पूर्वोत्तर में मलबरी, एरी और मूगा क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त बीज के उत्पादन के लिए अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने हेतु 37.71 करोड़ रुपए (100: केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। इस योजना में 6 बीज अवसंरचना इकाइयों [(जोरहट (असम) में 1 मलबरी बीज इकाई)] सिल्वर (असम), मोकुकचुंग (नागालैंड), कोकराझार (बीटीसी–असम), तुरा (मेघालय) में 4 मूगा बीज इकाई, और टोपाटोली (असम) में 1 एरी बीज इकाई) 30 लाख मलबरी डीएफएलएस और 21.51 लाख मूगा और एरी डीएफएलएस की उत्पादन क्षमता सहित, के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

(ग): त्रिपुरा में रेशम छपाई इकाई:

त्रिपुरा में उत्पादित रेशम और फैब्रिक के लिए मूल्यवर्धन हेतु रेशम छपाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एनईआरटीपीएस के अंतर्गत 3.71 करोड़ रुपए (100: केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर रेशम प्रसंस्करण और छपाई इकाई की स्थापना के लिए एक परियोजना अनुमोदित की गई है।

11.2.1.2 गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी): (10 परियोजनाएं)

एनईआरटीपीएस के अंतर्गत 290.31 करोड़ रुपये की कुल लागत जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 258.74 करोड़ रुपये के साथ आयात विकल्प वाली बाइवोल्टाइन रेशम के लिए 10 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस परियोजना में मलबरी पौधारोपण हेतु 4,900 एकड़ क्षेत्र जिसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर को छोड़कर) की लगभग 10,607 महिला लाभार्थियों को कवर किया गया हैं।

11.2.1.3 एरी स्पन सिल्क मिल्स (3 परियोजनाएं) और आकांक्षी जिले : (5 परियोजनाएं)

(क): एरी स्पन सिल्क मिल्स (ईएसएसएम): मिलों की स्थापना के बाद लगभग 7500 स्टेकहोल्डरों को लाभांवित कर प्रति वर्ष एरी स्पन सिल्क यार्न का 165 मी.टन उत्पादन करने के लिए 64.59 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 57.28 करोड़ रुपए) की कुल परियोजना लागत से असम, बीटीसी और मणिपुर राज्य में 3 एरी स्पन सिल्क मिलों की स्थापना को अनुमोदित किया गया।

(ख): महत्वाकांक्षी जिलों में रेशम उत्पादन का विकासः भारत सरकार ने राज्य सरकारों की भागीदारी से जिलों की क्षमता के अनुसार मलबरी, एरी, मूगा अथवा ओक तसर को शामिल करते हुए वांछित जिलों में प्रति जिला एक/दो ब्लॉक में रेशम उद्योग के विकास की शुरूआत की है। वर्तमान में 73.47 करोड़ की भारत सरकार की हिस्सेदारी के साथ 79.60 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से 05 रेशम उत्पादन परियोजनाएं असम, बीटीसी, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड के राज्यों में क्रियान्वयन के अधीन है। इन परियोजनाओं में 3360 एकड़ पौधरोपण किया जाएगा जिससे लगभग 4185 लाभार्थियों लाभांवित होंगे।

11.2.1.4 चल रही और नई परियोजनाओं की प्रगतिः

प्रगतिः दिसंबर, 2020 तक 47956 लाभार्थियों को शामिल करते हुए मलबरी, एरी, मूगा और ओक तसर के होस्ट पौधरोपण के अंतर्गत लगभग 35411 एकड़ (15485 नए और 19926 मौजूदा) क्षेत्रफल को लाया गया है और परियोजना अवधि (2014–15 से दिसंबर, 2020–21 तक) के दौरान 3967 मी.टन कच्ची रेशम का उत्पादन किया गया। परियोजना के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 745.69 करोड़ रुपए के विरूद्ध 624.26 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसमें व्यक्तिगत लाभार्थी और सामान्य सुविधा स्तर पर (रियरिंग हाउस का निर्माण, बीज ग्रेनेज, रिलिंग अवसंरचना, माउंटिंग हॉल, पौध रोपण आदि) लगभग 50,000 परिसंपत्तियों के सृजन में योगदान किया गया।

एनईआरटीपीएस के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही समग्र रेशम उत्पादन परियोजनाओं का सारांश नीचे तालिका में दिया गया हैः

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (दिसंबर, 2020 तक)	लाभार्थी (संख्या)		परियोजना के दौरान परिणाम (एमटी) 2020-21 (दिसंबर, 2020 तक)	
				(करोड़ रूपए)	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि(पी)
I	**एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना**							
1	असम	66.67	47.42	45.05	5,965	5,965	94	99.50
2	बीटीसी	34.92	24.68	23.44	3,356	3,356	75	32.44
3	बीटीसी (आईईडीपीबी)	11.41	10.61	10.08	654	654	26	12.94
4	बीटीसी (मृदा से रेशम)	55.36	53.12	37.09	3,526	2,345	102	49.00
5	अरुणाचल प्रदेश	18.42	18.42	17.50	1,805	1,672	36	12.02
6	मणिपुर (घाटी)	149.76	126.60	107.55	6,613	5,957	203	35.80
7	मणिपुर (पहाड़ी)	30.39	24.67	20.50	2,169	1,490	51	57.63
8	मेघालय	30.16	21.91	19.57	2,856	2,856	77	14.56
9	मिजोरम	32.49	24.49	23.26	1,683	1,683	49	11.61
10	मिजोरम (आईएमएसडीपी)	13.52	12.83	12.19	833	800	10	0.29
11	नगालैंड	31.47	22.66	21.52	2,678	2,678	69	18.08
12	नागालैंड (आईईएसडीपी)	13.66	12.83	12.19	1,053	1,053	24	13.80
13	नागालैंड (पीसीटी)	8.57	8.48	8.06	406	406	पश्च कोकून और पश्च यार्न गतिविधियां प्रगति पर	
14	त्रिपुरा	47.95	33.20	30.03	3,432	3,432	121	44.60
	कुल (I)	**544.75**	**441.93**	**388.02**	**37,029**	**34,347**	**938**	**402.27**
Ia	नई आईएसडीपी परियोजनाएँ							
15	अरुणाचल प्रदेश (आईएलएसईएफ)	37.25	35.65	9.12	1,270	445	48	24.32
16	अरुणाचल प्रदेश (आईएमएसडीपी)	12.69	12.15	6.08	875	350	9	1.80
17	बीटीसी–आईईएसडीपी (टैप)	18.63	17.35	10.78	1,400	625	18	4.41
18	नगालैंड–चुंगटिया	18.67	18.04	8.13	500	150	16	-
	कुल(Ia)	**87.24**	**83.19**	**34.10**	**4,045**	**1570**	**91**	**30.53**
	उप योग	**631.97**	**525.11**	**422.12**	**41,074**	**35,917**	**1,029**	**432.80**

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (दिसंबर, 2020 तक)	लाभार्थी (संख्या)		परियोजना के दौरान परिणाम (एमटी) 2020-21 (दिसंबर, 2020 तक)	
				(करोड़ रूपए)	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि(पी)
Ib	**मूलढ़ांचा परियोजनाएं**							
19	त्रिपुरा (प्रिंटिंग)	3.71	3.71	3.52	-	-	1.50 लाख मीटर/यार्ड	820 साड़ी प्रिंट की गई
20	सीएसबी बीज अवसंरचना	37.71	37.71	35.82	-	-	1.14 लाख मूगा डीएफएलएस और 0.15 लाख एरी डीएफएलएस प्रति वर्ष	1.14 लाख मूगा डीएफएल और 0.15 लाख एरी डीएफएल प्रति वर्ष
	कुल(Ib)	**41.42**	**41.42**	**39.35**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल(I+Ia+Ib)	**673.39**	**566.53**	**461.47**	**41,074**	**35,917**	**1,029**	**432.80**
II	**गहन बाइवोल्टार रेशमकीट विकास परियोजना**							
1	असम	29.55	26.28	24.96	1,144	1,144	17	3.50
2	बीटीसी	30.06	26.75	25.41	1,188	1,188	17	1.50
3	अरुणाचल प्रदेश	29.47	26.20	24.89	1,144	663	16	1.20
4	मेघालय	29.01	25.77	24.47	1,044	1,033	16	3.60
5	मिजोरम	30.15	26.88	25.54	1,169	1,169	16	8.07
6	नगालैंड	29.43	26.16	24.85	1,144	1,144	16	4.26
7	सिक्किम	29.68	26.43	25.11	1,094	988	17	0.80
8	त्रिपुरा	29.43	25.95	24.65	1,144	1,144	16	14.30
	कुल(II)	236.78	210.41	199.88	9,071	8,473	130	37.23
IIa	**नई बाइवोल्टाइन परियोजनाएं**							
9	नागालैंड–बाइवोल्टाइन (एसपीवी)	22.43	20.68	10.34	436	320	14	1.31
10	त्रिपुरा–सिपाहीजाला	31.11	27.64	3.16	1,100	120	17	-
	कुल(IIa)	**53.53**	**48.32**	**13.50**	**1,536**	**440**	**31**	**1.31**
	कुल(II+IIa)	**290.31**	**258.74**	**213.38**	**10,607**	**8,913**	**161**	**38.54**
	आईईसी			4.84				
III	**एरी स्पन रेशम मिल्स**							
1	असम	21.53	19.09	5.00	2,500	-	-	-
2	बीटीसी	21.53	19.09	9.55	2,500	-	-	-
3	मणिपुर	21.53	19.09	5.00	2,500	-	-	-
	कुल (III)	64.59	57.28	19.55	7,500	-	-	-
IV	**आकांक्षात्मक जिले**							
1	असम	21.03	19.55	9.78	1,200	566	46	-
2	बीटीसी	20.28	18.64	13.32	1,020	610	40	7.84
3	मेघालय	12.08	10.97	5.48	410	429	17	-
4	मिजोरम	11.56	10.82	9.74	650	559	17	2.59
5	नागालैंड	14.65	13.49	8.13	965	962	17	10.73
	कुल(IV)	**79.60**	**73.47**	**46.45**	**4,245**	**3,126**	**137**	**21.16**
सकल योग(I+II+III+IV) (38 परियोजनाएं)		**1,107.90**	**956.01**	**745.69**	**63,426**	**47,956**	**1,327**	**492.50**

पी : अनंतिम

नोटः मार्च, 2021 के अंत तक अनुमानित उपलब्धि 1327 मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में लगभग 1000 मीट्रिक टन होगी। अनुमान में कमी का कारण कोविड–19 महामारी है जिसके परिणामस्वरूप रेशम कीट की रियरिंग के लिए कई बार रेशम कीट बीज की अनुपलब्धता हुई है।

परियोजनाओं की मॉनीटरिंगः ये परियोजनाएं केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) की मॉनीटरिंग, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है। सीएसबी द्वारा सभी रेशम उत्पादन परियोजनाओं पर रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है।

चल रही रेशम उत्पादन के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग एनईएसएसी, शिलांग के माध्यम से की गई है। लगभग 46,094 एनईआरटीपीईएस लाभार्थियों की परिसंपत्तियों को जियो टैग किया जाना है। परियोजना कार्यकलाप प्रक्रियाधीन है। 14 नई अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पौध रोपण के संबंध में शामिल भूमि और लाभार्थियों का ब्यौरा जीपीएस मैप, कैमरा एप का प्रयोग करके प्राप्त किया गया है। सीएसबी की वेबसाइट पौधरोपण और लाभार्थियों की लगभग 3000 जियो टैगिंग अपलोड की गई है।

टीईआरआई, बैंगलोर द्वारा एनईआरटीपीएस की परियोजनाओं के अंतर्गत वांछित परिणाम और लक्ष्यों की प्राप्ति में परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए लाभार्थियों पर इसके प्रभाव के स्तर की समीक्षा करने के उद्देश्य से परियोजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया है। और सीएसबी को एनईआरटीपीएस परियोजना के मूल्यांकन अध्ययन संबंधी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

निगरानी और मूल्यांकन के रूप में सीएसबी के वैज्ञानिकों द्वारा नियमित रूप से परियोजना स्थलों में फील्ड दौरा किया गया है। परियोजनाओं की प्रगति पर परियोजनाओं का एक आंतरिक मूल्यांकन किया गया है और डीओएस को रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सीएसबी और वस्त्र मंत्रालय द्वारा सभी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ नियमित अंतराल पर संयुक्त बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी)

एरी रियरिंग गतिविधि

मलबरी पौधरोपण

रियरिंग हाउस

गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी)

मलबरी रियरिंग गतिविधियां

सीएसबी में बीज अवसंरचना इकाइयां

त्रिपुरा में रेशम छपाई इकाई

महत्वाकांक्षी जिलों में रेशम उत्पादन का विकास

रियरिंग हाउस

प्रशिक्षण

एरी स्पन सिल्क मिल्स (ईएसएसएम)

11.2.2 **अपैरल एवं परिधान निर्माण परियोजना:** इस परियोजना को स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से पूर्वोत्तर में औद्योगिक परिधान संवर्धन करने के लिए शुरू किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में 18.18 करोड़ रुपए प्रति सेंटर की दर पर 7 सेंटरों का उद्घाटन किया गया है जो उच्च प्रौद्योगिकी वाली परिधान मशीनरियों से सुसज्जित है। और अपने काम को शुरू करने के लिए उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आशा है कि परियोजना न केवल पूर्वोत्तर में औद्योगिक परिधान के लिए एक नए अवसर तैयार करेगी बल्कि पूर्वोत्तर में संबद्ध उद्योगों का भी विकास करेगी।

11.2.3 **हथकरघा परियोजना:** हथकरघा जनगणना 2019–20 के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में 18.56 लाख हथकरघा कामगार और 18.62 लाख हथकरघे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश करघे घरेलू उत्पादन में लगे हुए हैं और अपेक्षाकृत कम करघे मिश्रित उत्पादन अर्थात घरेलू एवं वाणिज्यिक उत्पादन में लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हथकरघा बुनाई पूर्वोत्तर के सभी सामाजिक वर्गों की संस्कृति का हिस्सा है। चौथी जनगणना, 2019–20 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कुल बुनकरों की संख्या में महिला बुनकरों की संख्या सबसे अधिक है। एनईआरटीपीएस के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र को निम्नलिखित पहलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है:

11.2.3.1 **हथकरघा के लिए कलस्टर विकास परियोजनाएं:** इस परियोजना के अंतर्गत 69.92 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 180 कलस्टर विकास परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। डिजाइन कार्यक्रम, उत्पाद लाइनों का विविधीकरण और विपणन सहायता के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

11.2.3.2 **विपणन संवर्धन:** एनईआरटीपीएस के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2019–20 के लिए 7.1315 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 34 एक्सपो के लक्ष्य का प्रावधान किया गया है और कुल 14 एक्स्पो स्वीकृत किए गए थे और वर्ष 2020–21 (27.01.2021 के अनुसार) के दौरान 1.0517 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

Year	Events sanctioned	Amount released (Rs. in Crore)
2016-17	08	4.28
2017-18	19	5.32
2018-19	12	1.97
2019-20	29	7.13
2020-21 (as on 15.02.2021)	14	1.50

11.2.4 **हस्तशिल्प परियोजना:** पूर्वोत्तर राज्यों में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र एकीकृत एवं सतत विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अनुमोदित/स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	स्वीकृति वर्ष	भारत सरकार का हिस्सा	आई.ए. हिस्सा	अभी तक जारी की गई निधि	21.11.19 तक की गई राशि	लाभ प्राप्त करने वाले कारीगर/भावी लाभार्थी
1.	विपणन एप्रोच के माध्यम से पूर्वोत्तर हस्तशिल्प का व्यापक विकास – ईपीसीएच	12.48	2015-16	12.48	0.0	2.214	2.214	1960 (पूरी की गई परियोजना)
2.	नागालैंड के लिए हस्तनिर्मित बांस, प्राकृतिक फाइबर और वस्त्र आधारित कलस्टर का एकीकृत विकास – नागालैंड सरकार (उद्योग निदेशालय)	6.29	2016-17	6.29	0.0	5.34	3.06	550 (अग्रिम चरण में परियोजना)
3.	मणिपुर में टेराकोटा शिल्प का व्यापक विकास – आई. ए. एमएचएचडीसी लि., मणिपुर सरकार	2.05	2017-18	1.843	0.205	1.271	1.271	200 (पूरी की गई परियोजना))

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	स्वीकृति वर्ष	भारत सरकार का हिस्सा	आई.ए. हिस्सा	अभी तक जारी की गई निधि	21.11.19 तक की गई राशि	लाभ प्राप्त करने वाले कारीगर/भावी लाभार्थी
4.	त्रिपुरा में टेराकोटा शिल्प का व्यापक विकास – आई.ए., उद्योग निदेशालय, त्रिपुरा सरकार	2.05	2017-18	1.845	0.205	0.58	0.00	आई.ए. द्वारा ब्याज सहित वापस की गई 59.96 लाख रुपए की राशि जारी की गई और सरकारी खाते में इस कार्यालय द्वारा जमा की गई।
5.	नोंगपोह, मेघालय में एकीकृत वस्त्र पर्यटन परिसर की स्थापना (रेशम उत्पादन विविंग निदेशालय)	7.99	2018-19	7.99	0.0	3.99	0.46	5000 रेशम उत्पादन के कारीगर/बुनकर/किसान
ó.	विपणन संपर्कों के साथ एकीकृत डिजाइन विकास परियोजना– (सीसीआईसी, नई दिल्ली)	1.98	2018-19	1.98	0.0	0.99	0.79	320 (आई.ए. द्वारा छोड़ी गई 2 एकीकृत डिजाइन परियोजना)
7.	असम के 7 कलस्टरों में हस्तनिर्मित बांस, प्राकृतिक फाइबर तथा वस्त्र आधारित कलस्टर की एकीकृत परियोजना (आर्टफेड, गुवाहाटी)	6.22	2019-20		0.0	1.55	1.55	2450
8.	बीसीडीआई, अगरतला में बांस एवं बेंत हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए बांस एवं बेंत विकास संस्थान का सुदृढ़ीकरण। एनसीडीपीडी, नई दिल्ली द्वारा	1.60	2019-20	1.60	0.0	1.40	0.80	सभी पूर्वोत्तर राज्यों से सीएंडबी शिल्प के लगभग 1000 कारीगर
9.	एमएचएचडीसी, इम्फॉल द्वारा मणिपुर में हस्तशिल्प का एकीकृत विकास एवं संवर्धन	7.90	2019-20	7.16	0.80	3.58	2.64	6000

11.2.5 मणिपुर में विद्युतकरघा परियोजना: मणिपुर में 13.17 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत और 9.22 करोड़ रुपए के भारत सरकार के हिस्से से पहली विद्युतकरघा परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकार विद्युतकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड एवं विद्युतकरघा (प्रीपेरेटरी मशीनों सहित) के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। यह परियोजना प्रगति में है।

11.2.6 डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पटसन में सकेंद्रित उद्भवन केंद्र: पटसन फैब्रिकों के लिए डिजिटल प्रिंटिंग हेतु सुविधा सृजित करने के लिए गुवाहाटी में 3.75 करोड़ रुपए की कुल लागत और भारत सरकार की 2.75 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी से एक परियोजना क्रियान्वित की गई है। मशीनों की खरीद के साथ–साथ इकाई की स्थापना का कार्य प्रगति में है।

वस्त्र क्षेत्र में आईसीटी पहलें

12.1 वस्त्र मंत्रालय में डिजिटल तैयारी

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल पहल का सक्रिय रूप से सवंर्धन कर रहा हैय डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं पारदर्शी हो और नागरिकों को आसानी से प्राप्त हो सकें। मंत्रालय का आईटी प्रभाग, नेटवर्क अवसंरचना में सुधार करने और एप्लीकेशन सिस्टम को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पर उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अधिकांश एप्लीकेशन नेशनल क्लाउड सर्विसेज (मेघराज) पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मंत्रालय और इसके संगठनों की अधिकांश योजनाएं और सेवाएं कभी भी कहीं भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

सरकार के विजन और मिशन को हकीकत में बदलने के लिए इस मंत्रालय ने अपनी ई–गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु कई पहलें की हैं। ई–ऑफिस स्यूट, ई–समीक्षा, ई–खरीद आदि जैसे जी2जी/जी2बी/जी2ई एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन हथकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं पर एमआईएस का विकास, हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एनजीओ पोर्टल, वस्त्र में क्षमता निर्माणा योजना का विकास (समर्थ) से कार्यकरण में सुधार हुआ है, जिसके आधार पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मंत्रालय और इसके संगठन, नियमित आधार पर विभिन्न राज्यों और विभागों के साथ व्यापक रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के जिलाधिकारियों और लाभार्थियों के साथ केंद्रीय वस्त्र मंत्री का चर्चा, सचिव की अध्यक्षता वाले एसओएम में मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की भागीदारी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए सचिव (वस्त्र) द्वारा नियमित प्रगति सत्रों में भाग लेने, महत्वपूर्ण वीसी सत्र आयोजित किए गए। अनुभागों में आईसीटी अवसंरचना को नवीनतम डेस्कटॉप से उन्नत किया गया है और साफ्टवेयर को आईपीवी6 कंपैटिविलिटी के साथ उद्योग भवन की गीगा बिट लैन/वैन/वायरलेस नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी डेस्कटॉप वीडियो क्रांफ्रेंस सुविधा दी गई है। मंत्रालय, संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान मंत्रालय, एनआईसी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली में विभिन्न एप्लीकेशनों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एनआईसी–टीआईडी, मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को तकनीकी और कार्यात्मक सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह वेबसाइट के विकास, कार्यान्वयन, रख–रखाव और समन्वय तथा उसकी 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वे क्लाउड पर विभिन्न ऑनलाइन ई–गवर्नेंस सेवाओं, विभिन्न एप्लीकेशनों के विकास/विस्तार, नेटवर्क सहायता सेवाएं प्रदान कराने और आईसीटी अवसंरचना के रख–रखाव को भी सुकर बनाते हैं।

12.2 वेबसाइट प्रबंधन

वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय की सामग्री प्रबंधन रूपरेखा (सीएमएफ) आधारित वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू (भारत सरकार की वेबसाइट के दिशानिर्देश) के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया था जिससे यह ऐक्सिसबिलिटी के मल्टिपल–मोड के अनुसार बन गई है, द्विभाषी रूप में होने से यह नेत्रहीन लोगों की पहुंच में भी है। संबंधित कर्मचारियों/प्रभागों द्वारा वेबसाइट की सामग्री का समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शुरू की गई है।

12.3 आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और लैन/वैन/पीसी के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक उन्नयन किया जाता है। साइबर सुरक्षा संबंधी स्थिति का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिक फायरवाल और प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाने जैसे आवश्यक उपाय किए जाते हैं। लैन/वैन/सेवाओं में वायरस मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित पैच प्रबंधन और वायरस पहचान प्रणाली भी अद्यतन की गई हैं। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय और विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय में नया वीसी स्टूडियो की स्थापना की गई है।

12.4 ई-गवर्नेंस

इन–हाउस वर्क–फ्लो को मजबूत करने के लिए नई विशेषताओं के साथ वेब आधारित ई–ऑफिस स्यूट को उन्नत किया गया है। रिकॉर्डों और फाइलों का डिजीटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। मंत्रालय में ई–ऑफिस क्रियान्वित किया गया है, मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए ई–ऑफिस पर नियमित व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फाइल बनाने, उसके मूवमेंट आदि में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र/ई–हस्ताक्षर को क्रियान्वित किया गया है और संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

मंत्रालय में कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस), ई–विजिटर्स प्रणाली, ई–खरीद पोर्टल, जन शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली, संसदीय प्रश्न/उत्तर (ई–उत्तर), आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), एसीसी रिक्ति मॉनीटरिंग प्रणाली (एवीएमएस) का नया संस्करण, स्पैरो सिस्टम, ई–विजिटर्स मॉनीटरिंग सिस्टम, विदेशी दौरा प्रबंधन प्रणाली, ई–पालिटिकल क्लीयरेंस सिस्टम, अपीलीय मॉनीटरिंग सिस्टम, कोर्ट केसेज मॉनीटरिंग सिस्टम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) और डीबीटी जैसी जी2जी सेवाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाता है और मंत्रालय में उनका रख–रखाव किया जा रहा है।

12.5 नई पहलें

1. हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए एक ई–कॉमर्स पोर्टल तैयार किया जा रहा है। बुनकर और कारीगरों द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प समानों की ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल पर डाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। वस्त्र मंत्रालय का डैसबोर्ड तैयार किया गया

2. हैंडलूम मार्क योजना के लिए वेब आधारित और मोबाइल एप्लीकेशन का विकास प्रगति पर है और इसमें निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगीः–
   - मौजूदा योजना के अंतर्गत हैंडलूम मार्क का लाभ प्राप्त करने के लिए नए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थियों की पहुंच
   - प्रत्येक चरण पर एसएमएस और ई–मेल नोटिफिकेशन
   - सभी हितधारकों को ऑनलाइन आवेदन और दावे की स्थिति प्रदान करना
   - वर्कफ्लो क्रियान्वयन और हैंडलूम मार्क का ऑनलाइन लेबल
   - ऑनलाइन शिकायत प्रणाली
   - वस्त्र समिति, मुंबई द्वारा जारी किए गए हैंडलूम लेबलों का ऑनलाइन सत्यापन

3. एनआईसी क्लाउड में माई हैंडलूम्स पोर्टल– httpp://myhandlooms.gov.in डाला गया है। ब्लाक स्तरीय कलस्टर, हथकरघा विपण्न सहायता और पुरस्कार जैसे विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभों के लिए आवेदन करने हेतु यह एक एकीकृत पोर्टल है। माई हैडलूम्स पोर्टल का प्रयोग करके योजनाओं का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत बुनकर तथा अन्य संगठन आवेदन कर सकते हैं।

4. जेम पोर्टल पर लगभग 21 लाख बुनकरों को लाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

5. नागरिकों के बीच हथकरघा बुनाई की कारीगरी से गौरान्वित करने के लिए हथरकघा बुनाई समुदाय के लिए माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा दो सप्ताह का एक सोशल मीडिया अभियान चलाया गया था। हथकरघा, हथकरघा उत्पादों और देश के विभिन्न क्षेत्रों के उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों, उनके निर्माताओं के बारे में जानकारी और बुनकरों/कारीगरों को ट्वीट करने के लिए प्रोत्साहित करने और आम नागरिकों में इस क्षेत्र का प्रचार करने और बढ़ावा देने के लिए सामान्य हैश टैग रु वोकल 4 हैंडमेड की शुरूआत की गई है।

6. वस्त्र मंत्रालय के डैशबोर्ड की तैयारी

   एनआईसी के दर्पण फ्रेमवर्क का प्रयोग करके मंत्रालय का एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है। संबंधित उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया और उनकी योजना के डाटा का प्रबंधन करने के लिए प्रोजेक्ट एडमिन का सृजन किया गया है।

7. समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना)

   एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) का प्रबंधन मजबूत और लाइव प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय ने एक 'सार्वजनिक डैशबोर्ड' की सुविधा तैयार की है जो योजना की रियल टाइम प्रगति प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक डैशबोर्ड राज्य–वार स्थिति दर्शाता है जिसे आगे चलकर जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रगति के लिए लागू किया जा सकता है। कोई व्यक्ति प्रशिक्षण केंद्रों और चल रहे प्रशिक्षणों के अभ्यर्थियों की संख्या को लाइव भी देख सकता है।

एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) उन प्रशिक्षुओं को ई–प्रमाणपत्र जारी करता है जो प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं और मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। इस प्रमाणपत्र में एक क्यूआर कोड होता है जिसे प्रमाणपत्र की वास्तविकता की जांच करने के लिए मोबाइल आधारित बारकोड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से इस प्रमाणपत्र को आईएसडीएस वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा पर जाकर सत्यापित भी किया जा सकता है। इस प्रणाली को आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।

8. ई–धागा (यार्न आपूर्ति योजना में बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन का एकीकरण)

आधार प्रमाणन वर्जन 2.5 का क्रियान्वयन किया गया है जिसमें वास्तविक पहचान की जा रही है।

हथकरघा बुनकरों को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत ईआरपी पोर्टल और ई–धागा मोबाइल एप्लिकेशन शुरू की गई थी।

यह प्रणाली हथकरघा बुनकरों को ऑनलाइन अपना मांग पत्र प्रस्तुत करने और भुगतान को सुकर बनाती है।

इस एप के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक बुनकर लाभांवित हुए।

9. दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय) व्यापार में वृद्धि के लिए प्लेटफार्म प्रदान करके, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्रेताओं को सुविधा और वाराणसी क्षेत्र के हथकरघा और हस्तशिलप के समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हथकरघा और हस्तशिल्प की सहायता के लिए एक आधुनिक और एकीकृत सुविधा है।

12.6 संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों में आईसीटी का कार्यान्वयन

मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों को विकसित और अद्यतन किया है, आईपीवी6 के अनुरूप व्यवस्थित और वायरलेस लैन की अपेक्षानुसार अपनी आईसीटी अवसंरचना का भी उन्नयन किया है। इन कार्यालयों ने और अधिक प्रयोक्ता क्रेंद्रित विशेषताओं और जीआईजीडब्ल्यू का अनुपालन करके अपनी–अपनी वेबसाइटों को उन्नत किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जनता या व्यापारिक समुदाय द्वारा अपेक्षित विभिन्न आवेदन फार्मों को डाउनलोड करने हेतु उन्हें साइट पर उपलब्ध कराया जाता है। औद्योगिक डाटाबेस आधारित बहुत सी सांख्यिकीय/विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भी उद्योग जगत के संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेत्र स्तरीय कार्यालयों को भी पर्याप्त आईसीटी अवसंरचना से लैस किया गया है। बेहतर प्रचालन संबंधी कुशलता हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में मोबाइल गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

12.7 सरकारी खरीद में जेम पोर्टल का प्रयोग

वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय और मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य संगठन जेम पोर्टल के माध्यम से माल/वस्तुओं की खरीद कर रहे हैं। लगभग 21 लाख बुनकरों को जेम पोर्टल पर लाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

राजभाषा

13.1 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तोत्तर प्रयोग में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

13.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं, संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेज और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया।

मंत्रालय में, राजभाषा नियम, 1976 के नियम–5 का अनुपालन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है। कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण लगाए गए देश व्यापी लॉकडाउन के दौरान भी मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा राजभाषा नीति का क्रियांवयन सुनिश्चित किया गया।

13.3 निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय–समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित निदेश दिए जाते हैं तथा उनकी अनुपालना को सुनिश्चित किया जाता है।

13.4 अनुवाद कार्य

मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा नियमित रूप से मंत्रिमंडल नोट, अधिसूचनाओं, सामान्य आदेशों, निविदाओं, बजट संबंधी कागजातों, आउटपुट–आउटकम, अनुदान मॉगों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्नोत्तरों, संसदीय आश्वासनों, स्थायी समितियों व अन्य संसदीय समितियों से संबंधित दस्तावेजों, वस्त्र मंत्री के कार्यालय से प्राप्त विभिन्न कागजातों तथा प्रेस विज्ञप्तियों आदि जैसे दस्तावेजों का अनुवाद किया जाता है।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण लगाए गए देश व्यापी लॉकडाउन के दौरान भी मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने आवश्यकतानुसार कार्यालय में आकर तथा घर से ऑनलाइन हर प्रकार के अनुवाद कार्यों को पूरा किया।

13.5 हिंदी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह

मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर, 2020 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सरकारी कामकाज हिंदी में करने को बढ़ावा देने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु पखवाड़े के दौरान हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी अनुवाद एवं भाषा ज्ञान, हिंदी निबंध, हिंदी वाद–विवाद, हिंदी टंकण एवं हिन्दी श्रुतलेख आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वस्त्र मंत्रालय और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वस्त्र उपक्रमों में हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए **हिंदी दिवस** के अवसर पर गृह मंत्री और वस्त्र मंत्री और सचिव (वस्त्र) की अपीलें परिचालित की गईं।

मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल घोषित किए गए प्रतिभागियों को दिनांक 8 जनवरी, 2021 को आयोजित हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान श्री निहार रंजन दाश, सयुंक्त सचिव एवं प्रभारी राजभाषा द्वारा प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

मंत्रालय में हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सचिव (वस्त्र)

13.6.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव एवं प्रभारी राजभाषा की अध्यक्षता में गठित है। समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

13.6.2 हिंदी सलाहकार समिति

मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समिति का गठन हो जाने के पश्चात नियमित रूप से इसकी बैठक आयोजित की जाएगी।

13.7 हिंदी कार्यशाला

मंत्रालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए मंत्रालय में आयोजित प्रत्येक कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशाला के विषय से संबधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्नोत्तरी में सफल होने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है।

एससी/एसटी/महिला और विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय

14.1 रेशम क्षेत्र:

वर्ष 2020–21 के दौरान सिल्क समग्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

14.1.1 अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी):

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान रेशम उत्पादन के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 55.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2020–21 के दौरान एससीएसपी के अंतर्गत घटकों के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को 27.50 करोड़ रुपए की राशि (सितंबर, 2019 तक) जारी की गई।

14.1.2 जनजातीय उप-योजना (टीएसपी):

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान रेशम उत्पादन के अंतर्गत जनजाति उप–योजना (टीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 20.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2020–21 के दौरान अभी तक टीएसपी के अंतर्गत घटकों के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को 8.77 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

14.1.3 तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) परियोजनाएं

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत बहु–राज्यीय तसर परियोजनाओं को 6 राज्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय (5366.15 लाख रुपए) तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड (1794.81 लाख रुपए) अर्थात 7160.96 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अक्तबूर, 2013 से समन्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार के सबसे अधिक वामपंथ प्रभावित (एलडब्ल्यूई) 23 जिलों में विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत घरों के लिए 36,000 से अधिक स्थायी आजीविकाओं का सृजन करने की संकल्पना की गई है।

परियोजना के अंतर्गत 36488 किसानों को 718 अनौपचारिक उत्पादक समूहों में शामिल किया गया है। निजी बेकार पड़ी भूमि में 2738 किसानों द्वारा 1521 हैक्टेयर पर तसर पौध रोपण किया गया है। 50 कोकूनो के मानक की तुलना में 58.35 बीज कोकून प्रति डीएफएल की दर से 123.34 लाख बीज कोकून का उत्पादन करने के लिए 402 न्यूक्लियस बीज रियरर ने 2.14 लाख डीएफएलएस न्यूक्लियस बीज तैयार किए। 32 बीज कोकन प्रति डीएफएल की मानक की तुलना में 29.54 बीज कोकून प्रति डीएफएल की दर से 388 लाख बीज कोकून का उत्पादन करने के लिए 1704 बीज रियरर ने बीटीएसएसओ और बीएसपीयू से खरीदे गए 13.120 लाख डीएफएल मूलभूत बीज तैयार किए। 367 ग्रेनियर ने 280.146 लाख बीज कोकून का प्रसंस्करण किया और 4:1 और 65.32 लाख वाणिज्यिक बीज के मानक की तुलना में 4.29:1 के कोकूनःडीएफएल अनुपात की दर से 65.33 लाख वाणिज्यिक डीएफएल का उत्पादन किया जिनकी आपूर्ति परियोजना क्षेत्रों में की गई। 37 कोकून प्रति डीएफएल की दर से 2403 लाख रिलिंग कोकून का उत्पादन करने के लिए विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत 14225 वाणिज्यिक रियरर ने निजी ग्रेनियर्स से खरीदे गए 65 लाख डीएफएल तैयार किए।

14.4 दिव्यांग व्यक्ति

पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत समूह क, ख,ग और घ के विभिन्न पदों में विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के आरक्षित की जाने वाली 3% रिक्तियों की तुलना में उनकी संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	कार्यालय/संगठन	समूह क		समूह ख		समूह ग		समूह घ	
		एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या
1	वस्त्र मंत्रालय	44	1	87	2	51	0	0	0
2.	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और इसके संगठन	102	-	288	3	715	10	01	
3	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन	204	2	167	1	60	2	13211	36
4	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन इंडिया लि.	41	0	102	3	14	2	87	3
5	भारतीय कपास निगम लि.	80	2	84	1	883	11	139	3
6	राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान	945	02	337	0	823	01	0	0
7	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	65	01	242	04	325	05	0	0
8	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय	39	0	398	0	1383	03	0	39
9	भारतीय पटसन निगम लि.	164	0	77	3	196	5	0	2
10	वस्त्र समिति	80	01	156	1	280	02	0	0
11	केंद्रीय रेशम बोर्ड	640	11	1108	19	973	21	0	0

14.5. लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट

(क) रेशम

लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट:

रेशम उत्पादन अपने निम्न निवेश, उच्च सुनिश्चित रिटर्न, अल्प परिपक्वता अवधि और आय को बढ़ाने के अधिक अवसरों तथा वर्ष भर परिवार के सदस्यों के लिए रोजगार सृजन के कारण सीमांत तथा छोटे स्तर के भू–स्वामियों के लिए उचित है। रेशम उत्पादन महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए भी संभावनाएं भी उपलब्ध कराता है। यह अनुमान है कि रेशम उत्पादन में संलग्न लोगों में से 55% से अधिक महिलाएं हैं। महिलाएं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उत्पादन तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं जिससे वे परिवार तथा समाज में अधिक पहचान तथा सम्मान प्राप्त होने में समर्थ बनती हैं।

औसतन 30% महिला लाभार्थी केंद्रीय क्षेत्र की योजना **'सिल्क समग्र'** (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत शामिल हैं। सीएसबी का आरएंडडी संस्थान रेशम उत्पादन में महिलाओं की और अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रेशम उत्पादन श्रृंखला से संबंधित सभी क्रियाकलापों में थकानको कम करने पर बल देता है।

वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए सिल्क समग्र (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत सीएसबी में एससी/एसटी तथा महिला कर्मचारियों के संबंध में मानव श्रम व्यय का विवरण तथा आबंटन क्रमशः **अनुबंध-I** तथा II में दर्शाया गया है।

अनुबंध – I

अनु.जाति एवं अनु. जनजाति विकास योजना [करोड़ रूपए में]

क्र. सं.	योजना का विवरण	ब.प्रा. 2020-21 (एमओटी द्वारा अनुमोदित)		सं.प्रा. 2020-21 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		ब.प्रा. 2021-22 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
		कुल आबंटन	एससी/एसटी का हिस्सा	कुल आबंटन	एससी/एसटी का हिस्सा	कुल आबंटन	एससी/एसटी का हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ छोड़कर	546.00	128.00	450.00	122.00	501.67	136.57
2	रेशम उत्पादन का विकास	254.00	95.00	231.70	75.00	374.56	85
	कुल	800.00	223.00	681.70	197.00	876.23	221.57
	प्रतिशत (%)	27.88		28.90		25.29	

अनुबंध – II

महिला विकास योजना (करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	योजना का विवरण	ब.प्रा. 2020-21 (एमओटी द्वारा अनुमोदित)		सं.प्रा. 2020-21 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		ब.प्रा. 2021-22 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
		कुल आबंटन	महिलाओं हिस्सा	कुल आबंटन	महिलाओं का हिस्सा	कुल आबंटन	महिलाओं का हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभों को छोडकर	546.00	163.80	450.00	135.00	501.67	150.50
2	रेशम उत्पादन का विकास	254.00	76.20 30%	231.70	69.51 30%	374.56	112.37 30%
	कुल	800.00	240.00	681.70	204.51	876.23	262.87

सतर्कता कार्यकलाप

15.1 वस्त्र मंत्रालय के सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी पर की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय की सतर्कता व्यवस्था में नोडल व्यक्ति होता है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए है:

- कदाचार/लालच संबंधी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना;
- शिकायतों की जांच करना और उन पर जांच/जांच पड़ताल संबंधी उपयुक्त उपायों की पहल करना;
- निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा अपेक्षित टिप्पणियों सहित वास्तविक रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर अथवा अन्यथा विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करना;
- जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहले और दूसरे स्तर की सलाह प्राप्त करना और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- आरोपी अधिकारी पर लगाए जाने दंड की मात्रा पर संघ लोक सेवा आयोग की सांविधिक सलाह प्राप्त करना।
- वस्त्र मंत्रालय ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता स्वीकृति जारी करना और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना।
- सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा और अनिच्छुक संपर्क व्यक्तियों की सूची तैयार करना।
- मंत्रालय के नियत्रंणाधीन संगठनों में सीवीओ/अंशकालिक सीवीओ की नियुक्ति/विस्तार से संबंधित कार्य।
- प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन और सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

15.2 वस्त्र मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यशील निम्नलिखित संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के 5 पद स्वीकृत हैं:

i. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी लि.)

ii. भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई लि.)

iii. भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई लि.)

iv. राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट)

v. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी एवं एचएचईसी लि.)।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यशील संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी हैं।

15.3 मुख्य रूप से कदाचार तथा लालच संबधी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर जोर उपचारात्मक सतर्कता की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है। की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है:

i. मंत्रालय में संवेदनशील प्रकृति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उन पर नजर रखी जाती है।

ii. सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाया गया है और गलत प्रकियाओं से बचने के लिए उचित संस्थागत प्रणालियां लागू की गई हैं।

iii. वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को समय–समय पर सीवीसी, लोक उद्यम विभाग और डीओपीएंडटी के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपने

आचरण, अनुशासनिक और अपील नियमावली को संशोधित और अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है।

15.4 इस वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय पोर्टल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा व्यक्तियों से 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक डिवीजनों और सीवीओ को समय पर अग्रेषित करके कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ शिकायतों पर जांच रिपोर्ट/की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।

15.5 इस वित्त वर्ष के दौरान 4 अनुशासनिक मामले प्रक्रियाधीन हैं। सीवीसी ने अपने दूसरे चरण की सलाह में एक पदधारी को बरी किया है। शेष 3 मामले विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं। शेष 3 अनुशासनिक मामलों में से एक मामले में यूपीएससी की सांविधिक सलाह मांगी गई थी।

15.6 मंत्रालय में एवं इसके अंतर्गत कार्यरत 86 अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति जारी की गई है। सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति मांगने के लिए पीएसयू के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के 5 मामलों पर कार्रवाई की गई है।

15.7 सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 की शुरूआत दिनांक 27.10.2020 को मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ की गई। 'वैल्यू एंड इथिक्स इन एडमिनिशट्रेशन' विषय पर दिनांक 27.10.2020 को एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इन सभी कार्यक्रमों के प्रति उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। 12 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का समापन 2 नवंबर, 2020 को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली

www.ministryoftextiles.gov.in

मुद्रक: विभा प्रेस प्रा. लि., 9810049515